NOT TO BE ISSUED

FOR REFERNCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 16, अंक 31

शुक्रवार, 27 अप्रैल, 2001
7 वैशाख, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 16 में अंक 22 से 31 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ....52..........
Date ......8/1/02.......

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 16, छठा सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 31, शुक्रवार, 27 अप्रैल, 2001/7 वैशाख, 1923 (शक)

विषय **कॉलम**

यमन गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत 1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

* तारांकित प्रश्न संख्या 582, 585, 587 और 588 8-100

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 581, 583, 584, 586 और 589 से 600 100-130

अतारांकित प्रश्न संख्या 6048 से 6214 130-377

सभा पटल पर रखे गए पत्र 381-389

राज्य सभा से संदेश 389-392

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश 392

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

विवरण 392

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

इक्यावनवां और बावनवां प्रतिवेदन 393

नियम 377 के अधीन मामले 394-397

(एक) मध्य प्रदेश के सतना जिले में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रामानन्द सिंह 394

(दो) पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा 395

(तीन) हरियाणा के पंचकूला जिले में पिंजौर में एच.एम.टी. इकाई को बंद न करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया .....

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(चार) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र के अंगूर उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रकाश वी. पाटील 395

(पांच) महिला आरक्षण विधेयक पर शीघ्र विचार किए जाने और उसे पारित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा 396

(छह) उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में नदियों के तटबंधों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भालचन्द्र यादव 396

विदाई उल्लेख 401-406

अध्यक्ष महोदय 401

श्रीमती सोनिया गांधी 403

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 405

राष्ट्रगीत 406

लोक सभा

शुक्रवार, 27 अप्रैल, 2001/7 वैशाख, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

यमन गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है। मैं अपनी तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से माननीय अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए यमन गणराज्य के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवज के स्पीकर, महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन हुसैन अल-अहमद तथा वहां के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करता हूं।

यह शिष्टमंडल गुरुवार, 26 अप्रैल, 2001 को भारत पहुंचा। इस समय वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से यमन गणराज्य के राष्ट्रपति, संसद तथा वहां की जनता को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा प्रश्न सं. 581 पर चर्चा करेगी। श्री के.पी. सिंह देव उपस्थित नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, हमने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है जिसमें कहा गया है कि प्रश्न-काल को स्थगित करके, तहलका के माध्यम से देश में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बारे में बात हो। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा है। आप जीरो आवर में इसे उठाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न सं. 582, श्री नरेश पुगलिया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : देश में भ्रष्टाचार का वातावरण फैल गया है। *...(व्यवधान)* इस सरकार में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे जीरो आवर में उठाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में आपको बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आज सत्र का अंतिम दिन है, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : भारत सरकार के तीन मंत्रियों पर आरोप है। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, आप क्यों बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे जीरो आवर में उठाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, अब बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: चेयर आपको इतना रैस्पैक्ट दे रही है और आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। आज इस सत्र का अंतिम दिन है, कृपया सभा का समय बर्बाद न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुनियप्पा, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैं बोल रहा हूं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया समझने का प्रयत्न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको बाद में मौका देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यगण से अपना स्थान ग्रहण करने की अपील कर रहा हूं। आज सत्र का अंतिम दिन है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग यह क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आपको बता दिया न कि नोटिस को डिसअलाउ कर दिया है। आप इस मामले को जीरो ऑवर में उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज। श्री रामदास आठवले।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, यह बहुत हुआ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : यहां बार-बार इस तरीके से होता है। बाहर के मेहमान आये हुए हैं, उसके बाद भी इनका यह हाल है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग यह क्या कर रहे हैं?

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): यह सरकार किसानों के खिलाफ है, सिखों के खिलाफ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी सदस्यों से अपील कर रहा हूं। श्री बरार, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। हमने पांच मिनट का समय पहले ही बर्बाद कर दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके लिए सभा में नया नियम तैयार करना होगा।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): आप मंत्री जी को स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकते है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी को प्रश्न काल में स्पष्टीकरण देने के लिए कैसे कह सकता हूं? कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ है कि आप प्रश्न काल में प्रत्येक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पप्पू यादव, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सभी माननीय सदस्यगणों से अपनी सीट ग्रहण करने की अपील कर रहा हूं। कृपया प्रश्न काल में बाधा न डालें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने का प्रयास करें। शिष्टमंडल सभा की कार्रवाई को देख रहा है। आप व्यर्थ में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले जी, आप पहले बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़ : देश के विधान का इन लोगों ने उल्लंघन किया है और सरकार की तरफ से कोई रैस्पोंस नहीं आ रहा है।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदय, माननीय सदस्यों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। यह हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को प्रभावित कर रहा है। हमसे कल यह कहा गया था कि इसे सरकार द्वारा स्पष्ट किया जायेगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से प्रश्न काल के बाद स्पष्टीकरण के लिए कह सकता हूं, न कि प्रश्न काल के दौरान।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, यह बहुत गंभीर चिंता है जिसे माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल के बाद सरकार से स्पष्टीकरण देने को कहूंगा। श्री बराड़ जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, यह क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल में सरकार से किस प्रकार से स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता हूं?

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, माननीय मंत्री जी को केवल एक शब्द कहना है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। वह स्पष्टीकरण देने के लिए सहमत हो गए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अंतिम दिन भी आप सभा में एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। शिष्टमंडल कार्रवाई देख रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री जी से दोपहर 12 बजे स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। अब आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से पहले ही कह चुका हूं। वह दोपहर 12 बजे स्पष्टीकरण देने वाले हैं। कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रश्न काल में क्यों उठा रहे है? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ को अपनी बात मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : बिहार में मंत्री को गोली मारी जा रही है, उस पर कोई चिंता नहीं कर रहे *...(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ : अध्यक्ष महोदय, यह करोड़ों सिखों की भावना का सवाल है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बराड़ जी, बहुत हो चुका। मैंने सरकार से दोपहर 12 बजे स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। आप इस बात को नहीं समझ रहे। यह क्या है?

अब, प्रश्न संख्या 582-श्री नरेश पुगलिया

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़ : इससे बड़ा कोई और सबूत नहीं हो सकता *...(व्यवधान)* हमें बता दें कि मंत्री जी इस पर रिस्पांस देंगे या नहीं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बराड़ जी, आप जानबूझकर प्रश्न काल में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं मंत्री जी को पहले ही दोपहर 12 बजे स्पष्टीकरण देने के लिए कह चुका हूं।

...(व्यवधान)

श्री जे.एस. बराड़ : महोदय, यह एक गंभीर मामला है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न काल में व्यवधान उत्पन्न करने का अधिकार आपको है? कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो चुका। यह क्या है? मैं सभी दलों के नेताओं से अपील करता हूं कि वे अपने सदस्यों से बैठ जाने को कहें।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.11 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सीमा-शुल्क अधिकारियों के आवासों पर छापे

***582. श्री नरेश पुगलिया :**
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च-अप्रैल, 2001 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष सहित कुछ सीमा-शुल्क अधिकारियों के आवासों पर छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छापे मारे जाने के क्या कारण थे;

(घ) इन अधिकारियों के आवासों से जब्त की गई सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में की गई गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (छ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (छ)

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष के परिसरों पर छापे

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बी.पी. वर्मा के विरुद्ध इस आधार पर एक मामला दर्ज किया है कि उन्होंने एक निजी पार्टी की तरफदारी की थी। मामला दर्ज करने के बाद, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अन्य बातों के साथ-साथ 31.3.2001 को उनके आवास तथा एक अन्य अधिकारी के आवास की तलाशियां ली थीं।

तलाशियों के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज पकड़े गए थे, जिनसे ये संकेत मिलते हैं कि वह अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्तियां रखते है। केन्द्रीय जांच-ब्यूरो ने उन्हें 1.4.2001 को गिरफ्तार किया था। उन्हें निलम्बित भी कर दिया गया है।

2. नई दिल्ली स्थित, इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उजबेक राष्ट्रिकों द्वारा तस्करी के सिलसिले में अधिकारियों के परिसरों पर छापे

28.8.2000 को एक उजबेक महिला को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय रोका गया था जब वह सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष घोषणा किए बिना ही चीनी सिल्क की निकासी करने का प्रयास कर रही थी। उसे बाद में गिरफ्तार कर विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निरूद्ध कर लिया गया था। इस मामले की बाद में महानिदेशक, राजस्व आसूचना तथा महानिदेशक (सतर्कता), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जांच-पड़ताल की गई थी। की गई प्रारम्भिक जांच-पड़ताल के आधार पर, 33 अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया था और मामले को केन्द्रीय जांच-ब्यूरो को सौंप दिया गया था। केन्द्रीय जांच-ब्यूरो ने बाद में 31.3.2001 को इस संबंध में मामला दर्ज किया, तलाशियां ली जिनमें 48 सीमाशुल्क अधिकारियों के कार्यालयों एवं उनके आवासीय परिसरों की ली गई तलाशियां भी शामिल हैं।

छापों के दौरान, कुछ नगदी, निवेशों तथा सम्पत्तियों संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए थे। किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया था।

3. न्हावा शेवा सीमाशुल्क गृह के दो अप्रेजिंग अधिकारियों पर छापे

कतिपय अनियमित आयात की अनुमति देकर निजी पार्टियों के साथ षड्यंत्र करके सरकार को ठगने संबंधी आरोप पर केन्द्रीय जांच-ब्यूरो ने एक मामला दर्ज किया है। बाद में दो अप्रेजिंग अधिकारियों के परिसरों की तलाशियां ली गई थीं। किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

4. मुम्बई सीमाशुल्क गृह के नानावती भाण्डागार के दो अधीक्षकों पर छापे

केन्द्रीय जांच-ब्यूरो ने मुम्बई सीमाशुल्क गृह के नानावती भाण्डागार में कार्यरत सीमाशुल्क के दो अधीक्षकों के परिसरों पर गैर-कानूनी रूप से पारितोषिक स्वीकार करने के लिए छापे मारे थे। तलाशी के दौरान, नकदी तथा आपत्तिजनक दस्तावेज पकड़े गए थे केन्द्रीय जांच-ब्यूरो द्वारा एक अधीक्षक को गिरफ्तार किया गया है। उसे निलम्बित कर दिया गया है।

5. मुम्बई सीमाशुल्क के एक सीमाशुल्क अप्रेजर पर छापा

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई आकस्मिक जांच के दौरान मुम्बई सीमाशुल्क के एक अप्रेजिंग अधिकारी के कब्जे से बड़ी मात्रा में बरामद की गई नगदी के अनुसरण में, उन्होंने (के.जा. ब्यूरो) उसके आवासीय परिसरों की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान नकद राशि वसूल की गई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 21.4.2001 को इस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो सरकार से यह जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय का चार्ज कब से हमारे अरूण जेटली जी को दिया गया है? कस्टम विभाग और वित्त मंत्रालय में गड़बड़ चल रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जी ने उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राधिकृत किया है।

श्री नरेश पुगलिया : महोदय, वह उन्हें प्राधिकृत कर सकते हैं और आप भी उन्हें अनुमति दे सकते हैं, किंतु यह उचित नहीं है। वित्त मंत्री जी को परिणाम अवश्य भुगतने चाहिए। वह परिणाम भुगतने के लिए तैयार नहीं हैं। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : मि. वर्मा की नियुक्ति के पहले विजिलेंस कमिश्नर श्री एन. विट्ठल ने स्ट्रांग्ली आब्जेक्ट किया था। यशवन्त सिन्हा जी ने राज्य सभा में 28 नवम्बर, 2000 को प्रश्न संख्या 124 के जवाब में स्पष्ट कहा है-

[अनुवाद]

सरकार ने ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया है जिनमें एक महिला उजबेकी नागरिक सितम्बर, 1999 और अगस्त, 2000 के बीच शुल्क माल के साथ 36 बार भारत आई थी। 26 बार, उसके द्वारा लाए गए सामान, जिसमें चीनी रेशमी वस्त्र शामिल थे, पर सीमा शुल्क, विमोचन जुर्माना और अर्थदण्ड लगाया गया था।

[हिन्दी]

यह जवाब वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने राज्य सभा में 28 नवम्बर, 2000 को प्रश्न संख्या 124 के जवाब में दिया है। यह सारी चीज वित्त मंत्री जी के नोटिस में होने के बावजूद मि. विट्ठल ने उनके नोटिस में लाई, वित्त राज्य मंत्री जी के नोटिस में लाई और सी.बी.आई. को केस दिया, वित्त मंत्री जी ने नहीं दिया। हाईकोर्ट के आर्डर होने पर सी.बी.आई. को जांच के लिए कहा गया और उन्होंने जांच के दौरान कस्टम विभाग के 48 उच्च अधिकारियों, सहायक आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और चीफ कमिश्नर जैसे अधिकारियों के घरों पर रेड की। कस्टम का मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मसला भी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछे, इतना लम्बा भाषण देने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री नरेश पुगलिया : महोदय, मुझे आपका सहयोग चाहिए।

श्री माधवराव सिंधिया : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया आप उन्हें कुछ समय दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री नरेश पुगलिया जी, आप पहले ही काफी स्पष्टीकरण दे चुके हैं।

श्री नरेश पुगलिया : मैंने छः भाग पूछे हैं-(क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (छ)। कृपया मुझे कुछ समय दें।

[हिन्दी]

हाई कोर्ट ने सी.बी.आई. को आर्डर किया। वह लेडी एक साल में 76 बार आती है, जबकि मंत्री जी ने कहा कि सिर्फ 36 बार आई है। 48 कस्टम ऑफिसर्स के यहां रेड हुई है और ताशकंद की हमारी इंडियन एम्बैसी सरकार को, डिपार्टमेंट को और सीबीआई को इंफॉर्म करती है और फिर भी हमने कोई कॉगनीजेंस नहीं लिया। देश के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और खासकर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार से जो नेपाल बॉर्डर लगता है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी आपको जानकारी देनी होगी कि पहले वहां पर एक ही जगह से आने के लिए व्यवस्था थी, उसमें चैक पोस्ट नेपाल बॉर्डर से एक जगह थी, लेकिन माननीय यशवंत सिन्हा जी ने वहां तीन चैक-पोस्ट लगा दी हैं और खासकर जो हमारे ए.के. 47 से लगाकर जितनी भी गन्स और सौफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एम्युनिशन है, नेपाल बॉर्डर से हिन्दुस्तान में आ रहे हैं। इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो गया है। मैं जानना चाहूंगा कि कस्टम विभाग को चुस्त करने के लिए और खासकर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे जो आज तक नैगलेक्ट किया है और चूंकि यह मुद्दा हिन्दुस्तान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर इसकी जांच कराने की घोषणा करेंगे?

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली : महोदय, प्रश्न दो मामलों से संबंधित है जो एक-दूसरे से अलग हैं। पहले प्रश्न का संबंध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष की नियुक्ति से है। पूर्व अध्यक्ष के संबंध में तीन मामले थे जिनकी जांच चल रही थी। पहला मामला उनके द्वारा 1993 में पारित न्यायनिर्णयन आदेश से संबंधित था। इस मामले का परिणाम यह निकला कि राजस्व विभाग ने एक अपील दायर कर दी। जब सी.ई.जी.ए.टी. ने उस अपील को खारिज कर दिया तो सरकार ने दिसम्बर 1996 में इस मामले को बंद कर दिया।

दूसरा मामला एक ऐसे आदेश से संबंधित था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसने एक आदेश पारित किया था जिसमें किसी आयात पर कम अर्थदण्ड लगाया गया था। उस मामले में राजस्व विभाग और व्यथित व्यक्ति-अर्थात् निर्धारिती दोनों ने एक अपील दायर की थी। वस्तुतः सी.इ.जी.ए.टी. ने अपील में

राशि कम कर दी थी और फिर 24.1.1997 को वह मामला ही बंद हो गया। इसलिए, इन दोनों ही मौकों पर अर्थात् दिसम्बर, 1996 और 24.1.1997 को ये दोनों मामले बंद हो गये थे।

तीसरा मामला मोटर वाहनों के आयात से संबंधित था जिसमें शुल्क विदेशी मुद्रा में भुगतान करना था, किंतु उसे भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार कर लिया गया था। जांच के बाद संबंधित अधिकारी को प्रशासन की ओर से एक चेतावनी दी गई थी। इसी बीच 1993 में, इस अधिकारी को पदोन्नति देकर चीफ कमिश्नर बना दिया गया था और 7 मार्च, 1997 को उसे केन्द्रीय बोर्ड का सदस्य बना दिया गया था। तत्पश्चात् 1.6.2000 को उसे केन्द्रीय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। जब 28.5.2000 को सरकार द्वारा इस नियुक्ति पर विचार किया गया, तो दो दिन बाद सी.वी.सी. (केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त) ने तत्कालीन राजस्व सचिव को सूचित किया था कि उस अधिकारी को एक प्रशासनिक चेतावनी दी जा चुकी है और यह कहा गया है कि क्या उनकी नियुक्ति के वक्त इस बात को ध्यान में रखा गया था।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : किस तिथि को नियुक्ति की गई थी?

श्री अरुण जेटली : निर्णय 28.5.2000 को लिया गया था। नियुक्ति 1.6.2000 से प्रभावी हुई। प्रशासन की उस चेतावनी पर भी विचार किया गया था क्योंकि सारे रिकार्ड पर विचार किया गया था।

सदस्य का दूसरा सवाल उस उजबेक नागरिक द्वारा देश में किये गये अवैध आयात से संबंधित था। जो देश की कई बार यात्रा कर चुका है। इसमें सीमा शुल्क विभाग के कुछ अधिकारियों के लिप्त होने के बारे में जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए तथ्यों से इस बात के प्रमाण मिले थे। की गई उन जांचों के आधार पर 48 अधिकारियों के यहां छापे मारे गए हैं। तैतीस अधिकारी निलंबित हो चुके हैं। कार्रवाई की जा रही है। जांच सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है और यह अधिकारियों के लिप्त होने की जांच भी कर सकती है। मामला जांच के दायरे में है। स्वयं उस महिला को संबद्ध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया जो इस आयात में शामिल थी। फिर उसे जमानत मिल गई, किन्तु राजस्व विभाग की ओर से जमानत आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई। लेकिन इसी बीच, सी.ओ.एफ.इ.पी.ओ.एस.ए. के अन्तर्गत उस महिला के खिलाफ उसे हिरासत में रखे जाने का आदेश पारित हुआ है।

इसलिए जहां तक उस महिला का संबंध है, कानून के अन्तर्गत जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, उठाए गए है। उसके बाद हवाई अड्डों पर कड़ी सतर्कता रखने के लिए सरकार की ओर से अनेक कार्यवाहियां की गई हैं और ऐसे प्रयासों में शामिल पाए गए अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। विमानपत्तन प्राधिकरणों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उचित काम के लिए उचित व्यक्ति के पद स्थापन को सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मंत्री जी सदन को मिस लीड कर रहे हैं। विजिलेंस कमिश्नर ने समय से पहले सरकार को इन्फार्म किया था कि

[अनुवाद]

यह अधिकारी भ्रष्ट है।

[हिन्दी]

उसके बाद भी आपने उसका एपाइंटमेंट किया एपाइंटमेंट करने के बाद कहते हैं कि एयरपोर्ट पर सब कार्यवाही कर ली है। प्रश्न यह है कि आप सदन को मिसलीड कर रहे हैं। इसके अलावा, खास करके मैंने जे.पी.सी. के बारे में प्रश्न किया था, उसका आपने उत्तर नहीं दिया है, मेहरबानी करके आप उत्तर दें। अगर आप की सरकार क्लीन है, आपके हाथ इसमें फंसे हुए नहीं है, तो आप जे.पी.सी. में स्थिति को साफ करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं?

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैंने सही तिथियां दी है जिनकी माननीय सदस्य जांच कर सकते हैं। मैं उनकी एक बात में सुधार कर सकता हूं कि इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा सी.बी.आई. (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) का हवाला भी नहीं दिया गया था किन्तु स्वयं सरकार द्वारा ...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : नहीं, यह पूरी तरह असत्य है ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : आपने इसको कैसे स्पष्ट किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : जहां तक संयुक्त संसदीय समिति की मांग का संबंध है, मैं यह बता दूं कि इस मामले का सरसरी तौर पर सभी सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है और इस

समय इस मामले की जांच के लिए किसी संयुक्त संसदीय समिति की जरूरत नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : महोदय, मेरे दूसरे पूरक के बारे में क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न हो चुका है। अब श्री अजय सिंह चौटाला।

...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : महोदय, आपने मुझे दूसरे पूरक के लिए मौका नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : श्री बी.पी. वर्मा निन्ध घोटाले गुट के मुखिया है। इस रैकेट में आपके पास ऐसे सेक्स तस्करों और घोटाला करने वाले तत्वों का अच्छा खासा गुट है ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : यह वीडियोटेप, सेक्स और गलत बयानबाजी है। इन्हीं सब चीजों से मिलकर यह सरकार बनी है ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : श्री अरुण जेटली और श्री यशवन्त सिन्हा इस पर एक मजेदार फिक्शन लिख सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : यह फिक्शन नहीं है। समस्या है कि ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : कभी-कभी सच्चाई को भी फिक्शन के रूप में लिया जाता है। ...*(व्यवधान)* प्रश्न पर आते ही वे कहते हैं कि नियुक्ति आदेश 28 मई, 1999 को पारित किया था ...*(व्यवधान)* यह नियम प्रशासनिक चेतावनी है ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय. ...*(व्यवधान)**

श्री किरीट सोमैया : महोदय, श्री मणिशंकर अय्यर ने जो कुछ भी कहा है उसे इस कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में प्रश्न और उत्तर के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, श्री बी.पी. वर्मा से मैंने प्रश्न करने हैं। मैं इन्हें कई भागों में विभाजित करूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पहला यह कि विशेषकर जब शीर्ष पदों पर पदोन्नति के मामले में गंभीर प्रशासनिक चेतावनी दी गई थी-तो इस चेतावनी के बावजूद भी श्री बी.पी. वर्मा के नाम पर कैसे विचार किया गया। यह प्रशासनिक पूर्वोदाहरण है।

दूसरा यह कि 28 मई को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा मौखिक चेतावनी दी गई थी और 30 मई को उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था।

तीसरा यह कि शायद महान माननीय वित्त मंत्री और अन्य अधिकारियों ने नियुक्ति आदेश पर 28 को हस्ताक्षर किये हों लेकिन आदेश शायद कुछ समय बाद जारी किया हो। ऐसा मेरा ख्याल है। अब..... के संबंध में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. जयपाल रेड्डी, आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं नियुक्ति के मामले में प्रश्न कर रहा हूं। माननीय मंत्री इसका उत्तर देने में अधिक सक्षम है। वे एक अच्छे वकील हैं और उन्होंने बुरे मुवक्किलों और कमजोर मुकदमों की पैरवी करके उन्हें पाया है।

मैं उन्हें उनके पद से हटाये जाने के बारे में बात कर रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री ने दावा किया था कि उन्हें पद से हटाए जाने के लिए उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री को अग्रिम पत्र लिखा था और वित्त मंत्रालय ने दावा किया था कि फाइल प्रधान मंत्री कार्यालय में एक महीने से लम्बित पड़ी थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आप भी एक अच्छे सांसद हैं। आप से अच्छे पूरक प्रश्न करने की आशा की जाती है, न कि ऐसे प्रश्न

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि मामला चार दिन तक ही लंबित रखा गया। किसका बयान सही है? यही मेरा प्रश्न है।

श्री अरुण जेटली : महोदय, दर्ज करने योग्य चेतावनी और प्रशासनिक चेतावनी में अन्तर होता है। संगत नियमों के तहत दर्ज करने योग्य चेतावनी प्रोन्नति में बाधक होती है। प्रशासनिक चेतावनी अलग तरह की होती है। लेकिन मैं माननीय सदस्य

श्री जयपाल रेड्डी को बता दूं कि अधिकारी का सम्पूर्ण रिकार्ड देखा गया है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : यह करप्शन की बात है। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : यह करप्शन की बात है, मैं आपको बता रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। इस प्रकार का मुकाबला अपेक्षित नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, अधिकारी को जानबूझकर पुरस्कृत किया गया है। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। अधिकारी के चेतावनी समेत सम्पूर्ण रिकार्ड को अगले पद पर उसकी उपयुक्तता पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाता है। अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्व आठ वर्ष अथवा नौ वर्ष तक उन्हें वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दी गईं। मैं वर्ष 1991-92 के विवरण से शुरू करूंगा क्योंकि यही वह अवधि है जिसमें माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी की बहुत रुचि होगी *...(व्यवधान)* वर्ष 1991-92 में उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ''अति उत्तम लिखी गई, वर्ष 1992-93 में यह रिपोर्ट'' असाधारण लिखी गई वर्ष 1993-94 में यह रिपोर्ट 'अति उत्तम' थी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के उत्तर को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

श्री अरुण जेटली : महोदय, वर्ष 1994-95 में उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट 'अति उत्तम' थी और वर्ष 1995-96 में यह रिपोर्ट 'असाधारण' थी। 1996-97 में यह रिपोर्ट 'अति उत्तम' थी और वर्ष 1997-98 में यह रिपोर्ट 'असाधारण' थी। इस प्रकार की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें उनकी नियुक्ति की तारीख से पहले की हैं *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, वे रिपोर्टें अति उत्तम ही हैं और उन पर कृपा दृष्टि की गई है *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर जी, यह क्या है? कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री अरुण जेटली : महोदय, ये वे वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें हैं जो वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा नहीं लिखी गई। वर्ष 1991-92 से पहले की रिपोर्टों पर विचार किया गया। सम्पूर्ण रिकार्ड पर विचार किया गया।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, माननीय मंत्री केवल फौजदारी मामलों के वकील रहे हैं और वह लोक सेवक नहीं रहे हैं। 'अति उत्तम' और 'असाधारण' के प्रभावों को नहीं समझते।

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर जी, यह क्या है? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : नियुक्ति करते समय उनकी सेवा के सम्पूर्ण रिकार्ड को ध्यान में रखा गया था।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : कल आप कहेंगे इन्हें स्कूल में बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट मिला था। *...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल, अन्तिम दिन भी आप सभा में उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : निजी पार्टियों की तरफदारी करने के संबंध में अधिकारी के विरुद्ध विशिष्ट मामले आए तो सरकार ने जहां तक इस अधिकारी का संबंध है, उन पर वह कार्रवाई की जो कानून के तहत उन पर की जा सकती थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री खारबेल स्वाइं अगला प्रश्न पूछेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, सरकार ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री के बयान के बीच विरोधाभास है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, मैंने खारबेल स्वाइं का नाम पुकारा है। वह भी सभा के सदस्य हैं। मैंने उन्हें प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, उन्हें यहां उठाए गए प्रश्न का उत्तर देना होगा ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, जब ये लोग चिल्ला रहे हैं तो मैं कैसे अपना प्रश्न पूछ सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : महोदय, जब हमें प्रतिकूल रिपोर्टें मिली तब हमने कार्रवाई की? लेकिन मैं तथ्यों का ही उल्लेख कर रहा हूं कि यही वह सेवा रिकार्ड था जिस पर नियुक्ति के समय विचार किया गया ...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : आप सभा को गुमराह कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, माननीय मंत्री जी ने उन वर्षों का उल्लेख किया है जिन वर्षों में श्री बी.पी. वर्मा की गोपनीय रिपोर्टें 'असाधारण' और 'अति उत्तम' थीं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उस अवधि में वह वास्तव में बहुत ईमानदार थे और अब वह अचानक बेईमान हो गए हैं अथवा क्या वह उस समय भी बेईमान थे। यही वह प्रश्न है जो मैं पूछ रहा हूं।

श्री अरुण जेटली : महोदय, वर्ष 1993 में जब इस अधिकारी ने अधिनिर्णय आदेश दिया, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई और जब उस अधिनिर्णय आदेश के पक्ष में अपील पर निर्णय दिया गया तब दिसम्बर, 1996 में यह मामला खत्म कर दिया गया था ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : यह कार्य दिसम्बर 1996 में किया गया न कि मई 1996 में। यह मामला उस वित्त मंत्री द्वारा समाप्त किया गया जो अब आपकी पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं। कृपया इस पर ध्यान दें ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): और उनका समर्थन आपकी पार्टी द्वारा किया गया जब वह वित्त मंत्री थे। ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : यह मामला उसी वित्त मंत्री द्वारा समाप्त किया गया था। आप न केवल धोखेबाजों का संरक्षण करते हैं बल्कि धोखेबाजों को अपनी तरफ मिलाते भी हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : हम आपकी पार्टी के धोखेबाजों को मिलाते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : मेरे मित्र श्री मणिशंकर अय्यर को इस बात पर विचार करना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : आप इस काम में माहिर हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उत्तर को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

श्री अरुण जेटली : मेरे मित्र श्री मणिशंकर अय्यर को इस पर विचार करना चाहिए कि भ्रष्टाचार ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, वह उन्हें उत्तर क्यों दे रहे हैं? प्रश्न मैंने, न कि श्री अय्यर ने पूछा हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : आप अच्छे व्यक्ति है। मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : अच्छा व्यक्ति क्या होता है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। आप क्यों ...*(व्यवधान)* जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप गड़बड़ी पैदा नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइं, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री अरुण जेटली : उस अधिकारी के विरुद्ध प्रथम जांच 1993 में आरंभ हुई थी। 25 मई, 1993 को पदोन्नति देकर उसकी नियुक्ति चीफ कमिश्नर के रूप में की गई लेकिन उसके बाद, 7.3.97 को उसे पदोन्नत करके सदस्य बना दिया गया। जैसा कि

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैंने उल्लेख किया, दोनों शुरूआती जांच न्यायिक प्रक्रिया के पश्चात् बन्द कर दी गईं। तीसरी जांच के बाद उस अधिकारी के रिकार्ड में एक प्रशासनिक चेतावनी दर्ज की गई और जब समिति ने उसकी आगे की पदोन्नति के मामले पर विचार किया, तो इस रिकार्ड को उसके समक्ष रखा गया। लेकिन, इसके साथ ही, जब इस अधिकारी के खिलाफ स्पष्ट सबूत मिला; और यह सबूत एक पार्टी - ए.के. इंटरप्राइजेज - को लाभ पहुंचाने के संबंध में था, तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और उसके अगले दिन उसकी संपत्तियों पर छापे मारे। अतएव, जहां तक दाण्डिक कार्रवाई का प्रश्न है, तो सी.बी.आई. ने उसके विरुद्ध दो कार्रवाइयां की। एक तो किसी निजी पार्टी को अनुचित लाभ पहुंचाने के संबंध में थी और दूसरी आय के अधिक संपत्ति जमा करने के बारे में थी। उस अधिकारी को उसके पद से तत्काल हटा दिया गया।

मैं अपने मित्र श्री मणिशंकर अय्यर से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इससे मतलब नहीं कि यह 1993 में किया गया; 1997 में किया गया अथवा 2000 में; लेकिन इस अधिकारी को आगे पदोन्नति उस रिकार्ड के आधार पर दी गई, जो उस समय मंत्रालय के समक्ष उपलब्ध था।

आखिरकार, भ्रष्टाचार इस तरह की बात तो नहीं जिसे हिमायतदारी का मुद्दा मानकर यह कहा जाने लगे कि अमुक वित्त मंत्री ने यह किया। जब उस अधिकारी का कदाचरण सामने आ गया, तो सरकार का कर्त्तव्य था कि वह कार्रवाई करती और वस्तुत: उसने इस विषय में कार्रवाई की थी।

हैगाम हत्याकांड के संबंध में पाकिस्तान टेलीविजन का प्रसारण

***585. श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
श्री मोहन रावले :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल के हैगाम हत्याकांड के बाद कश्मीर में जन विरोध पर बी.बी.सी. द्वारा प्रसारित रिपोर्ट को पाकिस्तान टेलीविजन बार-बार प्रसारित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान टेलीविजन भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार फैलाने में बी.बी.सी. की रिपोर्ट का उपयोग कर रहा है;

(ग) क्या ऐसी रिपोर्टों से संवेदनशील कश्मीर राज्य में तनाव बढ़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत के विरुद्ध किए जा रहे ऐसे दुष्प्रचार का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। सरकार को पता चला है कि पी.टी.वी. ने अपने दुष्प्रचार को उचित ठहराने के लिए बी.बी.सी. के समाचार कतरनों का बार-बार उपयोग किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रसार भारती सरकार की नीतियों तथा स्कीमों के बारे में जम्मू और कश्मीर के लोगों में सूचना प्रसारित करता है। जम्मू तथा कश्मीर विशेष पैकेज के अन्तर्गत, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के प्रतिष्ठानों का विस्तार तथा उन्नयन कार्यान्वयनाधीन है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की कवरेज में वृद्धि होगी। दूरदर्शन ने 26.1.2000 को कश्मीर चैनल भी शुरू किया है। शत्रु देशों के दुष्प्रचार का सामना करने तथा राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं शान्ति बनाए रखने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसका जवाब क तथा ख में दिया गया। क और ख का मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल के हैगाम हत्याकांड के बाद कश्मीर में जन विरोध पर बी.बी.सी. द्वारा प्रसारित रिपोर्ट को पाकिस्तान टेलीविजन बार-बार प्रसारित कर रहा है, इसका जवाब हमें नहीं मिला। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस मुद्दे पर प्रसार भारती को इसका जवाब देने के लिए कुछ आदेश दिए हैं और अगर नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए?

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप प्रसार भारती को किस चीज का आदेश देने के लिए कहना चाह रहे हैं। मैं पूरी तरह से आपके सवाल को समझी नहीं हूं। क्या आप अपने प्रश्न को दुबारा दोहराना चाहेंगे?

श्री माणिकराव होडल्या गावित : अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि सरकार को पता है कि पी.टी.वी. ने अपने दुष्प्रचार को उचित ठहराने के लिए बी.बी.सी. की समाचार कतरनों का बार-बार उपयोग किया है। इसका जवाब मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए मैंने यह पूछा है कि। आपने अपने (घ) उत्तर में बताया है वह तो अलग है। मेरा मुद्दा यह था कि इस हैगाम हत्याकांड में क्या सरकार को इस बात की जानकारी है। मैंने (क) प्रश्न में यह पूछा है और आपका जवाब इस बारे में नहीं है। इसलिए मैंने यह पूछा है कि प्रसार भारती को इसका जवाब देने के लिए क्या आपने कुछ आदेश दिए हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, यदि आप उनके द्वारा पूछे गये सवाल को और मेरे द्वारा दिये गये जवाब को देखेंगे तो आप जान जायेंगे कि हमने इसका जवाब दिया है। इनका सवाल (क) था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल के हैगाम हत्याकांड के बाद कश्मीर में जन विरोध पर बी.बी.सी. द्वारा प्रसारित रिपोर्ट को पाकिस्तान टेलीविजन बार-बार प्रसारित कर रहा है। इसका जवाब है, जी हां। सरकार को पता चला है कि पी.टी.वी. ने अपने दुष्प्रचार को उचित ठहराने के लिए बी.बी.सी. के समाचार कतरनों का बार-बार उपयोग किया है। जो सवाल आपने पूछा है उसका साफ जवाब ''हां'' में दिया गया है। इसलिए प्रसार भारती को कोई अलग से जवाब मांगने का आदेश करने की आवश्यकता मुझे नहीं है।

श्री माणिकराव होडल्या गावित : अध्यक्ष जी, मैंने पूछा है कि इस प्रौपेगंडे को रोकने के लिए सरकार ने प्रसार भारती को क्या कोई आदेश दिए हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, पाकिस्तान के दुष्प्रचार को रोकने के लिए प्रसार भारती ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। संसद में बार-बार पाकिस्तान के द्वारा किए गये दुष्प्रचार का प्रश्न उठता था। इसके लिए खासतौर से एक काश्मीर चैनल 430 करोड़ रुपये का पैकेज देकर प्रारम्भ किया गया। यह चैनल 26 जनवरी, 1999 से शुरू हुआ है और जिस पर चार विशेष कार्यक्रम, काश्मीर रिपोर्टर, काश्मीर नामा, काश्मीर नावा और काश्मीर फाइल उस चैनल पर चलाए जा रहे हैं। डीडी न्यूज चैनल जो चलता है उसको पाकिस्तानी रिपोर्ट के नाम से एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है और मुझे आपके माध्यम से सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि डीडी (1) जो हमारे नेशनल चैनल है उस पर काश्मीर नामा से जो कार्यक्रम है उसमें हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है ''चैनल झूठिस्तान''। पाकिस्तान के दुष्प्रचार में से हम एक आइटम उठा लेते हैं और उसके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। वहीं के लोगों का इंटरव्यूज करवाते हैं और बताते हैं कि जो कार्यक्रम पाकिस्तान ने दिखाया वह कितना झूठा है और उन इंटरव्यूज पर बैस्ड वह कार्यक्रम हम चला रहे हैं।

श्री मोहन रावले : महोदय, बंगला देश में हमारे जवानों की हत्या हुई लेकिन पाकिस्तान टी.वी. ने कह दिया कि बंगला देश के तीन जवानों को भारतीय जवानों ने मारा है। वे हमारे खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार उनके दुष्प्रचार को रोकने के लिए क्या कर रही है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, पाकिस्तानी दुष्प्रचार का एक उदाहरण माननीय मोहन रावले जी ने रखा है। ऐसा दुष्प्रचार वे दिन-रात करते हैं। बल्कि जिस घटना से संबंधित प्रश्न आपने और गावित जी ने पूछा है उसमें उन्होंने यही किया कि जलील अहमद शाह जो मिलिटैंट था जिसे मारा गया था उसे सिविलियन दिखाया। मैंने इस बारे में पहले ही बता दिया कि ऐसे चीजें वहां काम कर रही हैं। हम इस दुष्प्रचार को रोकने का काम कर रहे हैं। तभी इसका नाम टेलीविजन झूठिस्तान रखा।

डा. गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के संबंध में अपनी बात कही लेकिन जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर के अलावा गुजरात, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर के इलाके पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है? इन इलाकों में हाई पावर ट्रांसमिशन लगाने की योजना थी लेकिन जहां तक मुझे राजस्थान के संदर्भ में मालूम है कि जैसलमेर और बाड़मेर में इसकी प्रगति बिल्कुल नहीं हुई है। इसी प्रकार भुज में प्रगति नहीं के बराबर है। क्या सरकार हाई पावर ट्रांसमिशन लगा कर दुष्प्रचार रोकने की कोई कार्रवाई कर रही है? हिन्दुस्तान के कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा इन इलाकों में पहुंचे, इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

श्रामती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने सही कहा। जब हम जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में नीति बनाते हैं, खास तौर पर हार्ड वेयर लगाने की तो केवल जम्मू-कश्मीर में नहीं बल्कि जितने बॉर्डर के राज्य हैं जहां से कार्यक्रम बाहर जा सकते हैं या जिनके माध्यम से जम्मू-कश्मीर पार के लोग उसे देखते हैं, वहां के लिए एक नीति बनाते हैं। सांसद महोदय स्वयं उस विभाग की मंत्री रही हैं। वह जानती हैं कि हमेशा हार्ड वेयर बनाते समय इन जगहों को तरजीह दी जाए। अभी पिछले दिनों जोधपुर में मैंने स्वयं जाकर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर बॉर्डर में पड़ता है। वहां ट्रांसमीटर लगाने की लगातार नीति बनी है। माननीय सदस्या ने बाड़मेर और जैसलमेर के बारे में पूछा लेकिन इसकी प्रगति रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। मैं उन्हें बता दूंगी। नीति के तौर पर मैं बता सकती हूं कि जैसे जम्मू-कश्मीर के पैकेज में हमने अमृतसर भी

लिया है क्योंकि वह बॉर्डर में है। इसी तरह भुज, राजकोट और राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर में हाई पावर ट्रांसमीटर लगाए जाएं ताकि दुष्प्रचार रोक सकें, यही हमारी नीति है।

श्री अली मोहम्मद नायक : अध्यक्ष महोदय, मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि उसने जो नए प्रोग्राम कश्मीर में शुरू किए वे बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं लेकिन क्या हुकूमत इस बात से बाखबर है कि दूरदर्शन केन्द्र के सारे प्रोग्राम पूरे कश्मीर में देखे नहीं जा सकते हैं? मैंने यह बात बार-बार गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के नोटिस में लाई। आपने प्रोग्राम अच्छे बनाए हैं। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। इन प्रोग्राम्स को देखने का जो सिस्टम है, जिससे सब लोग इसे देख सकें, वह अभी तक उपलब्ध नहीं है। हमारे बार-बार कहने के बावजूद इस काम को नहीं किया गया। इसके मुकाबले पाकिस्तान टेलीविजन ने सारे प्रोग्राम जम्मू-कश्मीर के किसी भी कोने से देखे जा सकते हैं। इस बारे में गवर्नमैंट ऑफ इंडिया क्या करने जा रही है?

[**جناب علی محمد نائک (اننت ناگ)** : جناب اسپیکر صاحب، میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو نئے پروگرام کشمیر میں شروع کیئے ہیں وہ بڑے اچھے پروگرام ہیں لیکن کیا حکومت اس بات سے باخبر ہے کہ دوردرشن کیندر کے سارے پروگرام پورے کشمیر میں دیکھے نہیں جا سکتے؟ میں نے یہ بات بار بار گورنمنٹ آف انڈیا کے نوٹس میں لائی ہے۔ آپ نے پروگرام اچھے بنائے I must appreciate that ان پروگراموں کو دیکھنے کا جو سسٹم ہے، جس سے سب لوگ اسے دیکھ سکیں، that is not available till now ہمارے بار بار کہنے کے باوجود اس کام کو نہیں کیا گیا۔ اس کے مقابلے پاکستان ٹیلی ویژن کے سارے پروگرام جموں کشمیر کے کسی بھی کونے سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس بارے میں گورنمنٹ آف انڈیا کیا کرنے جا رہی ہے۔]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं पहले उन्हें शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने प्रोग्राम्स की प्रशंसा की। जहां तक हार्ड वेयर का ताल्लुक है, यह बात सच है कि कश्मीर चैनल सैटेलाइट मोड और टैरिस्टियल मोड दोनों में है। टैरिस्टियल मोड के बारे में आप जानते हैं कि लगातार ट्रांसमीटर लगाने होंगे। सारे ट्रांसमीटर जो 540 करोड़ रुपए के अन्दर लगने हैं, वे पूरे लग जाएंगे तो वे टैरिस्टियल मोड में दिखेंगे। हमने पिछले दिनों एक बैठक करके कलैंडर बनाया। मार्च 2002 हमारी डैड लाइन है। जब सारे ट्रांसमीटर लग जाएंगे तो मार्च 2002 के बाद यह चैनल टैरिस्टियल मोड में दिखाई देने लगेगा। जहां तक सैटेलाइट मोड का ताल्लुक है, वह केवल केबल के माध्यम से देखा जा सकता है लेकिन केबल नैटवर्क पूरे कश्मीर में नहीं है। इसलिए कश्मीर चैनल अभी सैटेलाइड मोड में पूरे तौर पर देखा नहीं जा रहा है। यह टैरिस्टियल मोड में बिना केबल और बिना डिश के देखा जाए, हमने इसकी पूरी व्यवस्था कर दी है। मार्च 2002 के बाद कश्मीर की कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां टैरिस्टियल मोड में यह चैनल देखा नहीं आएगा बल्कि वह हर जगह देखा जाएगा। हम आपकी शिकायत देखते हुए उस पर अमल करेंगे।

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बाला की हैं। उन्हें बेटी के रूप में जाना जाता है। अभी हाई पावर ट्रांसमिशन की बात बहनजी ने कही। उन्होंने भुज और राजस्थान के कई क्षेत्रों का नाम लिया। क्या अम्बाला में इस प्रकार का कोई हाई पावर ट्रांसमिशन केन्द्र लगाने का सर्वे हुआ है?

अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने अम्बाला में दूसरा टी.वी. केन्द्र खोलने का आश्वासन दिया था ताकि पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे दुष्प्रचार को टी.वी. और रेडियो पर रोका जा सके या कम किया जा सके। यह अम्बाला के रेंज में आता है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या मेरे लोक सभा क्षेत्र में ऐसा किया जायेगा या नहीं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल जम्मू कश्मीर से संबंधित है लेकिन चूंकि उन्होंने मुझसे बेटी के अधिकार के नाते प्रश्न का उत्तर चाहा है तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि जो उनका लोक सभा क्षेत्र है, अम्बाला कैंट मेरा भी विधानसभा क्षेत्र रह चुका है। चंडीगढ़ अम्बाला से 50 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर हाई पावर ट्रांसमीटर लगे हुये हैं और मैं कल ही वहां पर स्टूडियो जैनरेशन फैसिलिटी केन्द्र खोलने जा रही हूं और आपको भी बुलाया है। इसलिये अम्बाला में कोई दूसरा स्टूडियो या ट्रांसमीटर रिले केन्द्र खोलना सही नहीं लगता है।

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष जी, चंडीगढ़ मेरे पास आने वाला नहीं है, मैं तो अम्बाला के लिये बात कर रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपको ट्रांसमीटर से लेना-देना नहीं, रिसैप्शन से काम लेना है। कौन से ट्रांसमीटर से रिसैप्शन आ रहा है, यह मेरे लिये महत्वपूर्ण है। मेरे घर के आगे टावर लगा है या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। चंडीगढ़ में दोनों हाई पावर ट्रांसमीटर लगे हुये हैं और डी.डी.-1, डी.डी.-2 और साथ में टी.वी. रिले सैंटर वहां से प्रारम्भ कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अतएव, अम्बाला का ध्यान चंडीगढ़ के माध्यम से रखा जा रहा है।

श्री मणिशंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस तरीके की पुलिस जांच या आपराधिक जांच कराने का विचार किया है, जिनमें 'कश्मीर पब्लिसिटी ग्रुप' की सलाह पर उनके मंत्रालय ने उन कतिपय एजेंसियों और व्यक्तियों को धनराशि वितरित की जिसमें एक कैबिनेट मंत्री का दामाद और एक अन्य कैबिनेट मंत्री की पुत्री शामिल हैं और इस तरह पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के नाम पर भाई-भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार को इंगित करते गंभीर संदेहों को जन्म दिया है-वह भी इस मुद्दे पर जो हमारे देश के कश्मीर जैसे सुरक्षा तथा अखंडता के प्रश्न से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, कश्मीर चैनल पर दिये जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर किसी कैबिनेट मिनिस्टर के सन-इन-लॉ या डाटर के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और बिना किसी शिकायत के कोई भी पुलिस इनवैस्टीगेशन्स क्रिमिनल इनवैस्टीगेशन नहीं की जाती है। यदि सांसद महोदय के पास ऐसी कोई सूचना हो तो भिजवा दें, उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

[अनुवाद]

विनिवेश के लम्बित प्रस्ताव

***587. श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड से विनिवेश की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विश्वस्तरीय निविदा आमंत्रित की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार से बाल्को के संबंध में संभावित विनिवेश राशि की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (ङ) वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की घोषित विनिवेश नीति के अनुसरण में, एक चल रही प्रक्रिया के आधार पर विनिवेश पर विचार किया जा रहा है तथा विनिवेश किया जा रहा है। इस समय 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहायक कंपनियों और मारुति उद्योग लि. में विनिवेश/अनुकूल बिक्री क्रियान्वयन के अधीन हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने इस चरण पर मारुति उद्योग लि. के मामले में सरकार के लिए विकल्प के परित्याग के साथ, मौजूदा शेयर धारकों को उपयुक्त आधार पर शेयरों की पेशकश के विकल्प को अपनाने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार कंपनी की 51 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी खरीदने के लिए 552 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार ने यह पेशकश दिनांक 24.3.2000 को उच्चतम न्यायालय में दिए गए अपने शपथ-पत्र में की थी। 552 करोड़ रुपए में 51 प्रतिशत शेयरों की खरीद करने की छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा यह पेशकश बिक्री सौदे के पूरा होने के बहुत बाद में की गई है। भारत सरकार ने अनुकूल साझेदार को पहले ही शेयर बेच दिए हैं। इसलिए शेयरों को एक बार फिर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को बेचने का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपना प्रति-प्रत्युत्तर पहले ही दायर कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह : अध्यक्ष जी, विनिवेश नीति के संबंध में जो जवाब आया है, मैं उस पर दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने 552 करोड़ रुपये के 51 प्रतिशत शेयर खरीदने का प्रपोजल दिया था, क्या सरकार उसे दुबारा कंसीडर करने जा रही है या नहीं? दूसरा, क्या सरकार का विनिवेश आयोग को दुबारा जीवित करने का इरादा है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार की पेशकश संबंधी प्रथम प्रश्न पर कहना यह है कि यह विषय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। वास्तविकता यह है कि, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि वह शेयरों का 51 फीसदी भाग खरीदना चाहती है, वह भी उस समय जबकि विगत वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार का चालू लेखा घाटा लगभग 647 करोड़ रु. था। उसका कहना यह है कि वह 562 करोड़ रुपए की धनराशि दे देगी। यदि वह यह धनराशि दे भी दे, तो भी-जैसाकि मैंने उत्तर में उल्लेख किया कि वास्तविकता यह है कि-जिन 51 फीसदी शेयरों को वह खरीदना चाहती है वे भारत सरकार के पास हैं ही नहीं। सौदा तो समाप्त हो चुका था और इसे प्राप्त धनराशि को भारत की समेकित निधि में जमा भी किया जा चुका था।

विनिवेश आयोग संबंधी प्रश्न पर, जैसा कि आपको याद होगा, हमारे विभाग की अनुदान-मांगों पर चर्चा के समय, मैंने पहले ही कहा था कि उसका पुनर्गठन किया जा रहा है और सदस्यों के नामों पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह : सवाल यह है कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो राष्ट्रहित में जरूरी होते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार चाहती है कि उसके कर्मचारी वहां से इधर-उधर न जाएं और कर्मचारियों को रोजी-रोटी मिलती रहे। मेरा सरकार से आग्रह है कि उस पर आपको जरूर दोबारा विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार अगर उसे 51 परसेन्ट शेयर में खरीद रही है तो उसे आपको देना चाहिए। इस संबंध में जैसा अपने बताया और मैंने सुना कि यदि उसके बाद भी यह हाउस चाहे तो छत्तीसगढ़ की प्रजातांत्रिक सरकार को शेयर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मि. सिंह, उन्होंने जवाब दिया है कि यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है।

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : जहां तक कामगारों का सवाल है, मैं माननीय सदस्य की चिंता से बराबर का सरोकार रखता हूं। इसी कारण से, हमने शेयरधारक-समझौते में बहुत अच्छे खंड रखे थे। यह एक महत्वपूर्ण कारक है। आपको याद होगा कि मैंने उस दिन भी कहा था कि काम रुके रहने की पूरी अवधि के दौरान किसी भी कामगार या ट्रेड-यूनियन के नेता ने सुरक्षित रोजगार, कार्य-स्थितियों पारिश्रमिक और ऐसी ही बातों के बारे में कोई भी मांग नहीं रखी। उच्च न्यायालय तक में, जहां उन्होंने उस समय मामला दायर किया था, उन्होंने इस संबंध में कोई आशंका जाहिर नहीं की। उनकी सारी गुहारों मात्र विनिवेश के प्रश्न पर ही थीं। मेरे पास यहां उच्च न्यायालय का आदेश है, जिसमें, सुनवाई के दौरान, यूनियनों के निर्देश पर उनके वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह कहा कि वे इस बात के लिए कोई दबाव नहीं डाल रहे। मैं रोजगार-सुरक्षा के प्रश्न पर आपसे पूरी तरह सहमत हूं। सरकार इससे पूरा सरोकार रखती है। अब ऐसा है कि नये प्रबंधन ने एक वचनबद्ध और सार्वजनिक घोषणा के जरिये यह कहा है कि किसी कामगार को तब तक सेवा मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सेवानिवृत्त नहीं हो जाता ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को याद होगा बाल्को पर बहस के समय उन्होंने कहा था कि स्टरलाइट से ज्यादा दाम पर यदि कोई लेना चाहे तो हम देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सदस्यों को चुनौती दी थी। यह खरीदने वाली चुनौती कितने दिनों तक थी। अब छत्तीसगढ़ सरकार तैयार है तो आप उसे क्यों नहीं देना चाहते है।

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि जो हड़ताल हुई है, उस हड़ताल से कितना घाटा हुआ है। आप कहते हैं कि मजदूरों की जो हड़ताल हुई यह उनकी मांग नहीं है। जबकि उनकी मांग यह है कि उन्हें साल भर के बाद हटा देंगे तो उनका क्या होगा, इसकी गारंटी आप देना चाहते है। कृपया ये दोनों बातें बताइए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, आपको अब क्या हो गया है? आप पूरे शून्य काल को ही बाधित कर रहे हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जो पूछ रहे हैं, वह 'बालको' को बेचने वाले इन लोगों से संबंधित है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मणिशंकर अय्यर : आप बाल्को को बेच रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : इन्हें हिस्सा नहीं मिल रहा है इसलिए रो रहे हैं। पचास साल तक खाते रहे लेकिन पेट नहीं भरा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, आप पूरी सभा को बाधा पहुंचा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरूण शौरी : उस समय छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यह पांच हजार करोड़ रुपये की कम्पनी है। किस तरह से वैल्युएशन हुआ था, किसी ने नहीं पूछा और न उन्होंने बतलाया। उसके बाद अगर उन्हें उस समय 51 परसेन्ट में खरीदना था जब ट्रांजैक्शन कम्पलीट नहीं हुआ था, तब उन्हें करीब 2600 करोड़ देना था। यह क्या हुआ कि 2600 करोड़ को भुलाकर अब वह कहते हैं कि 552 करोड़ में करेंगे *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : आप बिल्कुल अजीब बात बोल रहे हैं। आपने हाउस में चुनौती दी थी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, वे अप्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें विनिवेश मंत्री नहीं बनाया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश परांजपे, कृपया बाधा न पहुंचाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने हाउस में जो चैलेन्ज किया था उसका कितना समय दिया था। *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : आपने उस समय हाउस में यह आश्वासन दिया था या नहीं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री अरूण शौरी : महोदय, सौदा तो हो गया है और पैसे का भुगतान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के पास विकल्प था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया नहीं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। आप मंत्री जी को अपना उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, उन्होंने सभा में वक्तव्य दिया था। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मणिशंकर अय्यर जी प्लीज। ये क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, ये क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री अरूण शौरी : महोदय, किसी अन्य बोलीदाता की तरह सौदा समाप्त होने से पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार बोली लगाने के लिए स्वतंत्र थी *...(व्यवधान)* महोदय, इस प्रकार के कठिन प्रश्नों को कार्यवाही-वृत्तांत से बाहर रखा जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, क्या सभा में व्यवहार करने का यही तरीका है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा में व्यवहार करने का यही तरीका है? श्री मणिशंकर अय्यर जी आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि वे संतुष्ट नहीं हैं तो वे एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अरूण शौरी : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनका नाम लीजिए। वे बार-बार हरेक को बाधा पहुंचा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी आप बैठ जाइये। मंत्री जी आपके ही सप्लीमेंट्री का जवाब दे रहे हैं और आप ही डिस्टर्ब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : उनके प्रश्न का दूसरा भाग घाटे के बारे में था जो कार्य रोके जाने के कारण हुआ है।

[हिन्दी]

उसमें दो तरह का लॉस हुआ है। एक तो जो प्लांट को लॉस हुआ है।

[अनुवाद]

इसका 50 करोड़ और 100 करोड़ रुपए के बीच अनुमान लगाया गया है। दूसरा उत्पादन के कारण घाटा हुआ है जिसकी बारे में अनुमान है कि अब तक लगभग 80 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं.-588

श्री सुशील कुमार शिन्दे - उपस्थित नहीं।

श्री माधवराव सिंधिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्यामाचरण शुक्ल : मेरा भी एक प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : शुक्ल जी छत्तीसगढ़ के सदस्य हैं। उनको भी पूछने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, वे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। वे एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री माधवराव सिंधिया। मैं पहले ही अगले प्रश्न पर पहुंच चुका हूं। कृपया इसे समझें।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, वे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं पहले ही अगले प्रश्न की संख्या की आवाज लगा चुका हूं।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, कृपया उन्हें एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें। वे एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, आप अगले प्रश्न की संख्या पुकार कर पूर्व प्रश्न पर वापस नहीं जा सकते। मुझे पता नहीं कि श्री माधवराव सिंधिया पूर्व प्रश्न पर वापस जाने के लिए आपसे कैसे अनुरोध कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अगले प्रश्न पर जा चुका हूं। कृपया यह बात समझिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया कृपया यह बात समझिए कि मैं पहले ही अगले प्रश्न पर जा चुका हूं और वापस जाना अच्छा नहीं होगा। प्रश्न संख्या 588, श्री माधवराव सिंधिया।

मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के विरुद्ध अभ्यावेदन

***588. श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को 1 अप्रैल, 2001 से 715 मदों के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के विरुद्ध राज्य सरकारों, किसानों, फल उत्पादकों, घरेलू उत्पादकों, निर्यातकों, अर्थशास्त्रियों और लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या कुछ मदों पर मात्रात्मक प्रतिबंध बनाए रखने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

घरेलू किसानों/विनिर्माताओं पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के संभावित प्रभाव के बारे में विभिन्न संगठनों और कुछेक राज्य सरकारों तथा उद्योग एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए भुगतान संतुलन के कारण शेष 715 मदों पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को 1.4.2001 से हटा दिया गया है (सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है)।

चूंकि आयात प्रतिबंधों को मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए चरणबद्ध कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हटाया जा रहा है इसलिए इन प्रतिबंधों को पुन: लागू करना उचित नहीं होगा। तथापि सरकार टैरिफ और अन्य तंत्रों के समुचित इस्तेमाल के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णत: कृत संकल्प है कि आयात प्रतिबंधों को हटाए जाने के कारण आयातों से घरेलू उद्योग को कोई गंभीर हानि या क्षति न पहुंचे। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने ऐसी अनेक मदों पर शुल्क में वृद्धि की है जिनके आयातों में वृद्धि पायी गई थी अथवा वृद्धि होने की आशंका थी। इसी प्रकार आयातित मदों को घरेलू कानूनों, नियमों, विनियमों और क्रियाविधियों के अधीन रखते हुए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

उपरोक्त के अलावा सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद के परिदृश्य में चुनिंदा संवेदनशील मदों के आयातों पर नियमित रूप से निगरानी रखने के लिए सचिवों को एक अंतर्मंत्रालयी स्थाई समूह का गठन किया है।

अनुबंध

उन 715 मदों की सूची जिनसे 31.3.2001 से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिया गया है

क्र.सं.	निर्यात-आयात कोड	मद का विवरण
1	2	3
1.	020410.00	मेमने के शव और आधे शव, ताजा अथवा दृतशीतित
2.	020421.00	भेड़ के शव और आधे शव, ताजा अथवा दृतशीतित
3.	020422.00	भेड़ के मांस की हड्डी सहित अन्य टुकड़े, ताजा अथवा दृतशीतित
4.	020423.00	भेड़ का मांस, हड्डी रहित, ताजा अथवा दृतशीतित
5.	020441.00	भेड़ के शव और आधे शव, हिमशीतित
6.	020450.00	बकरी का मांस ताजा, दृतशीतित अथवा हिमशीतित

1	2	3
7.	020680.01	भेड़ या बकरी के खाद्य ऑफल, ताजा अथवा दृतशीतित
8.	020690.01	भेड़ या बकरी के खाद्य ऑफल ताजा अथवा हिमशीतित
9.	020711.00	स्पैसिस गैलेस डोमेस्टीकस के फाउल्स मांस और खाद्य ऑफल टुकड़ों में न कटे हों, ताजा या दृतशीतित
10.	020712.00	स्पैसिस गैलेस डोमेस्टीकस के फाउल्स मांस और खाद्य ऑफल टुकड़ों में न कटे हों, हिमशीतित
11.	020713.00	स्पैसिस गैलेस डोमेस्टीकस के फाउल्स के टुकड़े और खाद्य ऑफल, ताजा अथवा दृतशीतित
12.	020714.00	स्पैसिस गैलेस डोमेस्टीकस के फाउल्स के टुकड़े, हिमशीतित
13.	020724.00	टर्के का मांस और खाद्य ऑफल, टुकड़ों में न कटा हो, ताजा अथवा दृतशीतित
14.	020725.00	टर्के का मांस और खाद्य ऑफल, टुकड़ों में न कटा हो, हिमशीतित
15.	020726.00	टर्के के टुकड़े और खाद्य ऑफल, ताजा अथवा दृतशीतित
16.	020727.00	टर्के के टुकड़े और खाद्य ऑफल, हिमशीतित
17.	020732.00	डक, गीज और गुनिया फॉउल औ मांस और खाद्य ऑफल, टुकड़ों में न कटा हो, ताजा या दृतशीतित
18.	020733.00	डक, गीज और गुनिया फॉउल औ मांस और खाद्य ऑफल, टुकड़ों में न कटा हो, हिमशीतित
19.	020734.00	फैटी लीवर्स के रूप में डक, गीज और गुनिया फॉउल का मांस, ताजा और दृतशीतित
20.	020735.00	पोल्ट्री के अन्य टुकड़े और खाद्य ऑफल, ताजा या दृतशीतित
21.	020736.00	पोल्ट्री के अन्य टुकड़े और खाद्य ऑफल, हिमशीतित
22.	020810.00	खरगोशों और शशकों का मांस और खाद्य मांस, ऑफल, ताजा या दृतशीतित अथवा हिमशीतित
23.	पूर्व 020890.00	संरक्षित प्रजातियों के अलावा अन्य मांस या खाद्य मांस ऑफल, ताजा या दृतशीतित अथवा हिमशीतित
24.	021011.00	पुट्ठे, कन्धे और उनके टुकड़े, हड्डी सहित स्वाइन के मांस के रूप में, नमक युक्त, ब्राईन, ड्राइड या स्मोक्ड
25.	021012.00	बैलीज (स्टीकी) और इसके टुकड़े, स्वाईन के मांस के रूप में, नमक युक्त, ब्राईन, ड्राइड या स्मोक्ड
26.	021019.00	स्वाईन का अन्य मांस और खाद्य मांस ऑफल, नमक युक्त, ब्राईन, ड्राइड या स्मोक्ड
27.	पूर्व 021090.09	अन्य मांस और खाद्य मांस ऑफल, नमक युक्त, ब्राईन, ड्राइड या स्मोक्ड खाद्य आटा और मांस मील या मांस ऑफल, संरक्षित प्रजातियों के अलावा
28.	040210.03	बच्चों के लिए दुग्ध आहार, कन्सन्ट्रेडिड या कन्टेनिंग एडिड शूगर या अन्य स्वीटनिंग मैटर पाउडर, ग्रन्यूल्स या अन्य ठोस आकार में, फैट का अंश भारद के रूप में 1.5 प्रतिशत से ज्यादा न हो।

1	2	3
29.	040210.09	अन्य दूध और क्रीम, कन्सन्ट्रेडिड या कन्टेनिंग एडिड शूगर या अन्य स्वीटनिंग मैटर, पाउडर, गैन्यूल्स या अन्य ठोस आकार में, फैट का अंश भार के रूप में 1.5 प्रतिशत से ज्यादा न हो।
30.	040221.00	अन्य दूध और क्रीम, कन्सर्न्टेडिड या कन्टेनिंग एडिड शूगर या अन्य स्वीटनिंग मैटर, पाउडर, ग्रैन्यूल्य या अन्य ठोस आकार में, फैट का अंश भार के रूप में 1.5 प्रतिशत से ज्यादा न हो।
31.	040510.00	दूध से निकाला गया मक्खन
32.	040520.00	डैरी स्प्रैडस
33.	040590.02	मैल्टिड बटर (घी)
34.	040610.00	ताजा चीज, वेई चीज और दही सहित
35.	040690.00	अन्य चीज
36.	040630.00	प्रोसैस्ड चीज, जिसे ग्रेटेड और पाउडर न किया हो
37.	040811.00	अण्डे का पीला भाग, सूखा
38.	040819.00	अण्डे का पीला भाग, अन्य
39.	040891.00	अन्य पक्षियों के अण्डे, जो कि शैल में न हों, सूखे
40.	040899.00	अन्य पक्षियों के अण्डे, जो कि शैल में न हों, अन्य
41.	070410.00	फूलगोभी और हैडेड ब्रोकोली, ताजी अथवा दृतशीतित
42.	070490.00	अन्य बन्दगोभी और खाद्य ब्रासिकॉस, ताजी और दृतशीतित
43.	080510.00	संतरे, सूखे और ताजे
44.	071010.00	अनपका या भाप अथवा गरम पानी में पकाया गया आलू, हिमशीतित
45.	071290.00	आलू, बिना कटा या स्लाईस में, किन्तु इसके बाद तैयार न किया गया
46.	071420.00	शकरकंदी
47.	080119.01	ताजा नारियल
48.	080119.02	सूखा नारियल
49.	080290.01	सुपारी, साबुत
50.	080290.02	सुपारी, स्प्लिट और ग्राइन्ड
51.	080290.03	नट्स, एरेका
52.	080610.00	ताजा अंगूर
53.	090111.01	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, अरबिका पलान्टेशन ए

1	2	3
54.	090111.02	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, अरबिका पलान्टेशन बी
55.	090111.03	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, अरबिका पलान्टेशन सी
56.	090111.09	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, अरबिका पलान्टेशन, अन्य ग्रेड
57.	090111.11	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, अरबिका चैरी ए बी
58.	090111.12	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, अरबिका चैरी पी बी
59.	090111.13	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, अरबिका चैरी सी
60.	090111.14	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, अरबिका चैरी बी/बी/बी
61.	090111.19	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, अरबिका चैरी अन्य ग्रेड
62.	090111.21	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, रॉब पार्चमेंट ए बी
63.	090111.22	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, रॉब पार्चमेंट पी बी
64.	090111.23	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, रॉब पार्चमेंट सी
65.	090111.29	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, रॉब पार्चमेंट अन्य ग्रेड
66.	090111.31	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, राब चेरी ए बी
67.	090111.32	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, राब चेरी पी बी
68.	090111.33	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, राब चेरी सी
69.	090111.34	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, राब चेरी बी/बी/बी
70.	090111.35	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, राब चेरी थोक में
71.	090111.39	काफी, अनभुनी, कैफीन रहित नहीं, राब चेरी अन्य ग्रेड
72.	090210.01	पैकेट में हरी चाय 25 ग्राम से अधिक नहीं
73.	090210.02	25 ग्राम पैकेट में हरी चाय लेकिन 1 किग्रा. से अधिक नहीं
74.	090210.03	1 किग्रा. पैकेट में हरी चाय लेकिन 3 किग्रा. से अधिक नहीं
75.	090220.01	3 किग्रा. पैकेट में हरी चाय लेकिन 20 किग्रा. से अधिक नहीं
76.	090220.02	थोक में हरी चाय
77.	090220..03	हरी चाय (बाल, ब्रिक, टैबलेट आदि)
78.	090220.04	अपशिष्ट हरी चाय
79.	090230.01	पैकेट में काली चाय लेकिन 25 ग्राम से अधिक नहीं
80.	090230.02	25 ग्राम पैकेट में काली चाय लेकिन 1 किग्रा. से अधिक नहीं

1	2	3
81.	090230.03	1 किग्रा. पैकेट में काली चाय लेकिन 3 किग्रा. से अधिक नहीं
82.	090240.01	3 किग्रा. पैकेट में काली चाय लेकिन 20 किग्रा. से अधिक नहीं
83.	090240.02	काली चाय, पत्ती थोक में
84.	090240.03	काली चाय, चूरा थोक में
85.	090240.04	चाय बैग
86.	090240.05	काली चाय (बाल, ब्रिक, टैबलेट आदि)
87.	090240.06	अपशिष्ट काली चाय
88.	090830.01	इलाइची, बड़ी
89.	090830.04	इलाइची, छोटी ब्लीच्ड, ऑफ ब्लीच्ड, या ब्लीच योग्य
90.	090830.06	इलाइची, छोटी मिश्रित
91.	090830.07	इलाइची, पाउडर
92.	090610.01	तेजपात, न ही क्रश किया गया हो, न ही ग्राउन्ट किया गया हो
93.	090610.02	दालचीनी की छाल, जो कि न तो क्रश की गई हो और न ही ग्राउन्ड की गई हो।
94.	090610.03	दालचीनी पेड के फूल, जो कि न तो क्रश की गई हो और न ही ग्राउन्ट की गई हो।
95.	090620.00	दालचीनी और छालचीनी पेड़ फूल, जो कि क्रश किए गए हो और ग्राउन्ड की गई हो।
96.	090700.01	लौंग, जो कि एक्स्ट्रैक्टेड हो
97.	090700.02	लौंग, जो कि एक्सट्रैक्टेड न हो
98.	090700.03	लौंग की स्टैम्स
99.	091040.01	तेजपात
100.	एक्स 100110.00	ड्रम व्हीट, सीड क्वालिटी को छोड़कर
101.	100190.02	हुमान कन्सम्पशन के लिए व्हीट (बीज नहीं)
102.	एक्स 100190.03	मेसलिन, सीड क्वालिटी को छोड़कर
103.	एक्स 100200.00	राय, सीड क्वालिटी को छोड़कर
104.	एक्स 100400.00	ओट, सीड क्वालिटी को छोड़कर
105.	एक्स 100590.00	मेज़, अन्य, केवल पोल्ट्री एवं एनिमल फीड के रूप में प्रयोग के लिए उपयुक्त फीड ग्रेड मेज़ को छोड़ कर

1	2	3
106.	100610.00	हस्क में एक्स राइस, सीड क्वालिटी को छोड़ कर
107.	100620.00	हस्क (ब्राउन) राइस
108.	100630.01	राइस, पारब्याल्ड
109.	100630.02	बास्मती राइस
110.	100630.09	अन्य राइस
111.	100640.00	ब्रोकन राइस
112.	एक्स 100700.00	ग्रेन्स सोरगम, सीड क्वालिटी को छोड़ कर
113.	एक्स 100810.00	बकव्हीट, सीड क्वालिटी को छोड़ कर
114.	एक्स 100820.01	ज्वार, सीड क्वालिटी को छोड़ कर
115.	एक्स 100820.03	बाजरा, सीड क्वालिटी को छोड़ कर
116.	एक्स 100820.04	रागी, सीड क्वालिटी को छोड़ कर
117.	एक्स 100830.00	कैनरी सीड, सीड क्वालिटी को छोड़ कर
118.	एक्स 100890.00	अन्य सीरोल्स, सीड क्वालिटी को छोड़ कर
119.	120300.00	कोपरा
120.	पूर्व 140490.19	अन्य कच्ची वनस्पति सामग्रियां, अखाद्य एन.ई.सी., विनिर्दिष्ट कच्ची औषधियों के अलावा
121.	151311.00	कोकोनट ऑयल, क्रूड
122.	151319.00	कोकोनट ऑयल, रिफाइन्ड
123.	220300.00	माल्ट से बनी बियर
124.	220410.00	स्पार्कलिंग वाइन
125.	220421.01	पोर्ट और अन्य स्टील लाल शराब, 2.1 या उससे कम के कन्टेनरों में
126.	220421.02	शैरी और अन्य स्टील सफेद शराब, 2.1 या उससे कम के कन्टेनरों में
127.	220421.09	अन्य शराब, अंगूर समेत, शराब 2.1 या उससे कम के कन्टेनरों में

1	2	3
128.	220429.01	पोर्ट और अन्य स्टील लाल शराब, अन्य
129.	220429.02	शैरी और अन्य स्टील सफेद शराब, अन्य
130.	220429.09	अन्य शराब अंगूर समेत, अन्य
131.	220430.00	अन्य अंगूर आवश्यक, अल्कोहल मिलाकर फरमेंट रोकी गई के अलावा
132.	220510.00	बरमाऊत और ताजा अंगूरों की अन्य शराब, प्लान्टस और सुगन्धित पदार्थों से स्वाद युक्त, 21 अथवा उससे कम के कन्टेनरों में
133.	220590.00	बरमाऊत और ताजा अंगूरों की अन्य शराब, प्लान्टस और सुगन्धित पदार्थों से स्वाद युक्त, अन्य सुगन्धित पदार्थ, अन्य
134.	220600.00	अन्य फरमेंटिड पेय (सिडर, पैरी, मीड)
135.	220710.01	रैक्टीफाईड स्प्रीट
136.	220710.09	अन्डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल जिसकी अल्कोहलिक क्षमता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, अन्य
137.	220820.00	ग्रेप वाइन या ग्रेप मार्क डीस्लीटिंग द्वारा प्राप्त स्प्रीट
138.	220830.00	विसकी
139.	220840.00	रम और ताफिया
140.	220850.00	जिंन और जिनेवा
141.	220860.00	वोदका
142.	220870.00	लिक्वेयरस और काडियल्स
143.	220890.00	अन्य अन्डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल जिसकी अल्कोहलिक क्षमता 80 प्रतिशत से कम हो अन्य स्प्रिटुअस वीवरेजस
144.	230650.02	ऑयल केक और ऑयल केक मील साल्वेंट एक्स्ट्रैक्टेड (डिफैटेड) वेरायटी ऑफ कोकोनट/ कोपरा
145.	230650.01	ऑयल केक और ऑयल केक मील एक्सपॉलर वेरायटी ऑफ कोकोनट या कोपरा
146.	240210.09	तम्बाकू वाले सिगार
147.	240220.00	तम्बाकू वाली सिंगरेट
148.	270900.00	रालमिश्रित खनिज़, कच्चे तेल से प्राप्त पैट्रोलियम ऑयल और ऑयल
149.	271000.01	एविएशन स्प्रिट सहित मोटर स्प्रिट (गैसोलीन)
150.	271000.02	स्प्रिट टाइप (गैसोलीन) जैट फ्यूल
151.	एक्स 271000.11	कैरोसीन टाइप जैट फ्यूल

1	2	3
152.	271000.21	डीज़ल गैस ऑयल
153.	271000.09	अन्य गैस ऑयल
154.	एक्स 310100.09	अन्य प्राकृतिक पशु और वनस्पति और उर्वरक
155.	एक्स 310520.00	खनिज अथवा रसायनिक उर्वरक जिसमें तीन उर्वरक एलीमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस पोटाशियम हो, डी.ए.पी, एम.ओ.पी., एम.ए.पी., एस.ओ.पी., एन.पी. और एन.पी. के खादों को छोड़कर
156.	310210.00	यूरिया, एकूयस सोलयूशन में हो या न हो
157.	310590.09	अन्य खादें एन.ई.एस.
158.	321000.01	डिस्टैम्पर्स
159.	321000.03	मेटालिक पाऊडर/फ्लेक्स पेन्ट्स के रूप में तैयार किए गए
160.	एक्स 321000.09	अन्य पेन्ट्स और वार्निश, एन.ई.एस. पी.टी.एफ.ई./सिलिकान को छोड़कर रेजिन आधारित कोटिंग मेटीरियल
161.	321590.01	फाऊन्टेन पेन स्याही
162.	330190.21	आवश्यक तेलों का एकूयस सोल्यूशन
163.	330290.01	परक्यूम बेस के रूप में अरोमेटिक केमिकल्स और आवश्यक तेलों का मिक्स्चर
164.	330290.02	सिन्थेटिक आवश्यक ऑयल
165.	330741.00	अगरबत्ती और अन्य ओडोरीफेरस परेपरेरान्स जो कि बर्निंग से ऑपरेट होती है।
166.	340600.00	मोमबत्तियां, टेपर्स और समान
167.	350520.00	ग्लूज़
168.	पूर्व 350691.00	लेटैक्स, पी.एफ., यू.एफ. और पी.वी.ए. पर आधारित एडहैसिव
169.	350699.01	सिन्थेटिक ग्लयू फिनॉल, यूरिया या क्रेसल के साथ, मुख्य संघटक के रूप में
170.	पूर्व 350699.09	स्टार्च, गम, डैक्सट्राइन, लेटैक्स, पी.एफ., यू.एफ. और पी.वी.ए. पर आधारित उत्पाद
171.	पूर्व 382319.00	टैलो एमाइन्स
172.	पूर्व 391990.01	थर्मोकोल
173.	392310.09	सामान को ले जाने अथवा पैकिंग के लिए बने प्लास्टिक के अन्य बक्से, खोल, करंटस और इसी प्रकार का अन्य सामान
174.	392330.00	कार बायज़, बोतलें, फ्लास्के और प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं
175.	400110.01	प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स, प्री-वल्कनाइजड नहीं

1	2	3
176.	400110.02	प्री-वल्कनाइजड प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स
177.	400121.00	प्राकृतिक रबड़, स्मोकड शीटस
178.	400122.01	ऑयल एक्सटेंडिड प्राकृतिक रबड़
179.	400122.02	ग्राफ्ट रबड़ सहित, प्राकृतिक रबड़ के रसायनिक रूप में परिवर्तित रूप
180.	400122.09	अन्य तकनीकी विनिर्दिष्ट प्राकृतिक रबड़
181.	400129.01	हीविया
182.	400129.02	लेटेक्स पेल से क्रेप रबड़, लेटेक्स क्रेप
183.	400129.03	एस्टेट ब्राऊन क्रेप
184.	400129.09	अन्य प्राकृतिक रबड़, नान-लेटेक्स
185.	400130.00	बलाटा, गुट्टा पर्चा, गुआयूले, चिकल और अन्य नेचुरल गमस
186.	पूर्व 400910.00	वल्कनाइजड रबड़ के टयूबें, पाइपें एवं होसेज, जो री-इन्फोसर्ड न हो अथवा अन्यथा फिटिंग के बिना अन्य सामग्री के साथ जुड़ा हो
187.	420212.04	प्लास्टिक मोल्डिड सूटकेस
188.	420212.05	प्लास्टिक मोल्डिड ब्रीफकेस
189.	481690.09	पेपर कट टू साइज, एन.ई.एस.
190.	481710.00	लिफाफे
191.	481720.00	लैटर कार्डस, सादे पोस्ट कार्ड और पत्राचार कार्डस
192.	381730.01	राइटिंग ब्लाक्स
193.	481730.09	पत्राचार के लिए अन्य पेपर स्टेशनरी जिसमें पेपर की केवल एसार्टमैंट हो
194.	481810.00	टायॅलट पेपर
195.	481820.00	रूमाल, क्लीनिंग अथवा फेशियल टिशू और तौलिए
196.	481830.00	मेजपोश और सर्विएट्टस
197.	482010.01	रजिस्टर, अकाऊंट पुस्तकें
198.	482010.02	लैटर पैड
199.	482010.09	नोट बुक, आर्डर बुक्स, रसीदी पुस्तके, मैमोरैंडम पैड्स, डायरियाँ और ऐसी अन्य वस्तुएं
200.	482020.00	एक्सरसाईज बुक्स
201.	482030.00	बाइंडर, फोल्डर्स और फाइल कवर
202.	482040.00	मैनीफोल्ड बिजनेस फार्मस और इन्टरलीवड कार्बन सैटस

1	2	3
203.	पूर्व 482190.00	अन्य पेपर या पेपर बोर्ड लेबल्स, निर्यात वस्तुओं में प्रयोग हेतु विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए लेबलों के अलावा और पंजीकृत निर्यातकों के बैगेज में लेबल
204.	पूर्व 482319.00	गोंद या अन्य एडहेसिव पेपर, स्ट्राइप्स या रोल्स में, साइज में कटे
205.	482390.01	पैकिंग और रैपिंग पेपर
206.	पूर्व 482390.09	अन्य पेपर और पेपर बोर्ड, साइज या शेप में कटे या उनकी वस्तुएं, चमड़ा फुटवियर वस्त्र और सामान हेतु अन्य पैटर्न के अलावा
207.	490900.01	ग्रीटिंग कार्ड
208.	490900.09	प्रिंटिड या इलस्ट्रेटिड पोस्टकार्ड अन्य प्रिंटिड कार्ड, इलस्ट्रेटिड हो या न हो, एनवलप या ट्रिमिंग सहित या रहित
209.	500100.00	सिल्क वार्म कुकुन रीलिंग हेतु उपयुक्त
210.	500200.02	रॉ नान-मलबरी सिल्क (नाट थ्रोन)
211.	500200.01	रॉ मलबरी सिल्क (नाट थ्रोन)
212.	500400.00	सिल्क यार्न (सिल्क अपशिष्ट से बने यार्न स्पन से भिन्न) जिले रिटेल सेल के लिए न रखा गया हो
213.	500500.00	सिल्क अपशिष्ट से बने यार्न स्पन, जिसे रिटेल सेल के लिए न रखा गया हो
214.	500600.00	रिटेल सेल के लिए रखे सिल्क अपशिष्ट से बने सिल्क यार्न और यार्न स्पन, सिल्क वोर्म गट
215.	500710.00	नॉयल सिल्क का फैब्रिक
216.	पूर्व 500720.00	अन्य फैब्रिक, नॉयल सिल्क के अलावा सिल्क या सिल्क अपशिष्ट के वजन द्वारा 85 प्रतिशत या अधिक सहित, जमदानी साड़ियों के अलावा
217.	पूर्व 500790.00	सिल्क या सिल्क अपशिष्ट के अन्य बुने फैब्रिक, जमदानी साड़ियों के अलावा
218.	520811.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कॉटन के वजन से 85 प्रतिशत या अधिक हो, अनब्लीच्ड, सादा बुना, वजन 100 ग्राम/वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं
219.	520812.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कॉटन के वजन से 85 प्रतिशत या अधिक हो, अनब्लीच्ड, सादा बुना, वजन 100 ग्राम/वर्ग मीटर लेकिन 200 ग्राम/वर्गमीटर से ज्यादा नहीं
220.	520813.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कॉटन के वजन से 85 प्रतिशत या अधिक हो, अनब्लीच्ड, तीन धागे या चार धागे की गुच्छी, क्रास गुच्छी समेत
221.	520819.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कॉटन के वजन से 85 प्रतिशत या अधिक हो, अनब्लीच्ड, अन्य
222.	520911.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कॉटन के वजन से 85 प्रतिशत या अधिक हो, अनब्लीच्ड, सादा बुना, वजन 200 ग्राम/वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं, सादा बुना, अनब्लीच्ड
223.	520912.00	वूवन कॉटन फैब्रिकस, अनब्लीच्ड, तीन धागे या चार धागे की गुच्छी, क्रास गुच्छी सहित

1	2	3
224.	520919.00	अन्य वूवन कॉटन फैब्रिक अनब्लीच्ड
225.	520921.00	वूवन कॉटन फैब्रिक, सादा बुनी, ब्लीच्ड
226.	520922.00	वूवन कॉटन फैब्रिकस, तीन धागे या चार धागे की गुच्छी, क्रास गुच्छी सहित, ब्लीच्ड
227.	520929.00	अन्य वूवन कॉटन फैब्रिक, ब्लीच्ड
228.	521011.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कॉटन के वजन से 85 प्रतिशत से कम शामिल हो, मुख्यत: मानव निर्मित रेशों से मिश्रित 200 ग्राम/वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं, सादा बुना, अनब्लीच्ड
229.	521012.00	वूवन कॉटन फैब्रिकस, तीन धागे या चार धागे की गुच्छी, क्रास गुच्छी सहित, अनब्लीच्ड
230.	521019.00	अन्य वूवन कॉटन फैब्रिक, मुख्यत: मानव निर्मित रेशों से मिश्रित, अनब्लीच्ड
231.	521021.00	वूवन कॉटन फैब्रिक, मुख्यत: मानव निर्मित रेशों से मिश्रित, ब्लीच्ड
232.	521022.00	वूवन कॉटन फैब्रिकस, मुख्यत: मानव निर्मित रेशों से मिश्रित, तीन धागे या चार धागे की गुच्छी, क्रास गुच्छी सहित, ब्लीच्ड
233.	521029.00	अन्य वूवन कॉटन फैब्रिक, मुख्यत: मानव निर्मित रेशों से मिश्रित, ब्लीच्ड
234.	521031.00	वूवन कॉटन फैब्रिक, मुख्यत: मानव निर्मित रेशों से मिश्रित, सादा बुना डाईड
235.	521032.00	वूवन कॉटन फैब्रिकस, मुख्यत: मानव निर्मित रेशों से मिश्रित, तीन धागे या चार धागे की गुच्छी, क्रास गुच्छी सहित, डाईड
236.	521111.00	कॉटन के वूवन फैब्रिक्स, कॉटन के वजन से 85 प्रतिशत से कम, मुख्यत: मानव निर्मित रेशों से मिश्रित, अनब्लीच्ड, सादा बुना, वजन 200 ग्राम/वर्ग मीटर से ज्यादा
237.	521112.00	(200 ग्राम/वर्ग मीटर से कम) वूवन कॉटन फैब्रिक, मुख्यत: मानव निर्मित रेशों से मिश्रित, तीन धागे या चार धागे की गुच्छी, क्रास गुच्छी सहित, अनब्लीच्ड
238.	521119.00	(200 ग्राम/वर्ग मीटर से कम) अन्य वूवन कॉटन फैब्रिक, मुख्यत: मानव निर्मित रेशों से मिश्रित, अनब्लीच्ड
239.	521121.00	(200 ग्राम/वर्ग मीटर से कम) वूवन कॉटन फैब्रिक, मुख्यत: मानव निर्मित रेशों से मिश्रित, सादा बुना ब्लीच्ड
240.	521122.00	वूवन कॉटन फैब्रिकस, (200 ग्राम/वर्ग मीटर से कम) मुख्यत: मानव निर्मित रेशों से मिश्रित, तीन धागे या चार धागे की गुच्छी, क्रास गुच्छी सहित, ब्लीच्ड
241.	521129.00	अन्य वूवन कॉटन फैब्रिक, (200 ग्राम/वर्ग मीटर से कम) मुख्यत: मानव निर्मित रेशों से मिश्रित, ब्लीच्ड
242.	521211.00	कॉटन के अन्य बुने फैब्रिक, 200 ग्राम/वर्ग मीटर वजन से ज्यादा नहीं, अनब्लीच्ड
243.	521212.00	कॉटन के अन्य बुने फैब्रिक, 200 ग्राम/वर्ग मीटर वजन से ज्यादा नहीं, डाईड
244.	521213.00	कॉटन के अन्य बुने फैब्रिक, 200 ग्राम/वर्ग मीटर वजन से ज्यादा नहीं, डाईड
245.	521214.00	कॉटन के अन्य बुने फैब्रिक, 200 ग्राम/वर्ग मीटर वजन से ज्यादा नहीं, विभिन्न रंगों के धागे

1	2	3
246.	521221.00	कॉटन के अन्य बुने फैब्रिक, 200 ग्राम/वर्ग मीटर वजन से ज्यादा, अनब्लीच्ड
247.	521222.00	कॉटन के अन्य बुने फैब्रिक, 200 ग्राम/वर्ग मीटर वजन से ज्यादा, ब्लीच्ड
248.	521223.00	कॉटन के अन्य बुने फैब्रिक, 200 ग्राम/वर्ग मीटर वजन से ज्यादा, डाईड
249.	530511.00	नारियल के रेशों का कपड़ा, कच्चा
250.	530519.00	नारियल के धागों के अन्य कपड़े
251.	530810.00	कॉयर यार्न
252.	530919.00	वूवन फैब्रिक जिसमें, फ्लैक्स के वजन से 85 प्रतिशत या अधिक शामिल हो, अन्य
253.	530921.00	वूवन फैब्रिक जिसमें, फ्लैक्स के वजन से 85 प्रतिशत या अधिक शामिल हो, अनब्लीच्ड अथवा ब्लीच्ड
254.	530929.00	वूवन फैब्रिक जिसमें, फ्लैक्स के वजन से 85 प्रतिशत या अधिक शामिल हो, अन्य
255.	531010.00	वूवन फैब्रिक, जूट के या अन्य टैक्सटाइल बास्ट फाइबर के, अनब्लीच्ड
256.	531090.00	वूवन फैब्रिक, जूट के या अन्य टैक्सटाइल बास्ट फाइबर के अन्य
257.	531100.00	अन्य बनस्पति टैक्सटाइल फाइबर के बुने कपड़े, पेपर यार्न के बुने कपड़े
258.	540810.00	हाइटेनेसिटी यार्न से प्राप्त वूवन फैब्रिक, बिस्कोस रेयोन का
259.	540821.00	वूवन फैब्रिक जिसमें कृत्रिम फिलामेंट वजन से 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो, अनब्लीच्ड या ब्लीच्ड
260.	551211.00	वूवन फैब्रिक जिसमें पालिस्टर स्टेपल फाइबर वजन से 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो, अनब्लीच्ड या ब्लीच्ड
261.	551221.00	वूवन फैब्रिक जिसमें एक्रेलिक या मौडएक्रेलिक स्टेपल फाइबरस वजन से 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो, अनब्लीच्ड या ब्लीच्ड
262.	551291.00	कृत्रिम स्टेपल फाइबरस के बुने कपड़े, अनब्लीच्ड या ब्लीच्ड
263.	551311.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें पालिस्टर स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, काटन से मिश्रित 170 ग्राम/वर्ग मीटर के वजन से ज्यादा नहीं, सादा बुना, ब्लीच्ड या अनब्लीच्ड
264.	551312.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें पालिस्टर स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, काटन से मिश्रित, 3-धागे अथवा 4-धागे की गुच्छी, क्रास गुच्छी सहित, ब्लीच्ड या अनब्लीच्ड
265.	551313.00	पालिस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य वूवन फैब्रिक, अनब्लीच्ड या ब्लीच्ड
266.	551319.00	अन्य सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वूवन फैब्रिक, अनब्लीच्ड या ब्लीच्ड
267.	551321.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें पालिस्टर स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, काटन से मिश्रित, सादा बना, डाइड
268.	551322.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें पालिस्टर स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, काटन से मिश्रित, 3-धागे या 4 धागे की गुच्छी क्रास गुच्छी सहित, डाइड

1	2	3
269.	551323.00	पालिस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य वूवन फैब्रिक, काटन मिश्रित, डाइड
270.	551329.00	अन्य सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वूवन फैब्रिक, काटन मिश्रित, डाइड
271.	551339.00	अन्य सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वूवन फैब्रिक, काटन मिश्रित, विभिन्न रंगों के धागे
272.	551349.00	अन्य सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वूवन फैब्रिक, काटन मिश्रित, प्रिंटिड
273.	551411.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें पालिस्टर स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, काटन से मिश्रित 170 ग्राम/वर्ग मीटर के वजन से अधिक, सादा बुना, ब्लीच्ड या अनब्लीच्ड
274.	551412.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें पालिस्टर स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, ब्लीच्ड या अनबलीच्ड, 3-धागे या 4-धागे की गुच्छी क्रास गुच्छी सहित
275.	551413.00	पालिस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य वूवन फैब्रिक, काटन मिश्रित, अनब्लीच्ड या ब्लीच्ड
276.	551419.00	अन्य सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वूवन फैब्रिक, काटन मिश्रित, अनब्लीच्ड या ब्लीच्ड
277.	551421.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कॉटन मिश्रित पालिस्टर स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, डाइड, सादा बुना
278.	551422.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कॉटन मिश्रित पालिस्टर स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, डाइड, 3-धागे या 4-धागे की गुच्छी क्रास गुच्छी सहित।
279.	551423.00	पालिस्टर स्टेपल फाइबर के वूवन फैब्रिक, काटन से मिश्रित, डाइड, अन्य
280.	551429.00	अन्य सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वूवन फैब्रिक, काटन मिश्रित, डाइड
281.	551449.00	अन्य सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वूवन फैब्रिक, काटन मिश्रित, प्रिंटिड
282.	551521.00	एक्रीलिक या मौडएक्रीलिक स्टेपल फाइबर के वूवन फैब्रिक, मुख्यत: मानव निर्मित फिलामैंट से मिश्रित।
283.	551522.00	एक्रीलिक या मौडएक्रीलिक स्टेपल फाइबर के वूवन फैब्रिक, मुख्यत: ऊन या पशु के बढ़िया बालों से मिश्रित
284.	551591.00	अन्य सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वूवन फैब्रिक, मुख्यत: मानव निर्मित फिलामैंट से मिश्रित
285.	551592.00	अन्य सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वूवन फैब्रिक, मुख्यत: ऊन या पशु के बढ़िया बालों से मिश्रित
286.	551611.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत या उससे अधिक हो, ब्लीच्ड या अनब्लीच्ड
287.	551621.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, मानव निर्मित फिलामैंट से मिश्रित अनब्लीच्ड या ब्लीच्ड
288.	551622.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, मानव निर्मित फिलामैंट से मिश्रित, डाइड
289.	551623.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, मानव निर्मित फिलामैंट से मिश्रित, विभिन्न रंगों के धागे

1	2	3
290.	551631.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, ऊन या पशु के बढ़िया बालों से मिश्रित, अनब्लीच्ड या ब्लीच्ड
291.	551632.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, ऊन या पशु के बढ़िया बालों से मिश्रित, डाइड
292.	551633.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, उन या पशु के बढ़िया बालों से मिश्रित, विभिन्न रंगों के धागे
293.	551634.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, ऊन या पशु के बढ़िया बालों से मिश्रित, प्रिंटिड
294.	551641.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कॉटन मिश्रित कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, अनब्लीच्ड या ब्लीच्ड
295.	551642.00	वूवन फैब्रिक्स, जिसमें कॉटन मिश्रित कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत से कम हो, डाइड
296.	551691.00	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के अन्य वूवन फैब्रिक्स अनब्लीच्ड या ब्लीच्ड
297.	551692.00	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के अन्य वूवन फैब्रिक्स, डाइड
298.	पूर्व 560110.00	सैनेटरी टावल और टैम्पोन, शिशुओं हेतु नैपकिन और नेपकिन लाइनर एवं ऐसी ही अन्य सैनेटरी सामान, वेडिंग के, बेबी और क्लीनिकल डायपर से भिन्न
299.	560811.00	मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्री के मेकअप फिशिंग नेट्स
300.	560819.00	मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्री के अन्य मेडअप नेट्स
301.	560890.00	टवाइन की नॉटिड नैटिंग, कोर्डेज या रस्सी
302.	560900.00	यार्न की वस्तुएं, स्ट्रिप अथवा शीर्ष सं. 54.04 अथवा 54.05 के जैसी, खाइन, कोर्डेज, रस्सी या केबल, एन.ई.एस.
303.	570110.00	गलीचे और अन्य टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, नॉटिड, ऊन के या पशु के बढ़िया बालों के
304.	570190.00	गलीचे और अन्य टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, नॉटिड, अन्य टैक्सटाइल सामग्री के
305.	570210.00	''केलेम'', ''शुमैकस'', ''कारामेन'' और अन्य हैंड वूवन रग्स
306.	570220.00	नारियल के रेशे की फ्लोर कवरिंग्स
307.	570231.00	अन्य गलीचे और टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, पाइल कंसट्रक्शन के, मेडअप नहीं, ऊन के या पशु के बढ़िया बालों के
308.	570232.00	अन्य गलीचे और टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, पाइल कंसट्रक्शन के, मेडअप नहीं, मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्री के
309.	570239.00	अन्य गलीचे और टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, पाइल कंसट्रक्शन के, मेडअप नहीं, अन्य टैक्सटाइल सामग्री के

1	2	3
310.	570241.00	अन्य गलीचे और टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, पाइल कंसट्रक्शन के, मेडअप, ऊन के या पशु के बढ़िया बालों के
311.	570242.00	अन्य गलीचे और टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, पाइल कंसट्रक्शन के, मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्री के
312.	570249.00	अन्य गलीचे और टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, पाइल कंसक्ट्रक्शन के, अन्य टैक्सटाइल सामग्री के।
313.	570251.00	ऊन या फाईन एनीमल हेयर तथा पाईल कन्ट्रक्शन से न बने अन्य कालीन तथा टैक्सटाईल फ्लोर कवरिंग।
314.	570252.00	मानव निर्मित वस्त्र सामग्री तथा पाईल कन्ट्रक्शन से न बने अन्य कालीन तथा टैक्सटाईल फ्लोर कवरिंग।
315.	570259.00	पाईल कन्ट्रक्शन और अन्य वस्त्र सामग्री से न बने अन्य कालीन तथा टैक्सटाईल फ्लोर कवरिंग।
316.	570291.00	पाईल कन्ट्रक्शन के बिना, ऊन या फाईन एनीमल हेयर से बने अन्य कालीन तथा टैक्सटाईल फ्लोर कवरिंग।
317.	570292.00	पाईल कन्ट्रक्शन के बिना, मानव निर्मित वस्त्र सामग्री से बने अन्य कालीन तथा टैक्सटाईल फ्लोर कवरिंग।
318.	570299.00	पाईल कन्ट्रक्शन के बिना, अन्य वस्त्र सामग्री से बने अन्य कालीन तथा अन्य टैक्सटाईल फ्लोर कवरिंग।
319.	570310.00	ऊन या फाईन एनीमल हेयर से बने टफ्टिड तथा अन्य कालीन तथा अन्य टैक्सटाईल फ्लोर कवरिंग।
320.	570390.00	अन्य वस्त्र सामग्री से बने टफ्टिड कालीन तथा अन्य टैक्सटाईल फ्लोर कवरिंग।
321.	570500.00	निर्मित अथवा बिना बने अन्य कालीन तथा टैक्सटाईल फ्लोर कवरिंग।
322.	580110.00	ऊन या फाईन एनीमल हेयर से बुने हुए पाईल फैब्रिक्स तथा चैनीले फैब्रिक्स।
323.	580121.00	सूती बिना कटे वैफ्ट पाईल फैब्रिक्स
324.	580122.00	सूती कट कॉर्डरॉय
325.	580123.00	सूती अन्य वैफ्ट पाईल फैब्रिक्स
326.	580124.00	सूती वारप पाईल फैब्रिक्स, एपिंजल (अनकट)
327.	580125.00	सूती वारप पाईल कट, पाईल फैब्रिक्स
328.	580126.00	सूती चेनाईल फैब्रिक्स
329.	580131.00	मानव निर्मित रेशों से बने बिना कटे वैफ्ट पाईल फैब्रिक्स
330.	580132.00	मानव निर्मित रेशों से बने कट कॉर्डरॉय

1	2	3
331.	580133.00	मानव निर्मित रेशों से बने अन्य वैफ्ट पाईल फैब्रिक्स
332.	580134.00	मानव निर्मित रेशों से बने वारप पाईल फैब्रिक्स
333.	580136.00	मानव निर्मित रेशों से बने चैनाईल फैब्रिक्स
334.	580190.00	अन्य वस्त्र सामग्री के बुने हुए पाईल फैब्रिक्स तथा चैनाईल फैब्रिक्स
335.	580211.00	बिना ब्लीच किए हुए सूती अरी टॉवलिंग और इसी प्रकार के बुने हुए टैरी फैब्रिक्स
336.	580219.00	अन्य तथा सूती टैरी टॉवलिंग और इसी प्रकार के बुने हुए टैरी फैब्रिक्स
337.	580220.00	अन्य वस्त्र सामग्री से बने टैरी टॉवलिंग और इसी प्रकार के बने हुए टैरीफैब्रिक्स
338.	580230.00	टफ्टिड टैक्सटाईल फैब्रिक्स
339.	580390.00	अन्य टैक्सटाईल सामग्री के गाज़
340.	580500.00	हाथ से बुने हुए टेपस्ट्रीज गॉब्लिन, फ्लैंडरस, आऊबुसोन, बियूवीयास तथा इसी प्रकार के नीडल वर्कड टेपस्ट्रीज
341.	581100.00	टुकड़ों में एक्स क्विलटेड वस्त्र उत्पाद जोकि वस्त्र सामग्री की एक या अधिक परतों से बनाए गए हों और स्टिचिंग या इसी प्रकार से पैडिंग करके जोड़े गए हों जोकि निर्यात किए जाने वाले क्विलटेड वैडिंग से भिन्न है
342.	590410.00	लिनोलियम
343.	590491.00	बिना बुने हुए अथवा नीडल लूम फैल्ट को आधार बनाकर बनने वाले अन्य फ्लोर कवरिंग
344.	590492.00	अन्य टैक्सटाईल आधार वाले अन्य फ्लोर कवरिंग
345.	590500.00	टैक्सटाईल वाल कवरिंग
346.	600110.00	बुने या क्रोशिया किए हुए लंबे पाईल फैब्रिक्स
347.	600121.00	बुने हुए क्रोशिया किए हुए सूती लूप पाईल फैब्रिक्स
348.	600122.00	मानव निर्मित रेशों से बने बुने या क्रोशिया किए हुए लूप पाईल फैब्रिक्स
349.	600129.00	अन्य वस्तु सामग्री से बुने, या क्राशिया किये हुए अन्य पाईल फेब्रिक्स
350.	600191.00	सूती, बुने या क्रोशिया किए हुए लूप पाईल फैब्रिक्स
351.	600199.00	अन्य वस्त्र सामग्री के बुने या क्रोशिया किए हुए अन्य पाईल फैब्रिक्स
352.	600210.00	30 से.मी. की चौड़ाई से कम बने या क्रोशिया किए हुए वस्त्र जिनमें रबड़ के धागे या इलास्टोमैरिक यार्न का वजन 5 प्रतिशत या अधिक हो
353.	600220.00	अन्य बुने या क्रोशिया किए हुए वस्त्र जिनकी चौड़ाई 30 सेंमी. से अधिक न हो
354.	600230.00	30 से.मी. चौड़ाई के बुने हुए या क्रोशियाकृत फैब्रिक्स तथा जिसका वजन 5 प्रतिशत से अधिक नहीं कि इलैस्टोमैट्रिक यार्न का रबड़ थ्रेड
355.	600241.00	ऊन या पशुओं के बढ़िया बालों से बने हुए अन्य फैब्रिक्स, वार्प निट

1	2	3
356.	600249.00	अन्य फैब्रिक्स, वार्प निट, अन्य
357.	600291.00	उन या पशुओं के बढ़िया बालों से बने हुए अन्य बुने हुए और क्रोशियकृत फैब्रिक्स
358.	600299.00	अन्य बुने हुए और क्रोशियकृत फैब्रिक्स, अन्य
359.	610290.00	अन्य टैक्सटाइल सामग्री के बने हुए महिलाओं या लड़कियों के ओवरकोट, कार कोट, कैफ, जैकेट तथा इसी प्रकार के अन्य आर्टिकल बुने हुए या क्रोशियाकृत
360.	600293.00	मानव निर्मित फाइबर के अन्य बुने हुए व क्रोशियाकृत फैब्रिक्स
361.	610110.00	ऊन या पशुओं के बढ़िया बालों से बने हुए पुरुष व लड़कों के ओवर कोट, कार कोट, कैप्स, क्लोक्स एनोरैक्स, विन्ट चिटर, विन जैकेट तथा इसी प्रकार के अन्य आर्टिकल बुने हुए या क्रोशियाकृत।
362.	610120.00	काटन के बने हुए पुरुषों व लड़कों के ओवरकोट, कारकोटज कैप्स क्लोक्स, एनोरैक्स विन चिटर्स, विन्ड जैकेट तथा इसी प्रकार के अन्य आर्टिकल बुने हुए और क्रोशियाकृत
363.	610130.00	मानव निर्मित फाईबर के बुने हुए या क्रोशियाकृत पुरुषों व लड़कों के ओवरकोट, कारकोट, कैप्स क्लौक्स एनोरैक्स, विन्ड चिटर, विन्ड जैकेट तथा इसी प्रकार के अन्य आर्टिकल।
364.	610190.00	अन्य टैक्सटाइल मैटिरियल के बुने हुए या क्रोशियाकृत पुरुषों व लड़कों के ओवरकोट, कारकोट, कैप्स क्लौक्स एनोरैक्स, विन्ड चिटर, विन्ड जैकेट तथा इसी प्रकार के अन्य आर्टिकल।
365.	610210.00	ऊन या पशुओं के बढ़िया बालों से बने हुए महिलाओं व लड़कियों के ओवरकोट, कारकोट, कैप्स क्लोक्स, एनोरेक्स विन्ड चिटर, विन्ड जैकेट तथा इसी प्रकार के अन्य आर्टिकल बुल हुए और क्रोशियाकृत
366.	610220.00	काटन के बने हुए महिलाओं व लड़कियों के ओवरकोट, कारकोट, कैप्स क्लोक्स, एनोरेक्स विन्ड चिटर, विन्ड जैकेट तथा इसी प्रकार के अन्य आर्टिकल बुल हुए और क्रोशियाकृत
367.	610230.00	मानव निर्मित फाइबर के बने हुए महिलाओं व लड़कियों के ओवरकोट, कारकोट, कैप्स क्लोक्स, एनोरेक्स विन्ड चिटर, विन्ड जैकेट तथा इसी कार के अन्य आर्टिकल बुल हुए और क्रोशियाकृत।
368.	610312.00	सिंथेटिक फाइबर के बने हुए पुरुषों व लड़कों के सूट बुने हुए और क्रोशियाकृत
369.	610319.00	अन्य टैक्सटाइल मैटिरियल के बुने हुए और क्रोशियाकृत पुरुषों व लड़कों के सूट
370.	610321.00	ऊन या पशुओं के बढ़िया बालों के बने हुए पुरुषों व लड़कों के इनसैम्बल्स
371.	610322.00	काटन के बने हुए बुने हुए या क्रोशियाकृत पुरुषों व लड़कों के इनसैम्बल्स
372.	610323.00	सिंथेटिक फाइबर के बुने हुए या क्रोशियाकृत पुरुषों व लड़कों के इनसैम्बल्स
373.	610329.00	अन्य टैक्सटाइल मैटिरियल के बुने हुए या क्रोशियाकृत पुरुषों व लड़कों के इनसैम्बल्स
374.	610332.00	पुरुषों या लड़कों के जैकेट या ब्लेजर, बुने या क्रोशिया किए हुए, सूती

1	2	3
375.	610333.00	पुरुषों व लड़कों के जैकेट या ब्लेजर, बुने या क्रोशिया किए हुए, सिन्थेटिक रेशों के
376.	610339.00	पुरुषों या लड़कों के जैकेट या ब्लेयर, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के
377.	610341.00	पुरुषों या लड़कों के ट्राऊजर्स, बिब और ब्रेस ओवरऑल्स, ब्रीचेस और शॉर्टस, बुने या क्रोशिया किए हुए, ऊन या फाईन एनीमल हेयर के।
378.	610349.00	पुरुषों या लड़कों के ट्राऊजर्स, बिब और ब्रेस ओवरऑल्स, ब्रीचेस और शॉर्टस, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के
379.	610411.00	महिलाओं या लड़कियों के सूट, बुने हुए या क्रोशिया किए हुए, ऊन या फाईन एनीमल हेयर के
380.	610412.00	महिलाओं या लड़कियों के सूट, बुने हुए या क्रोशिया किए हुए, सूती
381.	610413.00	महिलाओं या लड़कियों के सूट, बुने हुए या क्रोशिया किए हुए, सिंथेटिक रेशों के
382.	610419.00	महिलाओं या लड़कियों के सूट, बुने हुए या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के
383.	610421.00	महिलाओं या लड़कियों के एनसैम्बल्स, बुने हुए या क्रोशिया किए हुए, ऊन या फाईन एनीमल हेयर के
384.	610422.00	महिलाओं या लड़कियों के एनसैम्बल्स, बुने हुए या क्रोशिया किए हुए, सूती
385.	610423.00	महिलाओं या लड़कियों के एनसैम्बल्स, बुने हुए या क्रोशिया किए हुए, सिन्थेटिक रेशों के
386.	610429.00	महिलाओं या लड़कियों के एनसैम्बल्स, बुने हुए या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के
387.	610431.00	महिलाओं या लड़कियों के जैकेट और ब्लेजर, बुने या क्रोशिया किए हुए, ऊन या फाईन एनीमेल हेयर के
388.	610432.00	महिलाओं या लड़कियों के जैकेट और ब्लेजर, बुने या क्रोशिया किए हुए, सूती
389.	610433.00	महिलाओं या लड़कियों के जैकेट और ब्लेजर, बुने या क्रोशिया किए हुए, सिन्थेटिक रेशों के
390.	610439.00	महिलाओं या लड़कियों के जैकेट और ब्लेजर, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के
391.	610422.00	महिलाओं या लड़कियों की पोशाकें, बुनी या क्रोशिया की हुई, सूती
392.	610451.00	महिलाओं या लड़कियों की स्कर्टस या डिवाईडिड स्कर्टस, बुनी या क्रोशिया की हुई, ऊन या फाईन एनीमल हेयर की
393.	610452.00	महिलाओं या लड़कियों की स्कर्टस या डिवाईडिड स्कर्टस, बुनी या क्रोशिया की हुई, सूती
394.	610453.00	महिलाओं या लड़कियों की स्कर्टस या डिवाईडिड स्कर्टस, बुनी या क्रोशिया की हुई, सिन्थेटिक रेशों की
395.	610459.00	महिलाओं या लड़कियों की स्कर्टस या डिवाईडिड स्कर्टस, बुनी या क्रोशिया की हुई, अन्य वस्त्र सामग्री के

1	2	3
396.	610461.00	महिलाओं या लड़कियों के डाऊजर्स, बिब और ब्रेस ओवरऑल्स, ब्रीचेस और शार्टस, बुने या क्रोसिया किए हुए, ऊन या फाईन एनीमल हेयर के।
397.	610469.00	महिलाओं या लड़कियों के ट्राऊजर्स, बिब और ब्रेस ओवरऑल्स, ब्रीचेस और शार्टस, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के।
398.	610690.00	महिलाओं या लड़कियों के ब्लाऊज, कमीजें और शर्ट ब्लाऊजेज, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के।
399.	610719.00	पुरुषों या लड़कों की अंडरपैन्टस और ब्रीफेस, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के।
400.	610721.00	पुरुषों या लड़कों की रात्रि कमीजें और पजामें, बुनें या क्रोशिया किए हुए, सूती।
401.	610722.00	पुरुषों या लड़कों की रात्रि कमीजें और पजामें, बुने या क्रोशिया किए हुए, मानव निर्मित रेशों के।
402.	610729.00	पुरुषों या लड़कों की रात्रि कमीजें और पजामें, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के।
403.	610791.00	पुरुषों या लड़कों का अन्य सूती सामान, बुना या क्रोशिया किया।
404.	610792.00	पुरुषों या लड़कों का अन्य सामान्य मानव निर्मित रेशों का बुना या क्रोशिया किया।
405.	610799.00	पुरुषों या लड़कों का अन्य वस्त्र सामग्री का बुना या क्रोशिया किया।
406.	610811.00	महिलाओं या लड़कियों की शमीजें और पेटीकोट, बुने या क्रशिया किए हुए, मानव निर्मित रेशों के।
407.	610819.00	महिलाओं या लड़कियों की शमीजें और पेटीकोट, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के।
408.	610829.00	महिलाओं या लड़कियों के ब्रीफेस और पैंटीज, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के।
409.	610831.00	महिलाओं और लड़कियों की रात्रि पोशाकें और पजामें, बुने या क्रोशिया किए हुए, सूती।
410.	610832.00	महिलाओं और लड़कियों की रात्रि पोशाकें और पजामें, बुने या क्रोशिया किए हुए, मानव निर्मित रेशों के।
411.	610839.00	महिलाओं और लड़कियों की रात्रि पोशाकें और पजामें, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के।
412.	610891.00	महिलाओं या लड़कियों का अन्य सामान, बुने या क्रोशिया किए हुए, सूती।
413.	610899.00	महिलाओं या लड़कियों का अन्य सामान, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री का।
414.	611090.00	अन्य वस्त्र सामग्री की जर्सियाँ, पुलोवर, कार्डीगन, वेस्टकोट और इसी प्रकार का सामान।
415.	611110.00	बच्चों की पोशाकें, कपड़ों का सामान, बुने या क्रोशिया किए हुए, ऊन या फाईन एनीमल हेयर के।

1	2	3
416.	611120.00	बच्चों की पोशाकें, कपड़ों का सामान, बुने या क्रोशिया किए हुए, सूती।
417.	611130.00	बच्चों की पोशाकें, कपड़ों का सामान, बुने या क्रोशिया किए हुए, सिंथेटिक फाईबर के।
418.	611190.00	बच्चों की पोशाकें, कपड़ों का सामान, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के।
419.	611220.00	स्काई सूट, बुने या क्रोशिया किए हुए।
420.	611231.00	पुरुषों या लड़कों के स्विमवेयर, बुने या क्रोशिया किए हुए, सिन्थेटिक फाइबर के।
421.	611239.00	पुरुषों या लड़कों के स्विमवेयर, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के।
422.	611249.00	महिलाओं या लड़कियों के स्विमवेयर, बुने या क्रोशिया किए हुए, अन्य वस्त्र सामग्री के।
423.	611300.00	क्रम 59.03, 59.06 या 59.07 के अंतर्गत आने वाले बुने या क्रोशिया किए गए वस्त्र।
424.	611410.00	अन्य बुने या क्रोशिया की गई पोशाकें, ऊन या फाईन एनीमल हेयर की।
425.	611420.00	अन्य बुने या क्रोशिया की गई पोशाकें, सूती।
426.	611430.00	अन्य बुने या क्रोशिया की गई पोशाकें, अन्य मानव निर्मित रेशों की।
427.	611490.00	अन्य बुने या क्रोशिया की गई पोशाकें, अन्य वस्त्र सामग्री की।
428.	611610.00	दस्ताने, मिटनस और मिट्स, बुने या क्रोशिया किए गए, इम्प्रीगनेटेड, प्लास्टिक या रबड़ से कोट या कवर किए गए।
429.	611691.00	अन्य दस्ताने, मिटनस और मिट्स, बुने या क्रोशिया किए गए, ऊन या फाईन एनीमल हेयर से बने।
430.	611692.00	अन्य दस्ताने, मिटनस और मिट्स, बुने या क्रोशिया किए गए, सूती।
431.	611693.00	अन्य दस्ताने, मिटनस और मिट्स, बुने या क्रोशिया किए गए, सिंथेटिक फाइबर से बने।
432.	611699.00	अन्य दस्ताने, मिटनस और मिट्स, बुने या क्रोशिया किए गए, अन्य वस्त्र सामग्री से बने।
433.	611710.00	शालें, स्कार्फ, मफलर, मंटीलास, वेल्स और इसी प्रकार का सामान, बुना या क्रोशिया किया हुआ।
434.	611720.00	टाईयाँ, बोटाईस और कराक्टस बुने या क्रोशिया किए हुए।
435.	611780.00	बुने हुए, बने हुए सामान, पोशाकों के ट्रिमिंगलिंस और एम्बलिशमैंट से भिन्न एक्स अन्य बुनी या क्रोशिया किए हुए कपड़े के सामान।
436.	611790.00	कपड़ों के सामान बुने या क्रोशिया किए हुए भाग।
437.	620113.00	पुरुषों या लड़कों के ओवरकोट, रेनकोट, कारकोट, कैप्स, क्लोक्स और इसी प्रकार का सामान, मानव निर्मित रेशों का।
438.	620119.00	पुरुषों या लड़कों के ओवरकोट, रेनकोट कारकोट, कैप्स, क्लोक्स और इसी प्रकार का सामान, अन्य वस्त्र सामग्री का।

1	2	3
439.	620199.00	पुरुषों या लड़कों के विंडचीटर्स और इसी प्रकार का सामान, अन्य वस्त्र सामग्री का।
440.	620219.00	महिलाओं या लड़कियों के ओवरकोट, रेनकोट, कारकोट, कैप्स, क्लोक्स और इसी प्रकार का सामान, अन्य वस्त्र सामग्री का।
441.	620299.00	महिलाओं या लड़कियों के विंडचीटर्स और इसी प्रकार का सामान, अन्य वस्त्र सामग्री का।
442.	620312.00	पुरुषों लड़कों के सूट, सिंथेटिक रेशे के।
443.	620321.00	पुरुषों लड़कों के सूट, सिंथेटिक रेशे के पुरुषों या लड़कों के एसैम्बल्स ऊन या फाईन एनीमल हेयर के।
444.	620332.00	पुरुषों लड़कों के सूट, सिंथेटिक रेशे के पुरुषों या लड़कों के एनसैम्बल्स सूती।
445.	620323.00	पुरुषों लड़कों के सूट, सिंथेटिक रेशे के पुरुषों या लड़कों के एनसैम्बल्स सिंथेटिक रेशे के।
446.	620333.00	पुरुषों या लड़कों के जैकेट्स और ब्लेजर्स सिंथेटिक रेशे के।
447.	620411.00	महिलाओं या लड़कियों के सूट ऊन या फाईन एनीमल हेयर के।
448.	620412.00	महिलाओं या लड़कियों के सूट, सूती।
449.	620413.00	महिलाओं या लड़कियों के सूट, सिंथेटिक फाइबर के।
450.	620419.00	महिलाओं या लड़कियों के सूट, अन्य वस्त्र सामग्री के।
451.	620421.00	महिलाओं या लड़कियों के एनसैम्बल्स, ऊन या फाईन एनीमल हेयर के।
452.	620422.00	महिलाओं या लड़कियों के एनसैम्बल्स, सूती।
453.	620423.00	महिलाओं या लड़कियों के एनसैम्बल्स, सिंथेटिक रेशे के।
454.	620429.00	महिलाओं या लड़कियों के एन्सेम्बल्स अन्य वस्त्र सामग्री के।
455.	620433.00	महिलाओं और लड़कियों के जैकेट्स और ब्लेजर्स, सिंथेटिक रेशे के।
456.	620439.00	महिलाओं और लड़कियों के जैकेट्स और ब्लेजर्स, अन्य वस्त्र सामग्री के।
457.	620452.00	महिलाओं और लड़कियों को स्कर्टस और डिवाईडेड स्कर्टस, सूती।
458.	620461.00	महिलाओं और लड़कियों के ट्राऊजर्स, बि और ब्रेस ओवरऑल्स, ब्रीचेस और शॉर्टस, ऊन या फाईन एनीमल हेयर के।
459.	620510.00	पुरुषों या लड़कों की कमीजें ऊनी या फाईन एनीमल हेयर की।
460.	620530.00	पुरुषों या लड़कों की कमीजें, मानव निर्मित रेशे के।
461.	620590.00	पुरुषों या लड़कों की कमीजें, अन्य वस्त्र सामग्री के।
462.	620610.00	महिलाओं या लड़कियों के ब्लाऊज, कमीजें और शर्ट ब्लाऊज, सिल्क का सिल्क वेस्ट की।
463.	620620.00	पशुओं के बढ़िया बालों से बने महिलाओं व लड़कियों के ब्लाऊज, शर्ट व शर्ट ब्लाऊज।

1	2	3
464.	620640.00	मानव निर्मित धागों के महिलाओं व लड़कियों के ब्लाऊज, सर्ट व सर्ट ब्लाऊज।
465.	620690.00	अन्य टैक्सटाईल मैटिरियल के महिलाओं व लड़कियों के ब्लाऊज, सर्ट व सर्ट ब्लाऊज।
466.	620719.00	अन्य टैक्सटाईल मैटिरियल के पुरुषों व लड़कों के अन्डरपैन्टस व ब्रिफ्स।
467.	620721.00	कॉटन के पुरुषों के नाइट सर्ट व पैजामा।
468.	620722.00	मानव निर्मित फाइबर के मनुष्यों व लड़कों के नाइटसर्ट व पाइजामा।
469.	620729.00	अन्य बस्ता सामग्री के पुरुषों व लड़कों के नाइटसर्ट व पैजामा।
470.	620791.00	कॉटन के पुरुष व लड़कों के अन्य आर्टिकल।
471.	620792.00	मानव निर्मित फाइबर के पुरुषों व लड़कों के अन्य आर्टिकल।
472.	620799.00	कॉटन के पुरुषों व लड़कों के अन्य आर्टिकल।
473.	620811.00	मानव निर्मित फाइबर के महिलाओं व लड़कियों के स्लीप्स व पैटीकोट।
474.	620819.00	अन्य टैक्सटाईल मैटिरियल के महिलाओं व लड़कियों के स्लीप्स व पैटीकोट।
475.	620821.00	कॉटन के महिलाओं व लड़कियों के नाइट ड्रैसेज व पैजामा।
476.	620822.00	मानव निर्मित फाइबर के महिलाओं व लड़कियों के नाइट ड्रैसेज व पैजामा।
477.	620829.00	अन्य टैक्सटाईल मैटिरियल के महिलाओं व लड़कियों के नाइट ड्रैसेज व पैजामा।
478.	620891.00	महिलाओं व लड़कियों के कॉटन के अन्य आर्टिकल।
479.	620892.00	मनुष्य निर्मित फाइबर के महिलाओं व लड़कियों के अन्य आर्टिकल।
480.	620899.00	अन्य टैक्सटाईल मैटिरियल के महिलाओं व लड़कियों के अन्य आर्टिकल।
481.	620910.00	टैक्सटाईल मैटिरियल के महिलाओं व लड़कियों के अन्य आर्टिकल।
482.	620920.00	शिशु वस्त्र व कपड़ों उपसाधन कॉटन।
483.	620930.00	शिशु वस्त्र और कपड़ों के उपसाधन सिंथेटिक फाइबर के।
484.	620990.00	शिशु वस्त्र और कपड़ों के उपसाधन अन्य वस्त्र सामग्री के।
485.	621010.00	हैडिंग नं. 56.02 व 56.03 फैब्रिक के मेड-अप व वस्त्र।
486.	621020.00	सब हैडिंग 6201.11 से 6201.19 तक में वर्णित अन्य वस्त्र।
487.	621030.00	सब हैडिंग 6202.11 से 6202.19 में वर्णित अन्य वस्त्र।
488.	621040.00	पुरुषों व लड़कों के अन्य वस्त्र।
489.	621050.00	महिलाओं के अन्य वस्त्र।
490.	621111.00	पुरुषों व लड़कों के नहाने वाले वस्त्र।
491.	621112.00	महिलाओं व लड़कियों के नहाने वाले वस्त्र।

1	2	3
492.	621120.00	स्की सूट्स।
493.	621131.00	ऊन व फाईन जानवर के रोमों पुरुषों व लड़कों के ट्रैकसूट व अन्य वस्त्र।
494.	621132.00	कॉटन के पुरुषों व लड़कों के ट्रैकसूट व अन्य वस्त्र।
495.	621133.00	मनुष्य निर्मित फाईबर के पुरुषों व लड़कों ट्रैकसूट व अन्य वस्त्र।
496.	621139.00	पुरुषों व लड़कों के ट्रैकसूट और अन्य वस्त्र, अन्य वस्त्र सामग्री के।
497.	621141.00	महिलाओं या लड़कियों के ट्रैकसूट और न अन्य वस्त्र ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के।
498.	621142.00	महिलाओं और लड़कियों के ट्रैकसूट व अन्य वस्त्र कॉटन के।
499.	621149.00	अन्य टैक्सटाइल मैटिरियल के महिलाओं व लड़कियों के ट्रैकसूट व अन्य वस्त्र।
500.	621220.00	ग्रिडल्स व पैन्टी ग्रिडल्स।
501.	621230.00	कोरोसलेट्स।
502.	621290.00	कोरसैट्स, ब्रेसेज, ससपैन्डर्स, गार्ट्स व उसी प्रकार के पदार्थ व उसके भाग।
503.	621310.00	रुमाल, सिल्क के या सिल्क वेस्ट के।
504.	621320.00	कॉटन के रूमाल।
505.	621390.00	अन्य टैक्सटाइल मैटिरियल के रूमाल।
506.	621600.00	दस्ताने, मिटन्स व मिट्स।
507.	621710.00	एक्स अन्य मेड अप क्लोथिंग एक्स सरिज वस्त्रों के ट्रिमिंग व एम्बेलिसमैंट को छोड़कर
508.	621790.00	वस्त्रों या क्लोथिंग एक्स सरिज के पार्टस वस्त्रों के फ्यूजिंग व बौडिंग मैटिरियल को छोड़कर।
509.	630190.00	अन्य कम्बल व ट्रैवलिंग रग्स, अन्य।
510.	630210.00	बैड लिनेन, निटेड या कोशियाकृत।
511.	630229.00	प्रिंटेड बैड लिनेन, निटेड या कोशियाकृत।
512.	630239.00	अन्य टैक्सटाइल मैटिरियल के बैड लिनेन।
513.	630240.00	टेवल लिनेन निटेड या कोशियाकृत।
514.	630259.00	अन्य टैक्सटाइल मैटिरियल के टेबल लिनेन।
515.	630292.00	अन्य प्रशाधन लिनेन व किचनन लिनेन फ्लैक्स के।
516.	630293.00	मानव निर्मित फाइबर के अन्य प्रशाधन लिनेन व किचन लिनेन।
517.	630299.00	अन्य टैक्सटाइल मैटिरियल के अन्य प्रशाधन लिनेन व किचन लिनेन।
518.	630492.00	अन्य फरनिशिंग आर्टिकल, अन्य कॉटन के।
519.	630493.00	सिंथेटिक फाइबर के अन्य फरनिशिंग आर्टिकल, अन्य।

1	2	3
520.	630499.00	अन्य टैक्सटाइल मैटिरियल के अन्य फरनिशिंग आर्टिकल, अन्य
521.	630510.00	जूट या शीर्ष सं. 53.03 के अन्य टैक्सटाइल बास्ट फाईबर के सैक्स व बैंग
522.	630520.00	काटन के सैक्स व बैग
523.	630532.00	मानव निर्मित टैक्सटाइल मैटिरियल के फैलकिबल इन्टरमिडियेट बल्क कान्टेनर्स।
524.	630533.00	मानव निर्मित टैक्सटाइल मैटिरियल के पोलिथिलिन पौलिप्रोपोलिन स्ट्रीप के अन्य सैक्स या बैग।
525.	630539.00	मानव निर्मित टैक्सटाइल मैटिरियल अन्य सैक्स व बैग।
526.	630590.00	अन्य टैक्सटाइल मैटिरियल के अन्य सैक्स व बैग।
527.	630611.00	कॉटन के तारापोलिनस औनिंग व सनब्लाइन्डस।
528.	630629.00	अन्य टैक्सटाईल मैटिरियल के तारपोलिन्स औनिंग व सनब्लाइन्डस।
529.	630621.00	कॉटन के टैन्ट।
530.	630622.00	सिनथैटिक फाइबर के टैन्ट।
531.	630629.00	अन्य टैक्सटाइल मैटिरियल के टैन्ट।
532.	630631.00	सिनथैटिक फाइबर के सेल्स।
533.	630639.00	अन्य टैक्सटाइल मैटिरियल के सेल्स।
534.	630641.00	कॉटन के पैन्यूमैटिक मैट्रेस।
535.	630649.00	अन्य टैक्सटाइल मैटिरियल के पैन्यूमैटिक मैट्रेस।
536.	630691.00	कॉटन के अन्य कैम्पिंग गुड्स।
537.	630699.00	टैक्सटाइल मैटिरियल के अन्य कैम्पिंग गुड्स।
538.	630710.00	फ्लोर क्लाथ, डिश क्लाश, डस्टर व इसी प्रकार के साफ करने के वस्त्र।
539.	630800.00	बोवन फैब्रिक व यार्न के सैट्स एक्ससरिज के सहित या सहित रग्स, टैपस्ट्रिज, एम्ब्रोइडेर टेबल क्लाथ या सर्विटिज या उसी प्रकार के टैक्सटाइल आट्रिकल जो कि बिक्री के लिए पैकिंग किये गये।
540.	630900.00	वार्न क्लोथिंग व अन्य वार्न आर्टिकल।
541.	640391.00	प्लास्टिक व सिनथैटिक सोल के लैदर फूटवियर जो एक एंकल को कवर करते हो।
542.	640510.00	अपर आफ लैदर या कम्पोजिसन लैदर के अन्य फूटवियर।
543.	640520.00	टैक्सटाइल मैटिरियल अपर के सहित अन्य फूटवियर।
544.	680210.00	टाइल्स, क्यूबस व उसी प्रकार के आर्टिकल जिसका लार्जस्ट सरफेस एरिया एक स्वेयर के सभा सकने योग्य हो, जिसकी एक साईड 7 से.मी. से कम न हो, नकली कलर्ड ग्रेन्यल्स, चिपिंग्स व पाउडर

1	2	3
545.	681599.00	एक्स सेनिट्रीवेयर्स, किचन वेयर्स व फ्लाइ एश के अन्य मेड-अप अर्टिकल।
546.	690600.00	क्रेमिक पाइप्स, कन्ड्यूटस, गटरिंग व पाइप फिटिंग।
547.	690890.00	अन्य ग्लेज्ड कैमिकल आर्टिकल्स, अन्य।
548.	690911.00	प्रोकेलिन या चाईना के लेबोरेट्री के लिए क्रेमिक वेयर्स, कैमिकल या अन्य टैकनिकल यूजेज।
549.	701310.00	ग्लास क्रेमिक्स के टेबल, किचन, टायलर कार्यालय, इनडोर डैकोरेशन या उसी प्रकार के प्रयोग के लिए ग्लाशवेयर।
550.	710210.00	डायमन्डस, माउन्टेड या सैट न किये हो, अनसोरटेड।
551.	710221.01	सोरटेड इन्डस्ट्रियल डायमन्ड।
552.	710221.02	अनसोर्टेड इन्डस्ट्रियल डायमन्ड।
553.	710229.01	क्रस्ड इन्डस्ट्रियल डायमन्ड।
554.	710229.09	अन्य इन्डस्ट्रियल डायमन्ड।
555.	710231.00	नान इन्डस्ट्रियल डायमन्ड, अनवर्क्ड या सिम्पली सान, क्लिव्ड या ब्रटेड।
556.	710239.09	अन्य नान इन्डस्ट्रियल।
557.	710420.00	सिन्थेटिक या रिकन्सट्रक्टेड बहुमूल्य या अर्धबहुमूल्य पत्थर, अनग्रेडेड सिनथैटिक या रिकन्सट्रेक्ट्रेड बहुमूल्य या अर्ध बहुमूल्य पत्थर, अनवर्कड या सिम्पली सौन या रफली शेप्ड सिन्थेटिक सबीज अनवर्क्ड को छोड़कर।
558.	710490.00	सिन्थेटिक या रिकन्सट्रेक्टेड बहुमूल्य या अर्ध बहुमूल्य पत्थर, अनग्रेडेड सिंथेटिक या रिकन्सट्रेक्टेड बहुमूल्य पत्थर, इत्यादि।
559.	730830.00	आयरन या स्टील के दरवाजे, खिड़कियाँ व उनके फ्रेम व दरवाजों के लिए थ्रेसहोल्ड।
560.	731010.02	501 या उससे अधिक परन्तु 3001 से अधिक न बढ़ने वाली क्षमता के आयरन व स्टील के ट्रंक व सूटकेस।
561.	731021.09	अन्य केन्स जिनको सोल्डरिंग या क्रिम्पिंग द्वारा बन्द हो तथा जिनकी क्षमता 501 से कम हो।
562.	732490.00	आयरन व स्टील के अन्य सैनिटरी वेयर्स तथा उसके पार्टस।
563.	741819.01	ई पी एन एस वेयर्स।
564.	741819.09	अन्य कापर एलोयेज के बर्तन।
565.	741819.11	कापर के टेबल किचन या अन्य घरेलू आर्टिकल के पार्टस।
566.	741820.01	कापर के सैनिटरी वेयर।
567.	761519.02	एल्यम्यूनियम एलोपज के प्रेशर कूकर।
568.	761519.11	घरेलू प्रयोग के लिए एल्यम्यूनियम आर्टिकलों के पार्टस, एल्यम्यूनियम के बर्तन, एन ई एस।

1	2	3
569.	820411.01	हैन्ड आयरेटेड स्पेनर्श, नान एडजस्टेबल।
570.	820411.02	हैन्ड आयरेटेड रिन्चेज, नान एडजस्टेबल।
571.	820790.01	मैटल वर्किंग हैंड टूल्स।
572.	850440.01	इलैक्ट्रिक इनवर्टरस।
573.	850940.09	अन्य फूड मिक्सर्स फ्रूट या वैजिटेबल जूस एक्सट्रेक्टर्स।
574.	851310.03	पोर्टेबल मैगनैटों लैम्पस।
575.	851310.04	अन्य इलैक्ट्रिक पोर्टेबल लैम्पस।
576.	851610.00	इलैक्ट्रिक इन्सटैन्सनिपस या स्टोरेज वाटर हीटर व इमर्शन हीटर।
577.	851621.00	इलैक्ट्रिक स्टोरेज हीटिंग रेडियेटर्स।
578.	851629.00	अन्य इलैक्ट्रिक स्पेस हीटिंग एयरेप्स।
579.	851640.00	इलैक्ट्रिक स्मूथिंग आयरन्स।
580.	851660.00	अन्य ओवन्स कूलर्स, ककिंग प्लेट्स वायलिंग रिग्स ग्रिलर्स व रोस्टर्स।
581.	851671.00	काफी या टी मेकर।
582.	851672.00	टोस्टर्स।
583.	851679.01	इलैक्ट्रोथर्मोटिक फ्लूड हीडर।
584.	851840.00	ओडियो प्रिक्वेन्सी इलैक्ट्रिक एम्पलीफायर्स।
585.	851850.00	इलैक्ट्रिक साउन्ड एम्पलीफायर सैट्स।
586.	851992.00	अन्य साउंड रिप्रोड्यूसिंग एप्रेटस पाकेट साइज कैसेट टाइप।
587.	851993.00	अन्य साउंड रिप्रोड्यूसिंग एप्रेटस कैसेट साइज टाइप, अन्य।
588.	852713.00	साउन्ड रिकार्डिंग या रिप्रोड्यूजिंग एप्रेटस के सहित अन्य रेडियो ब्रोडकास्ट रिसीवर्स जो कि ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत के बिना चलने की क्षमता रखता हो।
589.	852721.00	एक प्रकार के मोटर वैकिल में प्रयुक्त होने वाले रेडियो ब्रोडकास्ट रिसीवर जो कि ऊर्जा किसी स्रोत के बिना चलने की क्षमता रखता हो जो कि साउन्ड रिकार्डिंग या रिप्रोड्यूसिंग एप्रेटस के साथ कम्बाइन्ड हो।
590.	852729.00	एक प्रकार के मोटर वैकिल में प्रयुक्त होने वाले रेडियो ब्रोडकास्ट रिसीवर जो कि ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत के बिना चलने की क्षमता रखता हो, अन्य
591.	852731.00	साउन्ड रिकार्डिंग या रिप्रोड्यूजिंग एप्रेटस के साथ कम्बाइन्ड रेडियो ब्रोडकास्ट रिसीवर्स, अन्य।
592.	852732.00	रेडियो ब्रोडकास्ट रिसीवर्स, अन्य जो कि साउन्ड रिकार्डिंग या रिप्रोड्यूसिंग एप्रेटस के साथ न हो परन्तु जिसमें घड़ी लगी हो।

1	2	3
593.	852739.00	रेडियो ब्रोडकास्ट रिसीवर, अन्य।
594.	852790.02	टू इन वन (रेडियो व कैसिट प्लेयर)।
595.	852790.03	कैसेट प्लेयर।
596.	852812.00	रंगीन टेलीविजन।
597.	852813.00	ब्लैक व व्हाईट या अन्य मोनोक्रोम टेलिविजन्स।
598.	853661.09	पलास्टिक के लैम्प होल्डर।
599.	853661.09	अन्य मैटिरियल के लैम्प होल्डर।
600.	853690.04	जंक्सन बाक्सेज।
601.	853690.09	स्विचिंग के लिए तथा इलैक्ट्रिक सर्किट के बचाव के लिए या एक इलैक्ट्रिक सर्किट में जोड़ने या कनैक्शन देने के लिए अन्य बिजली उपकरण।
602.	853929.01	टौर्चों के लिए बल्व कम्पोनैन्ट व स्वेयर के अतिरिक्त।
603.	853929.02	मीनिचर बल्व कम्पोनैन्ट व स्पेयर के अतिरिक्त।
604.	870110.00	पैडेस्ट्रिफ कन्ट्रोल्ड ट्रैक्टर्स।
605.	870120.00	सेमी ट्रेलर्स के लिए रोड ट्रैक्टर।
606.	870130.01	गार्डन ट्रैक्टर्स।
607.	870130.02	टैक टाइप ट्रैक्टर्स।
608.	870130.09	अन्य ट्रक लैपिंग ट्रैक्टर्स।
609.	870190.00	अन्य ट्रैक्टर्स।
610.	870210.00	कम्प्रेसन इग्नीशन इन्टरनल कम्ब्यूसन पिस्टन इन्जन के साथ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट टाइप पैसेन्जर मोटर वैकिल।
611.	870290.00	पब्लिक ट्रान्सपोर्ट टाइप पैसेन्जर मोटर वैकिल, अन्य।
612.	870321.01	1000 सी.सी. से अधिक सिलिन्डर एसम्बल न किये गये तथा स्पार्क इगानिशन इन्टरनल कम्ब्यूशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन सहित नयी मोटर कार।
613.	870321.02	1000 सी.सी. से अधिक सिलिन्डर एसम्बल न किये गये तथा स्पार्क इगानिशन इन्टरनल कम्बयूशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन सहित जीप व लैन्डरोवर प्रकार की गाड़ियां।
614.	870321.03	1000 सी.सी. अधिक सिलिन्डर एसम्बल न किये गये तथा स्पार्क इगानिशन इन्टरनल कम्बयूशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजिन सहित सैकेन्जीड हैन्ड व यूज्ड मोटर कार व जीपे व लैन्ड रोवर्स।
615.	870321.04	1000 सी.सी. से अधिक सिलिन्डर एसेम्बल न किये गये तथा स्पार्क इगानिशन इन्टरनल कम्बयूशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजिन सहित सम्पूर्ण यूनिट।

1	2	3
616.	870321.05	1000 सी.सी. से अधिक सिलिन्डर एसेम्बल न किये गये तथा स्पार्क इगानिशन इन्टरनल कम्बयूशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजिन सहित स्पेशलाइज्ड ट्रान्सपोर्ट वैकिल।
617.	870332.01	1000 सी.सी. से अधिक क्षमता वाले सिलिंडर परन्तु जिनकी क्षमता 1500 सी.सी. अधिक नहीं वाले तथा स्पार्क इगनिशन इन्टरनल कम्बयूशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इन्जिन सहित नयी मोटर कार।
618.	870322.02	1000 सी.सी. से अधिक परन्तु 1500 सी.सी. अधिक नहीं क्षमता वाले एसेम्बल न किये गये तथा स्पार्क इगनिशन इन्टरनल कम्बयूशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजिन सहित जीप व लैन्ड-रोवर प्रकार की गाड़ियाँ।
619.	870322.03	1000 सी.सी. से अधिक परन्तु 1500 सी.सी. अधिक नहीं क्षमता वाले एसेम्बल न किये गये तथा स्पार्क इगनिशन इन्टरनल कम्बयूशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजिन सहित सैकेन्ड हैन्ड या यूज्ड मोटर कारे, जीप व लैन्ड रोवर।
620.	870322.04	1000 सी.सी. से अधिक परन्तु 1500 सी.सी. अधिक नहीं क्षमता वाले एसेम्बल न किये गये तथा स्पार्क इगनिशन इन्टरनल कम्बयूशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजिन सहित सम्पूर्ण यूनिट।
621.	870322.05	1000 सी.सी. से अधिक परन्तु 1500 सी.सी. अधिक नहीं क्षमता वाले एसेम्बल न किये गये तथा स्पार्क इगनिशन इन्टरनल कम्बयूशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजिन सहित स्पेसलाइज ट्रान्सपोर्ट वैकिल।
622.	870323.01	1500 सी.सी. से अधिक परन्तु 3000 सी.सी. से अधिक नहीं क्षमता वाले एसेम्बल न किये गये तथा स्पार्क इगनिशन इन्टरनल कम्बयूशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजिन सहित नयी मोटर कार।
623.	870323.02	1500 सी.सी. से अधिक परन्तु 3000 सी.सी. से अधिक नहीं क्षमता वाले एसेम्बल न किये गये तथा स्पार्क इगनिशन इन्टरनल कम्बयूशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजिन सहित।
624.	870323.03	1500 सी.सी. से अधिक परन्तु 3000 सी.सी. अधिक नहीं क्षमता वाले एसेम्बल न किये गये तथा स्पार्क इगनिशन इन्टरनल कम्बयूशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजिन सहित सैकेन्ड हेन्ड व यूज्ड मोटर कारें, जीपें व लैन्ड रोवर।
625.	870323.04	1500 सी सी सिलेण्डर कैपसिटी से अधिक किन्तु 3000 सी सी से अधिक नहीं की बिना एसेम्बल की हुई सम्पूर्ण यूनिट्स स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन रिसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन सहित।
626.	870323.05	1500 सी सी सिलिण्डर धारिता से अधिक किन्तु 3000 सी सी से अधिक नहीं के विशेषीकृत ट्रान्सपोर्ट वाहन, स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन रिसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन सहित।
627.	870324.01	3000 सी सी सिलिण्डर धारिता एक की रेसिंग कारें, स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन रिसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन सहित।
628.	870324.09	3000 सी सी सिलिण्डर धारिता तक के अन्य वाहन, स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन रिसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन सहित।
629.	870331.01	1500 सी सी सिलिण्डर धारिता से अधिक नहीं की मोटर कारें, नई एसेम्बलड, कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।
630.	87331.02	1500 सी सी सिलिण्डर धारिता से अधिक नहीं के जीप एवं लैण्ड रोवर की तरह के वाहन, कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।

1	2	3
631.	870331.03	1500 सी सी सिलिण्डर धारिता से अधिक नहीं के सैकण्ड हैण्ड या काम में ली हुई मोटर कारें, जीप एवं लैण्ड रोवर, कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।
632.	870331.04	1500 सी सी सिलिण्डर धारिता से अधिक नहीं की सम्पूर्ण यूनिटस, बिना ऐसेम्बल की हुई, कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।
633.	870331.05	1500 सी सी सिलिण्डर क्षमता से अधिक नहीं के विशेषीकृत भार वाहन कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।
634.	870332.01	1500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 2500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं की मोटर कारें, नई, एसेम्बल्ड, कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।
635.	870332.02	1500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 2500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं की जीप एवं लैण्ड रोवर की तरह की वाहन कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल पिस्टन इंजन सहित।
636.	870332.03	1500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 2500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं के सैकेण्ड हैण्ड या काम में ली हुई मोटर कारें, जीप एवं लैण्ड रोवरस, एसेम्बल्ड कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।
637.	870332.04	1500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 2500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं की सम्पूर्ण यूनिट्स बिना एसेम्बल्ड कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।
638.	870332.05	1500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 2500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं के विशेषीकृत भार वाहन कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।
639.	870333.01	2500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं की मोटर कारें, नई, एसेम्बल्ड, कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।
640.	870333.02	2500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं की जीप एवं लैण्ड रोवर की तरह की वाहन कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।
641.	870333.03	2500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं के सैकेण्ड हैण्ड या काम में ली हुई मोटर कारें, जीप एवं लैण्ड रोवरस, एसेम्बल्ड कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।
642.	870333.04	2500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं की सम्पूर्ण यूनिट्स बिना एसेम्बल्ड कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।
643.	870333.05	2500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं के विशेषीकृत भार वाहन कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन सहित।
644.	870390.00	व्यक्तियों हेतु प्रिन्सीपली डिजाइन किए हुए अन्य वाहन।
645.	एक्स 870421.00	माल वाहन के लिए अन्य वाहन, कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन, जी.वी. डब्ल्यू 5 टन से अधिक नहीं, रेफ्रीजिरेटेड ट्रक्स के अलावा सहित।

1	2	3
646.	एक्स 870422.01	पुराने कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन, जी.वी. डब्ल्यू. 5 टन से अधिक किन्तु 20 टन से अधिक नहीं की लारियाँ एवं ट्रक्स, नये, ऐसेम्बल्ड सहित रेफिरीजिरेटेड ट्रक्स के अतिरिक्त।
647.	एक्स 870422.02	पुराने ट्रक्स एवं लारियों, सैकेण्ड हैण्ड एवं प्रयोग में ली हुई ऐसेम्बल्ड पिस्टन इंजन, जी.वी. डब्ल्यू. 5 टन से अधिक किन्तु 20 टन से अधिक नहीं की लारियाँ एवं ट्रक्स, नये, ऐसेम्बल्ड सहित रेफिरीजिरेटेड ट्रक्स के अतिरिक्त।
648.	870422.03	लारियाँ एवं ट्रक्स, सम्पूर्ण यूनिट्स बिना ऐसेम्बल्ड पिस्टन इंजन, जी.वी. डब्ल्यू 5 टन से अधिक किन्तु 20 टन से अधिक नहीं की लारियाँ एवं इंजन, जी.वी. ट्रक्स, नये, ऐसेम्बल्ड सहित रेफिरीजिरेटेड ट्रक्स के अतिरिक्त।
649.	एक्स 870423.01	लारियाँ एवं ट्रक्स, नये एसेम्बल, कम्प्रेशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन, पिस्टन इंजन जी.वी.डब्ल्यू. 20 टन से अधिक सहित रेफिरीजिरेटेड ट्रक्स के अतिरिक्त।
650.	एक्स 870423.02	लारियाँ एवं ट्रक्स, सेकेण्ड हैण्डया प्रयोग में लिया हुआ, ऐसेम्बल्ड पिस्टन डब्ल्यू 5 टन से अधिक किन्तु 20 टन से अधिक नहीं की लारियाँ एवं ट्रक्स, नये, ऐसेम्बल्ड सहित रेफिरीजिरेटेड ट्रक्स के अतिरिक्त।
651.	एक्स 870423.03	लारियाँ एवं ट्रक्स, सम्पूर्ण यूनिट, बिना ऐसेम्बल्ड पिस्टन इंजन, जी.वी. डब्ल्यू. 20 टन से अधिक नहीं की लारियाँ एवं ट्रक्स, नये, ऐसेम्बल्ड सहित रेफिरीजिरेटेड ट्रक्स के अतिरिक्त।
652.	एक्स 870431.00	अन्य माल वाहन के व्हीकल, स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजन, जी.वी. डब्ल्यू. 20 टन से अधिक सहित।
653.	एक्स 870432.01	लोरियाँ एवं ट्रक्स, नये, ऐसेम्बल्ड, स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन, पिस्टन इंजिन जी.वी. डब्ल्यू. 5 टन से अधिक नहीं रेफ्रिजिरेटेड ट्रक्स के अतिरिक्त।
654.	एक्स 870432.02	लारियाँ एवं ट्रक्स सैकेण्ड हैण्ड या उपयोग में लाया हुआ स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन, जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक रेफ्रिजिरेटेड ट्रक्स के अतिरिक्त।
655.	एक्स 870432.03	लारियाँ एवं ट्रक्स, सम्पूर्ण यूनिट, बिना ऐसेम्बल्ड, स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन, जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक।
656.	एक्स 870490.01	लोरियाँ एवं ट्रक्स, नये, ऐसेम्बल्ड, अन्य रेफ्रिजिरेटिड ट्रक्स के अतिरिक्त।
657.	870490.03	लोरियाँ एवं ट्रक्स, कम्पलीट यूनिट्स, बिना ऐसेम्बल्ड, अन्य।
658.	870600.01	यात्री मोटर कार के लिए चेचिस इंजिन माउन्टेड सहित।
659.	870600.02	शीर्ष सं. 87.01 के अधीन ट्रैक्टर के लिए चैचिस।
660.	870600.09	मोटर वाहनों हेतु अन्य चैचिस।
661.	870710.01	शीर्ष सं. 87.03 इंनिशियल उपकरण के मोटर वाहन हेतु बोडीज।
662.	870710.02	शीर्ष सं. 87.03 रिप्लेसमेन्ट पार्ट के मोटर वाहन हेतु बोडीज।
663.	870790.01	अन्य मोटर वाहन इनिशियल इक्यूपमेन्ट हेतु बोडीज।

1	2	3
664.	870790.02	अन्य मोटर वाहन रिप्लेसमेन्ट पार्ट हेतु बोडीज।
665.	871110.01	मोपेड रिसिप्रोकेटिंग इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन, 50 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं सहित
666.	871110.02	मोटोराईज्ड साईकिल रिसिप्रोकेटिंग इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन 50 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं सहित।
667.	871120.01	ऑटोरिक्शोज, रिसिप्रोकेटिंग इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन 50 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 250 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं सहित।
668.	871120.02	स्कूटर्स, रिसिप्रोकेटिंग इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन 50 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 250 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं सहित।
669.	871120.03	मोटर साईकिल, रिसिप्रोकेटिंग इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन 50 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 250 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं सहित।
670.	871120.04	मोपेड, रिसिप्रोकेटिंग इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन 50 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 250 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं सहित।
671.	871130.01	ऑटोरिक्शोज, रिसिप्रोकेटिंग इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन 50 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 250 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं सहित।
672.	871130.02	स्कूटर्स, रिसिप्रोकेटिंग इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन 50 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 250 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं सहित।
673.	871130.03	मोटर साईकिल्स, रिसिप्रोकेटिंग इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन 50 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 250 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक नहीं सहित।
674.	871140.01	ऑटोरिक्शोज, रिसिप्रोकेटिंग इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन 500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 800 सी सी से अधिक नहीं सहित।
675.	871140.02	मोटर साईकिल्स रिसिप्रोकेटिंग इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन 500 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक किन्तु 800 सी सी से अधिक नहीं सहित।
676.	871150.01	ऑटोरिक्शोज, रिसिप्रोकेटिंग इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन 800 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक सहित।
677.	871150.09	अन्य साईकिल्स फिटेड लक्जरी मोटर सहित, रिसिप्रोकेटिंग इन्टरनल कम्बीशन पिस्टन इंजिन 800 सी सी सिलेण्डर क्षमता से अधिक सहित।
678.	871200.09	अन्य साईकिल्स, बिना मोटोराइज्ड।
679.	890110.02	लान्चेज, वोक वाहन के लिए प्रिन्सीपली डिजाइन्ड।
680.	890110.03	बोट्स, लोककल के लिए प्रिन्सीपली डिजाइन्ड।
681.	890110.04	बारगस प्रिन्सीपली डिजाइन्ड फॉर ट्रान्सफोर्ट पस्टान।
682.	890200.01	ट्रवलर्स एवं अन्य फिसिंग विजलस।

1	2	3
683.	890200.02	फैक्ट्री शिपस एवं अन्य पोत मछली पकड़ने मछली उत्पाद हेतु।
684.	एक्स 890310.00	यॉच, इनफ्लेबल, खेल सामान एवं उपकरणों के अतिरिक्त।
685.	एक्स 890391.00	सैल बोट्स लक्जरी मोटर सहित या रहित खेलों के अतिरिक्त।
686.	एक्स 890392.00	सामान एवं उपकरण मोटर बोट्स आऊटबोर्ड मोटर बोट्स खेल के अतिरिक्त।
687.	एक्स 890399.01	माल उपकरण कैनोज, खेल सामान एवं उपकरणों के अतिरिक्त।
688.	एक्स 890399.09	अन्य यॉच एवं अन्य पोत खेल या सैर हेतु खेल सामान के अतिरिक्त।
689.	890400.00	टग्स एवं पशर क्राफ्टस।
690.	890600.02	लाईफ बोट्स।
691.	890710.00	इनफ्लेटेबिल रैफ्ट।
692.	870790.00	अन्य प्लोटिंग स्ट्रेक्चर।
693.	910390.00	क्लाक्स विद वॉच मूवमेन्ट, अन्य।
694.	910511.00	अलार्म क्लाक्स इलेक्ट्रीकली ऑपरिटेड।
695.	910519.00	अलार्म फ्लौक्स, अन्य।
696.	910521.00	वाल क्लॉक्स, इलेक्ट्रीकली आपरेटेड।
697.	910529.00	वाल क्लॉक्स, अन्य।
698.	910591.00	अन्य क्लॉक्स, इलेक्ट्रीकली आपरेटेड।
699.	910599.01	टाईम पीस।
700.	910599.09	अन्य फ्लॉक।
701.	950349.02	धातू के, खिलौने, रिप्रीजेरिंग एनिमल या ह्यूमन क्रेयचर।
702.	950349.02	प्लास्टिक के खिलौने, रिप्रीजेरिंग एनिमल या ह्यूमन क्रेयचर।
703.	950349.09	अन्य खिलौने, रिप्रीजेरिंग एनिमल या ह्यूमन क्रेयचर
704.	950390.02	टॉयगन
705.	950410.00	विडियो गेम्स टेलीविजन रिसीवर के साथ प्रयोग के
706.	960331.00	टूथ ब्रश
707.	960329.00	शेविंग ब्रशेज, हेयर ब्रश, नेल ब्रश, आई ब्रश, आई लैशब्रश एवं अन्य टॉयलेट प्रयोजनार्थ ब्रश
708.	960340.00	पेन्ट, डिस्टेम्पर, बर्निश या ऐसे ही ब्रश
709.	960810.00	बाल पोइंट पेन्स
710.	960820.00	फेल्ट टिप्ड और अन्य पोरस टिप्ड पेन्स एवं मार्कर्स

1	2	3
711.	970831.02	भारतीय इंक ड्रॉइंग पेन्स, स्टाइलोग्राफ पेन्स
712.	960831.09	भारतीय इंक ड्राईंग पेन्स, अन्य
713.	970839.01	फाउन्टेन पेन्स
714.	960839.09	अन्य पेन्स
715.	961519.00	कंघे, हेयर स्लाइड्स एवं अन्य

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त सुरक्षोपायों के बिना मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने के कारण विशेषरूप से किसान और लघु उद्योग विदेशी आक्रमण के लिए अत्यधिक भेद्य हो गए हैं।

कांग्रेस पार्टी पहले ही एक पत्र की एक श्वेत पत्र की अथवा किसी ऐसे पत्र का वक्तव्य की मांग कर रही है जिसमें यह बताया गया हो कि मात्रात्मक प्रतिबंध उठाये जाने से पूर्व सरकार कौन से सुरक्षोपाय करने पर विचार कर रही है। परन्तु दुर्भाग्य से सरकार ने यह सब प्रकाशित नहीं किया और अंतिम तिथि से कुछ दिन पूर्व ही नीति की घोषणा की गई। काश कि इसकी घोषणा पहले होती क्योंकि ये वे मामले हैं जिन पर सरकार विपक्ष से परामर्श कर सकती थी और कुछ बातचीत हो सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे उद्देश्य एक जैसे हैं - राष्ट्र के हित और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के हित। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बारे में विपक्ष से परामर्श नहीं किया गया और इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बहुत से मामलों में सरकार पर्याप्त सुरक्षोपाय नहीं कर रही है।

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत हमें कुछ मामले में 300 प्रतिशत तक अधिकतम टैरिफ दर रखने की अनुमति है। परन्तु जहां तक प्राथमिक कृषि पण्यों का प्रश्न है, दुर्भाग्य से बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार ने शुल्क बढ़ाया है। परन्तु हमारी राय में यह पर्याप्तता के कहीं भी आस-पास नहीं है।

सेबों के मामले में यह 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया, चीनी के मामले में यह 27.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया, चाय, काफी और नारियल के मामले में यह 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया, ज्वार और बाजरा के मामले में शून्य प्रतिशत से 50 प्रतिशत किया गया, अंगूर के मामले में 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया और खाद्य तेलों के मामले में 75 प्रतिशत तक वृद्धि की गई।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सिंधिया जी, आप समय का भी ध्यान रखिए।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : विश्व के अन्य भागों में लगाया गया आयात शुल्क इतना अधिक है कि जिससे वे अपने घरेलू उत्पादकों की रक्षा कर सकें। अत: हम महसूस करते हैं कि यह अपर्याप्तता समाप्त की जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार हमें तुरन्त जानकारी दे और उस जनकारी पर आधारित यह निर्णय लाएं कि हमारे विभिन्न घरेलू उत्पादों पर विदेशी आयात ने क्या धावे बोले हैं और उस शुल्क में कितना संशोधन हुआ है जिनमें सरकार के लिए टैरिफ दरों की सीमा तक जाना अपेक्षित होता है।

हम वह घोषणा और वह जानकारी तुरंत चाहते हैं। केवल एक मानिटरिंग समिति नियुक्त करना ही काफी नहीं है। यह एक माह के भीतर ही किया जाना चाहिए ताकि हमारे घरेलू उत्पादकों को हानि न हो।

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य को लिखित उत्तर भेज सकते हैं।

श्री उमर अब्दुल्ला : मैं उत्तर भेज दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विदेशों द्वारा चमड़े के आयात पर रोक

***581. श्री के.पी. सिंह देव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों ने भारत से चमड़े के आयात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के क्या नाम हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को और भारतीय चमड़ा उद्योग को अनुमानत: कितना घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों का भंडारण

***583. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खाद्यान्नों का भंडार नवम्बर, 2000 के 44.5 मिलियन टन से बढ़कर जून, 2002 के अंत तक 55.60 मिलियन टन हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा मुख्यत: चालू खरीद मौसम के दौरान गेहूं और चावल दोनों की खरीद में वृद्धि होने के कारण है;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में खाद्यान्न भंडार की समग्र स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार खरीदे गए सभी अनाजों का भंडारण करने में समर्थ नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ग) जून, 2001 के अन्त तक केन्द्रीय पूल में 581.78 लाख टन खाद्यान्नों का स्टाक (गेहूं और चावल) होने का अनुमान है जबकि नवम्बर, 2000 में यह 444.86 लाख टन था। यह वृद्धि अधिकांशत: खुली वसूली और अपेक्षाकृत कम उठान के कारण होगी। 1.4.2001 की स्थिति के अुसार केन्द्रीय पूल में 446.95 लाख टन खाद्यान्नों का स्टाक था। इस अवस्था में जून, 2002 के अन्त तक केन्द्रीय पूल में मौजूद होने वाले खाद्यान्नों के स्टाक का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और उसकी ओर से वसूली कर रही राज्य एजेंसियों अथवा विकेंद्रीकृत वसूली वाले राज्यों के पास 511.10 लाख टन भंडारण क्षमता उपलब्ध थी। इस क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(च) सरकार ने खाद्यान्नों के अधिशेष स्टाक का निपटान करने और भंडारण सुविधाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन को बढ़ाना, विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करना, घटी हुई कीमतों पर गेहूं की खुली बिक्री करना, केन्द्रीय निर्गम मूल्य को कम करना, गेहूं और चावल का निर्यात करना, नए गोदामों का निर्माण करना और खाद्यान्नों के भंडारण हेतु गोदाम किराए पर लेना शामिल है। सूखा प्रभावित राज्यों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रमों हेतु मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध किए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति में घरेलू और विदेशी दोनों के सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों के प्रयासों और संसाधनों को शामिल करने की बात कही गई है ताकि बनाओ और चलाओ आधार पर भंडारण क्षमता सृजित की जा सके।

[हिन्दी]

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

***584. डा. चरणदास महंत :**
श्री अनन्त नायक :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों के प्रत्येक उपभोक्ता को पहले 20 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है;

(ख) क्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों को अभी भी खाद्यान्न की वही मात्रा दी जा रही है;

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा खाद्यान्न उनकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाए जाने की संभावना है और यदि हां, तो कब;

(ङ) क्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों के लिए खाद्यान्न की कीमत और आवंटन की मात्रा बढ़ा दी गयी है;

(च) यदि हां, तो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों को इससे किस प्रकार राहत प्रदान की जाएगी और यदि हां, तो कब तक; और

(छ) आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्नों में की गयी वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) 1992-97 की अवधि के दौरान चलाई गई संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति की दर से प्रति परिवार प्रति मास 20 किलोग्राम तक खाद्यान्न केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे प्रति किलोग्राम कम मूल्य पर जारी किए जाते थे। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आदिवासी क्षेत्रों के 1073 ब्लॉकों सहित देश में 1775 पहचान किए गए ब्लॉकों को कवर किया गया था।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन फिलहाल गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत पर 20 किलोग्राम खाद्यान्न के लिए पात्र है।

(ग) और (घ) चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल अनुपूरक स्वरूप की है इसलिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदान की गई खाद्यान्नों की मात्रा किसी औसत राशन कार्ड धारक परिवार, चाहे वह आदिवासी क्षेत्र में हो अथवा किसी अन्य क्षेत्र में, की आवश्यकताएं पूर्णतया पूरी नहीं करती है। तथापि, हाल ही में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल की अत्यधिक उच्च राजसहायता प्राप्त दर पर हर पात्र परिवार 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह पाने का हकदार है। अंत्योदय अन्न योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ निर्धनतम परिवारों की पहचान करने की परिकल्पना की गई है।

(ङ) और (च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन 1.4.2000 से 10 किलोग्राम से दुगुना करके 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है। केन्द्रीय निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत पर निर्धारित किए गए थे। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के मूल्य सामान्यत: खुले बाजार मूल्यों से कम होते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए राशन की मात्रा बढ़ाने और केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में कमी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(छ) 1.12.2000 से आबादी का आधार 1995 की बजाए 1.3.2000 की प्रक्षेपित आबादी करके गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन बढ़ाया गया है। इसके परिणामस्वरूप गरीबी रेखा से नीचे की संख्या 5.86 करोड़ से बढ़कर 6.52 करोड़ हो गई। इससे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए चावल और गेहूं का मासिक आबंटन भी बढ़ गया है। इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सभी राज्यों के लिए दिसम्बर, 2000 से चावल और गेहूं के संशोधन पूर्व (नवम्बर, 2000) और संशोधित मासिक आवंटन बताने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संशोधन पूर्व		दिसम्बर, 2000 से संशोधित	
		चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	75.560	0.000	81.256	0.000
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.400	0.140	1.796	0.180

1	2	3	4	5	6
3.	असम	38.120	0.000	38.114	0.000
4.	बिहार	68.720	103.080	50.270	75.405
5.	छत्तीसगढ़*			25.924	7.427
6.	दिल्ली	0.000	0.000	0.000	0.000
7.	गोवा	0.520	0.240	0.515	0.237
8.	गुजरात	16.000	24.000	16.961	25.441
9.	हरियाणा	0.000	14.660	0.000	14.659
10.	हिमाचल प्रदेश	4.260	4.260	4.258	4.258
11.	जम्मू और कश्मीर	9.400	2.960	9.400	2.960
12.	झारखंड*			18.450	27.675
13.	कर्नाटक	46.000	11.500	50.068	12.517
14.	केरल	30.700	0.000	31.077	0.000
15.	मध्य प्रदेश	48.000	58.680	22.076	51.253
16.	महाराष्ट्र	42.320	78.600	45.736	84.945
17.	मणिपुर	2.600	0.000	2.607	0.000
18.	मेघालय	2.860	0.000	2.877	0.000
19.	मिजोरम	1.060	0.000	1.365	0.000
20.	नागालैण्ड	1.540	0.380	1.540	0.380
21.	उड़ीसा	63.640	0.000	65.955	0.000
22.	पंजाब	1.360	7.240	1.480	7.879
23.	राजस्थान	0.500	42.900	0.527	45.213
24.	सिक्किम	0.680	0.000	0.869	0.000
25.	तमिलनाडु	91.580	0.000	97.256	0.000
26.	त्रिपुरा	4.620	0.000	4.625	0.000
27.	उत्तरांचल*			5.543	2.960
28.	उत्तर प्रदेश	63.000	128.000	57.457	125.040
29.	पश्चिम बंगाल	44.140	47.300	46.216	49.524
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	0.300	0.140	0.301	0.140

1	2	3	4	5	6
31.	चंडीगढ़	0.040	0.320	0.040	0.319
32.	दादर और नगर हवेली	0.240	0.060	0.256	0.064
33.	दमन और द्वीव	0.040	0.020	0.053	0.027
34.	लक्षद्वीप**	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पांडिचेरी	1.300	0.000	1.672	0.000
	जोड़	660.500	524.480	686.540	538.503

(*) इन राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन केवल दिसम्बर, 2000 से शुरू नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

आयकर विवरणी जमा किया जाना

***586. श्री अधीर चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयकर विवरणी जमा करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है:

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयकर अधिकारियों ने उन लोगों के विरुद्ध ''कारण बताओ नोटिस'' जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिन्होंने कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 के लिए अब तक अपनी आयकर विवरणी जमा नहीं कराई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के महानगरों में उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने अपनी आयकर विवरणी जमा नहीं की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) 28.2.2001 की स्थिति के अनुसार देश में 2.39 करोड़ करदाता थे। वित्त वर्ष 1995-96 के अंत में 1.17 करोड़ कर निर्धारितियों की संख्या पिछले पांच वर्षों में दुगनी से अधिक हो गई है। सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों, जिनमें छः में से एक योजना शामिल है, को शुरू करने से ऐसा हुआ है।

निम्नलिखित कारकों पर ध्यान देते हुए करदाताओं की संख्या कम नहीं है:-

(1) बचतों को प्रोत्साहित करने और कतिपय कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक छूटों/ कटौतियों की अनुमति दी गई हैं और इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष 50,000/- रु. की मूल छूट सीमा से अधिक आय वाले व्यक्तियों को भी किसी आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

(2) जनसंख्या की अधिकांश प्रतिशतता कृषि में लगी हुई है, जो कराधेय नहीं है।

(ग) और (घ) आयकर अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत, भिन्न-भिन्न श्रेणियों के कर-निर्धारितियों को अपनी आयकर विवरणियां भिन्न-भिन्न तारीखों तक दायर करनी होती है और कर-निर्धारण वर्ष 2000-2001 के लिए अंतिम तारीख 30 नवम्बर, 2000 है। तथापि, कर-निर्धारिती कर-निर्धारण वर्ष 2000-2001 के लिए विलंबित आयकर विवरणियां 31 मार्च, 2002 तक दायर कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में सामान्यतया ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कदम नहीं उठाये जाते हैं, जिन्होंने कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 के लिए अपनी विवरणियां वित्त वर्ष की समाप्ति तक दायर नहीं की हैं।

तथापि, मुख्य आयकर आयुक्तों को निर्देश जारी किये गये हैं कि वे उन व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी आयकर विवरणियां दायर नहीं की हैं, तथा जिन्होंने अपनी विवरणियां दायर करनी बन्द कर दी हैं, की शिनाख्त करें और यथावश्यक उचित उपाय करें। वस्तुतः चयनित बड़े मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

(ङ) ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने महानगरों में अपनी आय की विवरणियां दायर नहीं की हैं के लिए प्रक्रियाएं उसी किस्म की हैं जैसाकि शेष भारत में हैं। ऐसे आय की विवरणियां दायर नहीं करने वाले व्यक्तियों को अपनी कर विवरणियां दायर करने का अनुरोध करते हुए कानूनी नोटिस जारी किये जाते हैं। चूककर्त्ताओं के कुछ बड़े मामलों में अभियोजन संबंधी कार्रवाईयां भी शुरू की जाती हैं।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

***589. श्री रघुनाथ झा :** क्या **वित्त मंत्री** 22 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5317 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2000-2001 में जारी किए गए व्यापक दिशा-निर्देशों के बावजूद सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लगातार हो रही धोखाधड़ी के मामलों के क्या कारण हैं;

(ख) माधवपुरा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक द्वारा बिलों का भुगतान किये जाने की भारतीय रिजर्व बैंक को जानकारी न होने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप भारी प्रतिभूति घोटाला हुआ; और

(ग) गैर-सरकारी/सरकारी/सहकारी बैंकों द्वारा अपनी बैंकों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों के विरुद्ध निरंतर धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी मदों में ये बातें शामिल हैं - बैंकिंग कारोबार का बड़े पैमाने पर विस्तार/विविधीकरण जिससे इसकी विभिन्न सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आती है और बैंकों में कमजोर नियंत्रण और पर्यवेक्षी तंत्र, बैंकों के ग्राहकों द्वारा विश्वास भंग, लेखा बहियों के मिलान में बकाया और अन्तर-शाखा लेखे का समाधान न होना, पुलिस/सीबीआई द्वारा जांच में देरी, लम्बी कानूनी प्रक्रियाओं के कारण दंडात्मक कार्रवाई में देरी जो धोखेबाजों का मनोबल बढ़ाते हैं, परिवर्तित सामाजिक नीति शास्त्र और सामाजिक मूल्यों में ह्रास।

(ख) माधवपुरा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि. (एम.एम.सी.बी.एल.) की अनियमितताएं बिलों की भुनाई से संबंधित नहीं है। माधवपुरा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि. ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों की अवहेलना करते हुए शेयर और स्टाक ब्रोकरों का बड़े पैमाने पर वित्त पोषण किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति की सितम्बर/अक्टूबर, 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच के पश्चात बड़े पैमाने पर अनियमतताएं की गई थीं।

(ग) माधवपुरा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि. के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक, इसके अध्यक्ष और साथ ही इसके प्रबंध निदेशक के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक को गलत विवरण देने के लिए 14 मार्च, 2001 को बैंककारी विनियमन अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत मुख्य मेट्रोपालिटन मैजिस्ट्रेट, अहमदाबाद के न्यायालय में एक आपराधिक शिकायत दायर किया है। बैंक आफ इंडिया ने सी.बी.आई., मुम्बई के पास शिकायत दर्ज कराई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि केतन पारीख के कम्पनी समूह द्वारा प्रस्तुत किए गए 137 करोड़ रुपए के माधवपुरा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि. के तेरह पे-आर्डरों, जिसे बैंक आफ इंडिया की स्टाक एक्सचेंज शाखा द्वारा खरीदा/भुनाया गया था तथा क्लियरिंग के लिए भेजा गया था, भुगतान किए बगैर लौटा दिया गया था क्योंकि माधवपुरा मर्केन्टाईल कोआपरेटिव बैंक लि. ने इस क्लियरिंग में भागीदारी नहीं की। यह राशि इन कंपनियों द्वारा निकाल ली गई थी। बैंक आफ इंडिया ने अपनी स्टाक एक्सचेंज शाखा के सहायक महाप्रबंधक तथा उप प्रबंधक को निलंबित कर दिया है। सी.बी.आई. ने श्री केतन पारीख और माधवपुरा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि. के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है।

[हिन्दी]

व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट

***590. श्री रामजी लाल सुमन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फालतू कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के संबंध में व्यय सुधार आयोग के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फालतू कर्मचारियों की उपयुक्त तैनाती का निर्णय लिया है जिससे उन्हें संबंधित संस्थानों के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक मंत्रालय-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उठाए गए इन कदमों के परिणामस्वरूप संस्थान के आर्थिक लाभ और उपयोगिता में वृद्धि के संबंध में क्या आकलन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) वर्ष 2001-2002 के अपने बजटीय अभिभाषण में अन्य बातों के साथ-साथ वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि सरप्लस स्टाफ को पुनर्प्रशिक्षित करने तथा पुनर्नियुक्त करने के लिए कार्मिक विभाग के अंतर्गत सरप्लस पूल को तत्पर और सुसज्जित किया जाएगा। सरप्लस पूल में कर्मचारियों को अलग से एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम पैकेज भी मुहैया कराए जाएंगे। सरप्लस पूल में कर्मचारियों को प्रस्तुत की जाने वाली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम तैयार किए जाने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बैंक ऋण चूककर्ता

***591. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक की अनप्रयोज्य आस्तियों की कुल राशि कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा अनप्रयोज्य आस्तियों की बैंकवार अलग-अलग कितनी राशि वसूली गई और कितनी राशि बट्टे खाते डाली गई;

(ग) क्या कुछ बैंक ऋण चूककर्ता कंपनियां/व्यक्ति ऋण चुकाने के मामले में खराब रिकार्ड होने के बावजूद अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अभी भी ऋण प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल संकल अनुपयोज्य आस्तियों की अनुमानित राशि 28 फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार 52806 करोड़ रुपए थी। इस संबंध में बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र में बैंकों द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली की राशि तथा समझौता/बट्टे खाते डाली गई राशि भी अनुबंध में दी गई है।

(ग) और (घ) ऋण प्रदान करने संबंधी वाणिज्यिक निर्णय लेते समय बैंक आमतौर पर बाजार में छानबीन करते हैं, उधारकर्ताओं के लेखा परीक्षित तुलनपत्रों/वित्तीय स्थितियों की संवीक्षा करते हैं, उधारकर्ताओं की विद्यमान उधार व्यवस्थाओं के बारे में अन्य बैंकरों से रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक करोड़ रुपए या उससे अधिक की राशि के मुकदमा दायर खातों वाले चूककर्ताओं और जानबूझकर चूक करने वालों के बारे में आंकड़े के प्रसार से भी ऋण निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी समूह की किसी कम्पनी को ऋण सुविधा प्रदान करते समय अत्यधिक सतर्क रहें जबकि उस समूह में किसी अन्य बैंक के चूक करने वाले हों। ऋण आसूचना ब्यूरो का गठन किया जा रहा है जो ऋण संस्थाओं के उधारकर्ताओं के बारे में ऋण से संबंधित जानकारी एकत्र, संसाधित और प्रसारित करेंगे।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	28.2.2001 की स्थिति के अनुसार कुल एन.पी.ए.	एन.पी.ए. की वसूलियां					
			1997-98		1998-99		1999-2000	
			वसूली	समझौता/ बट्टे खाते	वसूली	समझौता/ बट्टे खाते	वसूली	समझौता/ बट्टे खाते
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भारतीय स्टेट बैंक	14730	1153.00	667.00	902.33	426.51	1219.71	515.24
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	727	62.55	59.66	53.69	29.06	39.96	37.84
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	904	155.00	117.52	169.19	177.59	92.28	142.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	346	42.20	24.52	36.03	39.12	55.68	52.25
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	562	39.63	26.15	42.44	37.64	75.43	90.52
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	699	13.90	91.78	31.31	10.63	42.45	115.28
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	529	35.06	18.69	40.48	20.46	56.55	50.12
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	831	60.28	39.13	49.43	116.41	197.59	79.68
9.	इलाहाबाद बैंक	1637	62.48	115.78	80.68	129.86	87.09	137.35
10.	आन्ध्रा बैंक	417	28.20	81.44	21.16	25.33	32.56	61.32
11.	बैंक आफ बड़ौदा	4100	416.00	419.00	456.00	22.00	391.34	109.27
12.	बैंक आफ इंडिया	3467	388.00	310.00	261.00	299.00	323.00	415.00
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	826	68.70	128.37	73.63	124.45	92.36	72.85
14.	केनरा बैंक	2344	426.00	156.00	383.66	202.96	486.05	336.08
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2831	162.00	147.00	234.48	244.80	209.26	103.58
16.	कार्पोरेशन बैंक	455	38.69	21.56	33.63	3.99	34.17	2.07
17.	देना बैंक	1803	85.00	67.00	104.51	74.41	101.01	134.37
18.	इंडियन बैंक	2600	159.04	23.37	62.23	69.19	267.38	399.25
19.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	1524	160.00	268.00	108.00	74.00	157.00	43.00
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	700	64.90	61.08	71.87	80.39	71.74	103.88
21.	पंजाब एंड सिंध बैंक	944	63.90	97.28	64.95	122.09	58.01	2.91
22.	पंजाब नैशनल बैंक	3239	226.00	386.00	245.19	237.09	280.37	187.91
23.	सिंडिकेट बैंक	1183	161.44	102.24	135.87	75.73	144.94	118.35
24.	यूको बैंक	1517	180.66	176.33	149.44	163.85	191.92	129.14
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2000	167.49	16.47	204.05	63.63	165.23	20.75
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1325	75.00	12.00	84.17	7.96	52.00	100.00
27.	विजया बैंक	566	60.45	28.17	50.60	65.53	51.68	96.97
	कुल	52806	4555.57	3661.54	4150.02	2943.68	4976.76	3657.79

फिल्मी हस्तियों पर बकाया आयकर

*592. **प्रो. दुखा भगत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन फिल्म अभिनेताओं, निर्माताओं और निर्देशकों के नाम क्या हैं जिन पर 30 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार दस लाख रुपए से अधिक का आयकर बकाया है;

(ख) कर वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) आयकर की शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) दिनांक 30 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार देय आयकर के बकायों का ब्यौरा आज की तिथि में उपलब्ध नहीं है। तथापि उन फिल्म कलाकारों, निर्माताओं तथा निर्देशकों के नाम संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं जिनके विरुद्ध दिनांक 31.12.2000 को 10 लाख रुपए से अधिक आयकर का बकाया है।

(ख) अधिकांश बकाया मांग, अपीलों में विवादित मुद्दों से संबंधित है। कुछ मांगों पर न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकरणों/विभागीय प्राधिकारियों द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। कुछ ऐसे ही मामले हैं जिनमें वसूली करना कठिन है।

(ग) कर की वसूली एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न सांविधिक उपबंधों का प्रयोग सन्निहित होता है। इनमें ब्याज लगाना, अर्थदंड लगाना, बैंक खातों की कुर्की, चल एवं अचल परिसंपत्तियों की कुर्की एवं बिक्री आदि शामिल है। उच्चाधिकारियों द्वारा अधिक मांग वाले मामलों की नियमित आधार पर आवधिक पुनरीक्षा तथा निगरानी की जाती है तथा करों की वसूली के लिए समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	नाम
1	2
1.	बसन्त कुमार पाटिल
2.	देव वर्मा उर्फ (श्रीमती) मुनमुन सेन (श्रीमती)
3.	ए. कोतान्दरमैया
4.	ए.एम. रत्नम्
5.	ए. रमकी
6.	ए.एस. इब्राहीम रॉयर
7.	ए. श्रीदेवी (श्रीमती)
8.	ए. विजयकान्त
9.	अर्जुन
10.	बी.एस. रंगा
11.	एफ.जे. इरानी
12.	जी. गोपाल राव
13.	जी. हनुमन्ताराव
14.	जी. सुब्रामणियम उर्फ मणिरत्नम्
15.	जी. वेंकटेश्वरन्
16.	के. बालाजी
17.	के. बाला सुब्रमणियम
18.	के. गौंडामणि
19.	खुशबू उर्फ नखत खान (सुश्री)
20.	मुरली विट्टल (धनकर)
21.	मुरली कान्तन
22.	नागूर बाबू
23.	पी. लोगानाथन विट्टल (धनकर)
24.	पी.पी. कन्नैया
25.	पी.पी. कन्नैया (धनकर)
26.	पी. सौन्दर्या (सुश्री)
27.	पी. गुरू विट्टल (धनकर)
28.	पी. मोहन विट्टल (धनकर)
29.	पिरामीड फिल्मस इन्टरनेशनल
30.	आर.वी. चौधरी
31.	आर. जयाप्रदा (धनकर)
32.	आर. राजबाबू
33.	आर सरत कुमार
34.	आर. विजय रामचन्द्रन

1	2
35.	एस. गोपाल रेड्डी
36.	एस. कमल हसन
37.	एस. प्रभुदेवा
38.	एस. प्रियदर्शन
39.	एस.टी. सेलवम
40.	एस. विजय शान्ति (श्रीमती)
41.	वी. आदिनारायण रेड्डी
42.	वी.सी. गणेशन
43.	वी. दोरास्वामी राजू
44.	फ्रान्सिस जोसेफ
45.	पी.डी. अब्राहम इलियास
46.	गुलशन कुमार
47.	कृष्ण कुमार
48.	अभिताभ बच्चन
49.	जया बच्चन (श्रीमती)
50.	अशोक घई
51.	महेश भट्ट
52.	मुकेश भट्ट
53.	नन्द कुमार तोलानी
54.	प्रेम वी सेट्टी (श्रीमती)
55.	शारूख खान
56.	सुभाष घई
57.	वीरू देवगन
58.	वीरप्टा सेट्टी
59.	पी. रामगोपाल वर्मा
60.	अब्बु मलिक
61.	अजय सिंह देवल
62.	अकबर अली खान
63.	अमित कुमार गांगुली
64.	आनन्द एन. हिन्दुजा

1	2
65.	बरखा राय
66.	डेन्नी एस. देसाई
67.	धर्मानन्द जे. जोशी
68.	फारूख अहमद ए. फारूकी
69.	गौतम बेरी
70.	गुलाब एम गुलबानी
71.	कानभाई चौहान
72.	किशोर कुमार गांगुली
73.	एल.आर. मिरचन्दानी
74.	एम.सी. बोकाडिया
75.	मुकेश दुग्गल
76.	नन्दिनी जे. रावत
77.	नरेश चन्द्र वर्मा (धनकर)
78.	ओ.पी. रल्हन
79.	पलहाज निहलाणी
80.	प्राण सिकन्द
81.	प्रकाश मेहरा
82.	प्रमोद चक्रवर्ती
83.	राजन आर. सिप्पी
84.	राजेश खन्ना
85.	रामानन्द सागर
86.	रणबीर राजकपूर
87.	रणजीत बेदी
88.	रोमेश शर्मा
89.	सतराम रोहरा
90.	सावन कुमार टाक
91.	शेखर सुमन
92.	सुनील दर्शन
93.	सुयश (चंकी) पांडेय
94.	यशराज चोपड़ा

[अनुवाद]

म्यूचुअल फंड

*593. **श्री किरीट सोमैया :**
श्री सुलतान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महालेखाकार, केरल और उप-महालेखाकार, मुंबई द्वारा तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक जमा और लघु बचतों पर ब्याज दरों में कटौती के मद्देनजर निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु म्यूचुअल फंडों के कार्यकरण पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यूनिट धारकों को लाभांश कर से छूट देने की सरकार की कर नीति के परिणामस्वरूप म्यूचुअल फंडों द्वारा 1999-2000 और 2000-2001 में कुल कितनी धनराशि जुटाई गई;

(ङ) क्या पिछले वर्ष के दौरान 37 म्यूचुअल फंडों में से 28 म्यूचुअल फंड गैर-सरकारी क्षेत्र में थे और उनमें से कुछ ने स्वयं को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में पंजीकृत नहीं कराया है; और

(च) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के मद्देनजर सरकार द्वारा लघु निवेशकों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट डा. ए.के. बनर्जी, महालेखाकार, केरल और सुश्री संगीता चौरी, वरिष्ठ उप-महालेखाकार, महाराष्ट्र द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से नई दिल्ली में आयोजित एक संगोष्ठी के लिए प्रस्तुत एक शैक्षणिक दस्तावेज के रूप में थी। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि बैंक जमाओं और अल्प बचतों पर ब्याज दरों में कटौती को देखते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिजर्व बैंक को म्यूचुअल फंडों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) की कार्य प्रणालियों की गहन मानिटरिंग करनी चाहिए, जिससे उनके विचार में म्यूचुअल फंडों तथा एन.बी.एफ.सी. में और अधिक निवेश होगा।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) जैसे विनियामक निकायों और सरकार के बीच समन्वय के लिए उच्च स्तरीय वित्तीय एवं पूंजी बाजार समन्वय समिति, जिसके अध्यक्ष आर.बी.आई. के गवर्नर हैं, के रूप में पहले से ही एक कार्य तंत्र स्थापित किया गया है।

(घ) म्यूचुअल फंडों द्वारा जुटाये गए संसाधनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	निधियां जुटाना (करोड़ रुपए)	
	सकल	निवल-प्राप्ति*
1999-2000	61241.23	18969.88
2000-2001	92957.39	9128.07

*पुनर्खरीद एवं मोचन हेतु समायोजन के बाद

म्यूचुअल फंडों द्वारा निधियां जुटाने का कार्य कर-रियायतों के अलावा अनेक बातों पर निर्भर करता है जिनमें शेयर बाजारों का रूख, ब्याज दर संरचना आदि शामिल हैं।

(ङ) ''सेबी'' ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अंत में 37 म्यूचुअल फंड्स थे जिनमें से 28 निजी क्षेत्र में थे। वे सभी सेबी में पंजीकृत थे।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व रक्षा मंत्री का दूरदर्शन पर भाषण

*594. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रिपरिषद से श्री जार्ज फर्नांडीस के त्यागपत्र के बाद दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम सम्बोधन करने का किसी मंत्री या भूतपूर्व मंत्री द्वारा यह पहला उदाहरण था;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन पर ऐसा राजनीतिक दोषारोपण करने वाले भाषण की अनुमति न देने का सरकार को प्रारम्भ में सुझाव दिया गया था; और

(ग) उक्त तरीके से सरकारी प्रचार तंत्र का उपयोग करने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) प्रसार भारती ने बताया है कि जब श्री जार्ज फर्नांडीस ने

दूरदर्शन पर वक्तव्य दिया था तो उस समय भी वे रक्षा मंत्री थे। इसके अलावा, प्रसार भारती को कार्यक्रमों के चयन तथा प्रसारण के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और सरकार कार्यक्रम संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। उक्त वक्तव्य को इसकी विशेष प्रकृति और समाचारिक महत्व के कारण प्रसारित किया गया था।

निर्यातको के लिए ग्रीन कार्ड

***595. श्री के. येरननायडू** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन निर्यातकों को ''ग्रीन कार्ड'' जारी कर रही है जो अपने कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत निर्यात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्ड की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ऐसा कब से किया जा रहा है; और

(ग) ऐसे निर्यातकों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें ऐसे कार्ड जारी किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) ग्रीन कार्ड, निर्यात घरानों/व्यापार घरानों/स्टार व्यापार घरानों/सुपर स्टार घरानों और उन विनिर्माता निर्यातकों को जारी किया जाता है जो अपने उत्पादन का 50% से अधिक का निर्यात कर रहे हैं बशर्ते कि उनका पिछला वर्ष में न्यूनतम कारोबार 1 करोड़ रु. रहा हो और ऐसे सेवा प्रदायकों को जारी किया जाता है जो अपने सेवा कारोबार के 50% से अधिक के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा में सेवाएं प्रदान करते हों बशर्ते कि उन्होंने पिछले वर्ष में मुक्त विदेशी मुद्रा में कम से कम 35 लाख रु. की सेवा प्रदान की हो।

(ख) यह योजना 1.4.2000 से प्रभावी है। ग्रीन कार्ड धारक डी.जी.एफ.टी. के कार्यालयों से स्वत: लाइसैंस सुविधा पाने और पिछले तीन वर्षों में अपनी औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 5% की सीमा तक अपने निर्यात की बकाया रकम को बट्टे खाते में डालने की सरलीकृत सुविधा के पात्र हैं।

(ग) राज्यवार ग्रीन कार्ड धारकों के संबंध में सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी किए गए ग्रीन कार्डों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	0
5.	बिहार/झारखंड	0
6.	चंडीगढ़	2
7.	दिल्ली	81
8.	दमन, दियू, दादर एंड नागर हवेली	0
9.	गोवा	5
10.	गुजरात	54
11.	हरियाणा	18
12.	हिमाचल प्रदेश	2
13.	जम्मू और कश्मीर	2
14.	कर्नाटक	38
15.	केरल	38
16.	लक्षद्वीप	0
17.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	3
18.	महाराष्ट्र	196
19.	मणिपुर	0
20.	मेघालय	0
21.	मिजोरम	0
22.	नागालैंड	0
23.	उड़ीसा	3
24.	पांडिचेरी	0
25.	पंजाब	61

1	2	3
26.	राजस्थान	15
27.	सिक्किम	0
28.	तमिलनाडु	340
29.	त्रिपुरा	0
30.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	56
31.	प. बंगाल	49

अपारम्परिक मदों का निर्यात

*596. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात की जाने वाली अपारम्परिक मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अपारम्परिक मदों के निर्यात संबंधी कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपारम्परिक मदों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता से उपलब्ध अलग-अलग आंकड़ों के अनुसार, निर्यात के लिए कुछ गैर-परम्परागत मदों, अर्थात् उन विनिर्मित मदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जो अविनिर्मित मदों से भिन्न हैं:-

गैर-परम्परागत मदें	मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में % वृद्धि			
	1997-98	1998-99	1999-2000	अप्रैल-दिस. 2000-2001	1997-98	1998-99	1999-2000	अप्रैल-दिस. 2000-2001
रत्न एवं आभूषण	5345.52	5929.35	7636.04	5372.39	12.5	10.9	28.8	5.04
समुद्री उत्पाद	1207.3	1038.4	1180.11	1085.15	6.9	-14	13.6	19.66
रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	4551.1	4164.8	4734.63	4370.13	10.9	-8.5	13.7	20.35
इंजीनियरिंग सामान	4435.3	3804.8	4372.55	4136.16	9.4	-14.2	14.9	26.03
इलैक्ट्रानिक सामान	819.24	587.61	574.1	734.88	-4.2	-28.3	-2.3	41.99
परियोजना सामान	81.64	71.48	15.73	5.22	55.1	-12.4	-78	-86.1
खेल-कूद सामान	80.76	73.23	64.5	50.13	3.5	-9.3	-11.9	-3.98
पुष्पोत्पाद	23.34	25.19	20.91	17.36	30.7	7.9	-17.0	-12.14

(ग) निर्यात संवर्धन करना सरकार का एक सतत् प्रयास होने के नाते निर्यात में और बढ़ोत्तरी करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं-क्रियाविधियों का सरलीकरण, और एग्जिम नीति में यथानिर्दिष्ट विभिन्न अन्य उपाय। निर्यात में आगे और वृद्धि करने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा नई एग्जिम नीति 2001-2002 में घोषित उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-कृषि निर्यात बढ़ाना, बाजार पहुंच संबंधी पहल, व्यापार-सह-सुविधा केन्द्र तथा व्यापार पोर्टल की स्थापना करना, अग्रिम लाइसेंसिंग योजना को सुदृढ़ करना, शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र, शुल्क हकदारी पासबुक योजना, इत्यादि जिनसे गैर-परम्परागत मदों का निर्यात सुकर बनेगा।

भारतीय चाय उद्योग

*597. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चाय क्षेत्र में श्रीलंका जैसे नए निर्यातक उभरने से हमारा निर्यात किस हद तक प्रभावित हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक नीति बनाई है कि भारतीय चाय की स्थायी विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनी रहे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) भारत से होने वाला चाय का निर्यात श्रीलंका, केन्या, इंडोनेशिया और चीन जैसे अन्य उत्पादक एवं निर्यातक देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने की वजह से प्रभावित हुआ है। भारतीय चाय निर्यात को परम्परागत चाय के बारे में श्रीलंका और इंडोनेशिया से तथा सी.टी.सी. चाय के बारे में केन्या से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका ने रूस, सी.आई.एस. देशों और वाना क्षेत्र में अपने निर्यातों के हिस्से में वृद्धि कर ली है जो भारतीय चाय के लिए परम्परागत बाजार हैं। केन्या ने यू.के. को अपने निर्यात के हिस्से में वृद्धि की है जो 70 के दशक तक भारतीय चाय के लिए परम्परागत और एक महत्वपूर्ण बाजार था। चीन हरी चाय के निर्यात में भारत का प्रतियोगी है।

(ख) और (ग) जी, हां। चाय बोर्ड ने अगले पांच वर्षों के दौरान चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए एक विस्तृत संकेतात्मक मध्यावधि निर्यात कार्यनीति तैयार की है। संक्षेप में, इस कार्य नीति में बेहतर गुणवत्ता चाय के रूप में भारतीय चाय के लिए उपभोक्ता में जागरुकता पैदा करना, गुणवत्ता सुधारना, सी.टी.सी. उत्पादन के बजाए परम्परागत किस्म का उत्पादन करना, विश्व मानकों को पूरा करने के लिए पैकेजिंग मानकों में सुधार लाना, मूल्यवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रमुख उत्पादों का पता लगाना जैसे स्वाद वाली चाय, जड़ी बूटी युक्त चाय, चाय के पैकेट, सुविधाजनक चाय थैलियां, जैसे चाय पीने के लिए तैयार चाय, विशिष्ट चाय जैसे कार्बनिक काली चाय, हरी चाय और बॉयोडाइनेमिक चाय आदि की व्यवस्था है। इस कार्यनीति में प्रमुख एवं उभरते बाजारों की पहचान करने, सी.आई.एस./रूस में मात्रा में वृद्धि करने, फ्रांस में बढ़ते चाय बाजार को लक्षित करने, ध्यान देने योग्य बाजारों में संवर्धनात्मक अभियान चलाने, भारतीय मूल की चाय के लिए विधायी सुरक्षा प्रदान करने, अधिक प्रभाव वाले मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है।

(घ) इस बारे में तत्काल किए गए उपायों में शामिल हैं: रुसी परिसंघ को होने वाले चाय के निर्यात के बारे में गुणवत्ता आश्वासन पर एक स्वैच्छिक योजना बनाना, दक्षिण भारत में उत्पादित चाय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम, मई 2001 में रुसी चाय एवं कॉफी एसोसिएशन (रोस्वाई) से शिष्टमंडल का स्वागत करना। सरकार/चाय बोर्ड द्वारा किए जा रहे अन्य उपायों में शामिल हैं - महत्वपूर्ण उपभोक्ता एवं खाद्य/पेयजल मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकों में मीडिया प्रचार, भारतीय चाय ब्रांडों के संवर्धन एवं विपणन में भारतीय निर्यातकों/विदेशी आयातकों को संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना, विशिष्ट भण्डारों/प्रमुख बाजारों में चाय के नमूने मुहैया कराना, भारत और महत्वपूर्ण चाय आयातक देशों के बीच चाय शिष्टमंडलों का आदान प्रदान करना आदि। इसके अलावा, वैश्विक आधार पर एक दीर्घावधि योजना विकसित करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए चाय बोर्ड ने एक व्यावसायिक विपणन परामर्शदाता को नियुक्ति करने का निर्णय किया है।

विदेशी मुद्रा भंडार में कमी

***598. श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 अप्रैल, 2001 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इतनी तीव्र गिरावट के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यूनतम विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) दिनांक 1 अप्रैल, 2001 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार 23 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार [स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार एस.डी.आर. सहित] 198 मिलियन अमरीकी डालर गिरकर 42.00 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। प्रारक्षित भण्डार में यह गिरावट अस्थाई थी। वास्तव में, भारत का

विदेशी मुद्रा भंडार मार्च, 2000 के अंत में 38.04 बिलियन अमरीकी डालर से 2000-01 के दौरान 4.24 बिलि. अमरीकी डालर बढ़कर मार्च, 2001 के अंत में 42.28 बिलियन अमरीकी डालर हो गया और बाद में इस में 440 मिलि. अमरीकी डालर की और अधिक वृद्धि होने से 12 अप्रैल, 2001 को यह 42.72 बिलि. अमरीकी डालर हो गया। विदशी मुद्रा भंडारों में साप्ताहिक उतार-चढ़ाव, सामान्यत: भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी, दोनों खातों पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों के कारण उत्पन्न मुद्रा के अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह से विदेशी मुद्रा बाजार में मांग एवं आपूर्ति के अंतर को परिलक्षित करता है।

(ग) और (घ) जरूरी आयातों की आवश्यकताओं, ऋण शोधन, भुगतानों और अन्य अप्रत्याशित आकस्मिकताओं सहित अल्पावधिक देयताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का स्तर इस समय सन्तोषजनक है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) भुगतान संतुलन और देश व विदेश में वित्तीय बाजारों के घटनाक्रम की गहन मानीटरिंग करते हैं तथा निर्यात और प्रेषणों सहित अदृश्य प्राप्तियों को बढ़ाने, पूंजी के अंतर्प्रवाह, विशेषकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों में वृद्धि करने तथा विदेशी मुद्रा बाजार में सुव्यवस्थित स्थितियों को बनाए रखने के लिए समय-समय पर यथा आवश्यक उपाय करते हैं।

निर्यात ऋण

***599. श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निर्यात ऋण पर ब्याज दर घटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य विकसित/विकासशील देशों के निर्यात ऋण की ब्याज दर का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) निर्यात ऋण संबंधी ब्याज दरों में परिवर्तन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अप्रैल, 2001 को घोषित वर्ष 2001-02 की अपनी मौद्रिक एवं ऋण नीति में, अधिकतम दरें निर्धारित करके रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर संरचना में परिवर्तन किया है। ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

निर्यात ऋण संबंधी वर्तमान और संशोधित ब्याज दरें

श्रेणी	वर्तमान	संशोधित (5 मई, 2001 से)
लदान-पूर्व ऋण		
(क) 180 दिनों तक	10.00 प्रतिशत	मूल उधार दर (पी.एल.आर.) में 1.5 प्रतिशत बिन्दु घटा कर उससे अधिक नहीं
(ख) 180 दिनों के बाद और 270 दिनों तक	13.0 प्रतिशत	पी.एल.आर. में 1.5 प्रतिशत बिन्दु जोड़कर उससे अधिक नहीं
लदान-पश्च ऋण		
(क) परिवहन अवधि (भारतीय विदेशी मुद्रा विक्रेता संघ (एफ.ई.डी.ए.आई.) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट) के लिए मांग बिलों पर	10.00 प्रतिशत से अधिक नहीं।	पी.एल.आर. में 1.5 प्रतिशत बिन्दु घटाकर उससे अधिक नहीं
(ख) मियादी बिल		
(1) 90 दिनों तक	10.0 प्रतिशत से अधिक नहीं	पी.एल.आर. में 1.5 प्रतिशत बिन्दु घटाकर उससे अधिक नहीं।
(2) लदान की तारीख से 90 दिनों के बाद और 6 माह तक	12.0 प्रतिशत	पी.एल.आर. में 1.5 प्रतिशत बिन्दु जोड़कर उससे अधिक नहीं।

(ग) और (घ) निर्यात ऋण पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज दरों की तुलना में घरेलू ब्याज दरों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को ध्यान में रखता है। इस समय, भारतीय बाजार में अमरीकी डालर के लिए वायदा प्रीमियम छह माह के लिए लगभग 4.5 प्रतिशत है। इस प्रकार, एक निर्यातक 8.5 से 9.0 प्रतिशत ब्याज दर पर रुपया निर्यात ऋण प्राप्त करके वायदा बाजार में अनुमानित निर्यात अर्जनों का विक्रय कर सकता है जिससे ब्याज लागत कारगर रूप से घटकर लगभग 4.0 से 4.5 प्रतिशत हो जाएगी जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से काफी प्रतिस्पर्धात्मक है।

[हिन्दी]

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

***600. श्री राजो सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योगों में निवेश की गति धीमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चालू पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में भारतीय उद्योग में कितना निवेश किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा निवेश की गति बढ़ाने और देश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण के सृजन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि में विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति व निर्माण का उपयोग करने वाले उद्योगों द्वारा सकल पूंजी निष्पादन संबंधी सूचना तथा विगत वर्षों की उसी अवधि की तुलना में प्रतिशतता के रूप में हुई वृद्धि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(रुपये करोड़ में)

1993-94 की कीमतों पर

वर्ष	सकल पूंजी निष्पादन	प्रतिशतता के रूप में हुई वृद्धि/कमी
1997-98	146620	1.8
1998-99	134199	(-)8.5
1999-2000	139044	3.6

वर्ष 1998-99 की अवधि के दौरान निवेश में आई कमी के कारकों में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कारक शामिल हैं-

पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा के तीव्र अवमूल्यन से भारतीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में वास्तविक निवेश की धीमी शुरुआत, पूंजी बाजार (प्राथमिक तथा द्वितीयक) में लगातार मंदी के कारण धन की अपर्याप्तता, अवस्थापनारक बाधाओं का बने रहना, आदि।

(ग) सरकार ने देश में निवेश की गति को तेज करने के लिए निम्नलिखित उपायों की शुरूआत की है:-

- कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के मामले में मूल सीमा शुल्क घटा दिया गया है।
- उत्पाद शुल्क को सेनवेट की एक दर और एस.ई.डी. की एक दर के साथ युक्तियुक्त बना दिया गया है।
- वस्त्र आधुनिकीकरण की गति बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अधीन बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की गयी है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी बढ़ाने और ऋण दर की लागत को कम करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात और बैंक दर में कमी कर दी है।
- नयी निर्यात-आयात नीति में, आयातों की तुलना में घरेलू उत्पादकों को समान कारोबार का क्षेत्र (लेवल प्लेइंग फील्ड) सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया है।
- उद्योग के लिए संचालन के माहौल में सुधार लाने हेतु उपयुक्त वैधानिक परिवर्तन करने के भी प्रस्ताव किए गए हैं।

[अनुवाद]

अंत्योदय योजना

6048. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरी नहीं हुई है:

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) चयन प्रक्रिया पूरी न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत राज्यों में सभी पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लाभभोगियों की पहचान करने और अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने का काम पूरा कर लेने के पश्चात् किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे अंत्योदय अन्न योजना के अधीन प्रत्येक राज्य के लिए दी गई गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या में से अंत्योदय परिवारों की पहचान करें और लाभभोगियों को अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करें।

यह योजना मार्च, 2001 के दौरान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादर व नगर हवेली तथा अप्रैल, 2000 से मिजोरम, पंजाब और दमन तथा दीव राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की गई है। अंत्योदय परिवारों की पहचान करने और उन्हें अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया देश के अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्ण होने की अग्रिम अवस्था में है।

(घ) अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिए गए हैं। इस योजना के अधीन राज्यों में से सभी पात्र परिवारों को कवर करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में किसी पंचायत के लिए ग्राम सभा की बैठक में अंत्योदय परिवारों की सूची को अंतिम रूप दें। पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम सभा की बैठक में अंतिम रूप दिए गए अंत्योदय परिवारों की सूची को जिला कलक्टर के पर्यवेक्षण के अधीन ब्लाक और जिला स्तर पर समेकित किया जाना है। शहरी क्षेत्रों में यह कार्य शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करके किया जाना है।

सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

6049. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों को सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की संभाव्यता की जांच करने के लिए आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये संयुक्त उद्यम निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में होंगे;

(ग) किन-किन विदेशी कम्पनियों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और उनके द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) सरकार द्वारा इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ङ) वर्तमान क्षमता की तुलना में इससे सीमेंट का उत्पादन किस सीमा तक बढ़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ङ) सीमेंट विनिर्माता संघ ने वर्ष 2001-2002 के दौरान 7-8% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

विवरण

(I) वित्तीय सहयोग

क्र.सं.	विदेशी कंपनी का नाम	भारतीय कंपनी का नाम	अनुमोदन की तारीख	इक्विटी	
				राशि (लाख रुपये में)	शेयर (%)
1	2	3	4	5	6
1.	बंगाल टाईगर सीमेंट इण्डस्ट्रीज, बंगलादेश	नरपुर सीमेंट्स लिमिटेड, मेघालय	30.9.97	600	50
2.	स्पर्टा मेनेजमेंट इंक ग्रैण्ड केमैन	रतना सीमेंट्स (यादवाद), लि., हैदराबाद	26.9.96	869	42.44

1	2	3	4	5	6
3.	एफ.एल. समिदथ एण्ड कं.ए./एस डेनमार्क	श्री सीमेंट लिमिटेड, कलकत्ता	28.4.92	625	17.86
4.	एफ.एल. समिदथ एण्ड कं.एएस, डेनमार्क	एलपान सीमेंट लिमिटेड, बम्बई	16.11.93	2520	6
5.	दि इंडस्ट्रीलाइजेशन फंड फॉर डी (आई.एफ.यू.) डेनमार्क	डी.एल.एफ. सीमेंट लिमिटेड (अब अंबूजा सीमेंट, (राजस्थान), लिमिटेड) पाली	13.5.94	1843	12.20
6.	एफ.एल. समिदथ एण्ड कं. ए/एस डेनमार्क	मैसर्स सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड	13.8.96	1636	54.53
7.	एनडरलियन प्रोजेक्ट इंजी., जर्मनी	देवर्षि सीमेंट लिमिटेड, लखनऊ	21.2.97	1600	22.22
8.	इटल सीमेंटी एस.पी.ए., इटली	जुवारी सीमेंट लिमिटेड, गोवा	3.1.2001	7598	50
9.	सिल्क्रेस्ट ऑफशोर लिमिटेड, मौरिशिस	इंडोरामा सीमेंट, लिमिटेड	12.2.97	999.99	99.99
10.	जगमी इंवस्टमेंट लि. (ओसीबी) चैनल, आईलैंड्स	जगमी इंवस्टमेंट लिमिटेड, नई दिल्ली	2.8.97	567.08	47.30
11.	एन.आर.आई.	मैसर्स सौराष्ट्र सीमेंट्स लिमिटेड	24.4.98	4952.51	77.30
12.	सिल्क्रेस्ट ऑफशोर लिमिटेड, मौरिशिस	मैसर्स इंडोरामा सीमेंट, लिमिटेड	2.7.93	4000	99.99
13.	होल्डेरिन बी.वी., नीदरलैंड	कल्याणपुर सीमेंट्स लिमिटेड, पटना	5.11.97	925	इक्विटी में वृद्धि
14.	मैसर्स जे.एस.सी. रुसफिंटौग, रुस	फोनिक्स इंटरनैशनल लिमिटेड, नई दिल्ली	7.3.94	10000	4
15.	शेरीफ ओसमान मोहम्मद अल-मदानी, साऊदी अरबिया	कोहिनूर सीमेंट्स लिमिटेड	25.9.97	20	9.41
16.	मि. पीटर एंटनी सामी, सिंगापूर	जोडिएक सीमेंट्स प्रा. लिमिटेड	30.5.94	62	10
17.	इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन, यू.एस.ए.	डी.एल.एफ. सीमेंट लिमिटेड (अब अंबूजा सीमेंट, राजस्थान, लिमिटेड)	7.6.94	2635	20.50
18.	फुल्लेर इंटरनेशनल इंक, यू.एस.ए.	संघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	23.2.95	1002.96	14.96
19.	फाइनसियरे लफारजे, फ्रांस	लफारजे, (इंडिया) लिमिटेड	23.2.99	6000	100

उपर्युक्त कम्पनियों में से अधिकांश कम्पनियां मौजूदा कम्पनियां हैं।

(ii) तकनीकी सहयोग

क्र.सं.	विदेशी कम्पनी का नाम	भारतीय कम्पनी का नाम	अनुमोदन की तिथि
1	2	3	4
1.	चीन मेटलर्जिकल इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्टस, चीन	गौरडन हरबर्ट (आई) लिमिटेड, नई दिल्ली	21.9.93
2.	कंक्रीट हाई-टेक आई.एन., फ्रांस	ग्रासि इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10.10.2000

1	2	3	4
3.	इटल सीमेंटी एसपीए, इटली	जुवारी सीमेंट लिमिटेड, गोवा	10.12.2000
4.	इटल सीमेंटी एसपीए, इटली	जुवारी सीमेंट लिमिटेड, गोवा	10.2.2001
5.	निहोन सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जापान	मोदी सीमेंट्स लिमिटेड, नई दिल्ली	16.12.1991
6.	निहोन सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जापान	डी.एल.एफ. सीमेंट लिमिटेड, नई दिल्ली (अब अंबूजा सीमेंट राजस्थान लिमिटेड)	20.11.1991
7.	निहोन सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जापान	इंडियन रेयन एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	19.9.1995
8.	निशो इवाईकोर्पोरेशन, टोकियो, जापान	इंडोरामा सीमेंट लिमिटेड, महाराष्ट्र	10.6.1997
9.	निहोन सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जापान	ऐसोसिएटेड सीमेंट कं. लि., महाराष्ट्र	10.7.1997
10.	होल्डरबैंक मेनेजमेंट एण्ड कंस. स्विटजरलैंड	कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, कलकत्ता	13.11.1992
11.	होल्डरबैंक मेनेजमेंट एण्ड कंस. स्विटजरलैंड	जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	16.8.1993
12.	ब्लू सर्कल इंडस्ट्रीज पी.एल.जी., यू.के.	स्ट्रा प्रौडक्स लिमिटेड, उड़ीसा	14.12.1991
13.	ब्रिटिश सेरानिक्स रिसर्च, यू.के.	ऐसोसिएटेड सीमेंट कं.लि., मुम्बई	13.3.1992
14.	सेवा इंटरनेशनल इंक, यू.एस.ए.	सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड	12.10.1994
15.	कंक्रीट हाईटेक इंटरनेशनल ब्रिटिश वर्जीनिया	जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड, कानपुर	18.3.1992
16.	कंक्रीट हाईटेक इंटरनेशनल ब्रिटिश वर्जीनिया	जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड, कानपुर	22.6.1995

भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत

6050. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कालेज, हैदराबाद में भारतीय खाद्य निगम के प्रचालन की आर्थिक लागत कम करने के तौर-तरीके सुझाने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं;

(ग) भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) राजसहायता के बिना अपना काम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुमति देने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस मामले में भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज द्वारा किये गये अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

आर्थिक अपराध के लिए क्रिकेटरों/सिने हस्तियों के विरुद्ध शिकायतें

6051. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन सिने कलाकारों और क्रिकेटरों के विरुद्ध आर्थिक अपराधों जैसे आयकर, फेरा आदि के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) व्यक्ति-वार उन पर जुर्माने सहित कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) इसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) सिने कलाकारों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं जिन पर 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार 10.00 लाख से अधिक का आयकर बकाया है। क्रिकेटरों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं जिनके संबंध में कथित आयकर उल्लंघन के लिए तलाशी की कार्रवाईयां की गई थीं। सिने कलाकारों एवं क्रिकेटरों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं जिनके खिलाफ फेरा के कथित उल्लंघन के लिए मामले लिए गए हैं।

(ग) कर बकाया की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है और इसमें ब्याज लगाना, शास्ति लगाना, बैंक खातों की जब्ती और चल एवं अचल सम्पत्तियों की बिक्री व जब्ती शामिल है। ऊंची मांग वाले मामलों की आवधिक समीक्षा और निगरानी भी उच्चाधिकारियों द्वारा सतत आधार पर की जाती है और करों की वसूली के लिए समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

वि..ण-I

फिल्मी हस्तियों की केवल व्यष्टि सूची

(रुपए लाखों में)

की स्थिति के अनुसार बकाया मांग

क्र.सं.	नाम	31.12.2000
1	2	3
1.	बसन्त कुमार पाटिल	307.12
2.	देव वर्मा उर्फ (श्रीमती) मुनमुन सेन	11.31
3.	ए. कोथान्दरमैया	21.36
4.	ए.एम. रत्नम्	31.34
5.	ए. रामकी	11.90
6.	ए.एस. इब्राहीम रोथर	13.28
7.	ए. श्रीदेवी (श्रीमती)	49.71
8.	ए. विजयकान्त	25.42
9.	अर्जुन	18.28
10.	बी.एस. रंगा	60.38
11.	एफ.जे. इरानी	26.76
12.	जी. गोपाल राव	46.06
13.	जी. हनुमन्ताराव	27.80
14.	जी. सुब्रामणियम उर्फ मणिरत्नम्	42.23
15.	जी. वेंकटेश्वरन्	42.63
16.	के. बालाजी	22.63
17.	के. बाला सुब्रमणियम	26.80
18.	के. गौंडामणि	16.29
19.	खुशबू उर्फ नकहत खान (सुश्री)	32.79
20.	मुरली विट्टल डब्ल्यू.टी.	19.13
21.	मुरलीकांतन	24.33
22.	नागूर बाबू	12.42
23.	पी. लोगानाथन विठ्ठल डब्ल्यू.टी.	19.28
24.	पी.पी. कन्नैया	22.75
25.	पी.पी. कन्नैया डब्ल्यू.टी.	24.92
26.	पी. सौन्दर्या (सुश्री)	14.93
27.	पी. गुरू विठ्ठल डब्ल्यू.टी.	15.53
28.	पी. मोहन विट्टल डब्ल्यू.टी.	19.28
29.	पिरामीड फिल्मस इन्टरनेशनल	73.29
30.	आर.बी. चौधरी	23.75
31.	आर. जयाप्रदा डब्ल्यू.टी.	43.72
32.	आर. राजबाबू	13.84
33.	आर शरथ कुमार	36.89
34.	आर. विजयचन्द्रन	33.29
35.	एस. गोपाल रेड्डी	55.78
36.	एस. कमल हसन	11.89
37.	एस. प्रभुदेवा	16.27
38.	एस. प्रियदर्शन	14.41
39.	एस.टी. सेलवम	10.43

1	2	3
40.	एम. विजय शान्ति (श्रीमती)	26.93
41.	वी. आदिनारायण रेड्डी	16.86
42.	वी.सी. गणेशन	38.61
43.	वी. दुरैईसामी राजू	43.20
44.	फ्रान्सिस जोसेफ	53.59
45.	पी.डी. अब्राहम उर्फ	63.82
46.	गुलशन कुमार	11.24
47.	कृष्ण कुमार	29.69
48.	अभिताभ बच्चन	1267.16
49.	जया बच्चन (श्रीमती)	243.52
50.	अशोक घई	19.34
51.	महेश भट्ट	23.90
52.	मुकेश भट्ट	103.15
53.	नन्द कुमार तोलानी	31.11
54.	प्रेमा वी. शेट्टी (श्रीमती)	21.11
55.	शाहरूख खान	271.36
56.	सुभाष घई	78.41
57.	वीरू देवगन	19.97
58.	वीरप्पा शेट्टी	22.68
59.	पी. रामगोपाल वर्मा	35.94
60.	अन्नु मलिक	41.40
61.	अजय सिंह देओल	29.41
62.	अकबर अली खान	22.05
63.	अमित कुमार गांगुली	10.45
64.	आनन्द एन. हिन्दुजा	14.46
65.	बरखा राय	11.08
66.	डैनी एस. देसाई	12.61
67.	धर्मानन्द जे. जोशी	13.78
68.	फारूख अहमद ए. फारूकी	13.88
69.	गौतम बेरी	29.91
70.	गुलाब एम. गुलबानी	43.07
71.	कनुभाई चौहान	10.41
72.	किशोर कुमार गांगुली	31.68
73.	एल.आर. मिरचंदानी	13.83
74.	एम.सी. बोकाडिया	76.13
75.	मुकेश दुग्गल	20.92
76.	नन्दिनी जे. रावत	12.85
77.	नरेश चन्द्र वर्मा डब्ल्यू.टी.	24.27
78.	ओ.पी. रल्हन	101.34
79.	पलहाज निहलानी	13.80
80.	परण सिकंद	34.08
81.	प्रकाश मेहरा	12.47
82.	प्रमोद चक्रवर्ती	47.86
83.	राजन आर. सिप्पी	51.14
84.	राजेश खन्ना	41.45
85.	रामानन्द सागर	17.52
86.	रणबीर राजकपूर	37.63
87.	रणजीत बेदी	24.96
88.	रोमेश शर्मा	15.60
89.	सतराम रोहड़ा	40.09
90.	सावन कुमार टांक	32.73
91.	शेखर सुमन	53.98
92.	सुनील दर्शन	12.80
93.	सुयश (चंकी) पांडेय	88.02
94.	यशराज चोपड़ा	102.14

विवरण-II

	क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम	स्थिति
1.	मोहम्मद अजहरूद्दीन	निर्धारण पूरा किया जाना है।
2.	कपिल देव	-वही-
3.	अजय जडेजा	-वही-
4.	मनोज प्रभाकर	-वही-
5.	अजय शर्मा	-वही-
6.	निखिल चोपड़ा	-वही-
7.	नवजोत सिंह सिद्धू	-वही-

विवरण-III

	सिने कलाकार/क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम	स्थिति
1.	सुनील गावस्कर	जांच पूरी की जानी है।
2.	अमरीश पुरी	-वही-
3.	कपिल देव	-वही-
4.	दिलीप सरदेसाई	आठ करोड़ रु. की शास्ति बकाया है
5.	नवजोत सिंह सिद्धू	जांच पूरी की जानी है
6.	कृष्ण कुमार	-वही-
7.	मनोज प्रभाकर	-वही-

नाबार्ड द्वारा गोदामों का निर्माण

6052. श्री टी. गोविन्दन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नाबार्ड द्वारा अनुमोदित गोदामों का निर्माण करने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसे केरल सरकार से ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के तहत गोदामों के निर्माण के लिए कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में उपभोक्ता संगठन

6053. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में इस समय कितने स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रत्येक संगठन को कितनी सहायता उपलब्ध कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को निधियों के आवंटन हेतु क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इन संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) इस विभाग द्वारा संकलित अंतिम सूचना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में 70 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन कार्य कर रहे हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के दो स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता कल्याण कोष से निधियां दी गई हैं।

(ग) जिन दो स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को अनुदान प्राप्त हुए वे हैं : (1) सत्य शोधक महिला विकास मंडल, पवन नगर,

न्यू औरंगाबाद, और (2) बहुजन शिक्षा समिति, टम्बारी, जिला नागपुर। ऐसे पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ता जागरुकता और उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य किए हों।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जी.आई.सी. द्वारा लेखापरीक्षा वसूलियों को माफ करना

6054. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या **वित्त मंत्री** 24 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1081 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग और सरकारी लेखापरीक्षा विभाग द्वारा इंगित की गई वसूलियों के लिए प्रभागीय और शाखा प्रमुखों को जिम्मेदार ठहराने के लिए जी.आई.सी. और इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा कोई दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभागीय तथा शाखा प्रमुखों की सेवानिवृत्ति पर लेखा वसूलियों को माफ करने के लिए संबंधित कंपनियों द्वारा क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी-वार जी.आई.सी. और इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा माफ की गई लेखापरीक्षा वसूलियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान वसूली के लिए लम्बित भारी धनराशि को माफ करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राजनीतिज्ञों पर आई.टी.डी.सी. होटलों की बकाया धनराशि

6055. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या **विनिवेश मंत्री** 2 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1272 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजनीतिज्ञों, सरकारी एजेंसियों, ट्रेवल एजेंटों आदि पर आई.टी.डी.सी. के होटलों की बकाया धनराशि के ब्यौरे संकलित कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों, सरकारी एजेंसियों आदि पर बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) अब तक कुल कितनी धनराशि की वसूली की गई है और कितनी धनराशि वसूल की जानी है;

(ङ) क्या सम्पूर्ण बकाया धनराशि को विनिवेश प्रक्रिया पूरी होने से पहले वसूल कर लिए जाने की सम्भावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, भारत पर्यटन विकास निगम लि. (आई.टी.डी.सी.) के विविध देनदारों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों में सावधिक अनुस्मारक, व्यक्तिगत सम्पर्क, प्रशासनिक मंत्रालय से सहायता लेना तथा जहां आवश्यक हो विधिक कार्रवाई का आश्रय लेना शामिल है।

(घ) वर्ष 2000-01 के दौरान 195.18 करोड़ रुपए के उधार की अनुमति दी गई और कंपनी ने 191.81 करोड़ रुपए की वसूली की।

(ङ) और (च) बकाया देय धनराशियों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है और समस्त देय धनराशि को वसूल करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

विवरण

राजनीतिज्ञों के नाम पर भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की देयताओं के संबंध में भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) के विविध देनदारों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	पार्टी का नाम	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार बकाया
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	886.22
2.	सरकार	1560.11
3.	निजी	780.71
4.	लाइसेंसी	474.72
5.	यात्रा एजेंट	589.11
6.	कार्डधारक	103.53
7.	अन्य	137.01
	कुल	4531.41

बैंकों का आर.बी.आई. द्वारा निरीक्षण

6056. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री रघुनाथ झा :
श्री रामजी मांझी :

क्या **वित्त मंत्री** 22 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5265 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों का निरीक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक के सामने आई कमियों का ब्यौरा क्या है और इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) बैंकों के कार्यकरण, जिसके कारण दूसरा प्रतिभूति घोटाला हुआ, में कमियों को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल की आपूर्ति

6057. श्री जय प्रकाश : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या देश में इस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के तेल का आयात किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी का तेल खाना पकाने और रोशनी करने के प्रयोजन हेतु उपलब्ध है। यह एक आवंटित उत्पाद है और केन्द्र सरकार द्वारा इसका वार्षिक/मासिक आवंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया जाता है। राज्यों को मिट्टी के तेल का आवंटन इस विधि से किया जा रहा था कि मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में अंतर को न्यूनतम किया जा सके ताकि एकसमान राष्ट्रीय औसत हासिल किया जा सके। 1998-99 में अंतर को दूर करने में तेजी लाने और सभी राज्यों के राष्ट्रीय औसत घटक के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए 8.58% की एक बार की वृद्धि ी गई थी। 1999-2000 से सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान एल.पी.जी. कनेक्शनों में अत्यधिक वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल की मांग में कमी होने पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिट्टी के तेल में वृद्धि नहीं की जाएगी। 2000-2001 के दौरान यद्यपि कोई समग्र वृद्धि नहीं की गई थी। तथापि अतिरिक्त एल.पी.जी. कनेक्शन रिलीज करने के बदले आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों द्वारा

राजसहायता प्राप्त मिट्टी का तेल उन राज्यों को वितरण किया गया है, जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय औसत (12.4 किलोग्राम प्रति वर्ष) से कम थी, यह वृद्धि इस सिद्धांत पर की गई थी कि जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम है उन्हें अधिक वृद्धि दी जाए और जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति उपलब्धता अधिक है उन्हें कम वृद्धि दी जाए। प्राकृतिक आपदा, मेला, चुनाव आदि जैसी आकस्मिकता से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों को मामला दर मामला आधार पर अतिरिक्त आवंटन भी रिलीज किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए मिट्टी के तेल के आवंटनों के प्रति हुआ उठान संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित मात्रा की आपूर्ति करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कम्पनियों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार मिट्टी के तेल का आयात करना होता है:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	आयातित मात्रा
1998-99	5.42
1999-2000	5.14
2000-2001 (अनंतिम)	1.54

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान सामानन्तर विपणन योजनाओं के अधीन प्राइवेट पार्टियों द्वारा मिट्टी के तेल की आयात की गई/बेची गई मात्राएं निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन में)

1998-99	1.65
1999-2000	1.17
2000-2001	0.59

विवरण

राज्यवार मिट्टी के तेल के आवंटन प्रति उठान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99				1999-2000				2000-01			
	आवंटन	अतिरिक्त/तदर्थ आवंटन	जोड़ आवंटन	उठान	आवंटन	अतिरिक्त/तदर्थ आवंटन	जोड़ आवंटन	उठान	आवंटन	अतिरिक्त/तदर्थ आवंटन	जोड़ आवंटन	उठान
	टन	टन	टन	टन	टन	टन	टन	टन	टन	टन	टन	टन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंड. व नि. द्वीपसमूह	7155	0	7155	7125	6736	301	7037	7169	6736	0	6736	6731
आंध्र प्रदेश	675056	3891	678947	675382	679848	0	679848	675171	650596	778	651375	633225
अरुणाचल प्रदेश	10240	0	10240	10011	10295	623	10917	10835	10346	0	10346	9896
असम	271235	0	271235	271412	272623	0	272623	272288	273270	0	273270	272839
बिहार	863745	0	863745	858234	870036	0	870036	869069	819127	0	819127	809158
चंडीगढ़	21778	0	21778	19501	15408	0	15408	15248	15408	0	15408	13718
छत्तीसगढ़	.	.	.	.	.	.	.	.	52260	0	52260	49399
दादर व नगर हवेली	3237	0	3237	3222	3238	0	3238	3215	3238	0	3238	3229
दमन व दीव	3064	0	3064	3020	2438	0	2438	2962	2438	0	2438	2329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दिल्ली	248325	0	248325	229477	204672	0	204672	203057	204672	0	204672	202792
गोवा	28257	0	28257	28243	28075	0	28075	28084	28075	0	28075	28067
गुजरात	831600	15564	847164	847420	832432	4864	837295	837545	832432	42023	874455	857169
हरियाणा	170563	0	170563	169541	171731	0	171731	173673	175633	0	175633	174466
हिमाचल प्रदेश	60737	0	60737	59045	61067	778	61845	63997	61434	0	61434	52986
जम्मू व कश्मीर	91433	6226	97659	98458	91921	19844	111765	117232	92376	12840	105216	96942
झारखंड	*	*	*	*	*	*	*	*	75120	0	75120	73843
कर्नाटक	528301	0	528301	526082	531167	0	531167	528190	534360	0	534360	533396
केरल	300006	0	300006	299066	302078	0	302078	301198	309149	0	309149	307639
लक्षद्वीप	919	0	919	622	921	0	921	727	921	0	921	784
मध्य प्रदेश	661812	0	661812	660723	666632	0	666632	665148	632922	0	632922	619885
महाराष्ट्र	1576298	0	1576298	1573267	1577953	0	1577953	1570502	1488926	0	1488926	1514231
मणिपुर	22670	0	22670	19766	22781	78	22859	22169	22781	0	22781	19460
मेघालय	20847	0	20847	20580	20960	74	21034	22037	21086	0	21086	20991
मिजोरम	8102	0	8102	8159	8146	0	8146	8018	8195	0	8195	7736
नागालैंड	14207	0	14207	14234	14284	78	14362	14296	14370	0	14370	14393
उड़ीसा	316597	0	316597	309201	318903	62793	381696	343427	327777	54475	382251	336512
पांडिचेरी	15342	0	15342	15369	15363	0	15363	15268	15363	0	15363	15037
पंजाब	342376	0	342376	348816	343127	0	343127	341875	343127	0	343127	331800
राजस्थान	440060	0	440060	434339	443265	0	443265	446844	450930	93385	544316	509834
सिक्किम	7885	0	7885	7512	7895	0	7895	8875	7895	0	7895	7541
तमिलनाडु	716830	0	716830	707887	720076	12451	732527	731008	720076	12451	732527	721605
त्रिपुरा	32386	0	32386	32350	32562	0	32562	32469	32757	0	32757	30440
उत्तर प्रदेश	1391123	12167	1403290	1389790	1401255	9650	1410905	1409905	1401755	16537	1418292	1399784
उत्तरांचल	*	*	*	*	*	*	*	*	38492	0	38492	38653
पश्चिम बंगाल	808013	3891	811904	815628	812309	7782	820091	817261	816158	15564	831722	827053
अखिल भारत	10490199	41739	10531938	10463482	10490199	119316	10609516	10558762	10490201	248054	10738256	10543627

टिप्पणी : आवंटन मूल/प्रारंभिक है, जैसाकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है, इसमें तदर्थ और विशेष श्रेणियां शामिल नहीं हैं।
अतिरिक्त/तदर्थ आवंटन: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार
उठान - आई.पी.आर. के अनुसार - अनंतिम
*नए राज्य 2000-01 के दौरान बनाए गए हैं।

[अनुवाद]

बैंकों के सार्वजनिक निर्गम जारी करना

6058. श्री रामजी मांझी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ''सेबी'' ने सार्वजनिक निर्गम जारी करने के उद्देश्य से पात्रता मानदंडों को पूरा करने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ''सेबी'' के उक्त निर्णय की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) व्युत्पन्न व्यापार के लिए जोखिम कम करने के उपायों हेतु जे.आर. वर्मा समिति द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) क्या इन सिफारिशों को सेबी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के विनियामक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के एक सुझाव के अनुसरण में 1996 में सेबी ने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों को सार्वजनिक निर्गम के लिए पात्रता मानदंड, नामत: तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्ष तक लाभांश भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की अपेक्षा को पूरा करने से छूट दे दी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) स्टाक इंडेक्स फ्यूचर मार्केट्स के लिए जोखिम नियंत्रण उपायों पर जे.आर. वर्मा समिति की मुख्य अनुशंसाओं में आरंभिक मार्जिन संगणना तथा मार्जिन संग्रहण के लिए प्रविधि, द्रवता आस्ति का विनिर्धारण तथा निपटान सदस्यों की देनदारी (एक्सपोजर) सीमाएं तथा पोजीशन सीमाएं शामिल हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

स्टाक एक्सचेंजों के निर्वाचित निदेशकों के लिए आचार संहिता

6059. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टाक एक्सचेंजों के निर्वाचित निदेशकों के लिए आचार संहिता और कार्य क्या-क्या हैं और क्या निदेशकों द्वारा इनसे विपथन के कुछ मामले संज्ञान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संज्ञान में आए विपथन के इन मामलों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा निर्वाचित निदेशकों के विरुद्ध इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 के निर्दिष्ट मामलों के संबंध में ''सेबी'' के कार्य क्या हैं और ''सेबी'' अपने कार्यों को प्रभावकारी ढंग से करने में विफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो ''सेबी'' को प्रभावी, उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) स्टाक एक्सचेंजों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ''सेबी'' ने क्या कदम उठाए हैं;

(च) क्या ऐसे अनेक उदाहरण प्रकाश में आए हैं जहां सदस्य दलाल स्टाक एक्सचेंज अपनी देयताओं का भुगतान करने में विफल रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने कि सदस्य दलाल अपनी वचनबद्धता पूरी करें, इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ज) सरकार द्वारा निदेशकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

साधारण बीमा निगम में भ्रष्टाचार

6060. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान अखिल भारतीय साधारण बीमा कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय साधारण बीमा कर्मचारी एसोसिएशन से दिनांक 19.3.2001 की शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए गए हैं। इस शिकायत की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में चिरगांव में वी.एल.पी.टी.

6061. श्री महेश्वर सिंह :
श्री सुरेश चंदेल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के कार्यक्रम शिमला जिले में चिरगांव तहसील को अनेक ग्राम पंचायतों में न पहुंचने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए झाखादुधार (हिमाचल प्रदेश) में वी.एल.पी.टी. स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यक्रम उचित रूप से पहुंचाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चिरगांव तहसील के रंतादी बरियारा, थालीधर आदि स्थानों पर वी.एल.पी.टी. स्थापित करने के लिए भी सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) झाखादुधार में दूरदर्शन संकेतों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से पता चला है कि दूरदर्शन के स्थलीय संकेत झाखादुधार में उपलब्ध नहीं है। देश में स्थलीय टीवी कवरेज का विस्तार चरणबद्ध रूप से किया जाता है और शिमला जिले में टी.वी. कवरेज का और विस्तार संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शिमला में डीडी-1 और डीडी-2 हेतु स्टूडियो तथा दो उच्च शक्ति ट्रान्समीटरों के अतिरिक्त, शिमला जिले में रायपुर में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और खरा पत्थर, थानेदार, चौपाल, कोटखई तथा रोहरू में एक-एक अर्थात् पांच अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर हैं। वर्तमान में, शिमला जिले में कोई अतिरिक्त ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

चादरों की आपूर्ति में अनियमितताएं

6062. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रघुनाथ झा :
श्री राधामोहन सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000 के दौरान, एन.सी.सी.एफ. द्वारा सेना मुख्यालय को ''बाम्बे डाइंग'' ब्रांड की चादरों की आपूर्ति में अनियमितताएं बरती गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनकी आपूर्ति में शामिल कार्मिकों की शिनाख्त करने के लिए कोई जांच-कार्य किया गया;

(घ) यदि हां, तो इस जांच-कार्य का क्या परिणाम निकला; और

(ङ) एन.सी.सी.एफ. द्वारा इसमें संलिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने सेना मुख्यालय को अपने दिनांक 30.9.2000 के बीजक संख्या 15382 के तहत अन्य वस्तुओं के साथ-साथ बाम्बे डाइंग की चादरों की आपूर्ति की है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा तैयार किए गए बिक्री के बीजक में जिस वस्तु की आपूर्ति की गई उसके पूरे

ब्यौरे दर्शाए जाने अपेक्षित थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के संबंधित कर्मचारियों ने बिक्री बीजक में उत्पाद के पूरे ब्यौरे नहीं दर्शाए।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने बिक्री बीजक में वस्तुओं के पूरे ब्यौरे नहीं दिए जाने के लिए संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांग कर सुधारात्मक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा संबंधित कर्मचारियों को पुन: अनुदेश दिए गए हैं कि वे बिक्री बीजकों में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के पूरे ब्यौरे दर्शाएं।

चाय का उत्पादन

6063. **श्री सी. श्रीनिवासन :**
श्री तिरुनावकरसू :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में चाय का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यूनाइटेड प्लांटस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस गिरावट पर अपनी चिंता जाहिर की है; और

(घ) यदि हां, तो दक्षिणी राज्यों में चाय के उत्पादन में गिरावट को रोकने हेतु भूमि की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2000 के दौरान दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन वर्ष 1999 में हुए 201.3 मिलियन किलोग्राम की तुलना में 3.2 मिलियन किग्रा. की वृद्धि दर्शाते हुए 204.5 मिलियन किग्रा. था।

(ग) और (घ) सरकार/चाय बोर्ड को दक्षिण भारत में चाय उद्योग की विभिन्न समस्याओं और संभावनाओं के बारे में यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, किन्तु दक्षिण भारत में चाय के उत्पादन में घटती हुई प्रवृत्ति पर विशेष तौर पर चिन्ता व्यक्त करते हुए ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है।

शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट भेजना

6064. **डा. संजय पासवान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मै. आइडल कारमेट्स/आरडल होटल्स लिमिटेड ने 1994-95 से आज तक अपने शेयर धारकों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी है;

(ख) क्या ये कंपनियां न तो मुख्य समाचार पत्रों में अपनी अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय रिपोर्टें प्रकाशित करा रही हैं और न ही अपनी वार्षिक आम बैठक बुलाती हैं जो कि मुंबई स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की शर्तों में से एक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो जिन समाचार पत्रों में इन कंपनियों ने अपनी वित्तीय रिपोर्टें प्रकाशित कराई हैं उनकी तिथियों सहित तथा जिन-जिन स्थानों पर इन्होंने अपनी वार्षिक आम बैठकें आयोजित की हैं उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कंपनियों के प्रवर्तकों के विरुद्ध भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11ख के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विशेष आर्थिक जोनों में एककों की स्थापना हेतु लाइसेंस की आवश्यकता

6065. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक जोनों में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु किसी लाइसेंस की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो विशेष आर्थिक जोनों में उक्त एककों की स्थापना हेतु ऐसी शर्त रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक जोनों का उपयोग करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु छोटे एककों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों में लघु उद्योगों द्वारा कितने एकक स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत लघु औद्योगिक उपक्रम सहित किसी औद्योगिक संस्थान को अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत आने वाली मदों के विनिर्माण के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस लेना होता है। इस समय मुख्य रूप से पर्यावरण से संबंधित, सुरक्षा और कार्यनीतिक महत्व के मामलों में अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत केवल छः उद्योग हैं।

(ग) से (ङ) एस.ई.जैड. एक निर्यात संवर्धन स्कीम है और एस.एस.आई. तथा गैर-एस.एस.आई. क्षेत्र के बीच कोई विभेद नहीं किया गया है। इन जोनों में इकाइयों की स्थापना के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है।

कोचीन में एफ.एम. स्टेशन

6066. श्री जार्ज ईडन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन स्थित एफ.एम. स्टेशन के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी, कोचीन में आधुनिक उपस्कर हैं और इसलिए इसके आगे आधुनिकीकरण करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी हिस्से की बिक्री

6067. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपने हिस्से को खुली बोली द्वारा बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक खुली बोली के लिए पहचाने गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी खुली बोलियां देश के सुचारू और तीव्र विकास के लिए इसके हित में हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के शेयरों का विनिवेश विशेष रूप से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विशेष के निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं।

(ख) 2001-2002 में ऐसे उद्यम जिनमें विनिवेश पूरा कर लिए जाने की संभावना है, इस प्रकार हैं: एयर इण्डिया लि., सी.एम.सी. लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. (चरण-1), हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइडस लि., हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., इण्डियन एयरलाइन्स, आई.बी.पी. लि., इण्डियन पैट्रोरसायन कारपो. लि., भारत पर्यटन विकास निगम लि., मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., पैरादीप फास्फेटस लि., स्पोन्ज आइरन इण्डिया लि., राज्य व्यापार निगम लि., भारत पम्पस और कम्प्रेसर्स लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., भारत पर्यटन विकास निगम संयुक्त उद्यम, जेसप एण्ड कम्पनी लि., नेपा लि., स्कूटर्स इण्डिया लि., तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि., विदेश संचार निगम लि., प्रागा टूल्स लि. तथा भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्बस लि., एच.टी.एल., एन.आइ.डी.सी., मारुति उद्योग लि. भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स और हिन्दुस्तान साल्टस।

(ग) और (घ) इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से पारदर्शी तरीकों से प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का आश्रय लिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश देश के हित में है और सुस्पष्ट परिभाषित नीति के अनुसार इसका अनुकरण किया जा रहा है। अपने हाल के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि विनिवेश से जुटाई गई राशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना में सहायता करने, कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने, ऋण के बोझ को कम करने और सामाजिक और बुनियादी क्षेत्रों के लिए भी किया जायेगा।

चाय के निर्यात में गिरावट

6068. **श्री शिवाजी माने :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से चाय का निर्यात मात्रात्मक रुप से बढ़ा है परन्तु मूल्यात्मक रुप से कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) अप्रैल से फरवरी, 2001 तक की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भारत से चाय के निर्यात में मात्रा के रुप में 4.05 मिलियन किग्रा. तक की वृद्धि दर्ज हुई है किन्तु मूल्य प्राप्ति में 200.67 करोड़ रु. की गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान हुई निर्यातों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मात्रा (मिलि. किग्रा. में)	मूल्य (करोड़ रु. में)	यूनिट कीमत प्राप्ति (रु. प्रति कि.ग्रा. में)
2000-2001 (अप्रैल-फरवरी)	180.79	1594.45	88.20
1999-2000 (अप्रैल-फरवरी)	176.74	1795.12	101.50

निर्यात मूल्य के रुप में उक्त गिरावट मुख्यत: कम यूनिट प्राप्ति, रुस द्वारा सस्ती चाय के आयात, मूल्यवर्धित चाय के निर्यात की मात्रा में गिरावट इत्यादि के कारण आई है।

(ग) चाय बोर्ड निर्यात योग्य गुणवत्ता वाली चाय, खासकर पारम्परिक किस्म की अच्छी गुणवत्ता की चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चाय उद्योग के निरंतर सम्पर्क में रहता है। चाय बोर्ड भारत से चाय के 100 मिलियन किग्रा. के वार्षिक आयात हेतु दिसम्बर 1998 में भारतीय चाय बोर्ड तथा रशियन टी एण्ड कॉफी एसोसिएशन और एशियन एसोसिएशन ऑफ टी प्रोडक्शन के बीच हस्ताक्षरित करार को शीघ्र लागू करने के लिए रुसी आयातकों के सम्पर्क में भी है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार/चाय बोर्ड ने चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं- प्रमुख चाय आयातक देशों में चाय बोर्ड लोगो और विशिष्ट चाय लोगो का पंजीकरण, अलग-अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में आने वाली बाधाओं को हटाना, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, विशिष्टता वाले स्टोरों और प्रमुख बाजारों में मौके पर जाकर नमूने देना, विशिष्टता वाली भारतीय चाय के बारे में उपभोक्ताओं में जागरुकता बढ़ाने और चाय बोर्ड के विपणन चिह्न को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया अभियान चलाना, चाय शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान करना इत्यादि।

[हिन्दी]

एम.एम.टी.सी. द्वारा खाद्य तेलों का आयात

6069. **श्री तूफानी सरोज** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने घरेलू बाजार की अतिरिक्त मांग को पूरा करने हेतु खाद्य तेलों का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम द्वारा कितने मूल्य के तथा कितनी मात्रा में तेल का आयात किया जाना है;

(ग) क्या देश का खाद्य तेल उद्योग घरेलू बाजार की आवश्यकता को पूरा करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो देश में कुल खाद्य तेल की वार्षिक मांग कितनी है; और

(ङ) देश का खाद्य तेल उद्योग आवश्यकता का कितना प्रतिशत पूरा करता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) एम.एम.टी.सी. ने इरकॉन इंटरनेशनल, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, के साथ मलेशिया सरकार के साथ इरकान प्रति व्यापार करार पर पाम उत्पाद के आपात हेतु एक संविदा को अंतिम रुप दिया है। इस करार के तहत एम.एम.टी.सी. ने पिछले दो वर्षों में निम्नानुसार आर.बी.डी. पामोलीन/सी.पी.ओ. का आयात किया है:-

वर्ष	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (अमरीकी डालर में)
1999-2000	22,500	9.47 मिलियन
2000-2001	94,000	26 मिलियन

(ग) से (ङ) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने यह सूचित किया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान तिलहनों का उत्पादन, घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता, खाद्य तेलों की मांग और खाद्य तेलों की मांग के संदर्भ में घरेलू तेलों का प्रतिशत हिस्सा निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	तिलहनों का उत्पादन*	घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता	खाद्य तेलों की मांग**	खाद्य तेलों की मांग के संदर्भ में घरेलू खाद्य तेल का % हिस्सा
1998-99	247.48	69.61	91.99	75.67
1999-2000	208.72	61.07	96.43	63.33

*स्रोत : कृषि मंत्रालय

**योजना आयोग के आर्थिक मापदण्डों के अनुसार।

[अनुवाद]

'बी.आई.एफ.आर.' को अग्रेषित की गई कंपनियां

6070. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री तिरुनावकरसू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.आई.एफ.आर. ने भारतीय स्टेट बैंक से उन कतिपय कंपनियों के खातों की जांच करने के लिए कहा है जो उसे उसके निर्णय हेतु अग्रेषित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कंपनियों के खातों की लेखा परीक्षा के दौरान बैंक को यह पता लगा कि इन कंपनियों में अधिकारियों द्वारा भारी अनियमितताएं बरती गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार, बी.आई.एफ.आर. ने अपने पास पंजीकृत 169 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों में भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) को परिचालन एजेंसी (ओ.ए.) के रूप में नियुक्त किया था। जहां कहीं कम्पनी की रुग्णता के बारे में जमानती लेनदारों द्वारा गम्भीर संदेह उठाए गए थे, भारतीय स्टेट बैंक से निर्दिष्ट समय अनुसूची के अन्दर विशेष जांच लेखा परीक्षा (एस.आई.ए.) करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 16(2) के अंतर्गत कम्पनी के लेखाओं की जांच स्वयं अथवा चार्टर्ड लेखाकारों की प्रसिद्ध फर्म के माध्यम से करके और उसकी रिपोर्ट बाइफर को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में बाइफर ने जांच कराने का निदेश नहीं दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नशीली दवाओं की तस्करी

6071. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्रोल बोर्ड की उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें यह उद्घाटित किया गया है कि भारत नशीली दवाओं की तस्करी का केन्द्र बन गया है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) महोदय, इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (आई.एन.सी.पी.) की हाल की रिपोर्ट (2000) में इस बात का उल्लेख नहीं है कि भारत नशीली दवाओं की तस्करी का केन्द्र बन गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

मंत्रियों के विदेश दौरे

6072. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री के.पी. सिंह देव :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री अधीर चौधरी :
श्री डी.वी.जी. शंकर राव :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने विभिन्न राज्यों और उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों द्वारा किए गए विदेश दौरों को गंभीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि प्रधान मंत्री ने इस संबंध में राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भी लिखा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री के कार्यालय ने दिनांक 19.2.2001 को एक पत्र राज्य सरकारों के सभी मुख्य सचिवों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों को भेजा है जिसमें मंत्रियों के विदेशी दौरों के मामले में कड़े प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता के साथ-साथ ऐसे दौरों हेतु निर्धारित किए गए कार्यविधिक मार्गनिर्देशों को अपनाने पर जोर दिया गया है।

(ग) वित्त मंत्रालय में प्रधान मंत्री के कार्यालय के उपर्युक्त पत्र के संबंध में किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय उत्पाद और बिक्री कर हेतु एक ही प्राधिकरण

6073. **श्री चन्द्र विजय सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और बिक्री कर हेतु केवल एक ही प्राधिकरण स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्राधिकरण के कब तक अस्तित्व में आने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऋण माफी

6074. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार की ऋण माफी संबंधी निर्णयों में क्रियान्वित किए जाने संबंधी मांग पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों की ऋण स्थितियों की पुनर्समीक्षा की गई है और केन्द्र से राज्यों को अंतरण संबंधी ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में राज्यों की पुनर्भुगतान देनदारियों को भी ध्यान में रखा गया है, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। चुनिन्दा ऋण राहत की दुबारा शुरूआत ग्यारहवें वित्त आयोग की स्कीम के अनुरूप नहीं होगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु उद्योगों के लिए सीमाशुल्क ढांचा

6075. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने सरकार से तैयार उत्पादों, अर्द्ध-निर्मित उत्पादों और कच्चे माल तथा घटकों पर

त्रि-स्तरीय दर ढांचा लागू कर सीमा शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र की अन्य शिकायतों के संबंध में सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने वर्ष 2001-2002 का बजट तैयार करने की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में सीमा शुल्क की दरों से संबंधित विभिन्न अभ्यावेदनों की जांच की थी। तथापि इस स्तर पर, सीमा शुल्क की दरों की संख्या को कम करना संभव नहीं पाया गया था।

(ग) 30.8.2000 को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक व्यापक नीति संबंधी पैकेज की घोषणा की गई थी। इस पैकेज में अन्य बातों के अलावा, वित्तीय तथा क्रेडिट समर्थन, आधारभूत ढांचे और विपणन संबंधी बेहतर सुविधाएं, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन तथा उत्पाद शुल्क की छूट सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करना शामिल था। इसके पश्चात् सरकार ने कुछेक मामलों में कच्ची सामग्रियों के शुल्क ढांचे को युक्ति-संगत बनाने और अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर अतिरिक्त सीमाशुल्क लगाने जैसे अन्य राजकोषीय उपाय किए हैं ताकि लघु उद्योग क्षेत्र की शिकायतों का निवारण किया जा सके।

[हिन्दी]

नई खाद्य नीति

6076. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने ही नई खाद्य नीति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया है;

(ख) यदि हां, तो नई खाद्य नीति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाए न जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार एक समान खाद्य नीति तैयार करने पर विचार कर रही है जोकि सभी राज्यों को स्वीकार्य हो;

(घ) यदि हां, तो कब तक और पुनरीक्षित नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन खाद्यान्नों की वसूली शुरू कर दी है।

(ख) अन्य राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, वित्तीय बाधाओं, खाद्यान्नों के कम उत्पादन आदि जैसी कमियों के कारण योजना शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं।

(ग) से (ङ) देश के लिए दीर्घकालिक अनाज नीति तैयार करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के विचाराधीन विषयों में न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य समर्थन प्रचालनों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण, बफर स्टाक, खुले बाजार में हस्तक्षेप और निर्यात/आयात के बारे में नीति, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन तथा भारतीय खाद्य निगम से संबंधित मुद्दों, जिसमें खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में कमी करने की संभावना भी शामिल हैं, से संबंधित मामले शामिल हैं।

[अनुवाद]

सजावटी मछली का निर्यात

6077. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटिल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने देश में संसाधनों का दोहन करके विश्व स्तर पर सजावटी मछली के बाजार में प्रवेश करने हेतु योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व व्यापार के सन्दर्भ में देश का सजावटी मछली का कुल निर्यात कितना है; और

(घ) इस संबंध में देश की क्षमता कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। देश से सजावटी मछली के निर्यातों में वृद्धि को सुगम बनाने की दृष्टि से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) ने संवर्धनात्मक योजनाएं शुरू की हैं जिसके तहत प्रतिवर्ष हरेक निर्यातक को दो लाख रुपए की

सीमा तक सजावटी मछली के निर्यात के एफओबी मूल्य के 10% की विकासात्मक सहायता दी जाती है तथा 5 लाख फ्राइज/वार्षिक की न्यूनतम क्षमता वाली प्रजनन इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों को 40,000/- रुपए की इमदाद दी जाती है।

(ग) वर्ष 1998 के दौरान, 173.87 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के विश्व निर्यात व्यापार की तुलना में भारत से 0.25 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य की सजावटी मछली का निर्यात हुआ। (स्रोत : एम्पीडा)

(घ) उत्तर, पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों की नदियों में सजावटी मछली के संसाधन हैं। तथापि वैज्ञानिक अध्ययनों के जरिए इनकी निर्यात संभावना का अनुमान नहीं लगाया गया है।

मक्का का निर्यात

6078. **श्री जी.एस. बसवराज :**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 21 लाख टन मक्के के भारी उत्पादन के कारण श्रीलंका और बंग्लादेश को मक्का निर्यात करने के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के अनुरोध पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक राज्य में अम्बर फसल होने, भारी मात्रा में वसूली होने, कम भण्डारण स्थान होने और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने की दृष्टि में कर्नाटक सरकार ने 2 लाख टन मक्का निर्यात करने का अनुरोध किया था।

(ग) और (घ) जी, हां। कर्नाटक से खरीदी जाने वाली 2 लाख टन मक्का का 31.5.2001 तक निर्यात करने की अनुमति दी गयी है।

[हिन्दी]

समाचार पत्रों का पंजीकरण

6079. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचार पत्र पंजीयक के कार्यालय में पंजीकरण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य का तेजी से निपटान करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान गुजराती भाषा के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के कितने आवेदन पंजीकरण हेतु प्राप्त हुए; और

(ङ) ऐसे कितने समाचार पत्र और पत्रिकाओं का पंजीकरण किया गया और कितने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण होना शेष है, और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं। शीर्षकों को मंजूरी देना एक सतत प्रक्रिया है और समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के पंजीकरण हेतु आवेदनों को उनके सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक कार्यालय द्वारा शीघ्रता से मंजूरी दी जाती है। अन्य मामलों में विसंगति पत्र जारी किए जाते हैं।

(ख) और (ग) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक कार्यालय ने आंतरिक रूप से मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी तरह से पूर्ण पंजीकरण संबंधी आवेदनों को भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) पिछले एक वर्ष (कैलेण्डर वर्ष 2000) के दौरान भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक कार्यालय को गुजराती भाषा में प्रकाशित समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के पंजीकरण हेतु 511 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 215 को उपर्युक्त अवधि में पंजीकृत किया गया था और शेष 296 मामलों में संबंधित प्रकाशकों

को कुछ औपचारिकताएं पूरी करने और कुछ दस्तावेज संलग्न करने का सुझाव देते हुए विसंगति पत्र जारी किए गए थे।

निर्यातकों को सुविधाएं

6080. श्रीमती शीला गौतम :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्यातकों के लिए पत्तनों, बिजली, संचार और परिवहन जैसी मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने और उनको आसान शर्तों पर अपेक्षित ऋण सुविधाएं सुचारू बनाने और उन्हें प्रदान करने का है ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा निर्यात संबंध को सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार निर्यातों के लिए बुनियादी सुविधा के उन्नयन और निर्यातकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को सुगम बनाने हेतु सतत आधार पर योजनाएं एवं नीतियां तैयार करती हैं। इस संबंध में उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं – देश के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों पर पत्तनों का विकास, समुद्री पत्तनों पर संकट प्रबंधन योजना का नवीकरण, पत्तनों पर सामान्य कार्गों के लिए अतिरिक्त जगह, संचार एवं चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना, मल्टीमॉडल परिवहन का कन्टेनरीकरण तथा अन्तर्देशीय प्रवेश, अन्तर्देशीय कंटेनर डिपों/कंटेनर फ्रेट स्टेशनों की स्थापना, समुद्र पत्तनों और हवाई अड्डों इत्यादि पर इलैक्ट्रानिक डाटा आदान प्रदान को लागू करना और निर्यातकों को पर्याप्त निर्यात ऋण सुविधा मुहैया कराना।

[अनुवाद]

बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

6081. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के दूसरे चक्र को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चक्र को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) बैंक प्रबंधन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ऋण वसूली अधिकरण

6082. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एप्पल ग्रुप फर्म, जो एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है, ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए अपनी परिसम्पत्तियों का मूल्य वास्तविकता से बहुत अधिक दो हजार करोड़ रुपए से अधिक दिखाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण वसूली अधिकरण ने 20 फरवरी, 2001 को जारी एक अन्तरिम आदेश में फर्म के विरुद्ध ऋण वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए देना बैंक को अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फर्म से अब तक कुल कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(ङ) उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें ऋण वसूली अधिकरण ने वसूली कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

''ग्लोबल बेनीफिट शेयरिंग'' में हिस्सेदारी

6083. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ की पाटनरोधी नीति के विरुद्ध एक मामले में भारत की हाल की जीत का

पाटनरोधी व्यवहार संबंधी पन्द्रह राष्ट्रों के गुट पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और अन्य विकासशील देशों को ''ग्लोबल बेनीफिट शेयरिंग'' में अभी समान हिस्सेदारी बनाना शेष है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में राष्ट्र के हितों की रक्षा करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) भारत से कॉटन टाइप बैड लिनन के आयातों पर यूरोपीय समुदाय द्वारा अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने संबंधी विवाद में भारत के अनुरोध पर विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय (डी.एस.बी.) ने एक पैनल का गठन किया था। पैनल तथा अपीलीय निकाय इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यूरोपीय समुदाय ने पाटनरोधी करार के कुछेक प्रावधानों के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप कार्य नहीं किया और उन्होंने सिफारिश की है कि विवाद निपटान निकाय (डी.एस.बी.) यूरोपीय समुदाय से अनुरोध करे कि वे अपने उपायों को पाटनरोधी करार के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप बनाएं। हालांकि पैनल/अपीलीय निकाय की रिपोर्टें विवाद के पक्षों के बीच उक्त विशेष मामले के समाधान के संबंध में बाध्यकारी होती हैं, तथापि इन रिपोर्टों को, जहां वे किसी विवाद के लिए संगत होती हैं, वहां परवर्ती पैनलो में ध्यान में रखे जाने की भी संभावना होती है।

(ग) और (घ) विश्व व्यापार संगठन ने अपने सदस्य देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के बरताव के लिए सामान्य संस्थागत ढांचे की व्यवस्था की है। भारत विकासशील देशों के हितों के लिए सक्रियतापूर्वक पहल करता आ रहा है और वह व्यापारिक संबंधों के बरताव में विकासशील देशों की चिंताओं को ध्यान में रखने के महत्व के प्रति सदस्य देशों पर दबाव डालता रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री

6084. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खुले बाजार में बिक्री के बारे में एक योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री के लिए क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या अनेक डिपुओं में इन खाद्यान्नों को खुले बाजार में नहीं बेचा जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ङ) गेहूं की खुली बिक्री 18.11.1998 से प्रचालन में है। 11.7.2000 को भारतीय खाद्य निगम को जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 2000 के महीनों में क्रमश: 700 रुपये, 750 रुपये और 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर केवल पंजाब में गेहूं की खुली बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया गया था जबकि शेष देश के लिए गेहूं की खुली बिक्री की दरें 900 रुपये प्रति क्विंटल थी। बाद में इस योजना को देश के सभी जोनों के लिए लागू कर दिया गया था और दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई थीं–

जोन	दर प्रति क्विंटल	निम्न तारीख से प्रभावी
उत्तरी	650 रुपये	9.8.2000
दक्षिणी	743 रुपये	11.8.2000
पश्चिमी	724 रुपये	11.8.2000
पूर्वी	736 रुपये	11.8.2000

सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति को उठान स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात् मासिक आधार पर अक्तूबर, 2000 से गेहूं की खुली बिक्री की दरें निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया था। उपर्युक्त दरें अगस्त, 2000 से फरवरी, 2001 तक लागू रहीं। मार्च, 2001 माह के लिए भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी जोनों के लिए गेहूं के 700 रुपये प्रति क्विंटल का एक समान मूल्य और दक्षिण जोन के लिए 650 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया था। अप्रैल, 2001 माह के लिए पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी जोनों के लिए गेहूं की खुली बिक्री की दरें 700 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई थीं।

अप्रैल, 2000 माह के लिए गेहूं की खुली बिक्री जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तरी जोन में रोक दी गई थी ताकि रोलर फ्लोर मिलें/क्रेता वसूली मौसम के दौरान किसानों से अधिक गेहूं खरीद सकें और उतनी सीमा तक भारतीय खाद्य निगम पर दबाव कम हो सके।

खुली बिक्री न्यूनतम 10 टन की मात्रा की खरीदारी की शर्त के अध्यधीन किसी भी उपभोक्ता, व्यापारी, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, रोलर फ्लोर मिले, सहकारी समिति, सुपर बाजार और नागरिक पूर्ति निगमों के लिए खुली है।

4.9.2000 को भारतीय खाद्य निगम को केवल उन उपभोक्ता राज्यों में 30 लाख टन तक चावल की खुली बिक्री करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया था जहां केंद्रीय पूल के लिए चावल की शून्य/नगण्य वसूली हुई थी। भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित श्रेणियों के चावल की खुली बिक्री कर रहा है।

घ-श्रेणी का चावल	तमिलनाडु और केरल राज्यों में 525 रुपये प्रति क्विंटल और उससे अधिक की दर पर राजस्थान में 531 रुपये प्रति क्विंटल और उससे अधिक तथा शेष स्टाक के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर
1997-98 का ढील दी गई विनिर्दिष्टयों का चावल	595 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर
1998-99 का ढील दी गई विनिर्दिष्टयों का चावल	601 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर
एक वर्ष से अधिक पुराना चावल	राज्य सरकारों के लिए 950 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर

स्वरोजगार योजना

6085. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान पिछड़ी जातियों से संबंधित बेरोजगार युवकों को ऋण प्रदान करके कोई नई स्वरोजगार योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें ऋण प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नाबार्ड की ब्याज दरें

6086. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक परिसंघ के इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि यदि सरकार पुनर्वास पैकेज का प्रबंध नहीं करती और नाबार्ड अपनी ब्याज दर कम नहीं करता है तो कृषि क्षेत्र लड़खड़ा जाएगा;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण पिछले पन्द्रह वर्षों में पन्द्रह प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई वक्तव्य ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) कृषि क्षेत्र में 1980-81 के मूल्यों पर सकल पूंजी विनिर्माण (जी.सी.एफ.) कुल जी.सी.एफ. के प्रतिशत के रूप में अस्सी के आरम्भ के दौरान 14.14 प्रतिशत के स्तर से घटकर नब्बे के अंत में 9 प्रतिशत हो गया है। सरकारी क्षेत्र में पूंजी विनिर्माण की घटती प्रवृत्ति को सही करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:- (1) नाबार्ड में ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) का गठन, (2) शुष्क भूमि क्षेत्र में जलविभाजक विकास को बढ़ाने के लिए नाबार्ड में 200 करोड़ रुपये की सीमा तक की एक निधि स्थापित की गई है, (3) ग्रामीण क्षेत्रों में शीतागार और गोदामों के निर्माण के लिए एक पूंजी निवेश सब्सिडी योजना भी सरकार ने शुरू की है। इसके अतिरिक्त, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण आरम्भिक स्तर पर कृषि ऋण प्रवाह की विकास दर में पर्याप्त वृद्धि हो सकी है। आरम्भिक स्तर पर निवेश ऋण 1996-97 के 9413 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़कर 1999-2000 में 15750 करोड़ रुपये हो गया और अनुमान है कि वर्ष 2000-01 के लिए यह 18804 करोड़ रुपये हो जाएगा।

पाकिस्तान से चावल का आयात

6087. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय व्यापारी अभी भी पाकिस्तान से चावल का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो चावल की मात्रा और दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त आयात पर भारतीय किसानों के तीव्र रोष की जानकारी है जिससे उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (दिसम्बर, 2000 तक) के दौरान पाकिस्तान से आयातित चावल की मात्रा और मूल्य दर्शाने वाले आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रुपए में)
1998-99	-	-
1999-2000	25412	2093.65
2000-2001 (दिसम्बर, 2000 तक)	425	34.95

(ग) और (घ) दिनांक 27.5.97 की अधिसूचना सं. 5 द्वारा आम/मोटे किस्म के चावल और 50% अथवा इससे अधिक टूटे हुए चावल के मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। उपरोक्त किस्मों से भिन्न ऐसे चावल के आयातों का सरणीकरण किया गया है जो आई.टी.सी. (एच.एस.) एग्जिम कोड 10.06 के तहत शामिल है।

यह भी देखा गया है कि अप्रैल-दिसम्बर, 2000 के दौरान 34.95 लाख रुपए मूल्य की कुल 425 मी. टन मात्रा का आयात पाकिस्तान से किया गया था।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंक की शाखाओं में कमी

6088. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कमी के क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत कमी हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या और ग्रामीण शाखाओं की संख्या में गिरावट की प्रतिशतता नीचे दी गई है:-

31 मार्च की स्थिति के अनुसार	1997	1998	1999	2000
ग्रामीण शाखाओं की संख्या	32845	32804	32767	32712
ग्रामीण शाखाओं की संख्या में गिरावट की प्रतिशतता	-	0.12	0.11	0.17

भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत नीति के अंतर्गत, बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे जिला परामर्शदात्री समिति/राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पारस्परिक परामर्श से उन केन्द्रों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों की दो या अधिक शाखाओं वाले केन्द्रों पर अपनी हानि उठाने वाली ग्रामीण शाखाओं को बन्द कर सकें। इसके अलावा, बैंकों को, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से निम्नलिखित शर्तों के तहत अपनी शाखाओं को स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी गई है:-

(1) स्थानांतरित की जा रहीं शाखाओं का अस्तित्व पांच वर्षों अथवा अधिक समय से है और वे गत तीन वर्षों से लगातार हानि उठा रही हैं।

(2) शाखाएं उन केन्द्रों पर स्थित हैं जो कतिपय प्राकृतिक जोखिम से ग्रस्त हैं, जो बैंक के नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे, जो बाढ़, भू-स्खलन से प्रभावित हैं अथवा बांधों के निर्माण के कारण जलमग्न हो जाने की संभावना है अथवा प्राकृतिक आपदाओं आदि द्वारा प्रभावित हैं।

(3) बैंक उन स्थानों पर कार्यरत हैं जहां कानून और व्यवस्था की समस्या है अथवा आतंकवादी गतिविधियां बैंक कर्मियों और सम्पत्ति के लिए खतरा बन रहे हैं।

(4) वे शाखाएं जहां बैंक द्वारा अधिकृत परिसर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है अथवा जला दिया गया है/नष्ट कर दिया गया है और केन्द्र/ब्लाक/सेवा क्षेत्र पर कोई उपयुक्त परिसर उपलब्ध नहीं है।

जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की एक शाखा को बन्द करने की अनुमति नहीं दी जाती है, उन्हें उस शाखा को अनुषंगी

कार्यालय में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाती है जो सप्ताह में 2/3 दिन कार्य करती है जिससे कि उस केन्द्र पर ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।

कृषि उत्पादों का आयात/निर्यात

6089. राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री उत्तमराव पाटिल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि संबंधी किन-किन वस्तुओं और मशीनरी का आयात/निर्यात अलग-अलग कुछ शुल्क लगाकर मुक्त रूप से किया जा सकता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कृषि उत्पादों का आयात और निर्यात किया गया और इनसे कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) किन-किन देशों में कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) इस समय, कृषि मशीनरी के आयात की मुक्त रूप से अनुमति दी जाती है। तथापि, गेहूं, चावल, कोपरा, खाद्य तेल जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति केवल राज्य व्यापार उपक्रमों (एस.टी.ई.) के जरिए प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, प्याज, रामतिल, गम कराया के निर्यात की अनुमति एस.टी.ई. के जरिए दी जाती है। गेहूं और गेहूं उत्पादों, जौ के दाने और उसके आटे, मक्का, रागी और ज्वार, चीनी, शुद्ध मक्खन इत्यादि के निर्यात की अनुमति विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी की जाने वाली मात्रात्मक उच्चतम सीमाओं के अधीन रहते हुए प्रदान की जाती है। पांच किग्रा. तक के उपभोक्ता पैकों में दालों को छोड़कर, दालों का निर्यात प्रतिबंधित है। वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (दिसम्बर, 2000 तक) के दौरान देश में आयातित और देश से बाहर निर्यातित कुछेक प्रमुख कृषि उत्पादों की मात्रा के ब्यौरे (मात्रा और मूल्य) क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दर्शाए गए हैं। इन कृषि उत्पादों का निर्यात मुख्यत: आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, कनाडा, इटली, रूस, स्वीडान, नेपाल, यू.के., जर्मनी संघीय गण, ईरान, हंगरी, यूएसए, स्पेन और स्विटजरलैण्ड को किया गया है।

कृषि निर्यातों में आगे और वृद्धि करने के लिए सरकार ने विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाएं शुरू की है और वह उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता संरक्षण और उसमें सुधार, पैकेजिंग विकास, बुनियादी सुविधाओं के विकास और अन्य उपायों के लिए विभिन्न बोर्डों और परिषदों के जरिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है ताकि व्यापार किए जाने वाले ऐसे उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रत्याशित उच्च मानकों को पूरा करते हुए सभी कृषि उत्पादों के निर्यातों को सुकर बनाया जा सके। 31.3.2001 की घोषित निर्यात और आयात नीति में कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करने, पूंजीगत वस्तुओं, उर्वरकों, कीट नाशकों, कृमि नाशकों, पैकिंग सामग्री इत्यादि जैसी निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नया अध्याय जोड़ा गया है।

विवरण-I

भारत में आयातित प्रमुख कृषि उत्पादों की मात्रा

(मात्रा टन में)

मदें	1998-99	1999-2000	2000-2001 (दिसम्बर, 2000 तक)
1	2	3	4
गेहूं	1803700	690400	3986
चावल	5654	27602	8230
अन्य अनाज	2024	181159	30006
अनाज से बनी वस्तुएं	38452	9047	18487

1	2	3	4
दालें	563602	203986	206106
दूध तथा क्रीम	1836	17753	915
काजू गिरी	243347	200584	201287
मसाला	61124	29671	45097
चीनी	900471	1114940	22882
प्राकृतिक रबड़	29534	16436	7680
अपरिष्कृत जूट	99464	140837	40496
वनस्पति एवं पशु वसा	1464	15804	878
अपरिष्कृत एवं अपशिष्ट कपास	57396	236139	187985

(डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता)

विवरण-II

भारत से निर्यातित प्रमुख कृषि उत्पादों की मात्रा एवं मूल्य

(मूल्य: लाख रुपए में)

(मात्रा : टन में)

मदें	1998-99		1999-2000		2000-2001 (दिसम्बर, 2000 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
गेहूं	1763	135.79	20	1.75	795	53.80
बासमती चावल	597793	187690.92	606468	173593.99	638434	158377.64
अन्य चावल	4365888	440364.53	1216681	136943.05	407157	51792.12
अन्य अनाज	9527	868.36	7578	513.93	26880	2586.89
दालें	104096	22302.64	18228	40492.17	180513	41037.42
काजू गिरी द्रव	1892	412.88	754	216.33	1194	189.64
काजू	77277	162746.66	92461	245144.77	59849	139293.57
फल एवं सब्जी बीज	4948	6457.89	6947	6730.91	4963	3718.84
मसाला	209828	163252.05	195793	170192.04	167325	112071.06
चीनी	12735	1735.93	7043	1076.54	183683	25315.80
जूट यार्न	69809	17943.58	65785	17752.99	63691	16531.57
जूट हेसेन	65132	19901.95	56111	18646.79	32108	11725.35
मूंगफली	58325	13966.28	73244	18322.70	69893	17521.73

(डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता)

[अनुवाद]

मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड हेतु पुनरूद्धार पैकेज

6090. **डा. जसवंतसिंह यादव :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड के लिए पुनरूद्धार पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी के सम्पूर्ण ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की वित्तीय पुनर्संरचना को नीचे दिए गए अनुसार अनुमोदित कर दिया है:

1. 225.49 करोड़ रुपये के योजना/गैर-योजना ऋण को इक्विटी में बदलना।
2. 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, सरकारी ऋणों पर बने 675.95 करोड़ रुपये के ब्याज को इक्विटी में बदलना।
3. 125.97 करोड़ रुपये के सरकारी ऋण पर बने शेष बकाया ब्याज को बांडों की परिपक्वता के को-टर्मिनस आधार पर कंपनी द्वारा दो किस्तों में भुगतेय ऋण में बदलना।

राज्यों को ऋण

6091. **श्री पी.डी. एलानगोवन :**
श्री के. येरननायडू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आर.आई.डी.एफ. के तहत "नाबार्ड" ने प्रत्येक राज्य को कितनी ऋण राशि वितरित की;

(ख) यह ऋण कौन-कौन सी परियोजनाओं/सेक्टरों के लिए दिया गया है; और

(ग) यह निधि राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को किस प्रकार और किस माध्यम से दी जाती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत संवितरित किए गए ऋण के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ऐसी परियोजनाएं/क्षेत्र, जिनके लिए आर.आई.डी.एफ. ऋण संवितरित किए गए थे, निम्न प्रकार हैं: बड़ी सिंचाई, मझोली सिंचाई, लघु सिंचाई, सड़कें, पुल, जल विभाजक विकास, बाढ़ संरक्षण, बाजार केन्द्र/गोदाम, जल निकास, शीतागार, मत्स्य पालन, वन विकास, अंतर्देशीय जलमार्ग, प्राथमिक स्कूल, रबर पौधारोपण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बीज/कृषि/बागवानी फार्म, पेय जल, भू-संरक्षण, नागरिक सूचना केन्द्र, खाद्य पार्क तथा प्रणाली सुधार।

(ग) आर.आई.डी.एफ. का गठन वर्ष 1995-96 के लिए संघीय बजट में की गई घोषणा के माध्यम से किया गया था और तब से प्रति वर्ष के आधार पर यह मौजूद रहा है। वर्ष 1995-96 तथा 2000-2001 के बीच निधि (आर.आई.डी.एफ.-I से VI) की छः श्रृंखलाएं शुरू की गई थीं। आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत ऋणों को, राज्य की प्राथमिकताओं के आधार पर और परियोजना की प्रौद्योगिक, आर्थिक संभाव्यता सुनिश्चित करने के बाद राज्य सरकार को ग्रामीण आधारिक विकास परियोजनाओं के सृजन के लिए स्वीकृत किया जा रहा है। तथापि, ऋण राशि राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति आधार पर संवितरित की जाती है। राज्य सरकारें भी आर.आई.डी.एफ. ऋण के 20% तक अग्रिम का उपयोग करने की पात्र हैं, जिसे नाबार्ड द्वारा परियोजना की स्वीकृति के बाद परियोजना को शुरू करने के लिए स्वीकृत किया गया था।

विवरण

आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत राज्य-वार संवितरण (दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार)

(रु. करोड़ में)

राज्य का नाम	आरआई-डीएफ-I	आरआई-डीएफ-II	आरआई-डीएफ-III	आरआई-डीएफ-IV	आरआई-डीएफ-V	आरआई-डीएफ-VI	कुल राज्य
आन्ध्र प्रदेश	214.27	275.26	187.45	154.30	99.33	145.48	1076.59
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	11.62	21.94	33.56
असम	—	63.29	13.43	11.17	84.23	—	169.67
बिहार	12.63	—	4.80	—	—	—	17.43
गोवा	6.85	—	—	7.81	—	—	14.66
गुजरात	145.47	108.20	125.53	62.93	106.33	140.91	689.37
हरियाणा	19.33	50.07	53.61	29.39	30.40	8.16	190.96
हिमाचल प्रदेश	14.23	50.90	41.84	56.42	46.49	36.05	245.93
जम्मू एवं कश्मीर	6.04	0.57	15.96	49.09	38.20	34.21	144.07
कर्नाटक	157.23	158.48	141.83	107.71	43.82	12.12	621.19
केरल	86.25	66.75	49.40	25.01	37.93	1.18	276.52
मध्य प्रदेश	199.20	145.34	132.28	50.98	39.93	69.41	637.14
महाराष्ट्र	169.87	203.36	226.99	187.80	191.59	91.71	1071.32
मणिपुर	0.96	—	—	—	—	—	0.96
मेघालय	3.39	—	5.45	5.44	10.59	3.21	28.08
मिजोरम	2.37	—	—	—	20.56	—	22.93
नागालैंड	1.38	—	—	—	10.06	4.81	16.25
उड़ीसा	161.89	107.26	102.94	69.00	37.78	13.64	492.51
पंजाब	60.50	62.05	82.85	47.85	73.88	48.97	376.10
राजस्थान	116.86	122.53	116.37	17.20	68.32	144.43	585.71
सिक्किम	—	—	—	16.66	2.18	—	18.84
तमिलनाडु	—	218.17	159.29	113.63	113.87	48.14	653.71
त्रिपुरा	—	—	—	9.33	1.98	0.90	12.21
उत्तर प्रदेश	281.89	328.21	286.20	257.56	62.95	43.91	1260.72
पश्चिम बंगाल	81.84	133.92	138.92	102.94	57.40	80.45	595.47
कुल	1742.45	2092.41	1885.14	1382.22	1189.44	959.63	9251.29

भारतीय जन संचार संस्थान में अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां

6092. डा. मंदा जगन्नाथ : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली डा. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति की 1993 की सिफारिश के क्रम में सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को सभी शिक्षण/अकादमिक संस्थाओं में उनके पूरे कोटे की सीटों पर प्रवेश देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जन संचार संस्थान में विभिन्न संकायों/विषयों में डिप्लोमा, स्नातकपूर्व, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष कुल कितनी सीटों पर प्रवेश किया गया; और

(घ) उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को प्रवेश दिया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जन संचार संस्थान, दिल्ली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के प्रवेश के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करता है।

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दी गई कुल सीटों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) इनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विभिन्न स्तर पर भारतीय जन संचार संस्थान में विभिन्न विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु दी गई सीटों की संख्या

वर्ष	पाठ्यक्रम	प्रवेश हेतु दी गई सीटों की संख्या
1	2	3
1998-99	हिन्दी पत्रकारिता	40
	अंग्रेजी पत्रकारिता	40
	विज्ञापन एवं जन सम्पर्क	40
	रेडियो एवं टी.वी. पत्रकारिता	25
1999-2000	हिन्दी पत्रकारिता	40
	अंग्रेजी पत्रकारिता	40
	विज्ञापन एवं जन सम्पर्क	40
	रेडियो एवं टी.वी. पत्रकारिता	25
2000-2001	हिन्दी पत्रकारिता	40
	अंग्रेजी पत्रकारिता	40
	विज्ञापन एवं जन सम्पर्क	40
	रेडियो एवं टी.वी. पत्रकारिता	25

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल सीटों में से स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए गए अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रों की वर्ष-वार संख्या

वर्ष	पाठ्यक्रम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1998-99	हिन्दी पत्रकारिता	4	3
	अंग्रेजी पत्रकारिता	5	2
	विज्ञापन एवं जन-सम्पर्क	5	3
	रेडियो एवं टी.वी. पत्रकारिता	3	2
1999-2000	हिन्दी पत्रकारिता	6	2
	अंग्रेजी पत्रकारिता	6	3
	विज्ञापन एवं जन-सम्पर्क	5	3
	रेडियो एवं टी.वी. पत्रकारिता	4	2
2000-2001	हिन्दी पत्रकारिता	6	3
	अंग्रेजी पत्रकारिता	6	3
	विज्ञापन एवं जन-सम्पर्क	6	3
	रेडियो एवं टी.वी. पत्रकारिता	3	2

गढ़वाल में विकास केन्द्र

6093. **श्री सुनील खां** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए राज्य उत्तरांचल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पौढ़ी-गढ़वाल जिले में स्थापना हेतु प्रस्तावित विकास केन्द्र के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमोदित स्थल कौन सा है; और

(ग) विकास केन्द्र की स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) मे (ग) पौडी गढ़वाल जिले में स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित उक्त विकास केन्द्र प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सरकार को आवंटित किया गया था। नया उत्तरांचल राज्य बनाये जाने से पौडी गढ़वाल जिला नये राज्य के अंतर्गत आ गया है और इस विकास केन्द्र की स्थापना करने के बारे में अपेक्षित निर्णय उत्तरांचल सरकार द्वारा लिया जाना है। इस संबंध में उत्तरांचल सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य पालिसीधारकों को आयकर से छूट

6094. **श्री पदम सेन चौधरी** :
डा. अशोक पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा क्षेत्र का अध्ययन करने वाली इराडी समिति ने सरकार को जीवन बीमा कम्पनियों के स्वास्थ्य पालिसीधारकों की अतिरिक्त आय पर कर न लगाने का सुझाव दिया है, क्योंकि सामान्य पालिसीधारकों को कर में छूट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान श्री वी.यू. इराडी की अध्यक्षता में जीवन बीमा क्षेत्र के कराधान पर सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ जीवन बीमा कारोबार से प्राप्त लाभों से संबंधित कराधान संरचना के बारे में सिफारिश करना था। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि स्वास्थ्य बीमा कारोबार के बारे में पालिसी धारकों के अधिशेष शेयर पर कर न लगाए जाने का ठोस मामला है क्योंकि आम बीमा कंपनियों द्वारा जारी इसी प्रकार की पालिसियों की एवज में पालिसी धारक को प्राप्त राशि पर कर नहीं लगाया जाता है।

(ग) समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है और यथासमय निर्णय लिए जाने की संभावना है।

रुग्ण सरकारी उपक्रम

6095. **श्री पी.आर. खूंटे** :
श्री महबूब जहेदी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रुग्ण सरकारी उपक्रमों की इकाइयों में कामगारों की सहकारी समितियां बनाकर इन्हें पुनरुज्जीवित करने और चलाने के विकल्प पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के लिए किसी उपक्रम की पुनर्स्थापन योजना को अन्तिम रूप देते समय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड इसके नवीकरण के लिए सभी तरीकों का पता लगाता है तथा कर्मचारी सहकारी समितियों सहित सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को अवसर देता है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम के संबंध में अभी तक बोर्ड में ऐसा कोई भी नवीकरण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

दिल्ली में गांजे की खेती

6096. **श्री राजैया मल्याला** :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में गांजे की खेती की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेवार हैं और इसमें लिप्त व्यक्तियों को क्या स्मरणीय दंड देने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) महोदय, दिल्ली के शांति वन तथा शक्ति स्थल

में लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में दिनांक 22 एवं 23 मार्च, 2001 को गांजे के पौधों के बारे में पता चला था जो बंजर भूमि में अपने आप उग गए थे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा इन पौधों को नष्ट कर दिया गया।

(ग) चूंकि ये पौधे बंजर भूमि में अपने आप उग आए थे, अत: व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करना संभव नहीं था।

[हिन्दी]

सोयाबीन पर आयात शुल्क

6097. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने गत दो वर्षों के दौरान सोयाबीन पर आयात शुल्क घटाकर 35% कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका से सोयाबीन का आयात 12 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इससे देश में सोयाबीन के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) भारत सरकार ने सोयाबीन सहित तिलहनों पर आयात शुल्क को वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 40% से घटा कर 35% कर दिया है। अभी तक सोयाबीन का वस्तुत: कोई आयात नहीं हुआ है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पामोलीन का आयात

6098. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी :
डा. डी.वी.जी. शंकरराव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापारी कच्चे पामोलीन और आर.बी.डी. पाम ऑयल का आयात अखाद्य तेल के रूप में कर भारी लाभ कमा रहे हैं क्योंकि खाद्य और अखाद्य तेलों के आयात शुल्कों में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने घरेलू तेल उत्पादक किसानों के निवेश पर बेहतर लाभ दिलाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जहां तक अखाद्य तेलों के रूप में क्रूड पामोलीन और आर.बी.डी. पालोमीन तेल के आयात का संबंध है, वित्त मंत्रालय को इसकी कोई सीधी जानकारी नहीं है।

(ग) घरेलू तेल उत्पादक किसानों की सुरक्षा करने के लिए किए गए कुछ उपाय/प्रयास निम्नानुसार हैं:-

(1) देश में तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 25 राज्यों में 395 चुनींदा जिलों को कवर करते हुए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वयन के अधीन है। इस कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनी किट के वितरण, स्प्रिंक्लर सेट, उन्नत कृषि यंत्र, जिप्सम/पाइराइट्स, माइक्रो न्यूट्रियेन्ट्स, राइजोबियम कल्चर आदि जैसे महत्वपूर्ण आदानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, उन्नत उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों के विस्तार के लिए किसानों के खेतों में अग्रणी प्रदर्शन भी किए जाते हैं।

(2) सर्वोत्तम उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबन्धन प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के मई, 1986 में तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया था।

(3) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(4) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर परम्परागत तिलहन फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना, वृक्षों और वन मूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का दोहन करना।

(5) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के साथ गति बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रसंस्करण और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं स्थापित करना।

(6) तेल पाम के विकास के लिए सहायता देना।

(7) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के माध्यम से उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(8) वनस्पति तेल के उत्पादन में मासिक आधार पर उत्पादन के कम से कम 25 प्रतिशत के लिए घरेलू तेलों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, वनस्पति के उत्पाद में 30 प्रतिशत तक एक्सपेलर सरसों तेल के उच्चतम उपयोग की अनुमति भी दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य देकर प्रोत्साहन देना है।

(9) घरेलू तिलहन उत्पादकों, उपभोक्ताओं और संसाधकों के हितों की रक्षा करने और यथासम्भव सीमा तक खाद्य तेलों के भारी आयात को नियमित करने के लिए खाद्य तेलों के शुल्क ढांचे को 14 महीने की अवधि में चार बार संशोधित किया गया है। अद्यतन संशोधन 1.3.2001 को किया गया था। वनस्पति के उत्पादन के प्रयोजनार्थ सी.पी.ओ. पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है, ऐसा रूग्ण वनस्पति उद्योग के मामले में नहीं किया गया है, उनके लिए शुल्क को 55 प्रतिशत पर रखा गया है। वनस्पति उत्पादन से इतर प्रयोजन के लिए सी.पी.ओ. पर भी शुल्क बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। परिष्कृत सोयाबीन तेल और परिष्कृत सरसों तेल, जिनके मामले में शुल्क क्रमश: 45 प्रतिशत (मूल) और 75 प्रतिशत (मूल) रखा गया है, को छोड़कर परिष्कृत तेलों पर शुल्क बढ़ाकर 85 प्रतिशत (मूल) कर दिया गया है। परिष्कृत तेलों के आयात पर 4 प्रतिशत की दर पर विशेष अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।

गुजरात में सहकारी बैंकों की विफलता

6099. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में सहकारी बैंकों की विफलता से भारी संकट पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक निवेशकों, विशेषत: छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठा रहा है;

(घ) सहकारी बैंकों के उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है जिन्होंने सभी बैंक मानदंडों का उल्लंघन कर बैंक के धन का निवेश मुम्बई और कोलकाता में शेयर दलालों के पास किया है; और

(ङ) डूबे हुए धन की वसूली के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) 9 मार्च, 2001 से जमाराशियां निकालने के लिए अचानक हड़बड़ी शुरू होना और 13 मार्च, 2001 को माधवपुरा मर्केन्टाइल सहकारी बैंक लि. के बन्द होने से शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के बीच बड़े पैमाने पर दहशत पैदा हो गई थी और गुजरात के न केवल अहमदाबाद शहर अपितु अन्य शहरों में भी विभिन्न सहकारी बैंकों की जमाराशियों के संबंध में अफरा-तफरी मच गई थी।

(ग) एम.एम.सी.बी. के जर्माकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ उपाय किए हैं जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35-क के अंतर्गत निदेश लागू करना, एम.एम.सी.बी. के निदेशक मंडल का अधिक्रमण, एम.एम.सी.बी. के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के विरुद्ध मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अहमदाबाद के न्यायालय में शिकायत दायर करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, गुजरात से क्लासिक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद के निदेशक मंडल का अधिक्रमण करने का अनुरोध किया है। उच्च ऋण जमा अनुपात, उधारों आदि वाले शहरी बैंकों के कार्यों की निगरानी ध्यानपूर्वक की जा रही है। देश में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में स्थलेत्तर निगरानी की प्रणाली 30 मार्च, 2001 से प्रारम्भ की गई है। पूंजी पर्याप्तता (पूंजी जोखिम आस्ति अनुपात (सी.आर.ए.आर.) से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड शहरी सहकारी बैंकों पर लागू किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के विरुद्ध, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 56ग के साथ पठित धारा 58ख के अंतर्गत उधारों और जमाराशियों के आहरण और उनके वायदानुसार ट्रायल बैलेंस के संबंध में सूचना/विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए उनकी विफलता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को जानबूझकर की गई झूठी विवरणियां देने के लिए मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद के न्यायालय में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। बैंक आफ इंडिया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी मामले की जांच कर रहा है। एम.एम.सी.बी. के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है।

एम.एम.सी.बी. के पुनरूज्जीवन के लिए उपाय सुझाने हेतु सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा एक समूह गठित किया गया है और उसकी देयराशियों की वसूली के लिए उपायों सहित उसके पुनर्वास के लिए प्रस्तावित कार्रवाई की समूह द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सिफारिशों के आलोक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जाएगी। बैंक के प्रशासक द्वारा देयराशियों की वसूली के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध विवाचन मामला दर्ज कराये जाने की आशा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

6100. डा. अशोक पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक और अन्य विदेशी एजेंसियों की सहायता से कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) उन परियोजनाओं के संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) आज की तारीख में राज्य की कितनी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं का कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) उत्तर प्रदेश में उनतीस परियोजनाएं विदेशी सहायता से चल रही हैं।

(ख) इन परियोजनाओं में की गई प्रगति संलग्न विवरण में बताई गई है।

(ग) और (घ) आज की तारीख में राज्य के लिए निम्नलिखित दो प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लंबित पड़े हैं:

(1) ''उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना'' नामक प्रस्तावित परियोजना (अनुमानित लागत 900 करोड़ रु.) का विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

(2) ''ताजमहल पर्यावरण सुधार'' नामक प्रस्तावित परियोजना का अभी एशियाई विकास बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जाना है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में विदेशी एजेन्सियों से सहायता प्राप्त चल रही परियोजनाएं

(31.3.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	ऋण/अनुदान का ब्यौरा	मुद्रा	ऋण/ अनुदान राशि (मिलियन)	संवितरण की अंतिम तिथि	संचयी आहरण (मिलियन)
1	2	3	4	5	6
		ऋण			
	फ्रांस				
1.	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान को चिकित्सा उपस्करों की आपूर्ति	फ्रांसीसी फ्रांक	30.00	–	25.40
	विश्व बैंक				
2.	उ.प्र. ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण 22.7.96	अ. डालर	47.31	31.5.02	18.88
3.	उ.प्र. विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना दि. 19.5.2000	अ. डालर	150.00	31.12.04	13.98
4.	उ.प्र. बुनियादी शिक्षा दि. 7.7.1993	एसडीआर	116.50	30.9.00	116.28

1	2	3	4	5	6
5.	उ.प्र. लवणयुक्त भूमि सुधार दि. 26.4.1993	एसडीआर	39.50	31.1.01	39.50
6.	उ.प्र. बुनियादी शिक्षा परियोजना-II 3.3.98	एसडीआर	43.70	30.9.00	43.64
7.	उ.प्र. वानिकी दि. 30.12.1997	एसडीआर	39.00	31.7.02	16.08
8.	उ.प्र. विविधीकृत कृषि सहायता दि. 30.7.1998	एसडीआर	37.20	31.3.04	16.64
		अ. डालर	79.90		0.00
9.	उ.प्र. लवण युक्त भूमि सुधार परि.-II 4.2.1999	एसडीआर	141.70	30.9.05	19.59
10.	उ.प्र. स्वास्थ्य प्रणाली विकास दि. 19.5.2000	एसडीआर	82.10	30.12.05	2.25
11.	उ.प्र. राजकोषीय सुधार और लोक क्षेत्र पुनर्संरचना	एसडीआर	93.3	30.10.00	93.3
	दि. 16.5.2000	अ. डालर	126.27		126.27
12.	उ.प्र. जिला प्राथमिक शिक्षा-III दि. 23.2.00	अ. डालर	182.40	31.3.05	17.52
13.	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी)-II 15.9.99	अ. डालर	135.00	31.3.05	*
14.	ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकार देना 26.4.99	अ. डालर	38.70	31.12.01	*
15.	झींगा और मत्स्य पालन दि. 23.6.1992	अ. डालर	85.00	31.12.00	-
	जापान				
16.	आईडीपी-088 अंपारा बीटीपी परि. 24.1.94	जा. येन	17638.00	11.9.02	14319.00
17.	आईडीपी-108 अंपारा विद्युत पारेषण प्रणाली-II	जापानी	12020.00	26.3.01	8054.63
	दि. 25.1.96	येन			
18.	यमुना कार्य योजना दि. 21.12.92	जा. येन	17773.00	19.4.02	*
19.	राष्ट्रीय राजमार्ग-24, सुधार दि. 28.2.1995	जा. येन	4827.00	12.4.02	*
	ओपेक				
20.	बस्ती जिला अस्पताल दि. 4.5.1990	अ. डालर	6.50	30.6.00	5.90
		अनुदान			
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
21.	दून घाटी समेकित जलसंभर प्रबंध दि. 3.12.91	यूरो	22.50	31.12.01	15.41
22.	उ.प्र. में तंगघाटी स्थिरीकरण दि. 17.4.1997	यूरो	7.90	16.4.02	0.00
	नीदरलैंड				
23.	ग्रामीण जलापूर्ति, उ.प्र. उप-परियोजना-VI 16.10.90	नीदरलैंड गिल्डर	25.00	30.6.01	17.31

1	2	3	4	5	6
24.	उ.प्र. में जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना-उप-परियोजना-VIII 29.8.94	नीदरलैंड गिल्डर	25.48	30.6.01	15.52
25.	बुंदेलखंड समेकित जलसंसाधन प्रबंध दि. 12.6.1996	नीदरलैंड गिल्डर	2.80	31.5.01	1.35
26.	गंगा कार्य योजना सहायता दि. 23.7.1997	नी. गिल्डर	51.24	1.10.01	4.53
27.	उ.प्र. में ऊसर भूमि सुधार दि. 7.7.1998	नी. गिल्डर	5.64	30.9.02	0.00
	यूनाइटेड किंगडम				
28.	पश्चिम भारत वर्षा पोषित कृषि-II 21.4.1999	ब्रिटिश पौंड	15.09	31.3.06	0.29
	यू.एस.एड.				
29.	परिवार नियोजन सेवा में नवाचार दि. 30.9.02	अ. डालर	225.00	30.9.02	70.62

*परियोजनाएं अन्य राज्यों में भी कार्यान्वित। संवितरणों का राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

मदुरै में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की शाखा

6101. **डा. वी. सरोजा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिणी तमिलनाडु में तीव्र औद्योगीकीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से मदुरै में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की शाखा खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से प्राप्त सूचना के आधार पर मदुरै में सिडबी की अलग से शाखा खोलने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सिडबी का चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय और कोयम्बतूर एवं त्रिपुरा में दो शाखाएं हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से सिडबी पूरे तमिलनाडु राज्य में लघु उद्योग की ऋण आवश्यकताओं को पूरी करता है और तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम (टी.आई.आई.सी.) तथा वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।

गोल्डन स्टेटस सर्टिफिकेट

6102. **श्री रामनायडू दग्गुबाटि** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात और व्यापारिक घरानों के लिए "गोल्डन स्टेटस सर्टीफिकेट" की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना से अब तक राज्य-वार कितने निर्यात/व्यापारिक घराने लाभान्वित हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) जी, हां, यह अवधारणा मान्यता प्राप्त निर्यातकों द्वारा अपने दर्जा संबंधी प्रमाण-पत्रों के नवीकरण हेतु बार-बार आवेदन करने की जरूरत को समाप्त करने की दृष्टि से 1999-2000 में शुरू की गई थी। एक्जिम नीति में इस प्रावधान के अनुसार जिन निर्यातकों ने तीन बार अथवा उससे अधिक समय के लिए निर्यात घराने, व्यापार घराने, स्टार व्यापार घराने और सुपर स्टार व्यापार घराने का दर्जा प्राप्त किया है और निर्यात जारी रखा है, वे गोल्डन दर्जा प्रमाण-पत्र के पात्र हैं जिसके तहत वे इस

प्रकार के दर्जे का लाभ प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे, भले ही उनका वास्तविक निष्पादन कुछ भी रहा हो और उसके बाद उन्हें इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का लाभ मिलेगा। राज्यवार स्थिति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	1999-2000	2000-2001
1.	गुजरात	02	01
2.	महाराष्ट्र	71	25
3.	केरल	09	06
4.	कर्नाटक	06	02
5.	तमिलनाडु	11	09
6.	उत्तर प्रदेश	09	11
7.	मध्य प्रदेश	02	01
8.	राजस्थान	02	—
9.	पश्चिम बंगाल	18	14
10.	हरियाणा	04	01
11.	जम्मू और कश्मीर	01	01
12	पंजाब	05	04
13.	दिल्ली	29	13
	कुल	169	88

सेवानिवृत्त व्यक्तियों के दावों का भुगतान

6103. **डा. एस. वेणुगोपाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत 31 मार्च, 2001 को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इंदौर की शाखाओं से सेवानिवृत्त होने वाले विभिन्न कर्मचारियों को स्पष्ट अनुदेश होने के बावजूद सेवानिवृत्ति की तारीख तक उनके दावों का भुगतान नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों का क्षेत्र-वार और शाखा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कर्मचारियों को भुगतान कब तक हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा जारी किए गए संशोधित अनुदेशों के अनुसार, नियंत्रक प्राधिकारियों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख से पांच सप्ताह के भीतर भुगतान करने को कहा गया था।

[हिन्दी]

चीनी का आयात

6104. **श्री दानवे राव साहेब पाटिल** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक चीनी का कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में चीनी का उत्पादन और इसका भंडार आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) आयातित चीनी का देश की अर्थव्यवस्था और घरेलू चीनी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद):- (क) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.), कोलकाता के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में आज तक आयात की गई चीनी की मात्रा निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	मात्रा टन में
1.	1999-2000	11,14,940 (अनन्तिम)
2.	2000-2001 (दिसम्बर, 2000 तक)	22,882 (अनन्तिम)
3.	2001-2002 (अप्रैल, 2001 के दौरान)	सूचना प्राप्त नहीं हुई है

(ख) जी, हां।

(ग) 9.2.2000 से आयातित चीनी पर मूल सीमा शुल्क 40% से बढ़ाकर 60% करने तथा 850/- रुपये प्रति टन के प्रतिशुल्क के जारी रहने से चीनी के आयात में काफी कमी हुई है।

काम के बदले अनाज योजना

6105. डा. बलिराम : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम और इस समय चलाए जा रहे आपदा राहत कार्यों के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर किए जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध भी किया है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम को केवल सुनिश्चित रोजगार योजना तक ही सीमित न रखा जाए;

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार ने क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) क्या उक्त कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1977-78 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों को लागू किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो 1977-78 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(छ) सरकार ने राज्य सरकारों के अनुरोध पर अब तक क्या कार्रवाई की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (छ) सूखे से प्रभावित राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया है। फिलहाल दिल्ली और उत्तर प्रदेश सूखे जैसी स्थिति का सामना नहीं कर रहे हैं और उनसे ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्यों ने उन सभी योजनाओं को कवर करने के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में संशोधन करने का अनुरोध किया है जिनमें श्रम काफी बड़ा घटक है। इस मामले पर आपदा प्रबंधन समूह द्वारा विचार किया गया था और यह सिफारिश की गई है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम को उन सभी स्कीमों के लिए लागू कर दिया जाए जो रोजगार सृजन में सहायता करती हैं और जिनमें श्रम काफी बड़ा घटक होता है।

2000-2001 के दौरान सूखा प्रभावित राज्यों को 5,99,773 टन खाद्यान्नों की मात्रा मुफ्त आवंटित की गई है। आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरा बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

2000-2001 के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन चावल और गेहूं के आवंटन तथा उठान बताने वाला विवरण

मुफ्त

25.4.2001 तक उठान

(आंकड़े टन में/अनन्तिम)

राज्य	आवंटन			उठान		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
छत्तीसगढ़	207000	0	207000	186000	0	186000
गुजरात	20000	70000	90000	5732	18836	24568
हिमाचल प्रदेश	11549	0	11549	4947	0	4947
महाराष्ट्र	2000	8000	10000	1979	7442	9421
मध्य प्रदेश	20079	43000	63079	10433	27573	38006
उड़ीसा	100000	0	100000	77832	14617	92449
राजस्थान	0	118145	118145	0	91112	91112

उड़ीसा के मामले में 20,000 टन गेहूं के आवंटन को चावल के आवंटन में परिवर्तित किया गया है लेकिन 14617 टन गेहूं का उठान सूचित किया गया है।

विदेशों में तैनाती

6106. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त मंत्री** 8.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3131 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) अपेक्षित सूचना के कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) दिनांक 8.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3131 में जिन मुद्दों पर जानकारी मांगी गई है वे वित्त मंत्रालय के सभी विभागों के प्रशासनिक एककों को भेज दिए गए हैं, अपेक्षित जानकारी के एकत्रण की प्रक्रिया चल रही है और इसके पश्चात् ही उस जानकारी का समेकन संभव हो सकेगा। चूंकि तैनाती/कार्यभार की जानकारी जातिवार नहीं रखी जाती, अत: सूचना एकत्र करने में समय लग रहा है।

[अनुवाद]

औद्योगिक पुनरुद्धार कोष

6107. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक पुनरुद्धार कोष की स्थापना संबंधी कोई विधेयक सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस विधेयक को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। कंपनी अधिनियम के लिए प्रस्तावित संशोधन पुनर्वास एवं पुनरुद्धार कोष की स्थापना पर विचार करता है। प्रस्तावित नए कानून का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना करना है जिसके कार्य और अधिकार वही होंगे जो (क) कंपनी विधि बोर्ड (सी.एल.बी.) (ख) कंपनी के समापन, समामेलन योजना या व्यवस्थापन विषय पर उच्च न्यायालय, तथा (ग) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्वास के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्वास/अपीलीय अधिकरण बोर्ड के हैं।

(ग) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के निरसन तथा कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। विधेयक को संसद के वर्तमान सत्र में पेश करने का प्रयास किया जा रहा है।

विदेशी कर्ज

6108. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एशियाई और यूरोपीय देशों की तुलना में हमारे सकल घरेलू उत्पाद का विदेशी ऋण अनुपात क्या है;

(ख) भारत में प्रति व्यक्ति विदेशी और घरेलू ऋण कितना है;

(ग) क्या देश सचमुच ऋण चक्र में फंसा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्ष 1998 के अंत में कुछ एशियाई और यूरोपीय देशों सहित भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) के अनुपात की तुलना में विदेशी ऋण नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष 1998 के अंत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी ऋण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना

देश	स.रा.उ. अनुपात में विदेशी ऋण (प्रतिशत)
1	2
एशियाई :	
चीन	16.4
भारत	23.0
इंडोनेशिया	176.5
कोरिया	44.0
मलेशिया	65.3
पाकिस्तान	52.8

1	2
फिलीपाइन्स	70.1
श्रीलंका	54.9
थाईलैंड	76.5
यूरोपीय	
चैक गणराज्य	45.5
हंगरी	62.2
पोलैंड	30.4
रोमानिया	25.3
रूसी संघ	69.4
टर्की	50.0

स्रोत : ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनान्स, 2000 विश्व बैंक।

(ख) मार्च 2000 के अंत में देश का प्रतिव्यक्ति बकाया विदेशी ऋण 99.3 अमरीकी डालर (4332 रु. के बराबर) था। केन्द्रीय सरकार का प्रतिव्यक्ति बकाया आंतरिक ऋण मार्च, 2000 के अंत में 7207 रु. था।

(ग) और (घ) भारत की ऋण ग्रस्तता स्थिति में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह 1990-91 में 38.7 प्रतिशत की तुलना में 1999-2000 में 22.0 प्रतिशत के गिरते हुए ऋण-स.घ.उ. अनुपात से प्रदर्शित होता है। इसी तरह वर्तमान प्राप्तियों के अनुपात में ऋणशोधन में भी सुधार हुआ जो 1990-91 में 35.3 प्रतिशत से कम होकर 1999-2000 में 16.0 प्रतिशत हो गया था। कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋण का अनुपात भी 1990-91 में 10.2 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिर कर 1999-2000 में 4.1 प्रतिशत हो गया। 1990 के दशक के प्रारम्भ से भारत की विदेशी ऋण स्थिति में यह सुधार सरकार द्वारा अपनाई गई सजग ऋण प्रबंध नीति के कारण हुआ है जो निर्यातों की उच्च वृद्धि प्राप्त करने, कुल वाणिज्यिक ऋण तथा परिपक्वता ढांचे को नियंत्रित स्तरों के भीतर रखने, अल्पावधिक ऋणों को सीमित करने और विदेशी पूंजी खातों पर गैर ऋण सृजक वित्तीय प्रवाहों को प्रोत्साहित करने पर केन्द्रित हैं।

सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केन्द्रीय सरकार का आंतरिक ऋण 1992-93 में 26.6 प्रतिशत से बढ़ कर 2000-01 में 36.9 प्रतिशत हो गया। 1990 के दशक के दौरान केन्द्रीय सरकार के ऋण में हुई बढ़ोत्तरी संभवत: अत्यधिक राजकोषीय घाटे और मुख्यत: राजस्व खाते पर व्यय में तीव्र वृद्धि का कारण 1997-98 से राजस्व घाटे की गिरती हुई प्रवृत्ति का बदल जाना है। अर्थव्यवस्था पर लगातार पड़ने वाले राजकोषीय दबाव को देखते हुए हाल ही में एक राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन बिल, 2000 पेश किया गया है। इस बिल में राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे को कम करने, सरकारी ऋण में वृद्धि को नियंत्रित करने और ऋण को एक समयावधि के भीतर स.घ.उ. के समानुपात के रूप में स्थिर करने के लिए एक कानूनी और संस्थागत ढांचे के लिए आधार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

रत्न और आभूषणों का निर्यात

6109. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान भारत के कुल निर्यात में रत्नों और आभूषणों का हिस्सा कितना था;

(ख) सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान रत्न और आभूषणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या भारत को हीरा व्यापार का व्यापार केन्द्र बनाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या भारत अन्य देशों के साथ प्रत्यक्ष व्यापार चैनल स्थापित करने का प्रयास कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) वर्ष 1999-2000 में भारत को कुल पण्य वस्तु निर्यातों में रत्न एवं आभूषण का हिस्सा लगभग 21% था।

(ख) रत्न एवं आभूषण के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए व्यापार की अपेक्षाओं और विद्यमान वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर वार्षिक आयात-निर्यात नीति में अनेक निर्यात संवर्धन योजनाओं को लागू कर वर्ष-दर-वर्ष कई उपाय किए गए हैं। 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी नई एक्जिम नीति में घोषित कुछेक नीतिगत उपायों में शामिल हैं:-

(1) डायमंड डालर एकाउंट स्कीम (डी.डी.ए.एस.) ऐसे हीरा जड़ित आभूषण निर्यातकों पर भी लागू करना जिनका पिछले तीन लाइसैंसिंग वर्षों के दौरान कम से

कम 5 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक कारोबार रहा हो। इसके तहत डी.डी.एस. धारकों को पांच बैंक खातों (जिसमें पहले केवल 2 बैंक खातों की अनुमति दी गई थी) के प्रचालन की अनुमति दी गई है और गैर-डी.डी.ए.एस. धारकों को डी.डी.ए.एस. धारकों की तराशे और पालिश किए गए हीरों की आपूर्ति करने की अनुमति दी गई है जिसकी गणना उनके निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए अथवा प्रतिपूर्ति लाइसैंस के लिए उसकी हकदारी के लिए जैसी कि स्थिति हो, की जाएगी।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/एजेंसियों द्वारा प्रमाणन को सुकर बनाने के लिए 0.50 कैरेट तथा उससे ज्यादा वजन के तराशे तथा पॉलिश किए गए हीरों का निर्यात करने तथा बाद में उनका पुन: आयात करने के लिए एक योजना चलाई गई है।

(3) स्वर्ण ऋण योजना के अन्तर्गत निर्यातकों को स्वर्ण की कीमत निर्धारण करने और स्वर्ण ऋण को निर्यात की तारीख से 180 दिनों के भीतर वापस देने की छूट दी गई है बशर्ते कि इस कीमत की क्रेता और स्वर्ण की आपूर्ति करने वाली नामित एजेंसी द्वारा भी पुष्टि की जाए।

(4) निर्यातकों को विदेशी प्रदर्शनियां आयोजित करने/भाग लेने के लिए 2 मिलि. अमरीकी डालर मूल्य तक के रत्न एवं आभूषण पार्सल व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति दी गई है।

(5) विदेशी क्रेता योजना, जिसमें मूल्यवान धातुओं की मरम्मत के लिए भारतीय विनिर्माताओं को मुक्त आपूर्ति की जा सकती है, उन निर्यातकों पर भी लागू कर दी गई है जिनका वार्षिक कारोबार पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम 5 करोड़ रुपए रहा है।

(6) रत्न एवं आभूषण के निर्यात और आयात पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने के लिए दिल्ली, मुम्बई, कोलकता और चेन्नई हवाई पत्तनों के अलावा अब बंगलौर हवाई पत्तन से भी ले जाने की अनुमति है।

(ग) जी, हां।

(घ) तराशे और पॉलिश किए गए हीरों के विश्व बाजार में मूल्य के रूप में भारत का लगभग 55% हिस्सा बनता है और विश्व में 10 तराशे और पॉलिश किए गए हीरों में से लगभग 9 हीरों का प्रसंस्करण भारत में किया जाता है। अत: ऐसी उम्मीद की जाती है कि भारत हीरों का एक विश्व व्यापार केन्द्र बन जाएगा। निजी/सार्वजनिक बाण्डेड भाण्डागारों की स्थापना हेतु प्रावधान, डायमंड डालर एकाउंट योजना, आयात और निर्यात पार्सलों इत्यादि को व्यक्तिगत रूप से लाने-ले जाने और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रमाणन के लिए कटे तथा पॉलिश किए गए हीरों के निर्यात और पुन: आयात की अनुमति देने की योजना जैसे एक्जिम नीति संबंधी उपायों से मुम्बई को हीरों के विश्व व्यापार केन्द्र के रूप में विकसित करना सुगम होगा।

(ङ) जी, हां।

(च) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित व्यापार के एक प्रतिनिधि स्वायत्तशासी निकाय, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी.जे.ई.पी.सी.) द्वारा अपरिष्कृत हीरे सीधे ही प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से कुछेक हीरा खनन देशों के साथ बातचीत की जा रही है। भारत सरकार ने रूस द्वारा भारत को अपरिष्कृत हीरों की सीधे आपूर्ति सहित हीरों के क्षेत्र में सहयोग हेतु रूसी सरकार के साथ एक "इरादा संलेख" पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

'ए-1' शहरों की घोषणा

6110. श्री कोलुर बसवनागौड़ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे शहर कौन-कौन से हैं जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 50 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्य 'ए-1' शहरों में लागू भत्तों के समान मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिकर भत्ता मंजूर किए जाने के प्रयोजन से इन शहरों को 'ए-1' शहरों के रूप में घोषित किए जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वर्ष 2001 की जनगणना अभी तक पूरी नहीं हुई है। अत: 2001 की जनगणना के अनुसार जिन शहरों की जनसंख्या 50 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है उनके बारे में सूचना ज्ञात नहीं है।

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

6111. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री महबूब जहेदी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने माडर्न फूड इंडस्ट्रीज की खरीद करने के बाद स्वयं को बी.आई.एफ.आर. में रुग्ण कंपनी के रूप में दर्ज कराया है;

(ख) यदि हां, तो माडर्न फूड इंडिया लिमिटेड की कुल परिसंपत्तियों का मूल्य कितना है और पिछले वित्त वर्ष में कंपनी को कितना घाटा हुआ है; और

(ग) इस रुग्ण उद्योग के पुनरुद्धार के लिए बी.आई.एफ.आर. ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं। मैसर्स माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. ने 16 अप्रैल, 2001 को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत रुग्ण कम्पनी के रूप में पंजीकरण हेतु संदर्भ दर्ज किया है जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास अभी भी विचाराधीन है।

(ख) 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की कुल परिसंपत्तियों और संचित हानियां क्रमश: 3301.42 लाख रुपए और 4704.77 लाख रुपए थीं।

(ग) बाइफर केवल उस एकक के मामले में पुनरुज्जीवन के लिए कार्रवाई शुरू करता है, जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत रुग्ण के रूप में पंजीकृत होते हैं।

बैंक कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना

6112. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कोई नई पेंशन योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कोई नई पेंशन योजना लागू करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

आयकर विभाग द्वारा कम्पनियों को जारी किया गया प्रमाण-पत्र

6113. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली का आयकर विभाग इस आशय के प्रमाण-पत्र जारी कर रहा है कि अमुक औद्योगिक इकाई अस्तित्व में है और चालू हालत में है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक ऐसे कितने प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं और इस संबंध में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या आयकर विभाग ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में संगत नियमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयकर अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकिंग प्रणाली को पुनरुज्जीवित किया जाना

6114. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माधवपुरा मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक घोटाले के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चार सूत्री नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय के साथ सहकारी बैंकिंग प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए कार्य कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में बैंक व्यवस्था को घोटालों से बचाने के लिए कौन-कौन से अन्य प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने वर्ष 2001-02 के लिए अपनी ऋण नीति में शहरी बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ नीतिगत उपायों की घोषणा की है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:- (1) शहरी सहकारी बैंक (यू.सी.बी.) प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर व्यक्तियों अथवा किसी अन्य सत्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऋण देने हेतु कोई नया प्रस्ताव स्वीकार न करें; (2) स्टाक ब्रोकरों को दिए जा रहे ऋण या प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष निवेश को कम करना; (3) मांग मुद्रा बाजार में कुल शहरी सहकारी बैंकों (यू.सी.बी.) पर अत्यधिक निर्भरता को घटाने के लिए बैंकों को सलाह दी गई है कि मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में दैनिक आधार पर उनका उधार गत वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत तक की स्थिति के अनुसार उनके कुल जमा का 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, इत्यादि। हाल के अनुभव के आलोक में, भारतीय रिजर्व बैंक का विचार है कि एक नये उच्च पर्यवेक्षी निकाय की स्थापना की आवश्यकता है जो यू.सी.बी. के सम्पूर्ण जांच/पर्यवेक्षी कार्य को कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थलेत्तर निगरानी प्रणाली को लागू किया है, जिसमें सूक्ष्म निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए तिमाही अवधि में बैंकों द्वारा कतिपय विवरणियां जमा किया जाना है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक

6115. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री 15 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4153 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त सूचना को कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सूचना 25 प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुई है। यद्यपि, उनमें से 23 ने "शून्य" सूचना दी है, दो ने यह सूचना दी है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशकों, जिनके खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रहा है, और जिन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है, की संख्या 2 है और ऐसे निदेशक जोकि अभी भी पदोन्नति सूची में है, उनकी संख्या एक है। शेष प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया गया है कि वे सम्बन्धित सूचना अति शीघ्र भिजवाएं।

[अनुवाद]

विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण से संबंधित भगवती समिति

6116. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी कंपनियों के अप्रत्यक्ष अधिग्रहण से संबंधित संहिता में अपेक्षित परिवर्तनों के साथ-साथ अन्य बातों पर विचार करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा नियुक्त भगवती समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में सहकारी बैंक

6117. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बिहार और झारखंड में राज्यवार कितने सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने बैंक घाटे में चल रहे हैं और ये बैंक कहां-कहां स्थित हैं और पत्येक सहकारी बैंक के संचित घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अत्यधिक प्रभावी ग्रामीण सहकारी ऋण व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा कोई निधि स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, बिहार और झारखंड में सहकारी बैंकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

	बिहार	झारखंड
राज्य सहकारी बैंक	1	–
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	25	9
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1	–
शहरी सहकारी बैंक	7	2

(ख) बिहार और झारखंड में घाटे में चल रहे बैंकों के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बिहार राज्य में 7 शहरी सहकारी बैंकों में से 4 घाटे में चल रहे हैं।

(ग) से (ङ) सहकारी ऋण प्रणाली का अध्ययन करने और उसको सुदृढ़ करने के लिए उपाय सुझाने हेतु, सरकार द्वारा गठित कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ नाबार्ड में सहकारी पुनर्वास और विकास निधि की स्थापना करने के लिए सिफारिश की है। सरकार कार्यदल की रिपोर्ट की जांच कर रही है।

विवरण-I

बिहार में सहकारी बैंकों की लाभ और हानि की स्थिति

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	लाभ (+)/हानि (-) 1998-99	संचित हानि (दिनांक 31.3.1999 के अनुसार)
1	2	3	4
1.	आरा	12.15	259.89
2.	औरंगाबाद	-449.37	1356.05
3.	बेगूसराय	11.78	291.36
4.	भागलपुर	11.81	0.00
5.	छपरा	-256.28	1744.49
6.	दरभंगा	94.43	615.21
7.	गोपालगंज	41.12	0.00
8.	कटिहार	271.47	1803.18
9.	खगाना	11.39	339.59
10.	माधोपुरा-सुपौल	18.00	1246.55
11.	मगध	230.32	1077.19
12.	मोतीहारी	-237.90	1377.05
13.	मुंगेर-जमुई	-273.29	529.39
14.	मुजफ्फरपुर	-403.58	1936.91
15.	नालन्दा	327.28	690.90
16.	नैशनल (बेतिया)	36.16	939.02
17.	नवादा	-50.40	777.26
18.	पाटलीपुत्र	12.78	0.00
19.	पूर्णिया	543.58	2190.20
20.	रहिका	-281.73	1486.79
21.	समस्तीपुर	-227.55	940.37
22.	सारण-भभुआ	399.14	1743.79
23.	सीतामढ़ी	3.84	327.12
24.	सीवान	-83.99	570.30
25.	वैशाली	-168.05	977.99
बिहार राज्य			
	सहकारी बैंक 1998-99	-4998.00	3558.00
	1999-2000	7144.00	10802.00
बिहार एससीए			
	1998-99	1475.00	5346.00
	आरडीबी 1999-2000	2529.00	7876.00

विवरण-II

झारखंड में सहकारी बैंकों की लाभ और हानि की स्थिति

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	लाभ (+)/हानि (-) 1998-99	संचित हानि (दिनांक 31.3.1999 की स्थिति)
1	2	3	4
1.	धनबाद	139.99	0.00
2.	डाल्टनगंज	234.09	1758.88
3.	देवघर-जामतारा	-210.02	616.36
4.	दुमका	27.46	0.00
5.	गिरीडीह	-116.30	351.42
6.	गुमला-सिमड़ेगा	78.43	183.45
7.	हजारीबाग	-38.39	309.69
8.	रांची-खूंटी	-501.24	906.90
9.	सिंहभूम	-179.03	2518.62

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग संस्थाओं को समयबद्ध तरीके से हटाना

6118. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के पैनल ने काल मनी मार्किट में ऋण देने वाली म्युचुअल फण्डों, बीमा कंपनियों और अन्य निगमों जैसी गैर-बैंकिंग संस्थाओं को तीन चरणों में हटाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रथा को कब से वापिस लिए जाने की संभावना है?

(घ) म्युचुअल फण्डों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा काल मनी ऋण देने के संबंध में इस पैनल ने और क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ङ) क्या सिफारिशें बैंकिंग और गैर-बैंकिंग प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को किए गए अनुरोधों के आधार पर की गई हैं;

(च) बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा काल मनी बाजार में औसतन कितना परिव्यय ऋण दिया गया है; और

(छ) पैनल द्वारा कौन-कौन से कदम उठाने का सुझाव दिया गया और इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) और (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि "मांग/नोटिस मुद्रा बाजार से गैर-बैंक संस्थाओं को चरणबद्ध ढंग से हटाने संबंधी तकनीकी समूह" जिसमें बैंकों, गैर-बैंक संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारीगण होते हैं, ने यह सिफारिश की थी कि वित्तीय संस्थाओं और म्युचुअल फंडों जैसे गैर-बैंक भागीदारों के मांग मुद्रा बाजार में पहुंच को अप्रैल 2000-मार्च 2001 के दौरान उनके औसत दैनिक उधार के संबंध में रोक (कैप) लगाकर तीन चरणों में कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस समूह ने यह सिफारिश की है कि प्रथम चरण में ऐसे प्रत्येक गैर-बैंक भागीदार को तीन माह की अवधि के लिए 2000-2001 के दौरान मांग मुद्रा बाजार में अपने औसत दैनिक उधार का 70 प्रतिशत तक ही उधार देने की अनुमति दी जानी चाहिए। जो 31 मार्च, 2001 के बाद तत्काल प्रभावी होगा। दूसरे चरण में, पहुंच 2000-2001 के दौरान उनके औसत दैनिक उधार के 40 प्रतिशत तक और कम की जानी चाहिए। अंतिम चरण समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कार्पोरेशन) की स्थापना से या दूसरे चरण की समाप्ति से तीन महीने की अवधि के बाद, जो भी बाद में हो, शुरू होना चाहिए। अंतिम चरण, जिस समय तक समाशोधन निगम के स्थापित कर दिए जाने की आशा की जाती है, तीन महीने की अवधि का होना चाहिए। समूह महसूस करता है कि इस चरण के दौरान, इन सहभागियों को मांग मुद्रा बाजार तक पहुंच की अनुमति 2000-2001 के दौरान उनके औसत दैनिक उधार के 10 प्रतिशत की सीमा तक प्रदान की जानी चाहिए। समूह ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं/सिफारिशें भी की हैं:-

(1) पुनर्खरीद बाजार (रेपो मार्केट) का विकास;

(2) राजकोष बिलों से चल स्टाक (फ्लोटिंग स्टाक) में वृद्धि;

(3) नियम आय वाली प्रतिभूतियों के लिए स्व-नियामक संगठनों अर्थात फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डिराइवेटिव एसोसिएशन आफ इंडिया (एम.आई.एम.

एम.डी.ए.) द्वारा रेपो लेन-देनों के लिए एकसमान प्रलेखन और प्रतिभूति मानक की शुरूआत;

(4) राजकोष बिल के लिए अधिसूचित राशि में वृद्धि।

इस समूह की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अप्रैल, 2001 को घोषित वर्ष 2001-2002 की मौद्रिक एवं ऋण नीति के एक भाग के रूप में संकेत दिया है कि गैर-बैंकों को मांग/नोटिस मुद्रा बाजार से चार चरणों में हटाया जाएगा। प्रथम चरण में, जो 5 मई, 2001 से शुरू होगा, गैर-बैंकों को वर्ष 2000-2001 के दौरान मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में अपने औसत दैनिक ऋण का 85 प्रतिशत तक ऋण देने की अनुमति दी जाएगी।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान गैर-बैंकों द्वारा मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में कुल औसत दैनिक ऋण 9275 करोड़ रुपए था।

निवेशकों को जानकारी देने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहल

6119. श्री किरीट सोमैया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्यूचुअल फंड प्रबंधकों और बाजार बिचौलियों ने निवेशकों को जानकारी देने के लिए पहल करने में बरती जा रही ढिलाई के संबंध में भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया (ए.एम.एफ.आई.) की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार निवेशकों को जानकारी देने के लिए उनके निवेश के संबंध में पहल कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्या अनुदेश जारी किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) निवेशकों को जानकारी देने के लिए पहल करने के बारे में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा भारतीय म्यूचुअल फंड संघ (ए.एम.एफ.आई.) की आलोचना की किन्हीं विशिष्ट घटनाओं की हाल में सरकार को कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निवेशकों की जानकारी एवं बाजार मध्यस्थों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना सेबी अधिनियम, 1992 के अधीन सेबी का एक कार्य है। पूंजी बाजार साधनों में जोखिम प्रतिफल व्यापार की निवेशकों को बेहतर जानकारी देने के लिए सरकार और सेबी वनचबद्ध हैं।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सेबी ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निवेशक जानकारी पर पर समाचार-पत्रों में विज्ञापन/सार्वजनिक सूचनाएं जारी करना निवेशकों के लिए संदर्भ पुस्तिकाओं का प्रकाशन एवं वितरण और निवेशक संघों का पंजीकरण शामिल है ताकि निवेशकों के बीच जानकारी बढ़ाई जा सके। सेबी ने बड़े शहरों के अग्रणी कालेजों में निवेशक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करने और सेबी में पंजीकृत निवेशक संघों को निवेशक-शिक्षा से संबंधित अपने व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिपूर्ति हेतु एक करोड़ रुपए की धनराशि के निर्धारण का भी निर्णय लिया है।

कंपनी कार्य विभाग ने भी शिक्षा-कार्यक्रम चलाने, संगोष्ठियां आयोजित करने, निवेशक संरक्षण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं का अनुमोदन एवं निधि व्यवस्था करने, निवेशक संरक्षण क्रियाकलापों में संलग्न स्वैच्छिक संघों को मान्यता देने और उनकी निधि व्यवस्था करने, पात्र निवेशक मुकदमाकर्ताओं आदि को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि की स्थापना की है।

ए.एम.एफ.आई. ने मयूचुअल फंड्स के बारे में निवेशकों के लिए एक मार्गनिर्देशिका तैयार की है और उसका वितरण किया है। यह देश के विभिन्न भागों में निवेशक सम्मेलनों एवं निवेशक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

[हिन्दी]

मनोरंजन उद्योग को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋण

6120. श्री जय प्रकाश : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा फिल्म उद्योग सहित मनोरंजन उद्योग के वित्तपोषण से संबंधित गठित संयुक्त संस्थागत समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) फिल्म समेत मनोरंजन उद्योग को वित्त प्रदान करने के बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गठित की गई संयुक्त संस्थागत समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने पाया कि उद्योग के लिए संस्थागत ऋण का विस्तार करने की आवश्यकता है। समिति की मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- फिल्म उद्योग का निगमीकरण किए जाने की आवश्यकता है;
- उद्योग में उचित और पारदर्शी लेखा प्रणाली अपनाए जाने की आवश्यकता है;
- देश में समापन बन्धक की प्रणाली का सृजन करके जोखिम न्यूनीकरण तंत्र शुरू करने की आवश्यकता है;
- फिल्म उद्योग के लिए बीमा योजनाओं की व्यापक नीति का विकास किए जाने की आवश्यकता है;
- समिति ने फिल्म उद्योग का वित्तपोषण करने के लिए एक मसौदा योजना को भी अंतिम रूप दिया है।

(ग) आई.डी.बी.आई. द्वारा, अपनी कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन लेने के बाद, योजना को पहले ही शुरू कर दिया गया है। इस योजना को अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा, अपने संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्टाक एक्सचेंजों के निगरानी प्रकोष्ठों का निरीक्षण

6121. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान स्टाक एक्सचेंजों के निगरानी प्रकोष्ठों का निरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उससे प्रकाश में आयी मुख्य बातें क्या-क्या हैं तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या वर्ष 1998-2000 के दौरान बिचौलियों के विरुद्ध कोई जांचें की गईं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उक्त जांचों के आधार पर क्या कार्रवाई की?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कम निवेश

6122. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैन्डर्डस एण्ड पुअर'' से जोरदार अपील की है कि देश की कम निवेश ग्रेड रेटिंग संशोधित करके बढ़ाई जाए;

(ख) यदि हां, तो रेटिंग एजेन्सी द्वारा भारत को क्या रेटिंग दी गयी और सरकार की उस पर क्या दलील है; और

(ग) सरकार की दलील पर एजेन्सी की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय ऋण दर-निर्धारण एजेन्सी द्वारा अपने राजकीय ऋण दर-निर्धारण की समीक्षा के लिए अनुरोध नहीं करती। अन्तर्राष्ट्रीय ऋण दर-निर्धारण एजेन्सियां भारत के लिए राजकीय दर-निर्धारण नियत करने/समीक्षा करने का अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

म्युचुअल फण्ड संबंधी पी.के. कौल समिति

6123. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्युचुअल फंड्स न्यासियों द्वारा जिम्मेदारियों को प्रभावी रूप से निभाने के लिए पी.के. कौल समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ा;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूति संबंधी निधियों के बारे में अपनी सिफारिशें देने के लिए एक समिति गठित की गयी थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा श्री पी.के. कौल की अध्यक्षता में गठित समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुशंसा की कि परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (ए.एम.सी.) द्वारा म्यूचुअल फंडों के न्यासियों को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान की जानी चाहिए; न्यासियों का अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक पृथक प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए अथवा उन्हें स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए; न्यासियों द्वारा सम्यक तत्परता के प्रयोग के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की गईं; न्यासियों की एक वर्ष में न्यूनतम चार बैठकों आयोजित की जानी चाहिए।

(ग) सिफारिशों के क्रियान्वयन ने म्यूचुअल फंड के न्यासियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाया है इससे म्यूचुअल फण्डों की कार्य प्रणाली में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) न्यायमूर्ति सेबी द्वारा डी.आर. धानुका की अध्यक्षता में गठित समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुशंसा की कि प्रतिभूति बाजार हेतु तथा कंपनी अधिनियम के कतिपय उपबंधों के विनियमन के संबंध में सेबी विनियामक अभिकरण होना चाहिए। समिति की कुछ सिफारिशों को प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1999 प्रतिभूति कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1999 तथा कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 के जरिए उचित संशोधनों द्वारा प्रभावी कर दिया गया है।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) में रोजगार

6124. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **वित्त मंत्री** साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के बारे में 4.12.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 951 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1996 से ऋण आधार पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) में साधारण बीमा निगम (जी.आई.सी.) और उसकी सहायक कंपनियों के कार्यरत कुछ कर्मचारियों ने अपनी संबंधित कम्पनी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में नियमित रोजगार प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रोजगार अथवा उनकी नियुक्ति को नियमित करने को शासित करने वाले प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने भर्ती नियम तैयार कर लिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। आई.आर.डी.ए. के अनुसार, साधारण बीमा निगम और इसकी अनुषंगी कम्पनियों के प्रतिनियुक्ति/उधार आधार पर कार्य कर रहे 9 कर्मचारियों ने अपनी संबंधित कम्पनियों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने और बाद में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) में स्थायी रूप से नियुक्त किए जाने हेतु आवेदन किया है।

(ग) दिनांक 28.11.2000 को सभा-पटल पर प्रस्तुत किए गए आई.आर.डी.ए. (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा-शर्तें) विनियम, 2000 में सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के आई.आर.डी.ए. में नियुक्त किए जाने अथवा शामिल किए जाने हेतु प्रावधान किया गया है।

(घ) भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) इस समय, आई.आर.डी.ए. में 17 कर्मचारी हैं जिनमें 5 जीवन बीमा निगम से, 1 भारतीय सड़क अनुसंधान संस्थान से, 2 टैरिफ सलाहकार समिति से और 9 साधारण बीमा निगम और इसकी अनुषंगी कम्पनियों से आए हैं।

बाजार पहल संबंधी नीति

6125. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पहल संबंधी नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस नीति में कतिपय परिवर्तनों की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) योजना आयोग यह योजना वार्षिक योजना 2001-2002 में शामिल करने पर सहमत हो गया है। तथापि, उन्होंने संकेत दिया है कि फिलहाल 2001-2002 के दौरान इस योजना के लिए परिव्यय का प्रबंध वाणिज्य विभाग के लिए अनुमोदित परिव्यय के भीतर पुन:आबंटन करके किया जाये और यदि जरूरी हुआ, तो योजना आयोग अनुपूरक अनुदानों के समय कुछ अतिरिक्त आबंटन पर विचार कर सकता है।

योजना आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:-

(1) विदेशों में ऐसे स्थानों पर स्थाई शो रूम और भाण्डागार सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे शो रूमों की स्थापना उद्योग द्वारा की जाय जो निर्यातकों के लिए सर्वोत्तम होंगे और उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। प्रारंभ में ऐसी सुविधाओं का निर्माण अथवा इनको खरीद करने के बजाय पट्टे पर ली जाये। सरकार आवर्ती लागत के एक हिस्से की पूर्ति करने के लिए इमदाद दे सकती है।

(2) इसी प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय विभागीय भण्डार संवर्धन कार्यक्रम, गहन प्रचार अभियानों में भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी संबंधित अलग-अलग निर्यात घरानों/निर्यातकों द्वारा की जाये। सरकार ऐसे खर्चों की लागत के एक भाग का वित्त पोषण कर सकती है।

क्रियान्वयन हेतु इस योजना को अंतिम रूप देते समय योजना आयोग के सुझावों पर विधिवत विचार किया जा रहा है।

व्यापार मेलों के नये केन्द्रों के लिए वित्त पोषण पद्धति

6126. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने देश भर में कुछ और नए व्यापार केन्द्रों को खोलने की अपनी योजना घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को ऐसे व्यापार केन्द्रों में शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यापार केन्द्रों को खोलने के लिए कितने धन की आवश्यकता है;

(घ) ऐसे प्रत्येक व्यापार केन्द्र पर, भूमि की लागत को छोड़कर कितनी लागत आयेगी; और

(ङ) वित्त पोषण पद्धति और तत्संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) सरकार के अनुमोदन तथा वित्तीय सहायता से कुछ राज्यों में क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्रों (आरटीपीसी) की स्थापना कर रही है। चेन्नई, बंगलौर तथा कोलकाता में आरटीपीसी की स्थापना के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों तथा आईटीपीओ के बीच समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू के अनुसार आरटीपीसी के कार्यों की देख-रेख करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों की नामित एजेंसी तथा आईटीपीओ के बराबर अंशदानों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना की जाएगी और कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के तहत इनका पंजीकरण किया जाएगा।

(ग) से (ङ) इन व्यापार केन्द्रों की स्थापना हेतु अपेक्षित निधियां व्यापार केन्द्र के आकार और स्थिति तथा उसे प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के आधार पर भिन्न-भिन्न होगी। किसी आरटीपीसी, जिसमें मौलिक सुविधाओं के साथ एक प्रदर्शनी हॉल

तथा 5000 वर्ग मी. का प्रदर्शन क्षेत्र हो, के विनिर्माण की अनुमानित लागत लगभग 15.00 करोड़ रुपए है, इसमें विकसित भूमि की लागत शामिल नहीं है।

आरटीपीसी के पास किसी खास स्थान पर व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, सेमिनारों/वर्कशापों/सम्मेलनों का आयोजन करने तथा प्रगति मैदान, नई दिल्ली से बाहर महत्वपूर्ण केन्द्रों पर विकेन्द्रीकृत तरीके से इन सुविधाओं की आवश्यकताओं का प्रबंध करने के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ विशेष प्रदर्शन हॉल होंगे।

फिल्म उद्योग के वित्तपोषण के लिए पृथक बैंक

6127. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने फिल्म निर्माण के वित्तपोषण हेतु संबंधित मानदण्डों और रूपरेखाओं को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय संस्थानों ने फिल्म निर्माण को ''उद्योग'' के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इससे फिल्म उद्योग को क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(ङ) क्या फिल्म क्षेत्र में नए उद्यमियों की कोई रियायत प्रदान की जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने फिल्म उद्योग का वित्तपोषण करने के लिए पृथक बैंक स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) फिल्म समेत मनोरंजन उद्योग को वित्त प्रदान करने के बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गठित की गई संयुक्त संस्थागत समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने पाया कि उद्योग के लिए संस्थागत ऋण का विस्तार करने की आवश्यकता है। समिति की मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- फिल्म उद्योग का निगमीकरण किए जाने की आवश्यकता है;
- उद्योग में उचित और पारदर्शी लेखा प्रणाली अपनाए जाने की आवश्यकता है;
- देश में समापन बन्धक की प्रणाली का सृजन करके जोखिम न्यूनीकरण तंत्र शुरू करने की आवश्यकता है;
- फिल्म उद्योग के लिए बीमा योजनाओं की व्यापक नीति का विकास किए जाने की आवश्यकता है;
- समिति ने फिल्म उद्योग का वित्तपोषण करने के लिए एक मसौदा योजना को भी अंतिम रूप दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग को वित्तपोषित करने के संबंध में भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार मार्गनिर्देश भी बैंकों में परिचालित किए हैं।

(ग) जी, हां। सरकार ने 16 अक्तूबर, 2000 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके द्वारा ''फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग'' को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के तहत ''औद्योगिक संस्था'' घोषित किया गया है।

(घ) आशा है कि योजना के मसौदे द्वारा संस्थागत ऋण को फिल्म उद्योग के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक माध्यमों से निधियों की प्रचलित ऊंची लागत की तुलना में उद्योग के लिए संस्थागत ऋण से फिल्म उत्पादन क्रियाकलाप में निधियों की लागत में कमी होने की भी आशा है।

(ङ) और (च) योजना में किसी विशिष्ट रियायत का प्रावधान नहीं किया गया है। फिल्म उद्योग को वित्तपोषित करने के लिए पृथक बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

धोखाधड़ी रोकथाम कार्यालय

6128. श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय में धोखाधड़ी रोकथाम संबंधी एक सर्वाधिकार संपन्न कार्यालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) वित्त मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पे आर्डर पर छूट देने के कारण बैंक आफ इंडिया को घाटा

6129. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक आफ इंडिया द्वारा माधवपुरा सहकारी बैंक के पे-आर्डर पर छूट देने के कारण उसे 120 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या धोखाधड़ी करने वाले और बैंकों के दोषी अपराधियों का कोई गिरफ्तारी और निलम्बन हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस मामले की पूरी जांच कराने, सभी कमियों को दूर करने एवं दोषी तथा भ्रष्ट अधिकारियों के लिए विभागीय नियमों को और अधिक सख्त बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि माधवपुरा मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक लि. द्वारा जारी और केतन पारिख समूह की कंपनियों द्वारा प्रस्तुत उन पे-आर्डरों, जिन्हें बिना भुगतान के वापस कर दिया गया था, की खरीद/भुनाने पर उसका निवेश 130 करोड़ रुपए का था।

(ख) और (ग) बैंक आफ इंडिया ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बैंक ने सूचित किया है कि श्री केतन पारिख और माधवपुरा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि. के पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैंक आफ इंडिया की शेयर बाजार शाखा के सहायक महाप्रबन्धक और उप महाप्रबन्धक को निलंबित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। बैंक ने प्रारम्भिक जांच कर ली है, जिसके आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो में शिकायत दर्ज की गई थी। बैंक व्यापक जांच भी कर रहा है और उसने पे-आर्डर भुनाने में जोखिम को कम करने के लिए कुछ उपाय भी किए हैं। शाखाओं को निर्देश दे दिए गए हैं कि सहकारी बैंकों के पे-आर्डरों को न भुनाएं और अन्य बैंकों द्वारा जारी पे-आर्डरों को भुनाने के लिए शाखा प्रबन्धकों को दिए गए प्राधिकार कम कर दिए गए हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की बिक्री

6130. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे होटलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने लगभग 1,100 करोड़ रुपये के मूल्य वाली 17 सम्पत्तियों की बिक्री का प्रस्ताव किया है जिसे सरकारी स्वामित्व वाली होटल श्रृंखला निजी क्षेत्र को बेचना चाहती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सौदे को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन होटलों को कौन-कौन से प्राधिकारियों के अधिकार में दिया गया है; और

(च) सरकार द्वारा इन होटलों की बिक्री के बाद वास्तव में कितनी धनराशि अर्जित किये जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) भारत पर्यटन विकास निगम लि. (आई.टी.डी.सी.) के अधीन घाटे में चल रहे होटलों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के 14 होटलों की बिक्री के लिए और 3 होटलों के संबंध में पट्टा-सह-प्रबंधन अनुबंध के लिए बोलीदाताओं से हित की अभिव्यक्तियां आमंत्रित की हैं। सम्पत्तियों का परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारण अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रस्तावित विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि, बाजार परिस्थितियों, कम्पनी का वित्तीय कार्य निष्पादन, बिक्री के निबन्धन और शर्तों, सम्भावित निवेशकों की अभिरुचि इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करेगी। इसलिए विनिवेश से होने वाली अनुमानित आय का आंकलन करना संभव नहीं है।

विवरण

घाटे के आंकड़े (लाख रुपये में)

क्र.सं.	होटल का नाम	1999-2000	2000-2001 (अनन्तिम)
1	2	3	4
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	1120.12	785.51
2.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	139.41	207.05
3.	लोधी होटल, नई दिल्ली	128.28	187.97
4.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	248.49	272.42
5.	होटल हसन अशोक, हसन	34.76	70.50
6.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	75.64	68.71
7.	होटल ओरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	114.77	90.84
8.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट, कोवलम	126.24	152.80
9.	होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो	83.35	77.04
10.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	65.30	107.33
11.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट, मामलापुरम	33.61	36.72
12.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	161.20	150.34
13.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कोलकाता	361.65	396.96
14.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	104.26	27.91
15.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	193.22	210.26
16.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	117.86	131.12
17.	होटल मदुरई अशोक, मदुरई	67.74	75.36
18.	होटल कनिष्का, नई दिल्ली	583.60	735.82
19.	होटल इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली	339.74	329.01
20.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	235.86	115.19
21.	होटल आगरा अशोक, आगरा	146.48	139.71
22.	होटल बोधगया अशोक, बोधगया	19.12	21.76
23.	होटल मनाली अशोक, मनाली	30.29	22.93

भारतीय जहाजरानी निगम की विनिवेश प्रक्रिया

6131. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय जहाजरानी निगम की विनिवेश प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी का चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण साझेदार का ब्यौरा और पृष्ठ-भूमि क्या है;

(ग) सरकार को भारतीय जहाजरानी निगम में शेयरों की बिक्री से कितना मूल्य प्राप्त होने की आशा है;

(घ) क्या शेयरों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) विनिवेश प्रक्रिया अभी आरंभ नहीं हुई है।

गोदामों में खाद्यान्न

6132. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी गोदामों में 50 मिलियन टन से भी अधिक खाद्यान्न अप्रयुक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स संकाय के सदस्यों ने सरकार से आय अर्जन कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अप्रयुक्त पड़े खाद्यान्नों को जारी करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार बफर स्टाक रखने की नीति के अधीन सरकारी एजेन्सियों द्वारा रखे जाने वाले कुल न्यूनतम स्टाक की तुलना में केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

1.4.2001 की स्थिति के अनुसार स्टाक			पहली अप्रैल के लिए न्यूनतम बफर स्टाक रखने का मानदण्ड		
चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
231.91	215.04	446.95	118.00	40.00	158.00

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार द्वारा सूखे से प्रभावित आठ राज्यों में वर्ष 2000-2001 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अधीन राज्यों को सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम के अधीन अतिरिक्त मात्रा के रूप में मुफ्त खाद्यान्न मुहैया किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अधीन आवंटित और उठाई गई खाद्यान्नों की मात्रा बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

2000-2001 के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन चावल और गेहूं का आवंटन और उठान बताने वाला विवरण

25.4.2001 को स्थिति के अनुसार उठान

मुफ्त (आंकड़े टन में/अनंतिम)

राज्य	आवंटन			उठान			निम्न तारीख तक वैध
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8
छत्तीसगढ़	207000	0	207000	186000	0	186000	12/1/2001-30/4/2001

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात	20000	70000	90000	5732	18836	24568	12/1/2001-30/6/2001
हिमाचल प्रदेश	11549	0	11549	4947	0	4947	12/1//2001-30/4/2001
महाराष्ट्र	2000	8000	10000	1979	7442	9421	12/1/2001-31/3/2001
मध्य प्रदेश	20079	43000	63079	10433	27573	38006	12/1/2001-30/4/2001
उड़ीसा	100000	0	100000	77832	14617	92449	12/1/2001-30/4/2001
राजस्थान	0	118145	118145	0	91112	91112	12/1/2001-30/4/2001
जोड़	360628	239145	599773	286923	159580	446503	

उड़ीसा के मामले में 20,000 टन गेहूं के आवंटन को चावल के आवंटन में परिवर्तित किया गया है लेकिन 14617 टन गेहूं का उठान सूचित किया गया है।

कृषि-योग्यभूमि के विक्रय से प्राप्त राशि पर आयकर

6133. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि कृषि योग्य-भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर लगेगा;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस आदेश को क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 28.11.2000 को निर्णीत 1996 की सिविल अपील सं. 15619-15620 में नगर पालिका सीमाओं के भीतर अथवा नगर-पालिका सीमाओं से अधिसूचित दूरी के भीतर स्थित कृषि भूमि की बिक्री पर पूंजीगत अभिलाभों की कराधेयता से संबंधित आयकर अधिनियम के उपबंधों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया है। इन उपबंधों को वित्त अधिनियम, 1970 के तहत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

(ख) से (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा अधिनियमित उपबंधों की वैधता को उचित ठहराया है। कानूनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी कृषि भूमियों से प्राप्त बिक्री आगमों को कराधेय अभिलाभों के रूप में माना गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनियमन की वैधता को उचित ठहराये जाने पर सरकार द्वारा कोई आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती है।

उड़ीसा को एशियाई विकास बैंक से ऋण

6134. श्री के.पी. सिंहदेव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान प्रत्येक राज्य को विभिन्न प्रयोजनों को पूरा करने हेतु एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से कुल कितनी राशि का ऋण प्राप्त हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार को एशियाई विकास बैंक से ऋण के रूप में कोई धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उड़ीसा सरकार द्वारा उस धनराशि में से अब तक कितनी रकम का उपयोग किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एशियाई विकास बैंक ने गत तीन कैलंडर वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को निम्नलिखित ऋणों की मंजूरी दी है :

परियोजना का नाम	ऋण राशि मिलियन अमरीकी डालर	राज्य
1998		
1647-राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजना	250	राजस्थान
1999		
1704-कर्नाटक शहरी विकास एवं तटीय पर्यावरण प्रबंध परियोजना	175	कर्नाटक
1717-मध्य प्रदेश लोक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम	250	मध्य प्रदेश
2000		
1803-गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	150	गुजरात
1804-गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	200	गुजरात
1813-कलकत्ता पर्यावरणीय सुधार परियोजना	250	पश्चिम बंगाल

इसके अतिरिक्त, एशियाई विकास बैंक ने 26 मार्च, 2001 को गुजरात भूकम्प पुनर्वास और पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को भी मंजूरी दी है।

दिल्ली दूरदर्शन में अस्थायी कर्मचारी

6135. श्री नरेश पुगलिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन में विभिन्न स्तरों पर कई अस्थायी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सी.ए.टी.) ने अपने दिनांक 6 नवम्बर, 2000 के आदेश में उन कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए दिल्ली दूरदर्शन के प्राधिकारियों को निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अवसंरचना का विकास

6136. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 2000 के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) और औद्योगिक विकास वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई एक बैठक में प्रत्यक्ष सब्सिडीकरण के माध्यम से प्रयोक्ता प्रभारों की शुल्क-दरों के निर्धारण, लाइसेंसिंग और युक्तिसंगतीकरण से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक में जिन अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई, उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस बैठक में की गई सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने दिसम्बर, 2000 में ''इन्फ्रानेट, 2000'' नामक एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया था, जो आधार सुविधाओं पर सम्मेलन तथा प्रदर्शनी दोनों के रूप में था और इसने आधार सुविधा क्षेत्र की सभी मुख्य संस्थाओं का एक स्थान पर सम्मिलन कराया था। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इसमें शामिल करने के प्रयास किए गए थे। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ निर्धारण, लाइसेंसिंग और प्रयोक्ता प्रभारों को युक्तिसंगत बनाने से मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

(घ) और (ङ) समुचित आर्थिक नीतियों को तैयार करते समय सरकार द्वारा विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। परन्तु करों और टैरिफों का यौक्तिकीकरण सरकार द्वारा किये जा रहे राजकोषीय सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

[हिन्दी]

राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी समिति

6137. डा. चरण दास महंत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर विभाग के आकलन एकक में कार्यरत मुख्य अभियंताओं की संख्या कितनी है;

(ख) इस विभाग में किन-किन कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी समिति का गठन किया गया है;

(ग) इनमें से कुछ एककों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी समिति का गठन न किए जाने के क्या कारण हैं और इन समितियों का गठन कब तक कर लिया जाएगा;

(घ) जिन कार्यालयों में इन समितियों का गठन किया गया है, उनमें पिछले एक वर्ष के दौरान किन-किन तिथियों को इन समितियों की बैठक आयोजित की गई; और

(ङ) कतिपय कार्यालयों में इन समितियों की नियमित बैठक न किए जाने के लिए कौन जिम्मेदार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) कर-निर्धारण एकक में मुख्य अभियंताओं के दो कार्यालय काम कर रहे हैं अर्थात् एक दिल्ली में तथा दूसरा चेन्नई में।

(ख) और (ग) दिल्ली में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कर दिया गया है। चेन्नई में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का शीघ्र गठन करने के लिए, कार्रवाई की जा रही है।

(घ) दिल्ली में कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक 18.4.2001 को की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

''संवेदनशील मदों'' के रूप में वर्गीकरण हेतु मानदंड

6138. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयात-निर्यात नीति 2001-2002 के तहत, 300 विभिन्न मदों का ''संवेदनशील मदों'' के रूप में वर्गीकरण और शिनाख्त करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) मानीटरिंग ग्रुप के निदेश-पद क्या हैं तथा सचिवों के स्थाई समूह के लिए क्या विनियम और दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) भारतीय उत्पादनकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के किन-किन संगत उपायों को अंगीकार किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) शेष 355 टैरिफ लाइनों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के संबंध में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक अंतर-मंत्रालयी स्थायी दल गठित किया गया है ताकि इस प्रयोजन के लिए अभिज्ञात की गई संवेदनशील मदों (एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है) के आयात को मॉनीटर

किया जा सके। ये मदें व्यापार तथा उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों, संसद में हुई चर्चा, समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में दी गई रिपोर्टों तथा अन्य मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अभिज्ञात की गई हैं। भविष्य के परिप्रेक्ष्य पर नजर रखने के लिए उक्त दल का मासिक आधार पर अपनी बैठकें करने का प्रस्ताव है। घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए यदि जरूरी हुआ तो सरकार निर्धारित टैरिफ दरों के भीतर लागू टैरिफ दरों में वृद्धि की व्यवस्था का उपयोग कर सकती है, यदि इन दरों में इस प्रकार का अंतर हो। इसके अलावा, पाटन रोधी कार्रवाई, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क तथा रक्षोपाय शुल्क लगाने जैसे उपाय भी कर सकती है। आयातों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सरकार इन व्यवस्थाओं के उचित प्रयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि घरेलू उत्पादकों को आयातों से कोई गंभीर क्षति न पहुंचे।

विवरण

उन मदों की सूची, जिनके आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के मद्देनजर निगरानी रखी जा सकती है

क्र.सं.	निर्यात-आयात कोड	मद विवरण
1	2	3
1.	020711.00	टुकड़ों में न काटे गए, ताजा या चिल्ड
2.	020712.00	टुकड़ों में काटे गए फ्रोजन
3.	020713.00	कट्स और ओफल, ताजा या चिल्ड
4.	020714.00	कट्स और ओफल, फ्रोजन
5.	020724.00	टुकड़ों में न काटे गए, ताजा या चिल्ड
6.	020725.00	टुकड़ों में काटे गए फ्रोजन
7.	020726.00	कट्स और ओफल, ताजा या चिल्ड
8.	020727.00	कट्स और ओफल, फ्रोजन
9.	020732.00	टुकड़ों में न काटे गए, ताजा या चिल्ड
10.	020733.00	टुकड़ों में काटे गए फ्रोजन
11.	020734.00	फेटी लीवर, ताजा या चिल्ड
12.	020735.00	अन्य, फ्रोजन या चिल्ड
13.	020736.00	अन्य, फ्रोजन
14.	040110.00	भार के अनुसार वसा अंश 1% से अधिक न हो
15.	040120.00	भार के अनुसार वसा अंश 1% से अधिक किन्तु 6% से अधिक न हो
16.	040130.00	भार के अनुसार वसा अंश 6% से अधिक
17.	040210.00	पाउडर, ग्रेन्यूल्स या अन्य ठोस रूप में भार के अनुसार वसा अंश 1.5% से अधिक न हो
18.	040210.01	स्किम्ड मिल्क
19.	040210.03	बच्चों के लिए मिल्क फूड

1	2	3
20.	040210.09	अन्य
21.	040221.00	चीनी या अन्य कोई मीठा न मिलाया गया हो
22.	040229.00	अन्य
23.	040229.02	पूर्ण दूध
24.	040229.03	बच्चों के लिए दूध
25.	040229.09	अन्य (उदाहरणार्थ: मिल्क क्रीम)
26.	040291.00	चीनी या अन्य कोई मीठा न मिलाया गया हो
27.	040299.00	अन्य
28.	040299.02	पूर्ण दूध
29.	040299.03	कंडेस्ड मिल्क
30.	040299.09	अन्य
31.	040510.00	मक्खन
32.	040520.00	डेरी स्प्रीड्स
33.	040590.00	अन्य
34.	040590.01	बटर तेल
35.	040590.02	मेल्डिड बटर (घी)
36.	080111.00	डेस्टिकेटेड
37.	080119.00	अन्य
38.	080119.01	ताजा
39.	080119.01	सूखा नारियल
40.	080121.00	शेल में
41.	080122.00	शेल्ड
42.	080131.00	शेल में
43.	080132.00	शेल्ड
44.	080290.00	सुपारी/ऐरिकनट
45.	080211.00	शेल में
46.	080212.00	शेल्ड
47.	080221.00	शेल में
48.	080222.00	शेल्ड

1	2	3
49.	080231.00	शेल में
50.	080232.00	शेल्ड
51.	080240.00	चेसनट (चेस्टने एसपीपी)
52.	080250.00	पिस्टाचोइस
53.	080290.00	अन्य
54.	080290.01	सुपारी/ऐरिकनट, पूर्ण
55.	080290.02	सुपारी/ऐरिकनट, ग्राउंड
56.	080290.09	अन्य
57.	080500.00	नींबू फल
58.	080510.00	संतरे
59.	080520.00	मेन्ड्रीन (टेंगोरिन्स और सटसुपस सहित) क्लेमेटिंग विल्किंग्स और ऐसे ही सिट्रस हाईबर्ड
60.	080530.00	लेमन (सिट्रस लेमन,) और लाइन्स एसिट्रस ओरिन्टिफोला
61.	080540.00	अंगूर
62.	080590.00	अन्य
63.	080600.00	अंगूर, ताजा
64.	080610.00	ताजा
65.	080620.00	सूखा
66.	080620.01	रेजिन्स
67.	080620.09	सल्टनस और अन्य सूखे अंगूर
68.	080810.00	सेब
69.	080820.00	परयर्स और क्विन्स
70.	081010.00	स्ट्राबरी
71.	081020.00	रसबरी, ब्लेकबरी, मलबरी और लोगनबरी
72.	081030.00	ब्लेड, वाइट या रेड करनट और गूसबरी
73.	081040.00	क्रेनबरी, बिलबरी और जीनस वेकिनम के अन्य फल
74.	081050.00	क्वीफ्रूट
75.	081090.00	अन्य
76.	081090.01	पोमोग्रनेट, ताजा

1	2	3
77.	081090.02	टेमर्टिड, ताजा
78.	081090.03	स्पेटा (चिकू), ताजा
79.	081090.04	सीताफल
80.	081090.05	कस्टर्ड सेब
81.	081090.06	बोर
82.	081090.07	लीची
83.	081090.09	अन्य ताजा
84.	090111.00	डिकोफिनेटेड न हो
85.	090111.01	काफी अरेबिका प्लांटेशन ''ए''
86.	090111.02	काफी अरेबिका प्लांटेशन ''बी''
87.	090111.03	काफी अरेबिका प्लांटेशन ''सी''
88.	090111.09	काफी अरेबिका प्लांटेशन अन्य ग्रेड
89.	090111.11	काफी अरेबिका चेरी एबी
90.	090111.12	काफी अरेबिका चेरी पीबी
91.	090111.13	काफी अरेबिका चेरी सी
92.	090111.14	काफी अरेबिका चेरी बी/बी/बी
93.	090111.19	काफी अरेबिका चेरी अन्य ग्रेड
94.	090111.21	काफी रोब पर्ममेंट एबी
95.	090111.22	काफी रोब पर्ममेंट पीबी
96.	090111.23	काफी रोब पर्ममेंट सी
97.	090111.29	काफी रोब पर्ममेंट अन्य ग्रेड
98.	090111.31	काफी रोब चेरी एबी
99.	090111.32	काफी रोब चेरी पीबी
100.	090111.33	काफी रोब चेरी सी
101.	090111.34	काफी रोब चेरी बी/बी/बी
102.	090111.35	काफी रोब चेरी बुल्क
103.	090111.39	काफी रोब चेरी अन्य ग्रेड
104.	090112.00	डिकाफिनेटिड
105.	090121.00	ना डिकाफिनेटिड

1	2	3
106.	090122.00	डिकाफिनेटिड
107.	090190.00	अन्य
108.	090220.02	थोक में टी ग्रीन
109.	090220.03	टी ग्रीन (बाल, ब्रिक, टेबलेट आदि)
110.	090220.04	टी ग्रीन वेस्ट
111.	090240.02	टी ब्लेक, थोक में पत्ती
112.	090240.03	टी ब्लेक, थोक में डस्ट
113.	090240.04	टी बेग्स
114.	090240.05	टी ब्लेक (उदाहरणार्थ बाल, ब्रिक टेबलेट आदि)
115.	090240.06	टी ब्लेक वेस्ट
116.	090300.00	मदे
117.	090411.00	नाइदर क्रशड मोर ग्राउंड
118.	090411.01	पेपर लॉग
119.	090411.02	लाइट ब्लेक पेपर और पिनहैड
120.	090411.03	ब्लेक पेपर गारबल्ड
121.	090411.04	ब्लेक पेपर अनगारबल्ड
122.	090411.05	डिहाइड्रेट ग्रीन पेपर
123.	090411.06	पेपर पिनहेड
124.	090411.07	फ्रीज ड्राइड ग्रीन पेपर
125.	090411.08	फ्रोजन पेपर
126.	090411.09	अन्य पेपर (सफेद)
127.	090412.00	क्रशड या ग्राउंड
128.	090420.03	जीनस केपस्यिम के फल
129.	090420.04	चिली सीड
130.	090420.09	जमाइका पेपर (पिमेंटल/आल स्पाइसिस)
131.	090610.01	क्रेसिया
132.	090610.02	क्रेनामन बार्क
133.	090610.03	क्रनामन ट्री फ्लावर

1	2	3
134.	090620.00	क्रशड या ग्रांडड
135.	090700.01	क्लोव एक्सट्रेक्टेड
136.	090700.02	नाट एक्सट्रेकटेड (के अलावा)
137.	090700.03	क्लोव स्टेम
138.	090830.01	कारडामस लार्ज (एमोमियस)
139.	090830.02	करडामस स्माल ग्रीन
140.	090830.04	कारडामस स्माल ब्लीचड, हाफ-ब्लीच्ड/ब्लीचड
141.	090830.05	कारडामस स्माल स्पीड
142.	090830.06	कारडामस स्माल (मिक्सड)
143.	090830.07	अन्य (बड़े बीजों सहित)
144.	090830.09	अन्य (बड़े बीजों सहित)
145.	091010.01	जिंजर फ्रेश
146.	091010.02	जिंजर अनब्लीच्ड
147.	091010.03	जिंजर ब्लीच्ड
148.	091010.04	जिंजर पाउडर
149.	091010.09	ड्राई सहित अन्य जिंजर
150.	091040.01	तेजपत्ता (क्रेसिया लिगनेया की पत्तियां)
151.	100110.00	डयूरम गेहूं
152.	100190.00	अन्य
153.	100190.02	मानव खपत के लिए गेहूं (बीज नहीं)
154.	100510.00	मक्का (कोर्न) का बीज
155.	100590.00	अन्य
156.	100610.00	भूसायुक्त चावल (धान अथवा अपरिष्कृत)
157.	100620.00	भूसा (भूरा) चावल
158.	100630.00	अर्द्ध मिल अथवा पूर्ण मिल वाला चावल, पॉलिश अथवा गैर-पॉलिश अथवा ग्लैज्ड
159.	100630.01	पारबोइल्ड चावल
160.	100630.02	बासमती चावल
161.	100630.09	अन्य चावल

1	2	3
162.	100640.00	टूटे हुए चावल
163.	110100.00	आटा
164.	150710.00	कच्चा तेल, परिष्कृत अथवा अपरिष्कृत
165.	150790.00	अन्य
166.	150810.00	कच्चा तेल
167.	150890.00	अन्य
168.	150890.01	डिओडोराइज्ड (सलाद तेल)
169.	150890.09	अन्य
170.	151110.00	कच्चा तेल
171.	151190.00	अन्य
172.	151211.00	कच्चा तेल
173.	151211.01	सूर्यमुखी का कच्चा तेल
174.	151211.02	सूर्यमुखी का तेल (करदी कच्चा तेल)
175.	151219.00	अन्य
176.	151219.01	सूर्यमुखी का तेल
177.	151219.02	सूर्यमुखी का तेल
178.	151221.00	कच्चा तेल, गोसीपोल अथवा गैर-गोसीपोल
179.	151229.00	अन्य
180.	151311.00	कच्चा तेल
181.	151319.00	अन्य
182.	151321.00	कच्चा तेल
183.	151329.00	अन्य
184.	151410.00	कच्चा तेल
185.	151410.01	कच्चा कोल्जा तेल
186.	151410.02	कच्चा सरसों का तेल
187.	151410.03	परिष्कृत रैपसीड तेल
188.	151490.00	अन्य
189.	151490.01	परिष्कृत कोल्जा तेल

1	2	3
190.	151490.02	परिष्कृत सरसों का तेल
191.	151490.03	परिष्कृत रैपसीड तेल
192.	170111.00	गन्ना
193.	170111.09	अन्य गन्ना
194.	220810.00	पेय जल के निर्माण में प्रयुक्त किस्म का अल्कोहल सामग्री
195.	220810.90	अन्य
196.	220820.00	अंगूर की शराब अथवा अंगूर मार्क के भाप द्वारा प्राप्त स्प्रिट
197.	220830.00	व्हिस्की
198.	220840.00	रम और ताफिया
199.	220850.00	जिन और जैनेवा
200.	220860.00	वोडका
201.	220870.00	शराब और कार्डियलस
202.	220890.00	अन्य
203.	240220.00	सिगरेट
204.	240210.01	बीड़ी
205.	240210.02	सिगार और चैरूटस
206.	250100.01	सामान्य नमक (आयोडाइज नमक सहित)
207.	250100.02	चट्टानी नमक
208.	250100.09	अन्य नमक
209.	400110.01	प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स, पूर्व वल्केनाइज्ड नहीं
210.	400110.02	पूर्व वल्केनाइज्ड प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स
211.	400121.00	स्मोक्ड शीटस
212.	400122.01	प्राकृतिक रबड़ से निकाला गया तेल
213.	400122.02	ग्राफ्ट रबड़ समेत प्राकृतिक रबड़ का रासायनिक संशोधित रूप
214.	400122.09	अन्य तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट प्राकृतिक रबड़
215.	400129.01	हेवीऑ
216.	400129.02	लैटक्स पेल से क्रेप रबड़, लैटेक्स क्रेप
217.	400129.03	एस्टेट ब्राउन क्रेप

1	2	3
218.	400129.09	अन्य प्राकृतिक रबड़, गैर-लैटेक्स
219.	400130.00	बलाटा, गूटटा-पर्चा, गाउली, चिक्ल और इसी प्रकार का प्राकृतिक गोंद
220.	500200.00	कच्चा रेशम (नॉट थ्रोन)
221.	500400.00	रेशम यार्न
222.	500500.00	यार्न स्पन
223.	500600.00	रेशम यार्न
224.	520100.00	कपास
225.	520300.00	कपास, कार्डिड
226.	660110.00	गार्डन अथवा इसी प्रकार के छाते
227.	660191.00	दूरबीन युक्त शाफ्ट
228.	60199.00	अन्य
229.	680221.01	मार्बल ब्लॉक्स/स्लैब/टाइल्स, पोलिश्ड
230.	680221.09	अन्य
231.	680223.01	ग्रेनाइट ब्लॉक्स/स्लैब/टाइल्स, पोलिश्ड
232.	680291.00	मार्बल, ट्रैवरटाइन और एलाबास्टर
233.	680292.00	अन्य कैलकेरियस पत्थर
234.	680293.00	ग्रेनाइट
235.	680299.00	अन्य पत्थर
236.	680221.01	मार्बल ब्लॉक्स/स्लैब/टाइल्स, पोलिश्ड
237.	690810.01	सेरामिक मोसायक क्यूब्स
238.	690810.02	सेरामिक मोसायक टाइलें
239.	690810.09	अन्य
240.	690890.01	सेरामिक मोसायक क्यूब्स
241.	690890.02	सेरामिक मोसायक टाइलें
242.	701300.00	ग्लास सेरामिक के
243.	701321.00	लैड क्रिस्टल के
244.	701329.00	अन्य
245.	701331.00	लैड क्रिस्टल के
246.	701391.00	लैड क्रिस्टल के

1	2	3
247.	870321.01	मोटर कार, नयी, जिसकी सिलिण्डर क्षमता 1000 सी सी से अधिक नहीं हो एसैम्बल किए हुए स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बशशसन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इन्जन सहित
248.	870321.02	जीप और लैंडरोवर टाइप वाहन एसैम्बल किए हुए, 1000 सी सी से ज्यादा नहीं एक सिलिण्डर क्षमता के, स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिंग पिस्टन इंजन सहित
249.	870321.03	पुरानी या उपयोग में लाई गयी मोटर कारें और जीपें और लैंडरोवर्स, एसैम्बल किए हुए 1000 सी सी से ज्यादा नहीं एक सिलिण्डर क्षमता के, स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिंग पिस्टन इंजन सहित
250.	870321.04	पूर्ण इकाइयां, एसैम्बल नहीं किए हुए 1000 सी सी से ज्यादा नहीं एक सिलिण्डर क्षमता के, स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिं पिस्टन इंजन सहित
251.	870321.05	विशिष्ट यातायात वाहन जिसकी सिलिंडर क्षमता 1000 सी सी से अधिक नहीं हो, स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिंग पिस्टन इंजन के साथ
252.	870322.01	मोटर कार, नए एसैम्बल किए हुए 1000 सी सी से अधिक परन्तु 1500 सी सी से कम सिलिण्डर कैपिसिटी से स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिंग पिस्टन इंजन के साथ
253.	870322.02	जीप और लैंड रोवर टाइप वाहन, एसैम्बल किए हुए पुरानी या उपयोग में लायी गयी मोटर कारें, जीप और लैंड रोवर्स, एसैम्बल किए हुए 1000 सी सी से अधिक परन्तु 1500 सी सी से कम सिलिण्डर कैपेसिटी के स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन के साथ
254.	870322.03	पुरानी या उपयोग में लायी गयी मोटर कारें, जीप और लैंड रोदवर्स, एसैम्बल किए हुए 1000 सी सी से अधिक परन्तु 1500 सी सी से कम सिलिण्डर कैपेसिटी के स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिंग पिस्टन इंजन के साथ
255.	870322.04	पूर्ण इकाइयां एसैम्बल नहीं किए हुए 1000 सी सी से अधिक परन्तु 1500 सी सी से कम सिलिण्डर कैपेसिटी के स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिंग पिस्टन इंजन के साथ
256.	870322.05	स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट वाहन, 1000 सी सी से अधिक परन्तु 1500 सी सी से कम सिलिण्डर कैपेसिटी के स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिंग पिस्टन इंजन के साथ
257.	870323.01	मोटर कार, नए, एसैम्बल किए हुए 1500 सी सी से अधिक लेकिन 3000 सी सी से अधिक नहीं 3000 सी सी से अधिक नहीं, सिलिण्डर क्षमता के स्पार्क इग्नीशन कम्बस्शन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन सहित
258.	870323.02	जीप और लैंड रोवर्स टाइप वाहन, एसैम्बल किए हुए 1500 सी सी से अधिक परन्तु 3000 सी सी से अधिक नहीं सिलिण्डर कैपेसिटी के स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिंग पिस्टन इंजन के सहित
259.	870323.03	पुरानी और प्रयोग में लायी गयी मोटर कारें, जीप और लैंड रोवर्स जिसकी सिलिण्डर क्षमता 1500 सी सी से अधिक हो किन्तु 3000 सी सी से अधिक न हो स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिंग पिस्टन इंजन के सहित

1	2	3
260.	870323.04	सम्पूर्ण यूनिटें, असैम्बल न की गई, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 15000 सी सी से अधिक हो लेकिन 3000 सी सी से अधिक न हो, स्पार्क इग्नीशन इन्टर्नल कम्पशन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन सहित
261.	870323.05	विशिष्ट यातायात वाहन, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो लेकिन 3000 सीसी से अधिक न हो, स्पार्क इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन सहित
262.	870324.01	रेसिंग कारें, जिनकी सिलेण्डर क्षमता 3000 सी सी से अधिक हो, स्पार्क इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इन्जन सहित
263.	870324.09	अन्य वाहन, जिनकी सिलैण्डर क्षमता 3000 सीसी से अधिक हो, स्पार्क इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इन्जन सहित
264.	870331.01	मोटर कारें, नई, असैम्बल ली गई, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 15000 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इंजन सहित
265.	870331.02	जीप और लैण्ड रोवर जैसे वाहन, असैम्बल किए गए, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
266.	870331.03	पुरानी और प्रयोग में लाई गई मोटर कारें, जीप लैण्ड रोवर्स, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 15000 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
267.	870331.04	सम्पूर्ण यूनिटें, जो कि असैम्बल न की गई हों, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इर्न्टल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
268.	870331.05	विशेषीकृत परिवहन वाहन, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इंजन सहित
269.	870332.01	मोटर कारें, नई, असैम्बल की गई जिसकी सिलैन्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो किन्तु 2500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इंजन
270.	870332.02	जीप और लैण्ड रोवर्स जैसे वाहन, असैम्बल किए गए, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो किन्तु 2500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
271.	870332.03	पुरानी और प्रयोग में लाई गई मोटर कारें, जीप और लैण्ड रोवर्स, असैम्बल किए गए, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो लेकिन 2500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
272.	870332.04	संपूर्ण यूनिटें, असैम्बल न की गई, जिनकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो, किन्तु 2500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रेशन इग्नीशन इर्न्टनल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
273.	870322.05	वशिष्ट यातायात वाहन, जिनकी सिलेण्डर क्षमता 1500 सी सी से अधिक हो लेकिन 2500 सी सी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
274.	870333.01	मोटर कार, नई, असैम्बल की गई जिसकी सिलैण्डर क्षमता 2500 सी सी से अधिक हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित

1	2	3
275.	870333.02	जीप और लैंड रोवर जैसे वाहन, असैम्बल किए गए, जिसकी सिलेण्डर क्षमता 2500 सी सी से अधिक हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इर्न्टनल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
276.	870333.03	पुरानी और प्रयोग में लाई गई मोटर कारें, जीप और लैंड रोवर्स, जिनकी सिलेण्डर क्षमता 2500 सी सी से अधिक हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इर्न्टनल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
277.	870333.04	संपूर्ण यूनिटें, जो असैम्बल न की गई हों, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 2500 सी सी से अधिक हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बशन पिस्टन इंजन सहित
278.	870333.05	विशिष्ट यातायात यूनिटें, जिसकी सिलेंडर क्षमता 2500 सी सी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
279.	870390.00	अन्य वाहन मुख्यत: व्यक्तियों के परिवहन के लिए तैयार किए गए
280.	950100.01	पहियों वाले खिलौने
281.	950210.00	गुड़ियां
282.	950210.03	प्लास्टिक की गुड़ियां
283.	950310.00	विद्युत रेल
284.	950320.00	इलेक्ट्रॉनिक खेलों के खिलौने
285.	950330.00	शिक्षाप्रद खिलौने
286.	950341.00	स्टफ्ड खिलौने
287.	950349.03	प्लास्टिक के खिलौने
288.	950350.01	संगीतमय खिलौने के उपकरण
289.	950360.00	शिक्षाप्रद खिलौने
290.	950390.02	खिलौने बन्दूक
291.	960810.00	बॉल प्वाइन्ट पैन
292.	960820.00	मार्कर्स
293.	960831.00	इन्क ड्रूंग पैन
294.	960839.01	फाउंटेन पैन
295.	960840.00	पैन्सिलें

[हिन्दी]

रुपये के अवमूल्यन का आयात/निर्यात पर प्रभाव

6139. श्री रामजी लाल सुमन :
श्री सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रुपये के अवमूल्यन से देश के आयात-निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 2000-2001 के दौरान रुपये का 6.97 प्रतिशत अवमूल्यन होने से देश के आयात-निर्यात व्यापार में कितनी वृद्धि अथवा गिरावट हुई है; और

(घ) किन-किन वस्तुओं पर रुपये के अवमूल्यन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) हालांकि मूल्य ह्रास को निर्यातों की सहायता करने वाला तथा आयातों को महंगा करने वाला माना गया है तथापि आयात और निर्यात अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे विश्व व्यापार में वृद्धि, हमारे निर्यातों के लिए मांग में वृद्धि, आयातों की आंतरिक आवश्यकता, सरकार की नीतियां आदि। तथापि, मूल्यह्रास को प्रतिस्पर्द्धियों द्वारा मूल्यह्रास, घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन की सीमा, अन्तर्राष्ट्रीय ऋण तथा विदेशी निवेश पर प्रभाव, आंतरिक मुद्रास्फीति की सीमा आदि जैसे मुद्दों के संदर्भ में देखा जाता है। अनुकूल विश्व व्यापार स्थिति, सरकार की नीतिगत पहल जैसे विकेन्द्रीकरण के माध्यम से कारोबार लागतों में कमी, क्रियाविधियों का सरलीकरण तथा एग्जिम नीति में वर्णित विभिन्न अन्य उपाय, इत्यादि देश के निर्यात-आयात व्यापार पर प्रभाव डालेंगे। निर्यात संवर्धन सरकार का एक सतत प्रयास होने के नाते, निर्यातों में वृद्धि करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं विकेन्द्रीकरण के जरिए कारोबार लागतों में कमी करना, क्रियाविधियों का सरलीकरण और एग्जिम नीति में यथा निर्दिष्ट विभिन्न अन्य उपाय। बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय पहल, थ्रस्ट तथा फोकस क्षेत्रों का पता लगाकर भी निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। निर्यातों में और अधिक वृद्धि करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। अप्रैल-फरवरी, 2001 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष 20.03 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निर्यातों में उत्तम निष्पादन रहा है। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता से उपलब्ध अलग-अलग नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 2000-01 के दौरान जिन प्रमुख निर्यात योग्य वस्तुओं ने उत्तम निष्पादन प्रदर्शित किया था उनमें अन्य वस्तुओं के साथ-साथ शामिल हैं - सिले-सिलाए परिधान, सूती यार्न रेशा, रसायन एवं संबद्ध उत्पाद इत्यादि समेत इलैक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, अयस्क एवं खनिज, वस्त्र।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

6140. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अब तक कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) इस निवेश की सहायता से उक्त उपक्रमों को इस समय कितने प्रतिशत आय हो रही है;

(ग) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में किए गए निवेश और इसकी सहायता से हो रही आय प्रतिशतता के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी और निजी क्षेत्र के उद्योगों में निवेश की मात्रा के बीच इस समय बड़ा अन्तर होने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) 27.2.2001 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1999-2000 के अनुसार 31.3.2000 तक की उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 240 उपक्रमों में निवेश की कुल राशि 2,52,554 करोड़ रुपए थी।

(ख) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार नियोजित पूंजी की तुलना में ब्याज एवं कर पूर्व लाभ के सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिशत आय 14% थी।

(ग) से (ङ) निजी क्षेत्र में निवेश से सम्बन्धित सूचना सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

उज्बेकिस्तान को नकली भारतीय दवाओं का निर्यात

6141. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उज्बेकिस्तान स्थित भारतीय मिशन ने बड़े पैमाने पर चोरी-छुपे चल रही एक ऐसी गतिविधि के बारे में सूचनाएं भेजी हैं, जिसमें भारत निर्मित नकली दवाओं का उज्बेकिस्तान को निर्यात करने और वहां से भारत में हीरक-चूर्ण, टंगस्टन-तार इत्यादि की तस्करी करना शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को और अधिक चौकस रहने और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेन्डेंट स्टेट्स (सी.आई.एस.) देशों, विशेष रूप से उज्बेकिस्तान, से आने वाले/को जाने वाले विदेशियों/यात्रियों की ओर अधिक सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए सतर्क कर दिया गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली में नियंत्रण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है ताकि यात्री ग्रीन चैनल सुविधा का दुरूपयोग न कर सकें और न ही वे अनुमत निशुल्क असबाब छूट से अधिक वास्तविक असबाब से भिन्न सामान न ला सकें। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के सभी प्रभारी आयुक्तों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे वरिष्ठ अधिकारियों के आकस्मिक दौरों में वृद्धि करें और बेईमान यात्रियों द्वारा ग्रीन चैनल सुविधा का किसी प्रकार से दुरूपयोग करने के मामलों को रोकने के लिए कड़ा पर्यवेक्षी नियंत्रण लागू करें और उचित मामलों में अभियोजन चलाने पर विचार करने के अलावा गलत घोषणा करने अथवा घोषणा न करने के मामले में कठोर अर्थदण्ड लगाएं।

कोडाईकनाल में एफ.एम. रेडियो ट्रांसमीटर

6142. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु स्थित कोडाईकनाल में स्थापित एफ.एम. रेडियो-ट्रांसमीटर को अभी कार्यशील बनाया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यशील बनाया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं। कोडईकनाल स्थित रेडियो स्टेशन पहले ही 1.7.2000 से चालू कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कुल कारोबार पर कर

6143. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी** :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से कुल कारोबार-पर-कर लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केंद्र सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों द्वारा शेयरधारकों को ऋण

6144. **श्री नवल किशोर राय** :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों द्वारा सरकार के निदेशों के अनुसार उपप्राधीयन शेयरों को गारन्टी के रूप में लेकर ही ऋण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्षों 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान बैंकों द्वारा शेयरों को उपप्राधीयित करके कुल कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ग) प्रदत्त कुल ऋण में से शेयरों को उपप्राधीयित करके जो ऋण दिया गया उसका प्रतिशत कितना था;

(घ) क्या शेयरों की कीमतें गिरने के कारण बैंकिंग उद्योग को घाटा पहुंचा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस दिशा में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) बैंक अपने सामान्य बैंकिंग क्रियाकलाप के एक भाग के रूप में शेयरों, डिबेन्चरों आदि की प्रतिभूति पर ऋण/अग्रिम राशि देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों, शेयर दलालों, शेयर संतुलनकर्ताओं आदि जैसे विभिन्न ग्राहकों को शेयरों पर अग्रिम राशि देने के संबंध में विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई-सेबी तकनीकी समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट 12 अप्रैल, 2001 को प्रस्तुत की है, की सिफारिशों को देखते हुए अपने मार्गनिर्देशों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बैंकों द्वारा शेयरों डिबेन्चरों/बाण्डों पर दिए गए ऋण/अग्रिम राशि 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार 6413.91 करोड़ रुपए थी, जो उनकी कुल अग्रिम राशि का 1.5 प्रतिशत है।

(घ) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इक्विटी शेयरों की कीमतों में गिरावट के कारण अभी तक किसी भी बैंक से किसी खाते में कोई घाटा होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

निर्यात को बढ़ावा

6145. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (एसोचैम) ने हाल ही में निर्यातकों के हितों की अनदेखी करने के लिए सरकार की आलोचना की है और निर्यात को बढ़ावा देने की मांग करते हुए एक विस्तृत अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने "एसोचैम" द्वारा दिए गए अभ्यावेदन की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (एसोचैम) ने निर्यातकों के हितों की उपेक्षा करने के लिए सरकार की आलोचना नहीं की है। इसके विपरीत चैम्बर ने एग्जिम नीति की हाल ही की घोषणा पर सरकार की सराहना की है। एसोचैम ने विश्व बाजार में 1 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक छः सूत्री कार्यनीति का सुझाव भी दिया है।

(ख) और (ग) एसोचैम ने निर्यात ऋण हेतु ब्याज दर में कमी करने, उच्च एम.डी.ए. सहायता, शुल्क वापसी/डी.ई.पी.बी. का समय पर भुगतान, सौदों की लागत कम करने, दीर्घकालिक कृषि निर्यात नीति इत्यादि का सुझाव दिया है। हाल ही में घोषित की गई ऋण नीति में आर.बी.आई. ने लदान-पूर्व/लदान-पश्चात् निर्यात ऋण दर में कमी की है। बाजार अनुसंधान तथा विशिष्ट बाजार/उत्पाद संबंधी अध्ययन करने में उद्योग की सहायता करने के लिए योजना आयोग द्वारा बाजार पहुंच संबंधी पहल की एक योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। शुल्क वापसी/डी.ई.पी.बी. के लंबित मामलों का शीघ्रता से निपटान किया जा रहा है। कृषि निर्यातों को बढ़ाने के लिए नई एग्जिम नीति में कृषि निर्यात क्षेत्र की एक योजना अधिसूचित की गई है। सौदों की लागत कम करने के लिए डी.जी.एफ.टी. और सीमाशुल्क विभाग के विभिन्न कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है और क्रियाविधियों को सरल बनाया गया है।

आर्थिक विकास

6146. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अरूण कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष 2000-2001 की तीसरी त्रैमासिकी के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद की आर्थिक विकास-दर नीचे आ गई है;

(ख) यदि हां, तो वित्त वर्ष 2000-2001 की पहली, दूसरी और तीसरी त्रैमासिकी के दौरान की विकास-दरों के बारे में ब्यौरा क्या है और इनमें गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) 1999-2000 की इसी संगत अवधि के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद की विकास-दर क्या रही; और

(घ) निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के तिमाही अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2000-2001 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर) के लिए स्थिर कीमतों पर उत्पादन लागत पर स.घ.उ. में 5.7 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है जबकि इसकी तुलना में 1999-2000 की तीसरी तिमाही में 6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि हुई थी।

(ख) और (ग) 1999-2000 और 2000-2001 की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए दरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1999-2000 की तीसरी तिमाही की तुलना में 2000-2001 की तीसरी तिमाही में हुई कम वृद्धि को विनिर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार, वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यापारिक सेवाओं तथा सामुदायिक सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाओं से उत्पन्न स.घ.उ. में कम वृद्धि के कारण है।

(घ) वृद्धि लक्ष्य वार्षिक रूप से निर्धारित नहीं किए जाते फिर भी नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए वार्षिक वृद्धि लक्ष्य 6.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है। अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियों की गहन रूप से मानीटरिंग की जाती है और उनकी लगातार समीक्षा की जाती है तथा जब भी जरूरी हो उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में उचित उपाय किए जाते हैं। वर्ष 2001-2002 के बजट में, विशेषरूप से कृषि और ग्रामीण विकास, आधार सुविधा, वित्तीय क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, राजकोषीय प्रबंध, कराधान, ढांचागत सुधार के क्षेत्र में अपनाए गए विभिन्न आर्थिक सुधारों और अन्तर्निहित नीतिगत उपायों का समग्र वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

विवरण

स.घ.उ. के तिमाही अनुमान (उत्पादन लागत पर) (1993-94 की कीमतों पर)

(तदनुरूपी अवधि की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन)

	मद	1999-2000			2000-2001		
		ति. 1	ति. 2	ति. 3	ति. 1	ति. 2	ति. 3
1.	कृषि वानिकी और मत्स्य पालन	4.3	1.8	-1.1	1.7	1.9	1.2
2.	खनन व उत्खनन	–0.7	3.0	0.9	3.2	5.6	4.3
3.	विनिर्माण	5.8	6.5	7.1	7.0	6.3	6.1
4.	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	3.3	8.9	6.1	5.6	2.9	7.7
5.	निर्माण	6.6	8.1	8.5	9.0	9.0	9.6
6.	व्यापार, होटल, परिवहन और संप्रेषण	8.3	7.8	8.3	9.6	7.3	7.4
7.	वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यापारिक सेवाएं	10.4	10.3	10.8	9.6	9.6	9.3
8.	सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	12.9	5.0	15.8	5.2	8.9	8.2
	कुल स.घ.उ.	7.1	6.2	6.0	6.3	6.5	5.7

ति. - तिमाही
ति. 1 अप्रैल-जून
ति. 2 जुलाई-सितम्बर
ति. 3 अक्टूबर-दिसम्बर

ऋण की वसूली

6147. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के हाल के फैसले के मद्देनजर जिसमें ''बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993'' को खारिज कर दिया गया था, को प्रतिस्थापित करने हेतु कोई अन्य विधान अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नए ऋण-मानदंड बनाने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों को कम करने में ये मानदण्ड किस तरीके से लाभप्रद होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) ''बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993'' को प्रतिस्थापित करने के लिए कोई दूसरा विधान/कानून अधिनियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋण पुनर्गठन हेतु बैंकों को कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, पुनर्गठित खातों के निरूपण के सम्बन्ध में बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। इन मार्गनिर्देशों में आस्तियों की मानक और अवमानक श्रेणियों के लिए ऋण करार की शर्तों के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण/पुनर्विचार संबंधी संशोधित मानदण्डों की व्यवस्था की गई है ताकि ये आस्तियां अनुपयोज्य आस्तियों की अपेक्षाकृत निचली श्रेणियों में न चली जाएं।

[हिन्दी]

वस्त्र मशीन उत्पादक उद्योग

6148. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र मशीनरी उत्पादक उद्योगों को भारी मंदी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, नहीं, वर्ष 2000-01 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान वस्त्र मशीनरी के समग्र उत्पादन में कमी नहीं आयी है। अप्रैल-फरवरी 2000-01 के दौरान संचयी उत्पादन भी विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान के उत्पादन के बराबर ही रहा है।

(ग) निम्नलिखित बजटीय प्रस्तावों से वस्त्र मशीनरी की मांग में और वृद्धि होगी:-

(1) प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अन्तर्गत बजटीय प्रावधान विगत वर्ष के 50 करोड़ रुपये के प्रावधान से बढ़ाकर चालू वर्ष में 200 करोड़ रुपये कर दिये गये हैं।

(2) वर्ष 2004 तक कम से कम 50,000 नये ढरकी (स्टल) रहित करघों का प्रसताव है और 2.5 लाख माटे करघों का स्वचालित करघों के रूप में आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है।

स्वर्ण जमा योजना

6149. श्री तूफानी सरोज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने स्वर्ण जमा योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है और इस योजना का लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या इन बैंकों ने स्वर्ण जमा करने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(घ) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक बैंक में अब तक कितना स्वर्ण जमा किया गया है;

(ङ) क्या यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। निजी रूप से धारित स्वर्ण को परिचालन में लाने के प्रयोजन से सरकार ने 14 सितम्बर, 1999 को स्वर्ण जमा योजना अधिसूचित की। इसके द्वारा, स्वर्ण आयात पर देश की निर्भरता घटेगी तथा इसके मालिकों को उनके स्वामित्वाधीन स्वर्ण के संचयन, संचालन तथा सुरक्षा की समस्याओं से मुक्त कराने के अतिरिक्त उन्हें कुछ आय भी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 1999 में मुख्य संचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए तथा बैंकों को अपनी स्वर्ण जमा योजनाएं स्वयं तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया।

(ग) और (घ) स्वर्ण जमा के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि, 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार स्वर्ण जमा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक द्वारा जुटाई गई स्वर्ण की मात्रा नीचे दी गई है:-

बैंक	जुटाई गई स्वर्ण की कुल मात्रा
भारतीय स्टेट बैंक	6086 कि.ग्रा.
कार्पोरेशन बैंक	229 कि.ग्रा.
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक	142 कि.ग्रा.
इलाहाबाद बैंक	10 कि.ग्रा.
केनरा बैंक	10 कि.ग्रा.
जोड़	6477 कि.ग्रा.

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय आवागमन

6150. श्री राममोहन गाइडे :
श्री शिवाजी माने :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय आवागमन को सुचारू बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने हाल ही में अन्तर्राज्यीय व्यापार के सामने आने वाले विवादों को हल करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त प्राधिकरण के गठन का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक काम करना शुरू कर देगा और इस उच्चाधिकार प्राप्त अधिकरण के विचारार्थ विषय क्या हैं और इसकी संरचना क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) सरकार ने अन्तर राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान अन्तर राज्यीय विवादों को हल करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 में संशोधन करने की स्वीकृति दे दी है। उक्त प्राधिकरण ''केन्द्रीय बिक्रीकर अपील प्राधिकरण'' के नाम से जाना जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। यह केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित धारा 6 के अन्तर्गत आने वाले अन्तर-राज्यीय विवादों को हल करेगा। संशोधन विधेयक को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का विनिवेश

6151. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के विनिवेश का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो चयन की गयी तेल कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या ऐसा विनिवेश देश के विकास के हित में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रक्रिया के कब तक शुरू होने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रस्तावों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करती है। अब सरकार ने आई.बी.पी. कंपनी लि. में 26 प्रतिशत भागीदारी को अपने पास रखने और 33.6 प्रतिशत का अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विनिवेश करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) सरकार की घोषित नीति यह है कि सरकार सामान्य मामलों में गैर-सामरिक क्षेत्रों में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी भागीदारी को 26 प्रतिशत तक अथवा उससे कम करेगी। तेल क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम गैर-सामरिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। विनिवेश नीति के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ गैर-सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अवरुध संसाधनों को प्राथमिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक और अनिवार्य आधारभूत संरचना जैसे उच्चतर सामाजिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए निर्मुक्त करना भी शामिल है।

(ङ) आई.बी.पी. कम्पनी लि. में विनिवेश की प्रक्रिया पहले ही आरंभ की जा चुकी है परंतु अभी तक पूर्ण नहीं हुई है।

कृषि उत्पादों के आयात पर लगाये गये प्रतिबंध

6152. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि आयात पर आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों का अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ दल इन देशों में भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या सरकार भारत में आयातित कृषि उत्पादों पर ऐसे ही प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा आयतित कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता और वनस्पति स्वच्छता उपाय करने हेतु उठाये गये अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (च) एक शिष्टमंडल, जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे, ने जनवरी, 2001 में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया था ताकि इन देशों में कृषि वस्तुओं के व्यापार पर सैनिटरी और फाइटो सेनेटरी उपायों के इस्तेमाल का अध्ययन किया जा सके। इस दल ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

उक्त शिष्टमंडल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने दिनांक 31.3.2001 को अधिसूचना सं. 3 जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार सभी प्राथमिक कृषि उत्पादों का आयात पौध, फल एवं बीज (भारत में आयात का विनियमन) आदेश 1989 की शर्तों के अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले जैव-सुरक्षा एवं सैनिटरी-फाइटो सैनिटरी आयात परमिट के अधीन होंगे।

पंचाट प्राधिकरण का गठन

6153. **डा. जसवंत सिंह यादव :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोक उद्यम विभाग में एक स्थायी पंचाट प्राधिकरण का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्राधिकरण के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(घ) मामले में तेजी लाने में इससे किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) स्थायी मध्यस्थ तंत्र की स्थापना लोक उद्यम विभाग में 1989 में दिनांक 29 और 30 मार्च, 1989 (प्रति विवरण के रूप में संलग्न) को अर्ध शा./का.ज्ञा. संख्या 15(9)/86-सरकारी उद्यम कार्यालय (वित्त) द्वारा की गई थी।

(ग) और (घ) स्थायी मध्यस्थ तंत्र में विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय से संयुक्त सचिव के स्तर का एक अधिकारी मध्यस्थ का पद धारण किए हुए है। मध्यस्थ द्वारा वाणिज्यिक विवादों (कराधान को छोड़कर) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बीच तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा केन्द्रीय सरकारी विभाग के बीच मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाता है। स्थापना की तारीख स्थायी मध्यस्थ तंत्र ने मध्यस्थता द्वारा 55 विवादों का निपटान किया है।

विवरण

जी.एन. मेहरा
सचिव

भारत सरकार
लोक उद्यम विभाग
उद्योग मंत्रालय
नई दिल्ली-110011

अ.शा. सं. 15(9)/86-सउका (वित्त)

29 मार्च, 1998

प्रिय सचिव,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आपस में तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा एक सरकारी विभाग के बीच व्यावसायिक विवादों (आयकर, सीमाशुल्क तथा उत्पाद कर को छोड़कर) को सरकारी अधिकारियों द्वारा मध्यस्थ से या शक्ति प्रदत्त सरकारी एजेंसियों के सम्मानीय कार्यालयों तथा बी.पी.ई. के माध्यम से निपटाया जाता है। विधि मामलों के विभाग द्वारा तैयार किए गए दिनांक 8.5.1987 के नोट पर विचार करने के बाद सचिवों की समिति ने दिनांक 26.6.1987 को सम्पन्न अपनी बैठक में यह सुझाव दिया था कि मध्यस्थों के स्थायी तंत्र का गठन उपर्युक्त श्रेणियों के विवादों को छोड़कर सरकारी उद्यमों के आपस में तथा एक सार्वजनिक उपक्रम तथा सरकारी विभाग के बीच व्यवसायिक विवादों को निपटाने के लिए बी.पी.ई. में किया जाए। सचिवों की समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि वाणिज्यिक संविदाओं के लिए सभी पार्टियों के लिए बाध्यकारी एक संविदात्मक खंड होना चाहिए कि वे अपने सारे विवादों को उस निकाय को संदर्भित करें। सचिवों की समिति यह भी चाहती थी कि बी.पी.ई. उस प्रयोजनार्थ मंत्रिमण्डल के विचारार्थ एक नोट लाए। तद्नुसार, बी.पी.ई. ने एक नोट तैयार किया जिस पर व्यय विभाग तथा विधि मामलों के विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई तथा 24.2.1989 को संपन्न बैठक में मंत्रिमण्डल ने इसे अनुमोदित किया।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सरकारी उद्यम भविष्य में तथा वर्तमान व्यावसायिक संविदाओं/आपूर्ति आदेशों/करारों आदि में आपस में तथा एक सार्वजनिक उपक्रम तथा एक सरकारी विभाग के बीच संविदात्मक खंड को शामिल करें, यह आवश्यक है कि प्रशासनिक मंत्रालय संबंधित उपक्रमों के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के संबंधित खंड या सांविधिक निगम निर्मित करने वाले अधिनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत सरकारी उद्यम के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालकों को निर्देश जारी करें, जिसका मसौदा अनुबंध-I में संलग्न है। विवादों के प्रभावपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए तंत्र द्वारा अपनाई जाने वाली सक्रिय विधि अनुबंध-JI में संलग्न है। चूंकि, तंत्र वित्तीय रूप से स्वयं समर्थ के रूप में गठित किया गया है, अत:, तंत्र द्वारा दी गई सेवा लागत, जो उन्हें सूचित की जाएगी, को विवादियों द्वारा बराबर-बराबर बांटना अपेक्षित है।

3. मैं आभारी होऊंगा, यदि आप अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक सरकारी उद्यम को उचित निर्देश जारी करें तथा उन्हें विवादों को निपटाने हेतु प्रक्रिया विधि से अवगत कराएं। कृपया, सरकारी उद्यम को भेजे गए पत्राचार की प्रतियां बी.पी.ई. को भेजने की भी व्यवस्था करें।

सादर,

आपका
हस्ता०/-
(जी.एन. मेहरा)

अनुबंध-I

विवादों के निपटान के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी किए जाने वाले मसौदा निर्देश

विषय: दो सार्वजनिक उपक्रमों तथा एक सार्वजनिक उपक्रम तथा एक सरकारी विभाग के बीच व्यावसायिक तथा अन्य करार संबंधी विवादों का निपटारा।

एक सार्वजनिक उपक्रम तथा एक सरकारी विभाग तथा दो सार्वजनिक उपक्रमों के बीच व्यवसायिक तथा अन्य करारों संबंधी विवादों के निपटारे के लिए संस्थागत व्यवस्था की खोज करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तथा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे विवादों को सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा गठित स्थायी मध्यस्थता तंत्र को संदर्भित करना चाहिए। यह मध्यस्थतता तंत्र आयकर, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादकर मामलों को छोड़कर सभी विवादों के मामलों के लिए कार्य करेगी।

2. ..... (सरकारी उद्यम का नाम) के संख्या अंतर्नियमों के अनुच्छेद ..... /..... (सरकारी उद्यम का नाम) की स्थापना के ..... अधिनियम की धारा ..... द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति को यह निर्देश देते हुए प्रसन्नता है कि आपकी कंपनी/निगम तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभाग के बीच व्यावसायिक तथा अन्य करारों से संबंधित सारे विवाद सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा गठित स्थायी मध्यस्थता तंत्र को संदर्भित किए जाएंगे। राष्ट्रपति को आगे ये निर्देशित करते हुए प्रसन्नता है कि निम्न मध्यस्थता खंड सभी भावी संविदाओं/करारों आदि में शामिल किए जाएंगे तथा चल रही संविदाओं के मामले में, उन्हें ऐसे खंड को जोड़कर उचित ढंग से संशोधन करना चाहिए:-

> "संविदा के प्रावधानों की व्याख्या तथा अनुप्रयोज्यता के संबंध में किसी विवाद या भेद के मामले में भी, ऐसे विवाद या भेद सरकारी उद्यम कार्यालय के प्रभारी भारत सरकार के सचिव द्वारा नामित किए जाने वाले सरकारी उद्यम विभाग के किसी मध्यस्थ को मध्यस्थता हेतु किसी भी पार्टी द्वारा संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता हेतु लागत नहीं होगा। मध्यस्थता के निर्णय विवादित पार्टियों के लिए बाध्यकारी होंगे, बशर्ते कि तथापि, ऐसे निर्णय से पीड़ित कोई पार्टी निर्णय को रद्द करने या पुनरीक्षण हेतु विधि सचिव, विधि मामलों का विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को आगे संदर्भित कर सकता है। ऐसे संदर्भित विवादों पर विधि सचिव या विधि सचिव द्वारा प्राधिकृत विशेष/अतिरिक्त सचिव द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जिनके निर्णय अंतिम रूप से तथा निर्णायक रूप से पार्टियों के लिए बाध्यकारी होंगे। पार्टियों को मध्यस्थ द्वारा यथा सूचनानुसार मध्यस्थता लागत को बराबर-बराबर बांटना होगा।"

अनुबंध-II

सरकारी उद्यम कार्यालय में स्थायी मध्यस्थता तंत्र द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विधि की मसौदा रूपरेखा

पार्टियों के बीच संविदा के प्रावधानों की व्याख्या तथा अनुप्रयोज्यता के संबंध में किसी विवाद या भेद की स्थिति में (आयकर, सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क विवादों को छोड़कर), ऐसे विवाद या भेद को सरकारी उद्यम कार्यालय के प्रभारी भारत सरकार के सचिव द्वारा नामित सरकारी उद्यम कार्यालय में किसी मध्यस्थ को मध्यस्थता हेतु किसी भी पार्टी द्वारा संदर्भित किया जाएगा।

2. मध्यस्थता अधिनियम 1940 (1940 का 10) इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता हेतु लागू नहीं होगा। बशर्ते, तथापि, ऐसे निर्णय द्वारा पीड़ित कोई पार्टी निर्णय को रद्द करने या पुनरीक्षण हेतु विधि सचिव, विधि मामलों का विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को आगे संदर्भित कर सकता है। ऐसे आगे संदर्भित मामलों पर विधि सचिव या विधि सचिव द्वारा प्राधिकृत विशेष/अतिरिक्त सचिव द्वारा निर्णय लिया जाएगा जिसके निर्णय अंतिम रूप मे तथा निर्णायक रूप से पार्टियों पर बाध्यकारी होंगे।

3. संदर्भित होने के बाद मध्यस्थ पार्टियों से कागजात, बयान तथा टिप्पणियां मंगवाएगा और पार्टियों को व्यक्तिगत रूप से सुनेगा, जब वह जरूरी समझेगा। मध्यस्थ पार्टियों को मध्यस्थता शुल्क की अनुमानित राशि भी बताएगा, जो उन्हें बराबर-बराबर वहन करनी होगी तथा पार्टियों द्वारा सूचना मिलने के एक माह के भीतर भुगतान करनी होगी। सारे भुगतान भारत सरकार को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या आर्बिट्रेटर द्वारा बताए गए अन्य साधनों द्वारा किए जाने चाहिए।

4. मध्यस्थ सामान्यत: बैठक दिल्ली में निर्धारित करेगा जब तक कि लिखित में कोई कारण रिकार्ड न किए जाने हो और वह अन्यथा निर्णय न ले। कोई भी बाहरी वकील मध्यस्थ के समक्ष किसी पार्टी की ओर से उनके मामलों में बहस करने हेतु उपस्थित नहीं हो सकेगा, किंतु पार्टियां अपने पूर्णकालीन विधि अधिकारियों की मदद ले सकते हैं। मध्यस्थता कार्यवाही में उपर्युक्त प्रक्रिया-विधि के अपनाए जाने की निर्भरता का मध्यस्थ तथा विधि सचिव द्वारा निर्धारण किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

5. मध्यस्थ मामला संदर्भित होने के 6 माह के भीतर या मध्यस्थता करार किए जाने हेतु किसी पार्टी द्वारा लिखित में नोटिस कार्रवाई कर बुलाए जाने के बाद या पार्टियों द्वारा अनुमत्य ऐसे विस्तारित समय के भीतर, अपना निर्णय देगा। यदि मध्यस्थ ठीक समझता है तो वह अंतरिम निर्णय भी दे सकता है।

6. मध्यस्थ एक पक्षीय निर्णय भी दे सकता है, जब कोई पार्टी/पार्टियों उनमे अपेक्षित ब्यौरे को प्रस्तुत करने या दो मौके देने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ रहती है। यहां तक कि उन मामलों में भी पार्टियां मध्यस्थता लागत को बराबर-बराबर वहन करने को बाध्य होगी।

7. मध्यस्थ मौखिक निर्णय दे सकेगा। निर्णय सादे कागज पर प्रकाशित किया जाए।

8. मध्यस्थ निर्णय की सूचना देते समय, मध्यस्थता शुल्क की अंतिम राशि निश्चित करेगा जो पार्टियों द्वारा उस सूचना के एक माह के भीतर या इस संबंध में मध्यस्थ द्वारा दिए गए समय के भीतर बराबर-बराबर भुगतान करना होगा।

9. किसी मध्यस्थ की मृत्यु हो जाने, कार्य की उपेक्षा या मना करने या किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में, यह सरकारी उद्यम कार्यालय के प्रभारी भारत सरकार के सचिव के लिए विधि सम्मत होगा कि वह निष्कासित मध्यस्थ के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को एकल मध्यस्थ के तौर पर नामित करे। इस तरह नियुक्त मध्यस्थ यथासंभव व्यवहार्य उस अवस्था में, जहां बाहर गए मध्यस्थ द्वारा छोड़ा गया था, आगे बढ़ेगा।

सं. 15(9)/86-सउका (वित्त)
भारत सरकार
उद्योग मंत्रालय
सरकारी उद्यम कार्यालय
14, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांक 30.3.1989

विषय : सरकारी उद्यम का आपस में तथा सरकारी उद्यम तथा सरकारी विभागों के बीच वाणिज्यिक विवादों का निपटारा।

इस विषय पर पहले जारी किए गए सभी का.ज्ञा. का अधिक्रमण करते हुए, सरकारी उद्यम का आपस में तथा सरकारी उद्यम तथा सरकारी विभाग के बीच सभी चालू तथा भावी वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय में मध्यस्थों की एक स्थायी तंत्र का गठन करने का सरकार ने अब निर्णय लिया है। आयकर, सीमाशुल्क तथा उत्पादन संबंधी विवाद पूर्ववत निपटाए जाते रहेंगे।

2. सभी मामलों को आपस में निपटाए जाने के हर प्रयास किए जाने चाहिए तथा किसी भी पार्टी द्वारा तंत्र को संदर्भित करने के लिए अंतिम उपाय के रूप में अपनाया जाए। तंत्र विवाद के प्रथम दृष्टया मौजूदगी के संतुष्ट होने के बाद ही संदर्भित मामले पर कार्रवाई करेगी। चूंकि, विवादियों से तंत्र द्वारा दी गई सेवा लागत को बराबर-बराबर वहन करेगा की अपेक्षा है, तंत्र को संदर्भित करने से बचने हेतु सभी प्रयास करने की आवश्यकता है।

3. प्रशासनिक मंत्रालय उल्लिखित पार्टियों के बीच सभी वर्तमान तथा भावी व्यावसायिक संविदाओं/करारों आदि में एक मध्यस्थता खंड शामिल करने की आवश्यकता हेतु अलग से निर्देश जारी करेंगे।

4. दोनों सरकारी उद्यम तथा सरकारी विभागों के बीच मौजूदा विवादों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध है कि

मौजूदा विवादों को एक सरकारी विभाग तथा दो सार्वजनिक उपक्रमों के बीच व्यावसायिक तथा अन्य करारों संबंधी विवादों के मध्यस्थ की नियुक्ति निरस्त होने पर, यदि पहले ही नियुक्ति की गई हो, यथा शीघ्र मशीनरी को संदर्भित करें।

हस्ता०/-

(सुरेश कुमार)
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सभी मुख्य कार्यपालक।
2. सरकारी विभागों के प्रशासनिक अध्यक्ष।
3. सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।

[हिन्दी]

नई आयात-निर्यात नीति की निगरानी हेतु योजनायें

6154. श्री पी.आर. खुंटे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नयी आयात-निर्यात नीति की निगरानी हेतु कोई योजना बनायी गयी है ताकि इससे देश के घरेलू उत्पादन पर बुरा प्रभाव न पड़े;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा घरेलू उत्पादन की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) नई एग्जिम नीति की घोषणा के समय दिए गए वक्तव्य के अनुसार सरकार ने लगभग 300 संवेदनशील मदों (जिनकी सूची संलग्न विवरण में है) के आयातों पर निगरानी रखने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के एक अंतर्मंत्रालयी स्थायी समूह का गठन किया है। सरकार टैरिफों के समुचित इस्तेमाल और अन्य रक्षोपायों के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है कि आयातों से स्वदेशी उत्पादकों को कोई गंभीर क्षति व हानि न पहुंचे। यदि उभरते हुए परिदृश्य से उत्पन्न स्थिति में ऐसा करना अपेक्षित हो तो सरकार निर्धारित दरों के भीतर, यदि इस प्रकार का कोई अंतर मौजूद हो, लागू टैरिफों को बढ़ाने की युक्ति का प्रयोग कर सकती है और पाटनरोधी कार्यवाही, प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाने तथा रक्षोपाय कार्यवाही करने जैसे उपाय कर सकती है, जो डब्ल्यू.टी.ओ. करारों के अनुसार हैं।

विवरण

उन मदों की सूची, जिनके आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के मद्देनजर निगरानी रखी जा सकती है

क्र.सं.	निर्यात-आयात कोड	मद विवरण
1	2	3
1.	020711.00	टुकड़ों में न काटे गए, ताजा या चिल्ड
2.	020712.00	टुकड़ों में काटे गए फ्रोजन
3.	020713.00	कट्स और ओफल, ताजा या चिल्ड
4.	020714.00	कट्स और ओफल, फ्रोजन
5.	020724.00	टुकड़ों में न काटे गए, ताजा या चिल्ड
6.	020725.00	टुकड़ों में काटे गए फ्रोजन
7.	020726.00	कट्स और ओफल, ताजा या चिल्ड
8.	020727.00	कट्स और ओफल, फ्रोजन

1	2	3
9.	020732.00	टुकड़ों में न काटे गए, ताजा या चिल्ड
10.	020733.00	टुकड़ों में काटे गए फ्रोजन
11.	020734.00	फेटी लीवर, ताजा या चिल्ड
12.	020735.00	अन्य, फ्रोजन या चिल्ड
13.	020736.00	अन्य, फ्रोजन
14.	040110.00	भार के अनुसार वसा अंश 1% से अधिक न हो
15.	040120.00	भार के अनुसार वसा अंश 1% से अधिक किन्तु 6% से अधिक न हो
16.	040130.00	भार के अनुसार वसा अंश 6% से अधिक
17.	040210.00	पाउडर, ग्रेन्यूल्स या अन्य ठोस रूप में भार के अनुसार वसा अंश 1.5% से अधिक न हो
18.	040210.01	स्किम्ड मिल्क
19.	040210.03	बच्चों के लिए मिल्क फूड
20.	040210.09	अन्य
21.	040221.00	चीनी या अन्य कोई मीठा न मिलाया गया हो
22.	040229.00	अन्य
23.	040229.02	पूर्ण दूध
24.	040229.03	बच्चों के लिए दूध
25.	040229.09	अन्य (उदाहरणार्थ: मिल्क क्रीम)
26.	040291.00	चीनी या अन्य कोई मीठा न मिलाया गया हो
27.	040299.00	अन्य
28.	040299.02	पूर्ण दूध
29.	040299.03	कंडेस्ड मिल्क
30.	040299.09	अन्य
31.	040510.00	मक्खन
32.	040520.00	डेरी स्प्रीड्स
33.	040590.00	अन्य
34.	040590.01	बटर तेल
35.	040590.02	मेल्डिड बटर (घी)
36.	080111.00	डेस्टिकेटेड

1	2	3
37.	080119.00	अन्य
38.	080119.01	ताजा
39.	080119.01	सूखा नारियल
40.	080121.00	शेल में
41.	080122.00	शेल्ड
42.	080131.00	शेल में
43.	080132.00	शेल्ड
44.	080290.00	सुपारी/ऐरिकनट
45.	080211.00	शेल में
46.	080212.00	शेल्ड
47.	080221.00	शेल में
48.	080222.00	शेल्ड
49.	080231.00	शेल में
50.	080232.00	शेल्ड
51.	080240.00	चेसनट (चेस्टने एसपीपी)
52.	080250.00	पिस्टाचोइस
53.	080290.00	अन्य
54.	080290.01	सुपारी/ऐरिकनट, पूर्ण
55.	080290.02	सुपारी/ऐरिकनट, ग्राउंड
56.	080290.09	अन्य
57.	080500.00	नींबू फल
58.	080510.00	संतरे
59.	080520.00	मेन्ड्रीन (टेंगोरिन्स और सटसुपस सहित) क्लेमेटिंग विल्किंग्स और ऐसे ही सिट्रस हाईबर्ड
60.	080530.00	लेमन (सिट्रस लेमन,) और लाइन्स एसिट्रस ओरिन्टिफोला
61.	080540.00	अंगूर
62.	080590.00	अन्य
63.	080600.00	अंगूर, ताजा
64.	080610.00	ताजा

1	2	3
65.	080620.00	सूखा
66.	080620.01	रेजिन्स
67.	080620.09	सल्टनस और अन्य सूखे अंगूर
68.	080810.00	सेब
69.	080820.00	परयर्स और क्विन्स
70.	081010.00	स्ट्राबरी
71.	081020.00	रसबरी, ब्लेकबरी, मलबरी और लोगनबरी
72.	081030.00	ब्लेड, वाइट या रेड करनट और गूसबरी
73.	081040.00	क्रेनबरी, बिलबरी और जीनस वैकिनम के अन्य फल
74.	081050.00	क्वीफ्रूट
75.	081090.00	अन्य
76.	081090.01	पोमोग्रनेट, ताजा
77.	081090.02	टेमटिंड, ताजा
78.	081090.03	स्पेटा (चिकू), ताजा
79.	081090.04	सीताफल
80.	081090.05	कस्टर्ड सेब
81.	081090.06	बोर
82.	081090.07	लीची
83.	081090.09	अन्य ताजा
84.	090111.00	डिकोफिनेटेड न हो
85.	090111.01	काफी अरेबिका प्लांटेशन ''ए''
86.	090111.02	काफी अरेबिका प्लांटेशन ''बी''
87.	090111.03	काफी अरेबिका प्लांटेशन ''सी''
88.	090111.09	काफी अरेबिका प्लांटेशन अन्य ग्रेड
89.	090111.11	काफी अरेबिका चेरी एबी
90.	090111.12	काफी अरेबिका चेरी पीबी
91.	090111.13	काफी अरेबिका चेरी सी
92.	090111.14	काफी अरेबिका चेरी बी/बी/बी
93.	090111.19	काफी अरेबिका चेरी अन्य ग्रेड

1	2	3
94.	090111.21	काफी रोब पर्ममेंट एबी
95.	090111.22	काफी रोब पर्ममेंट पीबी
96.	090111.23	काफी रोब पर्ममेंट सी
97.	090111.29	काफी रोब पर्ममेंट अन्य ग्रेड
98.	090111.31	काफी रोब चेरी एबी
99.	090111.32	काफी रोब चेरी पीबी
100.	090111.33	काफी रोब चेरी सी
101.	090111.34	काफी रोब चेरी बी/बी/बी
102.	090111.35	काफी रोब चेरी बुल्क
103.	090111.39	काफी रोब चेरी अन्य ग्रेड
104.	090112.00	डिकाफिनेटिड
105.	090121.00	ना डिकाफिनेटिड
106.	090122.00	डिकाफिनेटिड
107.	090190.00	अन्य
108.	090220.02	थोक में टी ग्रीन
109.	090220.03	टी ग्रीन (बाल, ब्रिक, टेबलेट आदि)
110.	090220.04	टी ग्रीन वेस्ट
111.	090240.02	टी ब्लेक, थोक में पत्ती
112.	090240.03	टी ब्लेक, थोक में डस्ट
113.	090240.04	टी बेग्स
114.	090240.05	टी ब्लेक (उदाहरणार्थ बाल, ब्रिक टेबलेट आदि)
115.	090240.06	टी ब्लेक वेस्ट
116.	090300.00	मदे
117.	090411.00	नाइदर क्रशड मोर ग्राउंड
118.	090411.01	पेपर लॉग
119.	090411.02	लाइट ब्लेक पेपर और पिनहैड
120.	090411.03	ब्लेक पेपर गारबल्ड
121.	090411.04	ब्लेक पेपर अनगारबल्ड
122.	090411.05	डिहाइड्रेट ग्रीन पेपर

1	2	3
123.	090411.06	पेपर पिनहेड
124.	090411.07	फ्रीज ड्राइड ग्रीन पेपर
125.	090411.08	फ्रोजन पेपर
126.	090411.09	अन्य पेपर (सफेद)
127.	090412.00	क्रशड या ग्राउंड
128.	090420.03	जीनस केपस्यिम के फल
129.	090420.04	चिली सीड
130.	090420.09	जमाइका पेपर (पिमेंटल/आल स्पाइसिस)
131.	090610.01	क्रेसिया
132.	090610.02	क्रेनामन बार्क
133.	090610.03	क्रनामन ट्री फ्लावर
134.	090620.00	क्रशड या ग्रांडड
135.	090700.01	क्लोव एक्सड्रेक्टेड
136.	090700.02	नाट एक्सट्रेकटेड (के अलावा)
137.	090700.03	क्लोव स्टेम
138.	090830.01	कारडामस लार्ज (एमोमियस)
139.	090830.02	करडामस स्माल ग्रीन
140.	090830.04	कारडामस स्माल ब्लीचड, हाफ-ब्लीच्ड/ब्लीच्ड
141.	090830.05	कारडामस स्माल स्पीड
142.	090830.06	कारडामस स्माल (मिक्सड)
143.	090830.07	अन्य (बड़े बीजों सहित)
144.	090830.09	अन्य (बड़े बीजों सहित)
145.	091010.01	जिंजर फ्रेश
146.	091010.02	जिंजर अनब्लीच्ड
147.	091010.03	जिंजर ब्लीच्ड
148.	091010.04	जिंजर पाउडर
149.	091010.09	ड्राई सहित अन्य जिंजर
150.	091040.01	तेजपत्ता (क्रेसिया लिगनेया की पत्तियां)

1	2	3
151.	100110.00	डयूरम गेहूं
152.	100190.00	अन्य
153.	100190.02	मानव खपत के लिए गेहूं (बीज नहीं)
154.	100510.00	मक्का (कोर्न) का बीज
155.	100590.00	अन्य
156.	100610.00	भूसायुक्त चावल (धान अथवा अपरिष्कृत)
157.	100620.00	भूसा (भूरा) चावल
158.	100630.00	अर्द्ध मिल अथवा पूर्ण मिल वाला चावल, पॉलिश अथवा गैर-पॉलिश अथवा ग्लैज्ड
159.	100630.01	पारबोइल्ड चावल
160.	100630.02	बासमती चावल
161.	100630.09	अन्य चावल
162.	100640.00	टूटे हुए चावल
163.	110100.00	आटा
164.	150710.00	कच्चा तेल, परिष्कृत अथवा अपरिष्कृत
165.	150790.00	अन्य
166.	150810.00	कच्चा तेल
167.	150890.00	अन्य
168.	150890.01	डिओडोराइज्ड (सलाद तेल)
169.	150890.09	अन्य
170.	151110.00	कच्चा तेल
171.	151190.00	अन्य
172.	151211.00	कच्चा तेल
173.	151211.01	सूर्यमुखी का कच्चा तेल
174.	151211.02	सूर्यमुखी का तेल (करदी कच्चा तेल)
175.	151219.00	अन्य
176.	151219.01	सूर्यमुखी का तेल
177.	151219.02	सूर्यमुखी का तेल
178.	151221.00	कच्चा तेल, गोसीपोल अथवा गैर-गोसीपोल
179.	151229.00	अन्य

1	2	3
180.	151311.00	कच्चा तेल
181.	151319.00	अन्य
182.	151321.00	कच्चा तेल
183.	151329.00	अन्य
184.	151410.00	कच्चा तेल
185.	151410.01	कच्चा कोल्जा तेल
186.	151410.02	कच्चा सरसों का तेल
187.	151410.03	परिष्कृत रैपसीड तेल
188.	151490.00	अन्य
189.	151490.01	परिष्कृत कोल्जा तेल
190.	151490.02	परिष्कृत सरसों का तेल
191.	151490.03	परिष्कृत रैपसीड का तेल
192.	170111.00	गन्ना
193.	170111.09	अन्य गन्ना
194.	220810.00	पेय जल के निर्माण में प्रयुक्त किस्म का अल्कोहल सामग्री
195.	220810.90	अन्य
196.	220820.00	अंगूर की शराब अथवा अंगूर मार्क के भाप द्वारा प्राप्त स्प्रिट
197.	220830.00	व्हिस्की
198.	220840.00	रम और ताफिया
199.	220850.00	जिन और जैनेवा
200.	220860.00	वोडका
201.	220870.00	शराब और कार्डियलस
202.	220890.00	अन्य
203.	240220.00	सिगरेट
204.	240210.01	बीड़ी
205.	240210.02	सिगार और चैरूटस
206.	250100.01	सामान्य नमक (आयोडाइज नमक सहित)
207.	250100.02	चट्टानी नमक
208.	250100.09	अन्य नमक

1	2	3
209.	400110.01	प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स, पूर्व वल्केनाइज्ड नहीं
210.	400110.02	पूर्व वल्केनाइज्ड प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स
211.	400121.00	स्मोक्ड शीटस
212.	400122.01	प्राकृतिक रबड़ से निकाला गया तेल
213.	400122.02	ग्राफ्ट रबड़ समेत प्राकृतिक रबड़ का रासायनिक संशोधित रूप
214.	400122.09	अन्य तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट प्राकृतिक रबड़
215.	400129.01	हेवीओं
216.	400129.02	लैटक्स पेल से क्रेप रबड़, लैटेक्स क्रेप
217.	400129.03	एस्टेट ब्राउन क्रेप
218.	400129.09	अन्य प्राकृतिक रबड़, गैर-लैटेक्स
219.	400130.00	बलाटा, गूटटा-पर्चा, गाउली, चिक्ल और इसी प्रकार का प्राकृतिक गोंद
220.	500200.00	कच्चा रेशम (नॉट थ्रोन)
221.	500400.00	रेशम यार्न
222.	500500.00	यार्न स्पन
223.	500600.00	रेशम यार्न
224.	520100.00	कपास
225.	520300.00	कपास, कार्डिड
226.	660110.00	गार्डन अथवा इसी प्रकार के छाते
227.	660191.00	दूरबीन युक्त शाफ्ट
228.	660199.00	अन्य
229.	680221.01	मार्बल ब्लॉक्स/स्लैब/टाइल्स, पोलिश्ड
230.	680221.09	अन्य
231.	680223.01	ग्रेनाइट ब्लॉक्स/स्लैब/टाइल्स, पोलिश्ड
232.	680291.00	मार्बल, ट्रैवरटाइन और एलाबास्टर
233.	680292.00	अन्य कैलकेरियस पत्थर
234.	680293.00	ग्रेनाइट
235.	680299.00	अन्य पत्थर
236.	680221.01	मार्बल ब्लॉक्स/स्लैब/टाइल्स, पोलिश्ड
237.	690810.01	सेरामिक मोसायक क्यूब्स

1	2	3
238.	690810.02	सेरामिक मोसायक टाइलें
239.	690810.09	अन्य
240.	690890.01	सेरामिक मोसायक क्यूब्स
241.	690890.02	सेरामिक मोसायक टाइलें
242.	701300.00	ग्लास सेरामिक के
243.	701321.00	लैड क्रिस्टल के
244.	701329.00	अन्य
245.	701331.00	लैड क्रिस्टल के
246.	701391.00	लैड क्रिस्टल के
247	870321.01	मोटर कार, नयी, जिसकी सिलिण्डर क्षमता 1000 सी सी से अधिक नहीं हो एसैम्बल किए हुए स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बशसन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इन्जन सहित
248.	870321.02	जीप और लैंड रोवर टाइप वाहन एसैम्बल किए हुए, 1000 सी सी से ज्यादा नहीं एक सिलिण्डर क्षमता के, स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिंग पिस्टन इंजन सहित
249.	870321.03	पुरानी या उपयोग में लाई गयी मोटर कारें और जीपें और लैंड रोवर्स, एसैम्बल किए हुए 1000 सी सी से ज्यादा नहीं एक सिलिण्डर क्षमता के, स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिंग पिस्टन इंजन सहित
250.	870321.04	पूर्ण इकाइयां, एसैम्बल नहीं किए हुए 1000 सी सी से ज्यादा नहीं एक सिलिण्डर क्षमता के, स्पार्क इग्नीशन इन्टरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिंग पिस्टन इंजन सहित
251.	870321.05	विशिष्ट यातायात वाहन जिसकी सिलिंडर क्षमता 1000 सी सी से अधिक नहीं हो, स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोक्रेटिंग पिस्टन इंजन के साथ
252.	870322.01	मोटर कार, नए एसैम्बल किए हुए 1000 सी सी से अधिक परन्तु 1500 सी सी से कम सिलिण्डर कैपिसिटी से स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन के साथ
253.	870322.02	जीप और लैंड रोवर टाइप वाहन, एसैम्बल किए हुए पुरानी या उपयोग में लायी गयी मोटर कारें, जीप और लैंड रोवर्स, एसैम्बल किए हुए 1000 सी सी से अधिक परन्तु 1500 सी सी से कम सिलिण्डर कैपेसिटी के स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन के साथ
254.	870322.03	पुरानी या उपयोग में लायी गयी मोटर कारें, जीप और लैंड रोवर्स, एसैम्बल किए हुए 1000 सी सी से अधिक परन्तु 1500 सी सी से कम सिलिण्डर कैपेसिटी के स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन के साथ
255.	870322.04	पूर्ण इकाइयां एसैम्बल नहीं किए हुए 1000 सी सी से अधिक परन्तु 1500 सी सी से कम सिलिण्डर कैपेसिटी के स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन के साथ
256.	870322.05	स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट वाहन, 1000 सी सी से अधिक परन्तु 1500 सी सी से कम सिलिण्डर कैपेसिटी के स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन के साथ

1	2	3
257.	870323.01	मोटर कार, नए, एसैम्बल किए हुए 1500 सी सी से अधिक लेकिन 3000 सी सी से अधिक नहीं 3000 सी सी से अधिक नहीं, सिलिण्डर क्षमता के स्पार्क इग्नीशन कम्बस्शन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन सहित
258.	870323.02	जीप और लैंड रोवर्स टाइप वाहन, एसैम्बल किए हुए 1500 सी सी से अधिक परन्तु 3000 सी सी से अधिक नहीं सिलिण्डर कैपेसिटी के स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन के सहित
259.	870323.03	पुरानी और प्रयोग में लायी गयी मोटर कारें, जीप और लैंड रोवर्स जिसकी सिलिण्डर क्षमता 1500 सी सी से अधिक हो किन्तु 3000 सी सी से अधिक न हो स्पार्क इग्नीशन इंटरनल कम्बस्शन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन के सहित
260.	870323.04	सम्पूर्ण यूनिटें, असैम्बल न की गई, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 15000 सी सी से अधिक हो लेकिन 3000 सी सी से अधिक न हो, स्पार्क इग्नीशन इन्टनरल कम्पशन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन सहित
261.	870323.05	विशिष्ट यातायात वाहन, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो लेकिन 3000 सीसी से अधिक न हो, स्पार्क इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन सहित
262.	870324.01	रेसिंग कारें, जिनकी सिलेण्डर क्षमता 3000 सी सी से अधिक हो, स्पार्क इग्नीशन इन्टनरल कम्बशन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इन्जन सहित
263.	870324.09	अन्य वाहन, जिनकी सिलैण्डर क्षमता 3000 सीसी से अधिक हो, स्पार्क इग्नीशन इन्टनरल कम्बशन रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन इन्जन सहित
264.	870331.01	मोटर कारें, नई, असैम्बल ली गई, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 15000 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इंजन सहित
265.	870331.02	जीप और लैण्ड रोवर जैसे वाहन, असैम्बल किए गए, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
266.	870331.03	पुरानी और प्रयोग में लाई गई मोटर कारें, जीप लैण्ड रोवर्स, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 15000 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
267.	870331.04	सम्पूर्ण यूनिटें, जो कि असैम्बल न की गई हों, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इर्न्टल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
268.	870331.05	विशेषीकृत परिवहन वाहन, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इंजन सहित
269.	870332.01	मोटर कारें, नई, असैम्बल की गई जिसकी सिलैन्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो किन्तु 2500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इंजन
270.	870332.02	जीप और लैण्ड रोवर्स जैसे वाहन, असैम्बल किए गए, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो किन्तु 2500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
271.	870332.03	पुरानी और प्रयोग में लाई गई मोटर कारें, जीप और लैण्ड रोवर्स, असैम्बल किए गए, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो लेकिन 2500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टर्नल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित

1	2	3
272.	870332.04	संपूर्ण यूनिटें, असैम्बल न की गई, जिनकी सिलैण्डर क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो, किन्तु 2500 सीसी से अधिक न हो, कम्प्रेशन इग्नीशन इर्न्टनल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
273.	870322.05	वशिष्ट यातायात वाहन, जिनकी सिलेण्डर क्षमता 1500 सी सी से अधिक हो लेकिन 2500 सी सी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
274.	870333.01	मोटर कार, नई, असैम्बल की गई जिसकी सिलैण्डर क्षमता 2500 सी सी से अधिक हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
275.	870333.02	जीप और लैंड रोवर जैसे वाहन, असैम्बल किए गए, जिसकी सिलेण्डर क्षमता 2500 सी सी से अधिक हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इर्न्टनल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
276.	870333.03	पुरानी और प्रयोग में लाई गई मोटर कारें, जीप और लैंड रोवर्स, जिनकी सिलेण्डर क्षमता 2500 सी सी से अधिक हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इर्न्टनल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
277.	870333.04	संपूर्ण यूनिटें, जो असैम्बल न की गई हों, जिसकी सिलैण्डर क्षमता 2500 सी सी से अधिक हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इर्न्टनल कम्बशन पिस्टन इंजन सहित
278.	870333.05	विशिष्ट यातायात यूनिटें, जिसकी सिलेंडर क्षमता 2500 सी सी से अधिक न हो, कम्प्रैशन इग्नीशन इन्टरनल कम्बशन पिस्टन इन्जन सहित
279.	870390.00	अन्य वाहन मुख्यत: व्यक्तियों के परिवहन के लिए तैयार किए गए
280.	950100.01	पहियों वाले खिलौने
281.	950210.00	गुड़ियां
282.	950210.03	प्लास्टिक की गुड़ियां
283.	950310.00	विद्युत रेल
284.	950320.00	इलेक्ट्रॉनिक खेलों के खिलौने
285.	950330.00	शिक्षाप्रद खिलौने
286.	950341.00	स्टफ्ड खिलौने
287.	950349.03	प्लास्टिक के खिलौने
288.	950350.01	संगीतमय खिलौने के उपकरण
289.	950360.00	शिक्षाप्रद खिलौने
290.	950390.02	खिलौने बन्दूक
291.	960810.00	बॉल प्वाइन्ट पैन
292.	960820.00	मार्कर्स
293.	960831.00	इन्क ड्रांग पैन
294.	960839.01	फाउंटेन पैन
295.	960840.00	पैन्सिलें

[अनुवाद]

''ड्यूटी ड्राबैक'' प्रोत्साहन

6155. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई निर्यातोन्मुखी फर्मों को ''ड्यूटी ड्राबैक'' प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से कितनी फर्में लाभान्वित हुईं और गत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक फर्म ने कितने प्रोत्साहनों का लाभ उठाया;

(ग) क्या कुछ उद्यमियों ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके ''ड्यूटी ड्राबैक'', का प्रतिपूर्ति प्राप्त किया;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितने मामले जानकारी में आये हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी फर्मों और इसमें संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थाओं के लिए नए नियम

6156. डा. अशोक पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूचना प्रदान करने की प्रणाली में समानता लाने और उनके लेन-देन में बेहतर पारदर्शिता हेतु नए नियम अधिसूचित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नियमों के कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाई गई प्रकटीकरण प्रथाओं में एकरूपता लाने के लिए 23 मार्च, 2001 को नए मानदण्ड निर्धारित किए हैं, ताकि उनके कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। वर्ष 2000-2001 से वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षा के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। ये मार्गनिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वायदा दर करार और ब्याज दरों की अदला-बदली के संबंध में 7 जुलाई, 1999 को जारी मौजूदा प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं के अलावा हैं जोकि विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्त वर्ष 2000-2001 से अपेक्षित प्रकटीकरण

ए : पूंजी

'ए' – सी.आर.ए.आर., केन्द्र (कोर) सी.आर.ए.आर. तथा अनुपूरक सी.आर.ए.आर.

'बी' – टियर-2 - पूंजी के रूप में लिए गए और बकाया गौण ऋण की राशि

'सी' – जोखिमवाली परिसंपत्तियां - ऑन और ऑफ तुलन-पत्र की मदों के लिए अलग से

'डी' – तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार शेयर धारण पैटर्न।

बी. परिसंपत्ति का प्रकार और ऋण-केन्द्र (कन्सेंट्रेशन)

(ई) शुद्ध ऋण और अग्रिमों पर शुद्ध एनपीए का प्रतिशत

(एफ) निर्धारित परिसंपत्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अंतर्गत शुद्ध एनपीए की राशि और प्रतिशत

(जी) वर्ष के दौरान मानक परिसंपत्तियों, एनपीए, निवेशों (अग्रिम स्वरूप के निवेशों को छोड़कर), आयकर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

(एच) शुद्ध एनपीए में उतार-चढ़ाव

(आई) निम्नलिखित के संबंध में पूंजी निधि पर प्रतिशत के रूप में ऋण-जोखिम और कुल परिसंपत्तियों पर प्रतिशत की जानकारी।

* सबसे बड़ा एकल उधारकर्त्ता
* सबसे बड़ा उधारकर्त्ता समूह
* 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्त्ता
* 10 सबसे बड़े उधारकर्त्ता समूह

(उधारकर्त्ता/उधारकर्त्ता समूह का/के नाम देने की आवश्यकता नहीं है।)

(जे) कुल ऋण परिसंपत्तियों पर प्रतिशत के रूप में 5 सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों का ऋण जोखिम (यदि लागू हो तो)

(सी) चलनिधि (नकदी)

(के) रुपया परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न; और

(एल) विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं का निम्नलिखित फार्मेट में परिपक्वता पैटर्न।

मदें	एक वर्ष से कम या उसके बराबर	एक वर्ष से अधिक, 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	जोड़
रुपया परिसंपत्तियां						
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां						
कुल परिसंपत्तियां						
रुपया देयताएं						
विदेशी मुद्रा देयताएं						
कुल देयताएं						
जोड़						

(डी) परिचालन परिणाम

(एम) औसत कार्य निधि पर प्रतिशत के रूप में ब्याज आय

(एन) औसत कार्य निधि पर प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय

(ओ) औसत कार्य निधि पर प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ

(पी) औसत परिसंपत्तियों पर रिटर्न

(क्यू) प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ

टिप्पणी :

(1) वित्तीय संस्थाओं के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों की सीमा के अनुसार निर्धारित सी.आर.ए.आर. और अन्य संबंधित मानदंडों को स्पष्ट किया जाए।

(2) परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋण केन्द्रीयकरण के प्रयोजन के लिए जिन बांडों और डिबेंचरों को दिनांक 9 नवम्बर, 2000 के परिपत्र के.डी.वी.एस.एफ.आई.डी. सं. सी-9/01.02.00/2000-01 के अनुसार अग्रिम स्वरूप का समझा जाना है और कंपनी क्षेत्र में जमा की गई राशियों को भी ऋण और अग्रिमों और एन.पी.ए. की राशि को निर्धारित करने के लिए गिना जाए और उन्हें उपर्युक्त 'बी' के प्रकटीकरण में शामिल किया जाए (देखें मीयादी ऋण संस्थाओं का दिनांक 28 मार्च, 1994 का परिपत्र एफ.आई.सी. सं. 841/01.02.00/93-94 और पुनर्वित्त संस्थाओं का दिनांक 7 मार्च 1996 का परिपत्र एफ.आई.सी. सं. 640/01.10.00/95-96)।

(3) 'ऋण-जोखिम', को दिनांक 28 जून 1997 के परिपत्र डी.ओ.एस., एफ.आई.डी. सं. 17/01.02.00.96-97 में परिभाषित किए गए अनुसार गिना जाए। 'उधारकर्त्ता समूह' के संबंध में, समूह की परिभाषा का पालन उसी प्रकार किया जाए जैसा कि वित्तीय संस्थाएं, समूह संबंधी जोखिम के मानदण्डों का अनुपालन करते हुए करती हैं।

(4) परिसंपत्तियों और देयताओं के परिपक्वता पैटर्न के लिए, निर्दिष्ट समय में परिसंपत्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों की बकेटिंग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 1999 के परिपत्र डीबीएस, एफआईडी, सं.सी. 11/01.02.00/1999-2000 द्वारा परिसंपत्ति देयता प्रबंध सिस्टम पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार की जानी चाहिए।

(5) परिचालन परिणामों के लिए, कार्यकारी निधियों और कुल परिसंपत्तियों के लिए पिछले लेखा वर्ष के अंत की अनुवर्ती छमाही के अंत के तथा संदर्भाधीन रिपोर्ट के लेखा वर्ष के अंत में औसतन आंकड़ों को लिया जाए (''कार्यकारी निधियों से तात्पर्य है वित्तीय संस्था की कुल परिसंपत्तियां'')।

(6) प्रति कर्मकारी शुद्ध लाभ का हिसाब लगाने के लिए सभी संवर्गों के सभी स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को गिना जाए।

विवरण-II

वायदा दर करार तथा ब्याज दर की अदला-बदली पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई, 1999 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं

तुलन-पत्र की टिप्पणी में निम्नलिखित प्रकटीकरण किया जाए:

- अदला-बदली (स्वैप) करारों में कल्पित मूलधन।
- अदला-बदली को रिकार्ड करने के लिए स्टैप का स्वरूप और शर्तें जिसमें ऋण संबंधी सूचना और बाजार जोखिम तथा अपनाई गई लेखा संबंधी नीतियों को शामिल किया जाए।
- यदि करारों के अंतर्गत काउंटर पार्टियां अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असमर्थ रहती हैं तो उस स्थिति में अनुमानित हानि।
- स्वैप में प्रविष्ट होने पर व्यक्ति से अपेक्षित समर्थन।
- स्वैप से उत्पन्न होने वाला कोई ऋण संबंधी जोखिम केन्द्रीकरण (कंसेंट्रेशन)। केन्द्रीयकरण के उदाहरण हैं, उच्चतर कंपनियों के साथ कुछ विशेष उद्योगों अथवा स्वैयों का एक्सपोजर।

कुल स्वैप बुक का उचित मूल्य, यदि स्वैप किन्हीं विशिष्ट परिसंपत्तियों, देयताओं अथवा प्रतिबद्धताओं से संबद्ध है तो उचित मूल्य अनुमानित राशि में होगा जोकि व्यक्ति प्राप्त करेगा अथवा तुलन-पत्र में स्वैप करारों को समाप्त करने के लिए अदा करेगा। स्वैप ट्रेडिंग के लिए, उचित मूल्य, बाजार मूल्य में उसका अंकन होगा।

महत्वपूर्ण अवसंरचना संतुलन योजना के अंतर्गत परियोजनायें

6157. डा. बलिराम : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण अवसंरचना संतुलन योजना के अंतर्गत राज्यवार कौन सी परियोजनाएं शुरू की गईं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक परियोजना हेतु परियोजनावार और राज्यवार कुल कितनी धनराशि जारी की गयी;

(ग) प्रत्येक परियोजना के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने किसी परियोजना की लागत में संशोधन हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) सी.आई.बी. योजना के अंतर्गत आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं की राज्यवार सूची नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपये में)

(यू.आई. = कार्यान्वयन के अधीन; सी = पूरी हो गई; एन.एस. = शुरू नहीं की गई)

परियोजना	स्वीकृति वर्ष	आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना से अंशदान	जारी की गयी राशि	स्थिति
1	2	3	4	5
राज्य : आंध्र प्रदेश	1999-2000	0.50	शून्य	यू आई
कॉमन फैसिलिटी एपैरेल एक्सपोर्ट, पार्क, गुंडलापोचमपल्ली				

1	2	3	4	5
एपैरेल एक्सपोर्ट पार्क, गुंडलापोचमपल्ली में निस्सारण के लिए पाइप लाइन	1998-99	0.70	0.70	यू आई
अर्थ स्टेशन, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, विजाग	1999-2000	1.00	1.00	सी
एपैरेल एक्सपोर्ट पार्क, गुंडलापोचमपल्ली पर बाउंड्री वॉल का निर्माण	1999-2000	.8160	.4060	यू आई
वी.ई.पी.जेड. पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग	2000-01	0.0630	.0630	यू आई
एपैरेल एक्सपोर्ट पार्क, गुंडलापोचमपल्ली (विद्युत आपूर्ति)	1997-98	1.80	1.80	यू आई
दुआव्वा रेल क्रॉसिंग विजाग पर रोड ओवर ब्रिज	1997-98	5.335	2.00	यू आई
वी.ई.पी.जेड. पर हाई स्पीड डाटा संप्रेषण करना	1997-98	0.3167	0.3167	सी
वी.ई.पी.जेड. का कम्प्यूटरीकरण	1999-2000	.2277	.2277	सी
उप-योग (9)		10.758	6.512	
राज्य : असम				
मानकचर पर व्यापार केन्द्र	2000-01	3.4083	शून्य	एन एस
अमीनगांव में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क पर बुनियादी सुविधाओं का विकास	1998-99	3.4547	3.4547	यू आई
सुतारखण्डी, व्यापार केन्द्र	1999-2000	6.53	1.00	यू आई
करीमगंज शहर से सुतारखण्डी तक सुरमा ट्रंक रोड का विकास	1998-99	5.50	1.85	एन एस
उप योग (4)		18.89	6.304	
राज्य : बिहार				
पटना ए सी सी	2000-01	28050	शून्य	एन एस
ई पी आई पी, हाजीपुर पर सी ई टी पी	2000-01	.7062	.3531	यू आई
ई पी आई पी हाजीपुर पर जल निकासी	2000-01	.4415	.2415	यू आई
ई पी आई पी हाजीपुर के लिए 33 के वी ए की विद्युत लाइन	2000-01	.0865	.0435	यू आई
हाजीपुर-चंदाह सड़का क सुदृढ़ीकरण	2000-01	.7206	.36	यू आई
उप-योग (5)		4.758	.997	
राज्य : गोवा				
मार्मागोवा पत्तन से राजमार्ग का निर्माण	1997-98	7.50	4.50	यू आई
उप-योग (1)		7.50	4.50	

1	2	3	4	5
राज्य : गुजरात				
के एफ टी जेड पर विडियो कॉन्फ्रेंस	2000-01	.1704	.1704	यू आई
पत्तन विक्टर पर जहाज मरम्मत की सुविधा	2000-01	2.00	शून्य	एन एस
के एफ टी जेड का कम्प्यूटरीकरण	1999-2000	0.21	0.21	यू आई
भारतीय हीरा संस्थान, सूरत पर बुनियादी सुविधाओं का विकास	2000-01	2.40	1.00	यू आई
के एफ टी जेड पर पुनर्वास कार्य	2000-01	5.00	2.09515	यू आई
के एफ टी जेड पर पुनर्वास	1998-99	1.3940	1.3940	सी
उप-योग (6)		11.178	4.86	
राज्य : हिमाचल प्रदेश				
शिमला पर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना	2000-2001	3.30	1.65	यू आई
उप-योग (1)		3.30	1.65	
राज्य : जम्मू एवं कश्मीर				
नाउशेरा पर उन प्रसंस्करण के लिए आम सुविधा	2000-01	0.6013	शून्य	एन एस
हैंडीक्राफ्ट केन्द्र का विकास, श्रीनगर	2000-01	.9520	.4760	यू आई
सी आई डी सी ओ कॉम्पलैक्स, श्रीनगर का उन्नयन	1999-2000	3.75	3.75	यू आई
उप-योग (3)		5.30	4.226	
राज्य : कर्नाटक				
सड़क का विस्तार, बोमासुन्दरा	2000-01	5.00	2.50	यू आई
निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, हुड़ी को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण	1997-98	4.75	4.75	सी
ई पी आई पी हुड़ी को जोड़ने वाली सड़क	1999-2000	4.00	4.00	सी
उप-योग (3)		13.75	11.25	
राज्य : केरल				
इ पी आई पी से सी इ पी जेड तक जल आपूर्ति बढ़ाना	2000-01	.12	.12	यू आई
मेटेनचेरी ब्रिज का पुनर्निर्माण	2000-01	0.50	0.50	यू आई
सी इ पी जेड पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग	2000-01	.2425	.2425	यू आई
के इ पी आई पी, कक्कानाड तक सड़क	2000-01	3.47	शून्य	एन एस

1	2	3	4	5
टीकनेट इंडस्ट्रियल कॉम्पलैक्स, पालाघाट	1997-98	3.00	1.50	यू आई
एरूर पर बुनियादी सुविधाओं का विकास	1998-99	2.50	2.50	सी
सी ई पी जेड को जल आपूर्ति	1999-2000	1.60	.5880	यू आई
थिक्कारा में अग्नि शमन स्टेशन का निर्माण	1997-98	0.61	0.61	यू आई
सी इ पी जेड से जुड़े सब-स्टेशन को विद्युत आपूर्ति बढ़ाना	1998-99	1.21	1.21	सी
सी इ पी जेड में आन्तरिक निकासी	1998-99	0.71	.71	यू आई
सी इ पी जेड का कम्प्यूटरीकरण	1999-2000	0.1850	.1850	सी
सी इ पी सी प्रयोगशाला, क्विलन	1999-2000	0.98	.98	यू आई
उप-योग (12)		15.127	9.115	
राज्य : मध्य प्रदेश				
औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर से एयरपोर्ट तक सड़क	2000-01	3.42	–	एन एस
मलान-आई सी डी और रेलवे स्टेशन के बीच सड़क का सुदृढ़ीकरण	1997-98	0.75	0.75	यू आई
आई सी डी पीतमपुर से औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क का सुदृढ़ीकरण	1999-2000	1.4237	.71185	यू आई
इंदौर में स्वर्ण आभूषण पार्क	1998-99	1.89	.95	
उप-योग (4)		7.48	2.411	
राज्य : महाराष्ट्र				
क्षेत्रीय निर्यात सुविधा केन्द्र	2000-01	.1033	.1033	यू आई
उरान पनवेल एस एच का सुदृढ़ीकरण	1996-97	3.00	3.00	सी
क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र, पुणे की स्थापना करना	1999-2000	0.051650	0.5165	सी
सीप्ज का कम्प्यूटरीकरण	1999-2000	0.1642	0.1642	सी
रेल ओवर ब्रिज नेवादे जंक.	2000-01	4.74	1.05405	सी
उप-योग (5)		8.058	4.837	
राज्य : मणिपुर				
मोरेह एल सी एस पर वेब्रिज	1999-2000	.1550	.1550	यू आई
मोरेह का विकास	1999-2000	.95	.95	यू आई
उप-योग (2)		1.10	1.105	

1	2	3	4	5
राज्य : मेघालय				
इ पी आई पी बर्नीहाट से नजदीक सड़क का सुधार	1997-98	0.65	.65	सी
इ पी आई पी, बर्नीहाट पर सब-स्टेशन की स्थापना	1997-98	2.43	2.43	सी
दावकी एल सी एस पर वेब्रिज	1999-2000	.1550	.1550	यू आई
उप-योग (3)		3.23	3.23	
राज्य : मिजोरम				
बुनियादी सुविधाओं का विकास, दिमागिरी	2000-01	2.48	1.135150	यू आई
जोखवाथार पर कम्पोजिट परिसर का निर्माण	1997-98	2.00	2.00	एन एस
उप-योग (2)		4.48	3.135	
राज्य : उड़ीसा				
सॉफ्टवेयर कॉम्पलैक्स, भुवनेश्वर	2000-01	3.60	1.80	यू आई
जोड़ा-बाम्बेरी सड़क और बाम्बेरी नयागढ़ सड़क क्योंझार का विस्तार	1998-99	0.685	0.685	यू आई
निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भुवनेश्वर पर दूर-संचार सुविधा	1998-99	0.75	.75	यू आई
इ पी आई पी भुवनेश्वर में सॉफ्टवेयर एककों को विद्युत आपूर्ति	1999-2000	1.48	1.48	यू आई
उप-योग (4)		6.51	4.71	
केन्द्र शासित प्रदेश : पांडिचेरी				
अर्थ स्टेशन, पांडिचेरी	1999-2000	2.50	0.99	यू आई
उप-योग (1)		2.50	0.99	
राज्य : पंजाब				
सी एल आर आई की जांच प्रयोगशाला, जालंधर	1999-2000	1.00	1.00	यू आई
उप-योग (1)		1.00	1.00	
राज्य : राजस्थान				
इलैक्ट्रॉनिक वेब्रिज, आई सी डी जयपुर और जोधपुर	2000-01	0.15	.15	यू आई
एक्स-रे मशीन, ए सी सी, जयपुर	2000-01	0.19	.19	यू आई
सीतापुर अर्थ स्टेशन	1997-98	1.50	1.50	पूरी हो गई

1	2	3	4	5
धेरूहेरा-भिवाडी तक चार लाइनों की सड़क	1997-98	4.00	4.00	पूरी हो गई
नगीना विकास केन्द्र	1998-99	3.00	2.00	यू आई
उप-योग (5)		8.84	7.84	
राज्य : तमिलनाडु				
एम ई पी जेड पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग	2000-01	0.539	.0539	यू आई
रबड़ बोर्ड चेन्नई	–	7.16	2.00	यू आई
कुडालोर के निकट टैनिंग पार्क	1998-99	1.25	शून्य	एन एस
भारतीय चर्म उत्पाद चेन्नई की बैंच मार्किंग	1999-2000	0.30	.30	यू आई
मेप्ज का कम्प्यूटरीकरण	1999-2000	0.22	.22	सी
सी एल आर आइ, चेन्नई में आर एंड डी सुविधा	1998-99	1.47	1.47	सी
उप-योग (6)		10.453	4.04	
राज्य : त्रिपुरा				
अगरतल्ला में एकीकृत विकास	2000-01	2.9786	शून्य	एन एस
सतमुरा चौमुहानी से मुहुरीघाट तक सड़क	2000-01	2.0972	1.00	यू आई
फायर स्टेशन, चौमुहानी से अकुरा चैकपोस्ट, त्रिपुरा तक सड़क की मरम्मत	1998-99	0.82	.82	यू आई
अकुरा और रघाना एस सी एस त्रिपुरा में वेब्रिज	1998-99	0.27	.27	यू आई
पुराना रघाना बाजार में बुनियादी सुविधाओं का विकास	1999-2000	8.55	3.00	यू आई
मुहुरीघाट, श्रीमानतपुर और मनुघाट में वेब्रिज	1999-2000	.4650	.4650	यू आई
उप-योग (6)		15.165	5.555	
राज्य : उत्तर प्रदेश				
प्रणाली सुधार विकास, मुरादाबाद	1996-97	8.00	8.00	यू आई
जजमऊ बुनियादी सुविधा विकास (विद्युत)	1997-98	1.75	1.75	यू आई
बाबतपुर हवाई अड्डा और भदोही को जोड़ने वाली सड़क और	1997-98	3.15	3.15	सी एवं
विद्युत प्रणाली विकास		2.99	1.00	यू आई
प्रणाली विकास योजना, अलीगढ़	1997-98	3.50	3.50	यू आई
मेरठ में बुनियादी सुविधा विकास (सड़क इत्यादि)	1998-99	1.30	.65	यू आई

1	2	3	4	5
जजमऊ में बुनियादी सुविधा विकास (सड़क जल-निकासी विकास)	1999-2000	2.12	1.4650	यू आई
बंथार उन्नाव में चर्म प्रौद्योगिकी पार्क में सी इ टी पी	1999-2000	2.99	2.00	यू आई
बुनियादी सुविधा विकास, सहारनपुर	1999-2000	2.1350	.63	यू आई
प्रणाली सुधार योजना, लखनऊ	1999-2000	2.00	1.00	यू आई
मेरठ में जल-निकासी सुधार	1999-2000	1.29	1.29	यू आई
नेप्ज का कम्प्यूटरीकरण	1999-2000	0.16	.16	यू आई
एफ डी डी आई नोएडा में रासायनिक प्रयोगशाला	1998-99	.4260	.4260	सी
एफ डी डी आई नोएडा प्रदर्शन केन्द्र	1999-2000	0.3025	30.25	यू आई
उन्नाव (कानपुर) में बुनियादी सुविधा विकास	1998-99	1.6650	1.6650	यू आई
आई सी डी मेरठ को जोड़ने वाली सड़क और मुख्य सड़क	1998-99	0.30	.30	सी
नेप्ज में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग	2000-01	.1050	.1050	यू आई
नोएडा में ओवरब्रिज का निर्माण	2000-01	5.00	2.00	यू आई
उप-योग (17)		31.173	51.331	
राज्य : पश्चिम बंगाल				
पेट्रोपाल में अंतर्राष्ट्रीय लेनपोर्ट	1996-97	2.00	शून्य	एन एस
बोंगांव में ट्रक टर्मिनस और बोंगांव-पंचपोटा सड़क का विस्तार	1996-97	3.46	3.46	सी
नौवासन में सड़क पुल	1997-98	2.41	.61	यू आई
फाल्टा-जोका ट्रांसमीशन लाइन का सुदृढ़ीकरण	1998-99	1.30	.65	यू आई
सेराकोल क्रॉसिंग का ग्रेड विकास	1999-2000	.2250	शून्य	एन एस
अम्ताला/सेराकोल में भीड़-भाड़ वाली सड़क	1999-2000	1.7750	1.00	यू आई
फेप्ज का कम्प्यूटरीकरण	1999-2000	.19	.19	यू आई
फेप्ज में अग्नि शमन स्टेशन का निर्माण	1997-98	1.64	1.64	यू आई
उप-योग (9)		13.00	7.55	
कुल योग (109)		**203.55**	**147.148**	

(घ) से (च) जिन मामलों में स्वीकृत लागत में संशोधन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

राज्य परियोजनाएं	आकस्मिक बुनियादी सुविधा सन्तुलनकारी योजना के तहत स्वीकृत लागत	सी आई सी योजना (करोड़ रुपयों में) के तहत संशोधित स्वीकृत लागत
राज्य : आंध्र प्रदेश		
दुआवा में सड़क ओवर ब्रिज	2.50	5.335
राज्य : मिजोरम		
दीमागिरी बुनियादी विकास	1.84	2.48
राज्य : त्रिपुरा		
अगरतला का एकीकृत विकास	2.3829	2.9786
फायर स्टेशन चौमहानि से		
आकूरा तक सड़क का विकास	.41	.82
राज्य : उत्तर प्रदेश		
दादरी, नौएडा में रेल ओवर ब्रिज	2.00	5.00
मुरादाबाद में प्रणाली विकास योजना	8.00	राज्य सरकार ने 20 करोड़ रु. की लागत में संशोधन करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार से पहले स्वीकृत कम्पोनेन्ट को लागू करने का अनुरोध किया गया है।
राज्य : पश्चिम बंगाल	1.87	3.03
बोंगांव में ट्रक टर्मिनस		

[अनुवाद]

भेल के पास निर्यात आदेश

6158. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) द्वारा वर्ष 2000-01 के दौरान कुल कितने मूल्य के निर्यात क्रयादेश प्राप्त किये;

(ख) सरकार द्वारा भेल के संबंध में निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को नए बाजारों में निर्यात के अवसरों का पता लगाने हेतु भेल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) भेल ने वर्ष 2000-2001 के दौरान 715 करोड़ रुपये का निर्यात क्रयादेश प्राप्त किया है।

(ख) से (घ) भारत के विदेशी मिशन भेल को क्रयादेश प्राप्त करने में सभी संभव सहयोग करते हैं। दौरे पर आने वाले विदेशी उच्च पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधिमंडलों को भेल की क्षमताओं से अवगत कराया जाता है तथा भेल को क्रयादेश देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी दौरे पर जाने वाले अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ विभिन्न उच्च स्तरीय भारतीय व्यवसाय प्रतिनिधि मंडलों में सामान्य रूप से भेल को शामिल किया जाता है।

[हिन्दी]

तम्बाकू संबंधी विज्ञापनों पर प्रतिबंध

6159. श्री रामदास आठवले : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक सिगरेट, तंबाकू, शराब और अश्लील फिल्मों के विज्ञापनों के प्रसारण पर कानूनी प्रतिबंध लगाने हेतु सुझाव या ज्ञापन प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) जहां तक केबल नेटवर्क के माध्यम से उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों को पुन: प्रसारित किए जाने का संबंध है, सरकार ने 8.9.2000 को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 को संशोधित किया है जिसमें ऐसे विज्ञापनों को निषिद्ध किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ सिगरेट, तम्बाकू तथा शराब के उत्पादों के उत्पादन, बिक्री या सेवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देते हों। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की निर्धारित विज्ञापन संहिता भी ऐसे विज्ञापनों को निषिद्ध करती हैं।

[अनुवाद]

भारतीय बासमती चावल की घटिया गुणवत्ता

6160. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बासमती चावल की गुणवत्ता पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर नहीं पायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बासमती चावल की खराब गुणवत्ता गोदामों की खराब स्थिति के कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी. नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौता

6161. श्री रतन लाल कटारिया:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को तेजी से अमल में लाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान अमेरिकी सरकार भारत के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के पक्ष में है;

(ग) यदि हां, तो क्या अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में विस्तार हेतु कुछ नए समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ङ) संयुक्त राज्य अमेरीका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहभागी है और व्यापार को बढ़ाने का सरकार प्रयास कर रही है। भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने अपने द्विपक्षीय तथा आर्थिक संबंधों के मामले में एक नए तथा सक्रिय चरण में प्रवेश किया है। यू एस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा तथा पिछले वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री के यू-एस के दौरे ने सुदृढ़ व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को विकसित करने के लिए दोनों पक्षों में गहरी रूचि तथा बचन बद्धता को रेखांकित करने का कार्य किया है। दोनों देशों के व्यापारियों ने भी अर्थपूर्ण तथा परस्पर रूप से लाभकारी वाणिज्यिक सहभागिता को स्थापित करने में गहरी रूचि दिखाई है। सरकार ने अच्छी निर्यात क्षमता वाले से उत्पादों को अभिज्ञात किया है। इन क्षेत्रों को लक्ष्यित करने के जरिए हमारी निर्यात कार्य नीति में द्विपक्षीय व्यापार की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया गया है। इसमें सहयोग के नए तथा तेजी से पनपने वाले क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और बायो-प्रौद्योगिकी को विकसित करने की ओर विशेष प्रयासों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। दिनांक 23.3.2000 को हस्ताक्षरित भारत-यू एस वाणिज्यिक बातचीत के उद्देश्य ये हैं- (1) व्यापार को सुविधाजनक बनाना (2) सूचना प्रौद्योगिकी, अवस्थापना, बायो-

प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र सहित व्यापक क्षेत्रों में निवेश के अवसरों में अधिकतम वृद्धि करना।

आवासों के निर्माण हेतु बैंक ऋण

6162. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में महाचक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर रहे विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विभिन्न बैंकों की इन शाखाओं ने इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु अक्तूबर 1999 के महाचक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करवाई थी;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक को कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(घ) अक्तूबर 1999 से आज तक प्रत्येक बैंक द्वारा कितने आवेदनों पर विचार किया गया है और कितना ऋण स्वीकृत किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) उड़ीसा राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंक यूको बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों की 781 तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 391 शाखाएं उड़ीसा में महाचक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं।

(ख) जी, नहीं। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), जो पूर्ण रूपेण राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित मुफ्त आवास योजना है, के अन्तर्गत गृह निर्माण हेतु बैंक अग्रिम राशि प्रदान नहीं करते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कागज का आयात

6163. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कागज और अखबारी कागज के बड़े पैमाने पर आयात ने देशी उत्पादक इकाईयों विशेषकर हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन को बुरी तरह प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो कागज की आवश्यकता जब घरेलू कागज उत्पादों द्वारा पूरी की जा सकती है तो कागज के बड़े पैमाने पर आयात किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में कागज/अखबारी कागज का आयात किया गया है और यह दर देशी उत्पादित कागज की तुलना में कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार आयात को रोकने/कम करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ङ) आई टी सी (एच एस) की एग्जिम शीर्ष संख्या 48.01 के अंतर्गत यथा वर्गीकृत अखबारी कागज के आयात की अनुमति भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार (आर एन आई) द्वारा जारी "पंजीकरण प्रमाण-पत्र" के धारकों द्वारा वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन रहते हुए किसी आयात लाइसेंस के बिना 5 प्रतिशत सीमाशुल्क की दर से प्रदान की जाती है। अन्य कागजों का आयात आर्ट पेपर, क्राफ्ट पेपर, फोटो-बेस इत्यादि जैसे विशिष्ट कागजों तक ही सीमित होता है। ये आयात 35 प्रतिशत मूल शुल्क जमा 16 प्रतिशत सी वी डी जमा 4 प्रतिशत एस ए डी के सीमाशुल्क के अधीन होते हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान आयातित कागज की मात्रा और (स्वदेशी/आयातित) तुलनात्मक कीमतें निम्नानुसार हैं

आयात (लाख टान में)

वर्ष	अखबारी कागज	अन्य कागज तथा गत्ता
1998-99	4.27	2.71
1999-2000	2.96	2.77
2000-20001 (नवम्बर तक)	3.00	2.03

कीमतें (प्रति मी. टन)	स्वदेशी	आयातित
अखबारी कागज	16500/-रुपये से 30450/रुपये	30690/-रुपये से 33480/-रुपये
क्रीम मूव/मैपालिथो	31575/-रुपये से 34204 रुपये	32200/-रुपये से 36800/- रुपये

इन आयातों पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

6164. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में एशियाई विकास बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त कोई परियोजना बिहार राज्य में कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट

6165. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) इस बात की जांच कर रही है कि एस बी. आई. कैपिटल मार्केट निधि आधारित गतिविधियों में संलग्न है जो कि यह भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के साथ मर्चेंट बैंक के रूप में पंजीकृत होने के कारण नहीं कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच कार्य पूरा हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वापक पदार्थों की तस्करी

6166. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हेरोइन की तस्करी और स्वापक पदार्थों के अनधिकृत निर्यात हेतु एक बड़ा पारगमन स्थल बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए भारत के एक बड़ा केन्द्र बन जाने की परिणाम-स्वरूप भारत में हेरोइन का उपयोग बढ़ा है; और

(घ) स्वापक पदार्थों के बड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने और दंडित करने में असफल रहने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) महोदय, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व एशिया के दो प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों के साथ भारत की समीपता की वजह से इन क्षेत्रों में उत्पादित कुछ अफीम भारत से होकर गुजरती हैं और इसके चलते भारत नशीले पदार्थों के व्यापार का आशंकाग्रस्त क्षेत्र बन गया है।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध हेरोइन के प्रयोगकर्ताओं के आंकड़ों (पंजीकृत लाभार्थी) से ऐसा नहीं लगता है कि देश में हेरोइन के प्रयोग में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।

(घ) प्रवर्तन एजेंसियों मादक पदार्थों के प्रमुख अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर अभियोजन की कार्रवाई करने में विफल नहीं रही हैं।

स्टॉक एक्सचेंजों के अशोध्य व्यापार सौदे

6167. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टॉक एक्सचेजों के अशोध्य व्यापार सौदों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और सरकार ने अशोध्य व्यापार सौदों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों में वर्ष-वार और स्टॉक एक्सचेंज-वार कितने अशोध्य व्यापार सौदे हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवास ऋण

6168. श्री अनंत नायक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में निजी पत्रकारों के लिए आवास संबंधी ऋण हेतु नए मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या विभिन्न बैंकों द्वारा ब्याज दर को घटा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंक नए मानदण्डों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख), (ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ग) और (घ) बैंकों की उधार दरें समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई ब्याज दरों संबंधी निर्देशों द्वारा शासित होती हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार 2 लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज, बैंक की प्राथमिक उधार दर (पीएलआर) से अधिक नहीं होना चाहिए और 2 लाख रुपये से अधिक के लिए बैंक दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं किन्तु यह बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम विस्तार के भीतर होना चाहिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर और आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी के फलस्वरूप बैंकों की पीएलआर में कमी आई है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

6169. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दरों में गिरावट संबंधी नवीनतम सूचकांक की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक उत्पादन की गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) आगामी वर्ष में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने हेतु सरकार की क्या विशेष योजना हैं;

(ङ) क्या सरकार की नकारात्मक औद्योगिकी नीतियां औद्योगिक उत्पादन में इस गिरावट का मुख्य कारण हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसी नीतियों की समीक्षा हेतु कौन-कौन से कदम प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी नहीं। सरकार ने वर्ष 2000-01 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के गिरावट करने संबंधी कोई संशोधन नहीं किया है।

(ग) औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण ये रहे हैं: (1) समग्र मांग की कमी (2) अवस्थापनापरक बाधाओं का बने रहना (3) पूंजी बाजार में लगातार मंदी के कारण धन की अपर्याप्तता (4) सामान्य निवेश महौल में कमी (5) पूंजी तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के क्षेत्रों में घटिया निष्पादन, तथा (6) अमरीकी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी।

(घ) सरकार ने दक्षता में सुधार करने तथा औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों की शुरूआत की है;

- कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के मामले में मूल सीमा शुल्क घटा दिया गया है।
- उत्पाद शुल्क को सेनवेट की एक दर और एस.ई.डी. की एक दर के साथ युक्तियुक्त बना दिया गया है।
- वस्त्र आधुनिकीकरण की गति बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अधीन बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की गई है।
- लघु बचतों पर ब्याज दरें कम कर दी गयी हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता बढ़ाने और ऋण की लागत कर करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात और बैंक दर कम कर दी हैं।
- नयी निर्यात-आयात नीति में, आयात की तुलना में घरेलू उत्पादकों को समान कारोबार का क्षेत्र (लेवल प्लेंइंग फील्ड) सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया है।

उद्योग के लिए संचालन का माहौल सुधारने हेतु उपयुक्त वैधानिक परिवर्तन करने के प्रस्ताव भी किए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पाम आयल हेतु प्रति व्यापार सौदा

6170. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेशिया ने एक प्रति व्यापार सौदे (काउंटर ट्रेड डील) में पाम आयल हेतु किसी तेल परियोजना का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभागीय तौर पर मलेशिया से किसी काउंटर ट्रेड डील को प्राप्त किया है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस काउंटर ट्रेड डील पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड जो रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, मलेशिया में 121 मिलियन अमेरिकी डालर की कीमत की पीलाबुहान तेनजुंग पीलीपास रेल लिंक परियोजना का निष्पादन कर रही है। इस परियोजना में तेनुजुंग पीलीपास पत्तन को जोड़ने के लिए 30 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाना शामिल है। इनकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड को किया जाने वाला भुगतान पाम तेल उत्पादों में काउंटर ट्रेड के रूप में किया जाना है भारत सरकार इस काउंटर ट्रेड में शामिल नहीं है और यह सौदा इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड और मलेशिया सरकार के बीच पूर्णतया वाणिज्यिक सौदा है।

(ग) से (ङ) इनकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड ने अपनी सेवाएं के टी एम बी (मलेशिया रेल) की इपोह-पदंग-बिसार मुख्य लाइन के लिए दोहरा ट्रैक बनाने और इसका विद्युतीकरण करने के लिए सेवाएं पेश की हैं जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डालर है। इनकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने पुन: वाणिज्यिक शर्तों पर पॉम तेल उत्पादों के काउंटर ट्रेड की पेशकश की है। इस परियोजना के बारे में अभी बातचीत होनी है। भारत सरकार काउंटर ट्रेड में शामिल नहीं होगी।

खराब खाद्यान्न

6171. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों को मवेशियों के लिए चारे के रूप में नि:शुल्क खराब खाद्यान्न आपूर्ति करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक राज्यों को आपूर्ति किए गए खाद्यान्न की मात्रा कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को 16.1.2001 को प्राधिकृत किया है कि वह छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल के सूखाग्रस्त राज्यों में क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (पशुचारा श्रेणी) मुफ्त रिलीज करें। 12.4.2001 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित राज्यों द्वारा क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्रा का उठान किया:-

राज्य का नाम	उठाई गई मात्रा (टन में)
उड़ीसा	1990
हरियाणा	884
राजस्थान	2297
महाराष्ट्र	6657
मध्य प्रदेश	342
पंजाब	489
जोड़	12659

कार्पोरेट हाउसों के कर्मचारियों के लिए बीमा की सुविधा

6172. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बीमा कंपनियों ने कार्पोरेट हाउसों के कर्मचारियों के लिए फिरौती संबंधी बीमा सुविधा प्रदान करना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की बीमा सुविधा से विपरीत प्रभाव पड़ने और अपराध के बढ़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सीमेंट उत्पादन क्षमता और उत्पादन बढ़ाने संबंधी प्रगति योजना

6173. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद (नेशनल कौंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मेटेरियल्स) ने वर्ष 2010 तक उद्योग की मौजूदा क्षमता और उत्पादन को दो गुना करने के लिए सीमेंट मेन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के साथ कोई प्रगति योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ग) क्या सीमेंट उद्योग ने आगामी कुछ वर्षों में 7-8 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है;

(घ) वर्तमान स्थिति की तुलना में इससे किस सीमा तक अधिक उत्पादन होने की संभावना है;

(ङ) क्या सीमेंट उद्योग मौजूदा प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सीमेंट उद्योग ने 1993-2000 के दौरान 6% से 15% संगत विकास दर प्राप्त की है। तथापि, वर्ष 2000-2001 में इस उद्योग ने 0.84% का नकारात्मक विकास प्राप्त किया है जिसकी मुख्य वजह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में निवेश में आयी गिरावट और भारत के कुछ भागों में सूखे की स्थिति के कारण मांग में कमी का होना है। आगामी वर्षों में इस स्थिति में सुधार आने की आशा है। और सीमेंट विनिर्माता संघ ने अगले कुछ वर्षों में 7 से 8% की विकास दर का अनुमान लगाया है।

(ङ) और (च) भारतीय सीमेंट उद्योग के पास विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना एक सतत प्रक्रिया है और सीमेंट उद्योग द्वारा ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने और लागत में कमी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

6174. डा. चरणदास महंत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आय कर विभाग के मूल्यांकन कार्यालयों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु क्या नई पहल की गई है;

(ख) क्या भवनों इत्यादि का मूल्यांकन कार्य हिन्दी में शुरू किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा हिन्दी में करने हेतु क्या योजना तैयार की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन पहलों को शुरू करने के सामने आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर्स भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तकनीकी समस्या के कारण भवन आदि का मूल्यांकन कार्य हिन्दी में आरम्भ नहीं हो सका है। इस संबंध में और आगे प्रयास भी किए जा रहे हैं। सभी मूल्यांकन अधिकारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए अनुदेश दे दिए गए हैं?

[अनुवाद]

विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा

6175. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान विश्व व्यापार में भारत का योगदान क्या था और 2004-2005 के लिए निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) भारत के निर्यात का विस्तार करने के लिए किन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान वास्तविक व्यापार संतुलन कितना था और 2004-2005 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) डब्ल्यू टी ओ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1999 के दौरान विश्व व्यापार में भारत के निर्यात और आयात का हिस्सा क्रमश: 0.6 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत है। वर्ष 2004-2005 के लिए निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। इन्हें वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। तथापि हमारे निर्धारित उद्देश्यों में से उद्देश्य वर्ष 2004-2005 तक विश्व निर्यात का 1 प्रतिशत प्राप्त करना है।

(ख) और (ग) भारत के मुख्य निर्यात और उनके निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

मिलियन अमरीकी डालर में

	1999-2000 अप्रैल-दिसम्बर	2000-2001 अप्रैल-दिसम्बर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
समुद्री उत्पाद	906.88	1085.15	19.66
अयस्क एवं खनिज	622.28	836.32	34.40
चमड़ा और विनिर्माण	1211.11	1473.88	21.70
रत्न एवं आभूषण	5114.48	5372.39	5.04
रसायन और संबद्ध उत्पाद	3631.29	4370.13	20.35
इंजीनियरिंग सामान	3282.00	4136.16	26.03
इलैक्ट्रानिक्स सामान	517.56	734.73	41.99
वस्त्र	6736.90	7786.33	15.58
सिले-सिलाए परिधान	3395.21	4075.78	20.05
कॉटन यार्न, फैब्रिक्स, मेंडअप्स इत्यादि	2337.98	2504.23	7.11
मानव निर्मित वस्त्र, मेंडअप्स इत्यादि	646.03	802.74	24.26
प्राकृतिक रेशम वस्त्र	179.58	231.72	29.04
ऊन एवं ऊन विनिर्माण	40.01	46.39	15.95

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एण्ड एस) कलकत्ता से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान वास्तविक व्यापार संतुलन (-)8616 मिलियन अमरीकी डालर रहा है और माह अप्रैल-फरबरी, 2000-2001 के दौरान (-)5831.76 मिलियन अमरीकी डालर रहा।

पत्र सूचना कार्यालय को आवंटित की गई भूमि

6176. श्री रघुनाथ झा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्र सूचना कार्यालय को राष्ट्रीय प्रेस केन्द्रों के निर्माण के लिए 1992-93 में भूमि आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर कितनी भूमि आवंटित कि गई है और अभी तक इस भूमि पर कितने केन्द्रों का निर्माण किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन केन्द्रों का कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस भूमि के एक भाग पर अवैध कब्जा किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब्जे को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) पत्र सूचना कार्यालय को राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र के निर्माण के लिए सितम्बर, 1994 में 3, रायसीना रोड पर 2041.57 वर्ग मीटर का एक भू-खण्ड आवंटित किया गया था। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पत्र सूचना कार्यालय को अतिक्रमण रहित भूमि न सौंपे जाने के कारण राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र का निर्माण नहीं किया जा सका।

जुलाई, 2000 में, शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड पर वैकल्पिक भू-खण्ड आबंटित किया। तथापि, दो मौजूदा बंगालों, जिनमें संसद सदस्य रह रहे हैं, का कुछ भाग इस भूखण्ड में पड़ता है। शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अनुसार इन बंगालों के निवासियों को वैकल्पिक आवास आबंटित करने के लिए सम्पदा निदेशालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रसार भारती निगम में रिक्तियों की स्थिति

6177. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आज की स्थिति के अनुसार प्रसार भारतीय निगम में 600 पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पदों पर नियुक्तियां करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) इन पदों पर कब तक नियुक्ति किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों की खरीद के लिए मूल्य निर्धारण संबंधी संरचना

6178. श्री शिवराजसिंह चौहान:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी ए सी पी) ने खाद्यान्नों की खरीद के लिए मूल्य निर्धारण संबंधी संरचना के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई जा रही नीति का ब्यौरा क्या है और यह नीति किस सीमा तक सी ए सी पी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग सतत् आधार पर परामर्श देता है ताकि सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान के संदर्भ में कृषि मूल्य नीति और मूल्य ढांचा तैयार कर सके। कृषि लागत और मूल्य आयोग प्रमुख कृषि जिन्सों जिनमें अनाज, दालें और तिलहन शामिल हैं, के लिए मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रत्येक सौसम में प्रस्तुत करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने हाल अपनी रिपोर्ट रबी फसलों, कोपरा और जूट की मूल्य नीति के लिए प्रस्तुत की है।

(ग) कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों अर्थात् गेहूं धान और मोटे अनाजों की खरीदारी मूल्य समर्थन योजना के अधीन करता है।

[अनुवाद]

क्षेत्र प्रचार निदेशालय द्वारा खरीद

6179. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में क्षेत्र प्रचार निदेशालय द्वारा की गई प्रोजेक्टरों की खरीद में अनियमितताओं के बारे में आरोपों की रिपोर्ट आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रालय में इस मामले की जांच की जा रही है।

कर के दायरे में पब्लिक स्कूल

6180. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सभी पब्लिक स्कूलों को आयकर के दायरे में लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण देश में विशेष रूप से महानगरों में पब्लिक स्कूल प्रतिवर्ष कई लाख रुपये के आयकर की अपवंचना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी पब्लिक स्कूलों को निश्चित रूप से अपने आयकर विवरण जमा करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो देश में पब्लिक स्कूलों की अनुचित वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) इस विषय में कोई नया कर प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) कुछेक पब्लिक स्कूल आयकर का अपवंचन करते हुए पाए गए हैं। ऐसे मामले में आयकर कानूनों के अन्तर्गत तलाशी एवं जब्ती संबंधी कार्रवाईयों सहित समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) उन ऐसे सभी मामलों में जहां आय की विवरणी देय हो गई है और उसे दायर नहीं किया गया है, तो इस अवस्था में आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अंतर्गत कर निर्धारित अधिकारियों की पहले ही निम्नलिखित कार्रवाईयां करने का अधिकार दिया गया है: (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(1) अथवा 148 के अधीन नोटिस जारी करने के बाद कर निर्धारण के संबंध में सर्वोत्तम निर्णय लेना, (3) अर्थदण्ड लगाना, और (3) अभियोजन चलाना।

(घ) सरकार पब्लिक स्कूलों सहित कर अपवंचकों को आयकर संजाल में लाने के लिए समय-समय पर आवश्यक विधायी, आर्थिक एवं प्रशासनिक उपाय करती रही है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आने में बाधाएं

6181. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री के.एच. मुनियप्पा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारी आर्थिक आसूचना इकाई ने यह टिप्पणी की है कि एशियाई-पैसिफिक क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आगम में 1992 से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है यद्यपि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकृष्ट करने की प्रबल संभावनाएं हैं परन्तु इसकी नौकरशाही व्यवस्था और खराब अवसंरचना प्रमुख बाधाएं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) बाधाएं दूर करने तथा भारत को और निवेशक अनुकूल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) सरकार ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्वाह की प्रवृत्ति पर कोई आन्तरिक अध्ययन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विदेशी निवेश नीतिगत ढांचा, वृहद आर्थिक परिस्थितियों, विपणन आकार/संभाव्यता, श्रमिक बल दक्षता, मजदूरी और विश्व आर्थिक प्रवृत्तियों तथा वैश्विक निवेशकों की कार्यनीति के अलावा मेजबान देश द्वारा प्रदान किए गये प्रोत्साहनों जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को और अधिक आकृष्ट करने के उद्देश्य से सरकार ने एक पारदर्शी, गतिशील और निवेश अनुकूल एफ.डी.आई. नीति पहले ही लागू कर दी है जिसमें एक छोटी सूची को छोड़कर लगभग सभी कार्यकलापों को 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. के लिए स्वत: मार्ग के अधीन रख दिया है। एफ.डी.आई. परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन को सरल बनाने और निवेशक द्वारा महसूस की जा रही निवेश के पश्चात की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) का गठन किया है जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

[हिन्दी]

प्लाईवुड का आयात

6182. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्रीमती जस कौर मीणा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी प्लाईवुड का आयात किया गया और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा अंतर्ग्रस्त थी;

(ख) क्या देश में प्लाईवुड के आयात के कारण घरेलू प्लाईवुड उद्योग संकट में है;

(ग) यदि हां, तो देश में भारी मात्रा में प्लाईवुड का स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद भी प्लाईवुड का आयात करने के क्या-क्या कारण हैं; और

(घ) देश के प्लाईवुड उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) से (घ) प्लाइवुड का आयात दिनांक 1.4.1996 से पहले से ही मुक्त है ताकि हमारे जंगलों पर दबाव कम रहे। तथापि, प्लाइवुड के आयात में मूल्य के रूप में गिरावट आई है जैसाकि अनुबंध में दिए गए आंकड़ों से दिखाई देता है।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (नवम्बर, 2000 तक) के दौरान प्लाइवुड के आयात को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(मूल्य लाख रु. में)

		1998-99		1999-2000		2000-2001 (नवंबर 2000 तक)	
	इकाई	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
मजावटी प्लाइवुड	सीयूएम	16307	2443.70	17735	1633.45	10960	1050.26
प्लास्टिक लैमिनेटेड प्लाइवुड	किग्रा.	5273302	1300.66	2911376	790.31	891401	355.15
कुल			3744.36		2423.76		1405.41

[अनुवाद]

अंत्योदय योजना

6183. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में आज तक कितने परिवारों को अंत्योदय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश राज्य में राज्य द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार योजना के अंतर्गत 6 लाख आदिवासी परिवारों को शामिल करने पर सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार इस योजना के अधीन आंध्र प्रदेश में 6,22,800 परिवार अन्त्योदय परिवार हैं। आंध्र प्रदेश में इन परिवारों की पहचान करने और इन्हें अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने का काम पूरा कर लेने के पश्चात यह योजना मार्च, 2001 से लागू की गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

लैड एसिड बैटरियों पर पाटन-रोधी शुल्क

6184. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बांग्लादेश से आयातित लैड एसिड बैटरियों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा घरेलू बैटरियों की गुणवत्ता में सुधार करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों को कम करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने बांगलादेश से लैड एसिड बैटरियों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया है। पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने दिनांक 12.1.2001 को जापान, कोरिया, चीन और बंगलादेश से लैड एसिड बैटरियों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की थी तथा उसने दिनांक 21.3.2001 को जापान, कोरिया और चीन से लैड एसिड बैटरियों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और दिनांक 9.4.2001 को केन्द्र सरकार द्वारा उक्त शुल्क लगाया गया था।

(ग) बैटरी उद्योग एक पूर्णत: अविनियमित और नियंत्रण रहित उद्योग है और उद्यमी/विनिर्माता गुणवत्ता और कीमत के संबंध में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए देश के भीतर अथवा बाहर से उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने और अंगीकार करने के लिए मुक्त हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों का निरीक्षण

6185. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** 22.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5280 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निरीक्षण दलों द्वारा पाई गई अनियमिततायें अभी भी सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी बैंकों में निर्बाध रूप से चल रही हैं और क्या भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों के साथ कमियों पर चर्चा करके कोई उपयोगी परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सामने रखी गई निरीक्षण रिपोर्टों के निष्कर्षों के संबंध में कार्य-योजना और ज्ञापनों की संख्या कितनी है और उनके क्या परिणाम रहे; और

(ग) इन सब निरीक्षण रिपोर्टों के बावजूद बैंकों में अभी भी हो रही धोखाधड़ी और घोटालों के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल क्षेत्र का विनिवेश

6186. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 23 मार्च, 2001 के 'दि हिन्दू' में ''ऑयल सेक्टर डिसइंवेस्टमेंट थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अलग तरह की रिफाइनरियों में सरकार की भागीदारी को बेचकर कितनी राजस्व उगाहा गया है; और

(घ) विनिवेश की प्रक्रिया कब तक पूरी किये जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) आगामी विनियमन मुक्त वातावरण का सामना करने और सार्वजनिक क्षेत्र में तेलशोधक कारखानों और विपणन कम्पनियों के बीच सहयोग में सुधार करने के लिए अकेले तेलशोधक कारखानों को सुदृढ़ बनाने के विचार से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों की पुनर्संरचना करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप चेन्नई पेट्रोलियम कारपो. लि. (सी पी सी एल) और बोंगईगांव रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लि. (बी आर पी एल) की संपूर्ण सरकारी शेयरधारिता, भारतीय तेल निगम (आई ओ सी) को और कोच्चि रिफाइनरी लि. (के आर एल) की समस्त सरकारी शेयरधारिता, भारत पेट्रोलियम कारपो. (बी पी सी) को 1317.23 करोड़ रुपये की कुल कीमत पर (अर्थात आइ ओ सी-658.13 करोड़, बी पी सी - 659.10 करोड़ रुपए) बेच दी गई है।

[हिन्दी]

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न

6187. श्री जय प्रकाश: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 2001 के ''नवभारत टाइम्स'' में ''मुफ्त का अनाज भी नहीं उठा रही हैं सूखाग्रस्त राज्यों की सरकारें'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2000-2001 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अधीन सूखे से प्रभावित राज्यों को 5,99,773 टन खाद्यान्नों की मात्रा (3,60,628 टन चावल और 2,39,145 टन गेहूं) मुफ्त आवंटित किया गया है। 25.4.2001 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा उठाई गई मात्रा 4,46,503 टन (2,86,923 टन चावल और 1,59,580 टन गेहूं) है जो आवंटन का 74.45% है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

2000-2001 के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन चावल और गेहूं का आवंटन और उठान बताने वाला विवरण

(25.4.2001 को स्थिति के अनुसार उठान)

मुफ्त (आंकड़े टन में/अनंतिम)

राज्य	आवंटन			उठान			निम्न तारीख तक वैध
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	
छत्तीसगढ़	207000	0	207000	186000	0	186000	12/1/2001-30/4/2001
गुजरात	20000	70000	90000	5732	18836	24568	12/1/2001-30/6/2001
हिमाचल प्रदेश	11549	0	11549	4947	0	4947	12/1/2001-30/4/2001
महाराष्ट्र	2000	8000	10000	1979	7442	9421	12/1/2001-31/3/2001
मध्य प्रदेश	20079	43000	63079	10433	27573	38006	12/1/2001-30/4/2001
उड़ीसा	100000	0	100000	77832	14617	92449	12/1/2001-30/4/2001
राजस्थान	0	118145	118145	0	91112	91112	12/1/2001-30/4/2001
जोड़	360628	239145	599773	286923	159580	446503	

उड़ीसा के मामले में 20,000 टन गेहूं के आवंटन को चावल के आवंटन में परिवर्तित किया गया है लेकिन 14617 टन गेहूं का उठान सूचित किया गया है।

बैंकों में अपर्याप्त स्टाफ

6188. डा. बलिराम:
श्री राजो सिंह:
श्री रामदास आठवले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में और उन राज्यों के उन क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, वहां बैंकों की भारी कमी के कारण ग्राहकों के सामने काफी कठिनाईयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंकों की उन शाखाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें बैंकवार कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है;

(ग) पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं और उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विशेष रूप से उन पदों को, जो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, भरने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) विभिन्न राज्यों खासकर पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में तथा उन राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्थित बैंक शाखाओं में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे ग्राहकों का कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(घ) दिनांक 3.8.2000 को बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के रूप में न भरे गए पदों के मूल्यांकन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें तथा न भरे गये पदों को भरने के लिए संयुक्त प्रयास करें।

[अनुवाद]

सीमेंट उद्योग की विकास दर

6189. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान सीमेंट उद्योग ने 1.5 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान सीमेंट का वर्ष-वार कुल उत्पादन कितना था;

(ग) क्या सीमेंट उत्पादक संघ द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान 5 से 6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वृद्धि दर को प्राप्त करने हेतु किन कदमों पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) क्या सीमेन्ट उद्योग ने सरकार से कर और शुल्क ढांचे को युक्ति युक्त बनाने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) सीमेंट उद्योग ने 2000-01 के दौरान 0.84 प्रतिशत की नराकात्मक विकास दर दर्ज की है।

(ख) इसके निम्नलिखित कारण हैं:

(1) बाजार में मांग की कमी;

(2) देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति।

(ग) सीमेंट विनिर्माता संघ ने 2001-02 के दौरान 7-8 प्रतिशत विकास का अनुमान लगाया है।

(घ) अवसंरचना क्षेत्रों और आवास क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे सीमेंट की मांग में वृद्धि होगी, सरकार ने अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश पर 10 वर्ष के कर अवकाश और आवास ऋणों तथा अन्य ऋणों पर कर में रियायत जैसे अनेक प्रोत्साहन पहले ही से लागू कर दिए थे।

सरकार अधिकाधिक सीमेंट उत्पादन करने के लिए सीमेंट उद्योग को अवसंरचनात्मक सहायता भी उपलब्ध करा रही है। सीमेंट संयंत्रों को कमी वाले क्षेत्रों में सीमेंट की आपूर्ति करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर रेल वैगन भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

(ङ) सीमेंट विनिर्माता संघ ने नवम्बर, 2000 में प्रस्तुत किए गए बजट-पूर्व ज्ञापन में करों और शुल्कों के बारे में अनेक अनुरोध किए हैं।

(च) इन प्रस्तावों की जांच की गयी हैं और सिफारिशें संबंधित प्राधिकारियों के पास भेजी गयी हैं।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम संघ, बिहार का अभ्यावेदन

6190. **श्री राजो सिंह** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार राज्य के भारतीय खाद्य निगम मजदूर संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई प्रमुख मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार हाल में संघ सरकार अथवा भारतीय खाद्य निगम को भारतीय खाद्य निगम ट्रेड यूनियन/एसोसिएशन, बिहार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

[अनुवाद]

कम्पनियों के विरुद्ध भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की कार्रवाई

6191. **श्री किरीट सोमैया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 16 कम्पनियों और 33 निदेशकों पर पांच वर्षों के लिए धन जुटाने सहित पूंजी बाजार में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या प्रमुख कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा कितनी कम्पनियों और निदेशकों पर रोक लगाई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रत्न एवं आभूषण उद्योग से आय अर्जन

6192. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व में बिना तराशे हुए हीरों का सबसे बड़ा आयातक और तराशे हुए हीरों का एकमात्र सबसे बड़ा निर्यातक देश है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार, रत्न और आभूषण व्यापार में अधिपत्य की स्थिति से विदेशी मुद्रा के रूप में देश का कुल आय अर्जन कितना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा रत्न और आभूषण उद्योग के संबंध में प्रशिक्षण देने हेतु कोई संस्थान स्थापित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कला में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु स्वर्णकार समुदाय को शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी हां।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हीरों के निर्यातों के जरिए प्राप्त निवेश विदेशी मुद्रा आय नीचे दी गई है:-

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	हीरों के निर्यात का मूल्य	अपरिष्कृत हीरों के आयात का मूल्य	अर्जित निवल विदेशी मुद्रा
1998-99	5026	3343	1683
1999-2000	6648	4812	1836
2000-2001 (अनन्तिम)	6178	4339	1839

स्रोत : रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी.जे.ई.पी.सी.), मुम्बई

पिछले तीन वर्षों के दौरान रत्न एवं आभूषण के कुल निर्यात नीचे दिए गए हैं:-

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	रत्न एवं आभूषण के निर्यातों का कुल मूल्य
1998-1999	5904.05
1999-2000	7636.03
2000-2001 (अनंतिम)	7747.42

स्रोत : वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता। वर्ष 2000-2001 के लिए अनन्तिम आंकड़े जीजेईपीसी से प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, जो उद्योग का एक प्रतिनिधि निकाय है और जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया है, मुंबई, जयपुर और नई दिल्ली में आभूषण उत्पाद विकास केन्द्र, नई दिल्ली में भारतीय रत्न विज्ञान संस्थान और जयपुर में रत्न परीक्षण प्रयोगशाला चला रही है। इसने आभूषण डिजायनिंग और विनिर्माण के सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुंबई में एक पूर्ण सुसज्जित आभूषण डिजायन एवं विकास संस्थान की स्थापना हेतु योजना भी तैयार की है। इसके अलावा सूरत स्थित भारतीय हीरा संस्थान, जिसे भारत सरकार, गुजरात की राज्य सरकार और जीजेईपीसी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है, हीरा प्रसंस्करण में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके तत्वावधान में सूरत में आभूषण डिजायनिंग एवं विकास के क्षेत्र में सरदार बल्लभ भाई पटेल आभूषण डिजायन एवं विनिर्माण केन्द्र के नाम से एक नए प्रशिक्षण केन्द्र का संवर्धन किया जा रहा है।

(ङ) उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्र जो हीरों और अन्य नगीणों को तराशने और पालिश करने के पारम्परिक केन्द्रों पर स्थित है, सभी समुदायों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और इस प्रकार पारम्परिक समुदाय अपनी व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लेने के पर्याप्त अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं।

एम.पी.ई.डी.ए. द्वारा समुद्री खाद्य पदार्थ मेले का आयोजन

6193. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में एम.पी.ई.डी.ए. ने विशाखापट्नम में समुद्री खाद्य पदार्थ मेले का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मेले में भाग लेने वाली भारतीय और विदेशी फर्मों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या कई निर्यात सौदों को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) क्या एम.पी.ई.डी.ए. ने इस समुद्री खाद्य पदार्थ मेले में किए गए निर्यात व्यापार का कोई अनुमान लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समुद्री खाद्य पदार्थ मेले की क्या उपलब्धियां रहीं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) और भारतीय खाद्य निर्यातक संघ ने संयुक्त रूप से विशाखापत्तनम में 9-11 फरवरी, 2001 को भारतीय मत्स्य उद्योग और एसोसिएशन ऑफ श्रिंप हैचरी ओनर्स एवं श्रिंप एक्वाकल्चर फार्मर्स के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किया था। इस मेले में 93 भारतीय फर्मों और 9 विदेशी फर्मों ने कुल 135 स्टॉल्स स्थापित किए।

(ग) से (ङ) एम्पीडा अलग-अलग निर्यातकों के कारोबार की निगरानी नहीं करता है। अत: मेले में सृजित निर्यात कारोबार की मात्रा की जानकारी नहीं है। मेले से समुद्री खाद्य प्रोसेसर्स, निर्यातकों, क्रेताओं, हैचरी और मत्स्य फार्मों के मालिकों, ट्रॉलर ऑपरेटरों, प्रोसेसिंग मशीनरी के विनिर्माताओं के बीच निकट से संपर्क स्थापित करने के सुगमता रही। विदेशी क्रेता भारतीय फर्मों द्वारा विनिर्मित समुद्री निर्यात उत्पादों की किस्मों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सके। मेले में दौरान मत्स्य पालन, मत्स्य क्षेत्र की क्षमता तथा प्रबंधन, बैंकिंग, वित्त और बीमा तथा मूल्य वर्द्धन जैसे अनेक विषयों पर व्यापार आयोजित किए गए।

लघु बचतों और भविष्य निधि पर ब्याज दर

6194. श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि और लघु बचतों की निर्धारित दरों को खत्म किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कार्यविधि तैयार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समूह गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ङ) समूह द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदन कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सरकार ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी-गवर्नर डा. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में प्रशासित ब्याज दरों की प्रणाली और अन्य सम्बद्ध मुद्दों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है:

(1) प्रशासित ब्याज दरों के तल-चिन्हन हेतु मापदण्ड का सुझाव देना;

(2) प्रशासित ब्याज दरों के पुनरीक्षण की आवर्तिता का सुझाव देना;

(3) संग्रहण की समरूप लागत/अवधि के आधार पर राज्य सरकारों को लघु बचतों की सम्पूर्ण निवल प्राप्तियों के अंतरण की व्यवहार्यता की जांच करना;

(4) स्कीम का अभिकल्पन, अभिकर्ताओं की नियुक्ति और जमाराशियों व आहरणों को संचालित करने वाले नियमों जैसे लघु बचतों के अन्य पहलुओं के संबंध में सिफारिश करना;

(5) ब्याज दरों से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करना; और

(6) ऐसी अन्य सिफारिशें करना जिन्हें यह समिति इस विषय में उचित समझे।

यह समिति 4 माह की अवधि में अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर देगी।

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

6195. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वर्ष के आम बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद से सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य और मुद्रास्फीति दर में लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रति सप्ताह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किस सीमा तक वृद्धि दर्ज की जा रही है और वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 की संगत अवधि के दौरान दर्ज की गई मुद्रास्फीति की दर कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं। वास्तव में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति केन्द्रीय बजट 2001-2002 के प्रस्तुत होने से पहले 7.53 प्रतिशत से घट कर 2000-2001 के अन्त में 4.87 प्रतिशत (अनन्तिम) हो गई। 30 अनिवार्य जिंसों के समूह जिसमें अधिकांश उपभोक्ता उत्पाद शामिल हैं, द्वारा फरवरी, 2001 के अन्त में 6.6 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 2001 के अन्त में 0.7 प्रतिशत मुद्रास्फीति रिकार्ड की गई।

(ख) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) की संगणना साप्ताहिक आधार पर नहीं बल्कि एक माह के अन्तराल से मासिक आधार पर की जाती है। सी.पी.आई. पर आधारित मार्च माह, 2001 की मुद्रास्फीति दर अभी घोषित की जानी है और इसकी जानकारी 30 अप्रैल को ही प्राप्त हो सकेगी। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर नीचे दी गई हैं:-

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति

(प्रतिशत)

	1999-2000	2000-2001
अप्रैल	8.36	5.54
मई	7.71	5.01
जून	5.26	5.24
जुलाई	3.16	4.95
अगस्त	3.15	3.99
सितम्बर	2.14	3.50
अक्टूबर	0.92	2.75
नवम्बर	0.00	2.74
दिसम्बर	0.47	3.48
जनवरी	2.62	3.25
फरवरी	3.61	3.02
मार्च	4.83	-

[अनुवाद]

मुद्रा बाजार

6196. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक यह जानने के लिए छानबीन कर रही है कि क्या मुद्रा बाजार अथवा सहकारी बैंकों से धन पूंजी बाजार में जाने लगा है जो शेयर मूल्यों में आई गिरावट के परिणामस्वरूप भुगतान संकट से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों द्वारा मुद्रा बाजार से ऋणों का ब्यौरा मांगा था;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा बाजार की स्थिति उपलब्ध कराने में विदेशी बैंक कहां तक समर्थ रहे हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने शेयर दलालों, कारपोरेट बैंकों और व्यक्तियों को शेयर के विरुद्ध दिए गए अग्रिमों के बारे में विधिवत ब्यौरा भी मांगा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई जांच से यह सिद्ध हो गया है कि माधवपुरा मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद ने शेयर दलालों से जुड़ी कंपनियों/फर्मों को लगभग 1030 करोड़ रुपए की राशि की अनधिकृत क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की थीं। शेयर दलालों को अग्रिम न देने के भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों तथा मानदंडों की अवहेलना करते हुए को-आपरेटिव बैंक द्वारा निधियां जारी की गई थीं। इसके अतिरिक्त बैंक ने अपने भुगतानों की पूर्ति के लिए मांग मुद्रा बाजार में विभिन्न बैंकों से 197 करोड़ रुपए की राशि भी जुटाई।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह 1997 के मध्य से विदेशी बैंकों सहित सभी बैंकों से मांग, सूचना तथा सावधि मुद्रा बाजारों में ऋण लेने तथा देने संबंधी प्रचालनों के बारे में आंकड़े एकत्र करता आ रहा है। सभी विदेशी बैंक मांग, सूचना तथा सावधि मुद्रा बाजारों में अपने ऋण लेने तथा देने संबंधी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को नियमित रूप से देते रहे हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से शेयर दलालों, व्यक्तियों तथा अन्य उधारकर्ताओं को शेयर के प्रति अग्रिम देने के संबंध में सूचना एकत्रित की है। 28 फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार आंकड़े निम्न प्रकार से हैं:-

(करोड़ रुपए)

व्यक्ति	1120.33
शेयर दलाल	2316.47
बाजार निर्माता	1.42
आई.पी.ओ. वित्तपोषण	81.43
अन्य उधारकर्ता	1096.22
गारंटियां	3745.27
कुल देनदारियां (एक्सपोजर)	8361.14

सहकारी बैंक

6197. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों को नियंत्रित करने हेतु मंत्रालय से और अधिक शक्तियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कदम सेंट्रल बैंक और इन बैंकों की सहकारी समितियों के पंजीयक के वैध नियंत्रण को समाप्त करने का लक्ष्य करके उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सरकार ने सहकारी ऋण प्रणाली का अध्ययन करने और उसे मजबूत बनाने के उपायों का सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता में एक कृतिक बल नियुक्त किया था। कृतिक बल ने सिफारिश की है कि नियंत्रणों की परस्पर व्याप्ति को दूर करने तथा सहकारी समितियों को कार्यात्मक स्वयत्तता तथा परिचालन संबंधी स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, सभी संबंधित एजेंसियों अर्थात् केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और शीर्ष बैंक सहकारी संस्थाओं के संबंध में संबंधों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। कृतिक बल ने इस बात पर जोर दिया है कि बैंकिंग कार्यों को

पूर्णरूपेण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसाकि सहकारी समितियों पर लागू है) के नियंत्रणाधीन लाया जाना चाहिए, और उसका विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाना चाहिए। कृतिक बल की रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भुगतान हेतु कर में छूट

6198. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भुगतान हेतु कर छूटों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मांग करने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पैनल द्वारा सरकार को कब तक प्रतिवेदन सौंपे जाने की संभावना है; और

(घ) प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति से संबंधित ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

धान और गेहूँ की खरीद

6199. **डा. बलिराम:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेषकर उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई धान और गेहूँ की खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान राज्यों में स्थापित किए जाने वाले नए क्रय केन्द्रों की संख्या कितनी है और इस पर स्थानवार कितना खर्च होने की संभावना है; और

(ग) वर्तमान में विभिन्न राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में उपलब्ध खाद्यान्नों का अतिरिक्त भंडार कितना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान 16.4.2001 तक की गई धान और गेहूं की वसूली के राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूँ	धान
आंध्र प्रदेश	–	42721
बिहार	–	12141
हरियाणा	412335	155905
हिमाचल प्रदेश	–	713
मध्य प्रदेश	14012	–
पंजाब	2812547	2783052
राजस्थान	197098	31335
उत्तर प्रदेश	12851	–
चंडीगढ़	–	24373
योग	3448843	3050240

(ख) प्रत्येक विपणन मौसम के शुरू होने से पूर्व राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थानों के बारे में परस्पर निर्णय करने के बाद भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेन्सियों द्वारा खाद्यान्नों की अनुमानित वसूली के अनुमान लगाने के पश्चात् क्रय केन्द्र खोले जाते हैं। अत: अगले दो वर्षों में राज्य में खोले जाने वाले संभावित वसूली केन्द्रों और उन पर होने वाले खर्च के ब्यौरे बताना संभव नहीं है।

(ग) खाद्यान्नों के राज्यवार अधिशेष स्टाफ के ब्यौरे नहीं दिये जा सकते हैं क्योंकि खाद्यान्नों के बफर मानदण्ड केन्द्रीय पूल के लिए समग्र रूप से रखे जाते हैं। 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार बफर मानदण्डों के प्रति तदनुरूपी अवधि में केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का अधिशेष स्टाक निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

स्टाक		बफर मानदण्ड		अधिशेष स्टाक	
चावल	231.91	चावल	118.00	चावल	113.91
गेहूँ	215.04	गेहूँ	40.00	गेहूँ	175.04
योग	446.95	योग	158.00	योग	288.95

[अनुवाद]

उत्पाद शुल्क अपवंचन

6200. श्री रामजी मांझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई स्थित वैरन इंटरनेशनल ने 100 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क का अपवंचन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 2001 के पायनियर में "वर्मा-अकाई नेक्सस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने मामले की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) बैरन इंटरनेशनल से बकाया उत्पाद शुल्क को उगाहने हेतु सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिसम्बर, 1994 से जून, 1997 की अवधि के लिए 53.56 करोड़ रुपये के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कथित अपवंचन के लिए मैसर्स बैरन इंटरनेशनल तथा अन्य को 4 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसमें से, 5.49 करोड़ रुपए की राशि को न्यायनिर्णयन आदेश में संपुष्ट किया गया है।

(ग) से (च) जी, हां। विभाग ने न्यायनिर्णयन आदेश को स्वीकार नहीं किया है तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा दिसम्बर, 1999 में इसकी समीक्षा की गई थी और सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीगेट) में अपील दायर की गई है।

(छ) मैसर्स बैरन इंटरनेशनल ने भी सगैट में अपील दायर की है तथा वसूलियों पर स्थगन आदेश मंजूर किया गया है।

सहकारी बैंकों का अस्तित्व बना रहना

6201. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संकटग्रस्त माधवपुर मर्केन्टाइल सहकारी बैंक के कारण 150 सहकारी बैंकों का अस्तित्व दांव पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र के बैंक भी प्रतिभूतियों में धन का निवेश कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से हैं जिनमें बैंकों द्वारा धन का निवेश किये जाने की अनुमति दी गई है;

(ङ) क्या ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जहां निजी क्षेत्र के बैंकों ने निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अपने धन का निवेश किया है; और

(च) यदि हां, तो वे बैंक कौन-कौन से हैं और सरकार ने उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि माधवपुरा मर्केन्टाइल सहकारी बैंक लि. (एम एम सी बी), अहमदाबाद की त्वरित छानबीन से पता चला है कि तकरीबन 164 सहकारी बैंकों ने उक्त बैंक के पास काफी अधिक जमाराशियाँ रखी हुई हैं। इन बैंकों पर आए आर्थिक संकट के असर का निर्धारण 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर और इसके साथ-साथ किसी पुरुज्जीवन योजना जो एम एम सी बी के प्रशासकों से प्राप्त होगी को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैर-सरकारी बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी निधियां शेयरों/डिबैंचरों, सरकारी क्षेत्र उपक्रम बाँडों एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित म्युचुअल फंड यूनिटों में इस शर्त के अध्यधीन निवेश करने की अनुमति दी गई है कि संवेदनशील क्षेत्र में समग्र निवेश, प्राथमिक अथवा गौण बाजारों के माध्यम से शेयरों/डिबेंचरों म्युचुअल फंड यूनिटों में निवेश द्वारा पूंजी बाजार में गैर-सरकारी बैंकों का निवेश पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उनके कुल बकाया देशी ऋण के 5% से अधिक न हो।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों अर्थात् कर्नाटक बैंक लि. एवं डवेलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड ने 5% से अधिक की उच्चतम सीमा का अतिक्रमण किया है। इन दोनों बैंकों ने क्रमश: 5.8% एवं 8.29% का कुल निवेश किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन दोनों बैंकों के साथ मामला उठाया था और कर्नाटक बैंक लि. ने इसके बाद अतिरिक्त निवेश में संशोधन कर लिया है और बकाया निवेश को 31 मार्च, 2001 की स्थिति

के अनुसार घटाकर 5% तक कर दिया है। भविष्य में 5% के मानदण्ड का पालन करने की सलाह दी गई है। डवेलपमेंट क्रेडिट बैंक ने स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक निवेश की गलत सूचना यूटीआई, एमआईपी योजनाओं, जो पूंजी बाजार में बैंकों के निवेश के अधीन पूरी तरह से शामिल नहीं थी, में किए गए कुछ निवेशों को शामिल करने के कारण दी गई थी।

चीनी निर्यात को बढ़ाने के लिए उपाय

6202. **श्री राम मोहन गाड्डे:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व में चीनी की बढ़ती हुई मांग और अन्य चीनी निर्यातक देशों के चीनी उत्पादन में कमी के मद्देनजर चीनी निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार थाइलैंड आदि चीनी निर्यातक देशों से बेहतर समन्वय हेतु वार्तालाप करने का है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और अच्छे मूल्य प्राप्त किये जा सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) चीनी के निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(1) निर्यात की जाने वाली चीनी को लेवी की देयता से छूट दी गई है। प्रारम्भ में यह छूट 1 जून, 2000 से छ: माह की अवधि के लिए दी गई थी और यह अवधि 31.3.2001 तक बढ़ा दी गई थी।

(2) वाणिज्यिक निर्यात के लिए निर्धारित चीनी की मात्रा को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्ति के रूप में माना जायेगा, जिसका समायोजन निर्मुक्ति की तारीख से 12 माह की अवधि के पश्चात किया जाएगा।

(3) वाणिज्यिक निर्यात के लिए निर्धारित चीनी पर लेवी देयता से छूट का लाभ, यदि चीनी फैक्ट्री 1999-2000 मौसम के उत्पादन से अपनी लेवी देयता को पूरा कर देने के कारण, नहीं उठा सकी है, तो संबंधित चीनी फैक्ट्री चीनी मौसम 2000-2001 के उत्पादन से यह लाभ उठा सकती है।

(4) चीनी के निर्यात के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य की 5% की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है।

(5) जब तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए चीनी के निर्यात के लिए मात्रात्मक सीमा अधिसूचित नहीं की जाती तब तक चीनी के निर्यात की प्रक्रिया में निरन्तरता बनाए रखने के लिए सरकार चीनी मिलों/चीनी के निर्यातकों, जिनके पास पक्के एवं वैध ठेके हैं, को चीनी का निर्यात करने की अनुमति दे रही है।

(ख) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निर्यातकों तथा आयातकों के बीच वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार चीनी का निर्यात किया जाता है। अत: निर्यातकों तथा आयातकों के बीच होने वाले वाणिज्यिक व्यापार में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

राजकोषीय सुधारों की निगरानी संबंधी समिति

6203. **श्री जी. एस. बसवराज:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजकोष का कुशल प्रबंध करने वाले राज्यों के लिए निधियों मे 4243 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देने तथा उनके राजकोषीय कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उन राज्यों को सहायता मिलेगी जिनकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है;

(ग) क्या सभी राज्यों ने नई प्रोत्साहन निधि का स्वागत किया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजकोष का कुशल प्रबंध करने वाले राज्यों के राजकोषीय कार्यक्रमों पर समिति द्वारा किस सीमा तक निगरानी रखी जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसरण में इस प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय ने राज्यों में राजकोषीय सुधारों और प्रबोधन के लिए प्रोत्साहन कोष और एक समिति स्थापित की है। ई.एफ.सी. द्वारा यथासंस्तुत राजकोषीय उद्देश्यों की व्यापक रूपरेखा देते हुए उनके

सम्बद्ध राज्य के राजस्व घाटों/अधिशेषों में सुधार के प्रयोजन से मध्यम आवधिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति शुरू किए जाने के लिए राज्य सरकारों को आमंत्रित किया गया है। केन्द्र तथा राज्य के पारस्परिक सहयोगपूर्ण प्रकार्य के तौर पर मॉनीटरन समिति ई.एफ.सी. अवार्ड अवधि के दौरान प्रोत्साहन कोष में से निर्गम जारी किए जाने के लिए राज्य के राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों का मॉनीटरन करेगी।

निर्यातकों को अनुसंधान सुविधाएं

6204. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यातकों को उपलब्ध अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) क्या भारतीय निर्यातकों के पास पर्याप्त अनुसंधान सुविधाएं या संस्थाएं नहीं हैं;

(ग) क्या इस दिशा में विदेश व्यापार महानिदेशालय की भूमिका संतोषजनक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सही बाजार सूचना और रुझानों को देने के संबंध में महानिदेशालय विदेश व्यापार की वर्तमान भूमिका क्या है; और

(ङ) निर्यातकों को सहायता देने के लिए अनुसंधान क्षेत्र में विदेश व्यापार महानिदेशालय की भूमिका का विस्तार के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ङ) सरकार ने औषध एवं भेषज, कृषि रसायन तथा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास के प्रयोजनार्थ प्रयोगशाला उपकरणों, रसायनों और रि-एजेंटों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के बारे में एक योजना घोषित की है। इस योजना का मूल उद्देश्य इन नए आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन करना है। यह योजना राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के जरिए चलाई जाएगी और डी जी एफ टी से कोई लाइसेंस अपेक्षित नहीं होगा। बाजार संबंधी सूचना और निर्यात संबंधी रुझानों को निर्यात उत्पादों से संबंधित विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है। तथापि, व्यापक सूचना आधार तैयार करने और निर्यातकों तथा आयातकों के लिए संगत सूचना की आसान उपलब्धता के लिए कारोबार-सह-व्यापार सुविधा केन्द्र और व्यापार पोर्टल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

कॉफी बोर्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौता

6205. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी बोर्ड ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ कॉफी की बिक्री के संबंध में कोई विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो कॉफी बोर्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से कॉफी की बिक्री बढ़ाने के लिए कॉफी बोर्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच सहयोग बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे नए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) घरेलू बाजार में इंस्टेंट और रोस्ट तथा ग्राउंड कॉफी के अपने स्वयं के ब्रांड के साथ प्रवेश करने के लिए एन डी डी बी की संभावना का पता लगाने के प्रयोजनार्थ कॉफी बोर्ड और एन डी डी बी के बीच अनौपचारिक विचार-विमर्श हुए थे। लेकिन इस संबंध में कॉफी बोर्ड और एन डी डी बी के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन

6206. श्री नरेश पुगलिया:
श्री के. येरननायडू:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के क्षेत्र को और अधिक व्यापक करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में किए जाने वाले संभावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नकली वस्तुओं के विनिर्माण और उनकी बिक्री को भी इस अधिनियम के तहत लाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। सरकार का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि उसमें ऐसे उपबंध शामिल किये जा सकें जिनसे उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों द्वारा मामलों के तेजी से निपटान को सुकर बनाया जा सके। इनमें राज्य आयोगों और राष्ट्रीय आयोग की खण्ड पीठें गठित करने, शिकायतें स्वीकार किये जाने, नोटिस जारी करने और शिकायतों का निपटान करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने, स्थगनों को प्रतिबंधित करने तथा प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के उपबंध शामिल हैं।

(ग) और (घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन के प्रस्ताव में नकली वस्तुओं के विनिर्माण और/अथवा बिक्री को ''अनुचित व्यापार पद्धति'' की परिभाषा में शामिल करके अधिनियम के कार्य क्षेत्र में लाने का प्रस्ताव है।

विदेशी कम्पनियों के अधिग्रहण को वित्त-पोषित करने हेतु वित्तीय संस्थानों को अनुमति

6207. **श्री किरीट सोमैया:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी कम्पनियों के अधिग्रहण को वित्त पोषित करने के लिए वित्तीय संस्थानों को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार विदेशी कम्पनियों के अधिग्रहण की अनुमति देने के लिए मार्ग-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन मार्ग-निर्देशों को कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सरकार को विदेशी कम्पनियों के अधिग्रहण को वित्तपोषित के लिए पर्याप्त डॉलर एकत्र करने के लिए कहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकार ने भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी अधिग्रहणों को निधि प्रदान करने के लिए अभी तक वित्तीय संस्थाओं को अनुमति नहीं दी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं को ऐसी गतिविधियों के लिए निधि प्रदान करने की अनुमति देने संबंधी संपूर्ण मामले की समीक्षा कर रहा है।

(ङ) और (च) जी, हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारत से बाहर परियोजनाएं स्थापित करने हेतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अधिकृत करने की अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन मुद्दों पर अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने के बाद ही इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

सहकारी बैंकों संबंधी बैठकें

6208. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी बैंकों के कार्यकरण पर चर्चा करने और उन्हें कड़ी जांच के दायरे में लाने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक को कब तक बुलाए जाने की सम्भावना है;

(ग) इस बैठक में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इससे सहकारी बैंकों के कार्यकरण में किस सीमा तक सुधार होने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सरकार सहकारी बैंकों संबधी कृतिक बल की सिफारिशों और सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए इसके सुझावों पर विचार-विमर्श करने के लिए मुख्य मंत्रियों की बैठक

बुलाने पर विचार कर रही है। बैंक की तारीख और कार्यसूची के संबंध में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

निर्यात राजस्व में कमी

6209. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजस्व में कमी को रोकने के लिए 20000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सतत् निर्यात संवर्द्धन योजना सहित कई कदम उठाने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) निर्यात संवर्द्धन योजनाओं को प्रोत्साहन देने से मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटने से उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त निविष्टियों पर शुल्कों के निष्प्रभावीकरण की अनुमति दी जाती है ताकि निर्यात की वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धी बन सकें। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहारों के अनुसार है। अत: शुल्कों में ऐसी रिबेट अथवा निष्प्रभावीकरण को 'लागत' के रूप में नहीं माना जा सकता है। शुल्क के ऐसे निष्प्रभावीकरण की राशि को निर्यातों में वृद्धि के अनुरूप रखना होता है। तथापि एक्जिम नीति की वार्षिक समीक्षा में व्यापार तथा उद्योग जगत और विभिन्न सरकारी अभिकरणों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए सभी निर्यात संवर्धन योजनाओं की पुन: जांच की जाती है। यदि आवश्यक होता है, तो राजस्व की कमी को रोकने की दृष्टि से इन योजनाओं को सरल तथा पारदर्शी तरीके, दोनों प्रकार से कार्यान्वित करने और खामियों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए समय-समय पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने से निर्यात उत्पादन के लिए और अधिक निविष्टियां मुक्त रूप से उपलब्ध होंगी। चूंकि सीमाशुल्क की दर अभी बहुत अधिक है, इसलिए निर्यातकों के लिए छूट शुल्क वापसी की व्यवस्था करनी होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का पर्यवेक्षण

6210. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को दो भागों में बांट कर बैंकों के पर्यवेक्षण और नियामन के कार्य को अन्य सांविधिक अधिकरण को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिए घोषित मौद्रिक और ऋण नीति में, उन्होंने सुझाव दिया है कि शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित सम्पूर्ण निरीक्षण/पर्यवेक्षण कार्य करने हेतु एक पृथक शीर्ष पर्यवेक्षी निकाय की स्थापना की जाए। मामला सरकार के जांचाधीन है।

म्यांमार के साथ बैंकिंग सेवाएं

6211. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार म्यांमार में बैंकिंग सेवाएं स्थापित करने की संभावनाएं खोज रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) ने यह सूचित किया है कि बंग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग, जोकि, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक मंच है कि 14 फरवरी, 2001 को यागोन, म्यामांर में आयोजित बैठक में द्वितीय वरिष्ठ व्यापार/आर्थिक अधिकारियों की बैठक में यह सहमति हुई थी कि उपयुक्त बैंकिंग व्यवस्था बनाए रखना सदस्य देशों के बीच व्यापार की वृद्धि को सुकर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और सेन्ट्रल बैंकों के प्रतिनिधियों वाले विशेषज्ञ समूह की स्थापना पर विचार किए जाने की सिफारिश की गई।

निर्यात संवर्द्धन हेतु निधि

6212. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री के.एच. मुनियप्पा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2001-2002 के बजट में निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को 300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धनराशि के वितरण के लिए कार्यविधि तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्यात में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है; और

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) वर्ष 2001-02 के बजट में "निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास और अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता की योजनाओं" के लिए 97 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। राज्यों द्वारा इस निधि का प्रयोग फार्मों से पत्तनों/हवाई अड्डों तक कोल्ड चेनों का विकास करने तथा कृषि निर्यातों का संवर्धन करने के लिए ग्रेडिंग, पैकेजिंग इत्यादि हेतु प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना करने, उत्पादन केन्द्रों को पत्तनों के साथ जोड़ने वाली सड़कों जैसी अनुपूरक बुनियादी सुविधाओं का विकास करने, नए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने और मौजूदा पार्कों में सुविधाओं को बढ़ाने, राज्य विशिष्ट प्रजातीय उत्पादों के डिजाइन केन्द्रों के विकास सहित अनुसंधान, विकास तथा विपणन के लिए किया जा सकता है।

(ख) और (ग) राज्यों के बीच इस राशि का आबंटन करने का प्रश्न इस प्रावधान को औपचारिक रूप से अनुमोदित किये जाने के पश्चात ही पैदा होगा। तथापि, यह आबंटन मौजूदा निर्यातों और साथ ही निर्यातों की वृद्धि दर के आधार पर किया जाएगा।

(घ) हमारे समक्ष तत्काल उद्देश्य और चुनौती यह है कि हम अपनी निर्यात वृद्धि में तेजी लाएं ताकि वर्ष 2004-05 तक वैश्विक व्यापक का कम से कम 1% हिस्सा प्राप्त किया जा सके।

एन.सी.सी.एफ. द्वारा महंगी दरों पर कम्प्यूटरों की बिक्री

6213. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रामजी मांझी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन सी सी एफ) कम्प्यूटरों, आफिस ऑटोमेशन मदों, ए-4 और एफ-एस फोटोकॉपी कागजों की बिक्री महंगी दरों पर कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक के "कान्फीगुरेशन" सहित ये कम्प्यूटर और आफिस आटोमेशन मदों ए-4 और एफ-एस फोटोकापी कागज कौन-कौन से ब्रांडों के थे और इनका मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य क्या था और इनकी आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति कैसी है;

(घ) क्या इन मदों को सरकारी कार्यालयों को ऊंची दरों पर बेचने के मामले में जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए जांच कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे कम्प्यूटर, आफिस आटोमेशन की मदें, फोटोकापियर पेपर आदि केवल प्रतिस्पर्धी दरों पर बेच रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ सरकारी विभागों को अलग-अलग ब्रांडों के कम्प्यूटरों तथा अन्य उत्पादों की आपूर्ति करता है। सौदों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण ऐसी सभी मदों के ब्यौरे देना व्यवहारिक नहीं है। तथापि, कम्प्यूटरों, आफिस आटोमेशन की मदों तथा फोटोकापियर पेपर की कुछ मुख्य मदों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जैसाकि दिनांक 23.2.2001 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न संख्या 41 के उत्तर में पहले उल्लेख किया गया था, सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा सरकारी विभागों को उच्च दरों पर कम्प्यूटर बेचे जाने के आरोप की जांच कर रही है।

विवरण

क्र.सं.	मद	संविन्यास	रा.उ.सह. संघ का निर्गम मूल्य (रु. प्रति यूनिट)	अधिकतम खुदरा मूल्य	आपूर्तिकर्ता का स्तर
1	2	3	4	5	6
(क) कम्प्यूटर ब्रांड नाम					
1.	एच सी एल	एच सी एल बिजी बी पी-3 866 मेगाहर्टज 256 केबी केवी/128 एम बी एसडीआरएम/1.44 एमबी एफडीडी/20जीबी एचडीडी/52 एक्स सीडी	58,900.00	उपलब्ध नहीं	वितरक

1	2	3	4	5	6
		रोम ड्राइव विद मल्टीमीडिया किट/14'' कलर मॉनीटर/10/100 एमबीपीएस इथरनेट कार्ड/हिंदी आई-लीप माउस थ्री बटन विद एन्टी स्टेटिक पैड/की बोर्ड/विन मिलेनियम विद मीडिया (नार्टन एन्टी वायरस प्रीलोडेड। एक वर्ष की वारंटी			
2.	कम्पैक	कम्पैक प्रिसेरियो 933 मेगाहर्टज/64 एमडी राम/20 जीबी एचडीडी/48एक्स सीडी रोम/1.44 एमबी एफडीडी/15'' कलर मॉनिटर/इन्टरनेट रेडी की बोर्ड/जेबीएल प्रो स्पीकर्स/पीएस 2 माऊस/56.6 केबीपीएस/ मोडेम/2यूएसबी पोर्ट/मेकाफी एन्टीवाइरस विन्डो एमई/ एमएस वर्क्स/एमएस वर्ड 2000/रिंग सेन्ट्रल फैक्स/मनी 99/वेब कैमरा।	68,150.00	उपलब्ध नहीं	एजेंसी विनिर्माताओं द्वारा अनुमोदित है।
3.	एच पी	एच पी ब्रिओ पेन्टियम III 0933 मेगाहर्टज मिनीटावर/133 मेगाहर्टज एफएसबी 64 एमबी एसडी राम 20 जीबी एचडीडी स्मार्ट-II वीटा/1.44 एमबी एफडीडी 15'' एसवीजीए कलर मॉनीटर/48 एक्ससीडी रोम/ ईथरनेट रेडी की बोर्ड/एचपी स्क्रोल माउस/1 सीरियल/ 1 पेरालल/2यूएसबी/माउस/1 की बोर्ड पोर्टस/ इन्टिग्रेटिड एस 3 प्रोसोवेज एसएमए ग्राफिक्स फ्राम 8 टु 16/56 केबीपीएस मोडेम/एम्पलीफाइड स्पीकर्स/ विन्डो 98 विद रिकवरी सीडी एण्ड लाइसेंस/ नार्टन एन्टी वायरस/मेकाफी इन्टरनेट गार्ड डांग एस/ डब्लू लोटस स्मार्ट सूट एस/डब्लू फोटो लैब/विंग 2000 ईपीए इनर्जी स्टार सर्टिफाइड। ब्रीओ सेन्ट्रल एण्ड ई-डियाग टूल्स। एक वर्ष की वारण्टी ऑनसाइट पर।	61,800.00	-वही-	-वही-
ख. ऑफिस ऑटोमेशन					
1.	तोशिबा (फोटोकॉपीयर)	मॉडल नं. 1370 कॉपीयर 13 सीपीएम, फोलियो साइज 65-141%/जूम/250 शीट कैसेट आर सिंगल शीट बाइपास 100% एज टु एज कापीइंग/कान्टिन्यूअस रन्स 1-199 कापीस, ऑटोमेटिक एक्सपोसर कन्ट्रोल, जून इण्डिकेटरस फोटो मोड।	85,120.00	-वही-	-वही-
2.	शार्प (फैक्स मशीन)	मॉडल नं.-''एफओ 70'' शार्प थर्मल फैक्स मशीन, विद ऑटो पेपर कटर 16 डिजिट एलसीडी डिस्प्ले-64 लेवल्स ऑफ हाल्फटोन, 10 पेजिस एडीएफ विद 40 नम्बरस ऑटो डायलर, ऑटो फैक्स/टेल स्विच, फोन विद कालर आइडेन्टिफिकेशन एन्टी जन्क फन्क्शन, आन्सरिंग मशीन हुकअप	15,955.00	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5	6
3.	शार्प (फोटो कॉपियर (इमेजर कम-प्रिन्टर	शार्प-161 कॉपियर स्पेशिफिकेशन स्केन वन्स प्रिंट मैनी 16 सीपीएम/पीपीएम मेक्सिमम ओरिजिनल साइज ए 3-250 शीट फ्रंट लोडिंग ट्रे। 100 शीट मल्टी बाइपास फीडर, क्विक फर्स्ट कॉपी टाइम 7.2 सेकिण्ड। मल्टि एसेस फन्शन अलाविंग इन्टप्टिंग। 2 यूजर प्रोग्रामेबल पावर/टोनर सेवर मोड। डिजीटल ऑटो एक्सपोसर कन्ट्रोल/फोटो मोड वाइड जूम रेंज 50% टु 200% (इन 1% स्टेप्स) एक्स-वाई-जूम/ बी/डब्लू रिवर्स हाई क्वालिटी 600 डीपीआई लेजर कोपिंग। ड्यूअल पेज कॉपी मोड वार्म अप टाइम 35 सेकिन्ड। पावर सेवर मोड 99 कान्टिन्यूअस कॉपीज। *प्रिन्टर स्पेसिफिकेशन्स:* हाई क्वालिटी 600 डीपीआई प्रिटिंग। 64 बीआईटी आरआईएससी/133 मेगाहर्टज। 8 एमबी मेमोरी स्टेन्डर्ड अपग्रेडेबल जव 136 एमबी सपोर्टस आल मेजर प्लेटफार्म्स एण्ड नेटवर्क एण्ड प्रिटिंग प्रोटोकोल्स। सपोर्टस पीर टु पीर प्रिंटिंग। एसएनएमपी, यूनिक्स, विन्डोज 3.1/95/98 विन्डो एनटी/नोवेल नेटवेयर 5 एमएपी। सिस्टम प्रोटोकोल्स एन-अप फन्क्शन एण्ड वाटरमार्क फिट टु पेज फन्क्शन ऑफसैट प्रिंटिंग बाई शिफ्टर फन्क्शन।	1,160,160.00	-वही-	-वही-

(ग) फोटोकॉपीयर पेपर

ब्रांड नाम/विवरण	रा.उ.सह. संघ का निर्गम मूल्य (रु. प्रति रिम) (बिक्री कर सहित)	अधिकतम खुदरा मूल्य (बिक्री कर सहित) (रु. प्रति रिम)	आपूर्तिकर्ता का स्तर
1. मोंदी एमएक्स-75 ए-4	166.32	202.00	विनिर्माता
2. मेन्चुरी डी'' मार्ट बीपी ए-4	116.64	200.00	प्रोसेसर/विनिर्माता
3. गेटवे ए-4	122.58	144.00	-वही-
4. मोंदी एमएक्स-75 एफ/एस	193.32	239.00	विनिर्माता
5. मेन्चुरी डी'' मार्ट बीपीएफ/एस	142.56	250.00	प्रोसेसर/विनिर्माता
6. गेटवे एफ/एस	149.69	175.00	-वही-

आकाशवाणी के कार्यक्रमों से संबंधित सर्वेक्षण

6214. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में आकाशवाणी के कार्यक्रमों के श्रोताओं की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी के कार्यक्रमों के श्रोताओं की संख्या का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सर्वेक्षण से क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इनमें से बहुत से कार्यक्रम उच्च आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के श्रोताओं को ध्यान में रखकर तैयार किये जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो निम्न आय वर्ग के श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि इस वर्ग के अधिकांश श्रोताओं के पास रेडियो/ट्रांजिस्टर होते हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) श्रोता अनुसंधान सर्वेक्षण के अनुसार रेडियो वाले घरों में श्रोताओं का प्रतिशत निम्न प्रकार से है:

वर्ष	प्रतिशत
1996-97	48
1997-98	47
1998-99	50
1999-2000	सर्वेक्षण नहीं किया गया
2000-2001	50

(घ) और (ङ) जी, नहीं, आकाशवाणी समाज के सभी वर्गों के श्रोताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, यही कुछेक सप्ताह पहले हमने देखा कि तहलका मामले में एक घृणित रहस्योद्घाटन हुआ जिसने राष्ट्र को स्तब्ध और क्षुब्ध करके रख दिया। पहले भी मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग है, लेकिन रक्षा मामलों में तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अफसोस की बात है कि सरकार ने इस विशेष मामले में अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। केवल यह कह देता है कि संयुक्त संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती क्योंकि कोई जांच आयोग बैठाया जा चुका है, पर्याप्त नहीं है।

मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहाँ तक अयोध्या मामले का संबंध है, तो यह अदालत का मामला है और साथ ही, इस मामले में लिब्राहन आयोग भी बैठा हुआ है। स्वर्गीय राजीव गांधी की नृशंस हत्या के मामले में हमने वर्मा आयोग, जैन आयोग और एक एसआईटी बैठाई थी जो उसी मामले की विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहे थे। अत: यह कहना कि संयुक्त संसदीय समिति नहीं बैठाई जा सकती क्योंकि जाँच आयोग पहले ही बैठाया जा चुका है, छलावा मात्र है। इस तरह की धूल निरंतर हमारी आँखों में नहीं झोंकी जा सकती। हम इस मामले को उठाना चाहते थे, किन्तु एक उत्तरदायी विपक्षी पार्टी होने के नाते हमने राष्ट्र के वित्तीय कार्य की महत्ता को महसूस किया। इसलिए हमें खुशी हुई कि सरकार ने इस मामले में सभी पहलुओं पर विचार की घोषणा की थी। मुझे बहुत खुशी है कि हम इस सभा में वित्तीय कार्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसे सही ढंग से निपटाएंगे। लेकिन, जहाँ तक इस विशेष मामले का संबंध है, तो हम इसे उठाना चाहेंगे।

जैसाकि आप जानते हैं कि कांग्रेस का विचार था कि इस सभा को 10 मई तक चलाया जाना चाहिए या वैकल्पिक रूप से इसे 14 और 18 मई के बीच चलाए जाएं। किन्तु अधिकांश विपक्षी दलों व अन्य पार्टियों की इच्छा के विपरीत हम निर्णय आप पर छोड़ते हैं। अब काम की आपकी घोषणा से अचानक हमें पता चलता है कि आज हम सभा को स्थगित कर रहे हैं। इसलिए, इस मामले को उठाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अत: हम चाहेंगे कि सरकार इस विशेष मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह इस विषय पर दिमाग खुला रखेंगे। हम संसद के बाहर और अन्दर सभी संभव मोर्चों पर इस मामले को निरन्तर उठाते रहेंगे। अब समय आ गया है भारत सरकार हमारी मांग के अनुसार एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर इस मामले में पाक साफ होकर आये और इस शर्मनाक प्रकरण में जिसमें वह शामिल है, से छुटकारा पाए। सरकार से शीघ्र ही हम इसी प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं ताकि हम इस मामले को सही विराम दें और पूरे प्रकरण की व्यापक रूप से जांच हो। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया ने सरकार की प्रतिक्रिया की मांग की है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): श्री सिंधिया ने प्रश्न किया है और मैं सरकार की ओर से जवाब दूंगा। हर विषय पर हर कोई बोले यह क्या है ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): अध्यक्ष महोदय, यह सहमति आपके चैम्बर में हुई थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री एस. जयपाल रेड्डी, चैम्बर में क्या हुआ, उस बात को मत उद्धृत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: श्री एस. जयपाल रेड्डी, चैम्बर में क्या हुआ। कम-से-कम आप तो इसका उल्लेख इस सभा में न करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को बोलने दीजिए क्योंकि इस मामले में आज उन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, हमने आपको नोटिस दिया था, आपने कहा था कि आप हमें जीरो आवर में बोलने का अवसर देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे मिलकर कहा था और आपने मुझे बोलने ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पप्पू जी, आपका अगला नंबर है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी आपसे आग्रह किया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पप्पू जी, डा. रघुवंश प्रसाद जी के बाद आप बोलिए। अभी बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है। इसलिए, मैंने उन्हें अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, तहलका के माध्यम से देश में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपने मुझे इस पर बोलने की इजाजत दी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इस संबंध में आज तक कुछ नहीं किया है। ...*(व्यवधान)* मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार है। ...*(व्यवधान)* रक्षा सौदों में घोटाला हो रहा है। ...*(व्यवधान)* इन सबका पर्दाफाश होने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया है ...*(व्यवधान)* जे.पी.सी. की मांग से सरकार भाग रही है ...*(व्यवधान)* सरकार घोटाले पर घोटाले कर रही है। ...*(व्यवधान)* इनका पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट है। ...*(व्यवधान)* सरकार 14, 15, 16, 17 और 18 मई को हाउस की बैठक नहीं बुला रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस पर गवर्नमैंट का रिस्पांस सुनिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में मंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी नहीं शामिल किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन: यह सही है कि सरकार ने कहा है कि तहलका मामले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन के संबंध में उसका दिमाग खुला है और साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि वह इस पर लोक सभा में समुचित चर्चा कराने के बाद ही अंतिम रूप से निर्णय करेगी। आज इस सत्र का अंतिम दिन है। ''शून्य काल'' में हम संयुक्त संसदीय समिति का गठन नहीं कर सकते। हमें इस पर समुचित चर्चा करनी होगी और एक यथोचित प्रस्ताव लाना होगा। इस चर्चा में सभी लोगों को भाग लेना चाहिए और इस चर्चा के अंत में सभा को संयुक्त संसदीय समिति के गठन पर निर्णय लेना चाहिए। यह गठित की जाए अथवा नहीं। इसलिए मैं ''शून्य काल'' के दौरान यह वचन नहीं दे सकता कि हम संयुक्त संसदीय समिति का गठन करेंगे। इस बारे में हमारा दिमाग खुला है। उन्हें एक यथोचित प्रस्ताव लाने दीजिए। इस समय हम इस पर चर्चा करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: हम विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.07 बजे

(इस समय श्रीमती सोनिया गांधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 12.07$^{1}/_{2}$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): मैं डा. मुरली मनोहर जोशी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3680/2001]

(3) (एक) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3681/2001]

(5) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3682/2001]

(7) (एक) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3683/2001]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नालाजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नालाजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3684/2001]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): मैं, श्री जसवन्त सिंह की ओर से गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3685/2001]

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, तहलका प्रकरण के चलते सदन की कार्यवाही कई दिन तक नहीं चली। सत्ता पक्ष और विपक्ष ...*(व्यवधान)* ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2001 जो 28 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 221(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इसका एक शुद्धि-पत्र, जो 19 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 263(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3686/2001]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 247(अ), जो 21 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.अ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3687/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्रीमती वसुन्धरा राजे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट फार इन्टरप्रिनियोरशिप एण्ड स्माल बिजनिस डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार इन्टरप्रिनियोरशिप एण्ड स्माल बिजनिस डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3688/2001]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3689/2001]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2001 का संख्यांक 1)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3690/2001]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2001 का संख्यांक 2)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं पर टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3691/2001]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2001 का संख्यांक 3)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं पर टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3692/2001]

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2001 का संख्यांक 4)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ कार्यकलापों की समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3693/2001]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3694/2001]

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3695/2001]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3696/2001]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3697/2001]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एमएमटीसी लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3698/2001]

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3699/2001]

(4) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के सामान्य निधि लेखाओं के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 1998-99 के पूल निधि लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3700/2001]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3701/2001]

(3) (एक) आचार्य हरिहर रीजनल केन्सर सेंटर, कटक के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आचार्य हरिहर रीजनल केन्सर सेंटर, कटक के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3702/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन की ओर से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 148(अ), जो 17 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 12 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 570(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3703/2001]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री सत्यव्रत मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3704/2001]

(3) मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3705/2001]

अपराह्न 12.10 $^{1}/_{2}$ बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 25 अप्रैल 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 22 फरवरी 2001 को हुई अपनी बैठक में चिट फंड (संशोधन) विधेयक 2000 में किए गए संशोधनों से सहमत हुई:

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

''इक्यानवें वर्ष'' के *स्थान पर* ''बावनवें वर्ष'' *प्रतिस्थापित किया जाए।*

खंड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3,-

''2000'' के ''स्थान पर'' 2001'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 25 अप्रैल 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 7 मार्च, 2001 को हुई अपनी बैठक में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ विधेयक, 2000 में किए गए संशोधनों से सहमत हुई।

अधिनियमन सूत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 1:-

''इक्यानवें वर्ष'' के *स्थान पर* ''बावनवें वर्ष'' *प्रतिस्थापित किया जाए।*

खंड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3,-

''2000'' के स्थान पर ''2001'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 25 अप्रैल 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 22 फरवरी, 2001 को पारित बीमा विधि (कारबार का अंतरण और आपात उपबंध) निरसन विधेयक, 2001 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(चार) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 25 अप्रैल 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित औद्योगिक विवाद (बैंककारी कंपनी) विनिश्चय (निरसन) विधेयक 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(पांच) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 25 अप्रैल 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(छ:) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 25 अप्रैल, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 22 फरवरी, 2001 को पारित कालोनियल प्रिजनर्स रिमूवल (निरसन) विधेयक, 2001 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(सात) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 26 अप्रैल, 2001 को हुई अपनी बैठक में पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक 1999 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

''कि पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 संबंधी दोनों सभाओं को संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय राज्य सभा के 193वें सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाया जाये।''

(आठ) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 26 अप्रैल, 2001 को हुई अपनी बैठक में शेयर बाजार घोटाला तथा तत्संबंधी मामलों संबंधी एक संयुक्त समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि 30 सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति, जिसमें 20 सदस्य लोक सभा से और 10 सदस्य राज्य सभा से होंगे, गठित की जाए:

(एक) सभी संव्यवहारों जिनमें इन्साइडर्स ट्रेडिंग भी सम्मिलित है, में हुई अनियमितताओं तथा छल साधनों और उनके प्रभावों तथा बैंकों, दलालों तथा संप्रवर्तकों, स्टॉक एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थाओं, निगमित निकायों तथा विनियामक प्राधिकरणों की भूमिका की जांच करना।

(दो) ऐसे संव्यवहारों के संबंध में व्यक्तियों, संस्थाओं या प्राधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(तीन) नियंत्रण और पर्यवेक्षी तंत्रों में दुरुपयोग यदि कोई किया गया हो और विफलता/अपर्याप्तताओं का पता लगाना।

(चार) ऐसी विफलताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सिस्टम में सुरक्षोपायों और सुधारों के लिए सिफारिशें करना।

(पांच) छोटे निवेशकों की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाना।

(छः) लोक सभा द्वारा 26 अप्रैल, 2001 को स्वीकृत किए गए और 26 अप्रैल, 2001 को इस सभा को सम्प्रेषित किए गए प्रस्ताव में दिए गए विनियमों के उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिरोधी उपाय सुझाना और यह संकल्प किया कि यह सभा उक्त समिति में शामिल होगी और इस सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने हेतु नियुक्त करेगी जिनके नाम हैं:

(1) श्री रामदास अग्रवाल

(2) श्री एस.एस. अहलुवालिया

(3) श्री नीलोत्पल बसु

(4) श्री प्रेमचन्द गुप्ता

(5) श्री के. रहमान खान

(6) श्री प्रफुल्ल पटेल

(7) श्री सी. रामचन्द्रैया

(8) श्री कपिल सिब्बल

(9) श्री अमर सिंह

(10) श्री सी.पी. तिरुना वकरसू

2. महोदय, मैं 25 अप्रैल, 2001 को राज्य सभा द्वारा यथापारित दो विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) औद्योगिक विवाद (बैंककारी कम्पनी) विनिश्चय (निरसन) विधेयक, 2001; और

(दो) उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2001 ।

अपराह्न 12.11 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छठे सत्र के दौरान हुई बारहवीं से चौदहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.11$^{1}/_{4}$ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 'सेना छावनियों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन के अध्याय-1

में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण।

(2) 'आयुध निर्माणी' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'नौसेना बेड़े का उन्नयन और आधुनिकीकरण' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण।

अपराह्न 12.11 1/2 बजे

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

इक्यावनवां और बावनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं क्रमश: (एक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और (दो) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2001-2002) के संबंध में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति के इक्यावनवें और बावनवें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी सीट पर वापस जाएँ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.12 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं तहलका के मामले में संयुक्त संसदीय समिति के प्रति सरकार के रवैये के विरोध में सभा से बहिर्गमन करता हूँ।

अपराह्न 12.13 बजे

(इस समय श्री जी.एम. बनातवाला सभा भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 12.13 1/2 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आज की कार्यसूची में सम्मिलित नियम 377 के अधीन मामले सभा-पटल पर रखे माने जाएँ।

(एक) मध्य प्रदेश के सतना जिले में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना): मध्य प्रदेश में विगत मानसून में बहुत कम वर्षा होने से अनेक जिलों में पेयजल का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया है। विशेषकर विन्ध्य सम्भाग के सतना जिला एवं सतना शहर में पीने के पानी के लिए लोग मीलों भटक रहे हैं। जिले की सभी नदियां, जलाशय एवं कुएं सूख गए हैं तथा हैण्ड पम्प में भी पानी बहुत नीचे चला गया है। लोग सुबह से शाम तक साइकिलों एवं बैलगाड़ियों तथा ट्रैक्टरों से पानी ढोने में ही दिन बिता रहे हैं।

सतना नगर की जल प्रदाय योजना टमस नदी में पानी समाप्त हो जाने से ठप्प हो चुकी है। पूरे शहर में नगर निगम केवल टैंकरों के सहारे पेयजल की आंशिक व्यवस्था कर रहा है। दलित, आदिवासी एवं पिछड़ी बस्तियों में पेयजल की समस्या और भी भयावह है।

अत:, भारत सरकार से अनुरोध है कि सतना नगर एवं सम्पूर्ण जिले की पेयजल व्यवस्था हेतु नगर निगम सतना एवं जिले की ग्राम पंचायतों को मदद करे तथा लोगों को प्यास से मरने से बचायें।

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

[अनुवाद]

(दो) पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा (दावणगेरे): कर्नाटक राज्य सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दावणगेरे जिला, जगालु तालुक के अरासिनगुन्डी राज्यवन की 4.9 हैक्टेयर वन-भूमि का मेसर्स विक्सजमान लिमिटेड, बंगलौर को पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए सौंप देने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा था। इस प्रस्ताव को संदर्भ संख्या एफ.ई.ई. 351 एफ जी एल 99 के अंतर्गत भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक मंजूरी प्रदान नहीं की है जिसका परिणाम यह हुआ है कि पवन ऊर्जा परियोजना काफी लंबे समय से लंबित पड़ी है। पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना उस क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है।

अत: मैं पुन: केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वह अरासिनगुंडी की इस वन भूमि को सौंपने की मंजूरी प्रदान करे ताकि यह पवन ऊर्जा परियोजना शीघ्र स्थापित की जा सके।

(तीन) हरियाणा के पंचकूला जिले में पिंजौर में एच.एम.टी. इकाई को बंद न करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): मैं सरकार का ध्यान 14 अप्रैल के दैनिक ट्रिब्यून की ओर दिलाते हुए कहना चाहूंगा कि मेरे अम्बाला लोक सभा के पंचकुला जिले में एच.एम.टी. की पिन्जौर इकाई 1963 से कार्यरत है। इस इकाई ने जहां राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं पर इस क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार प्रदान कराया था। एक समय इस इकाई में 7000 लोगों को रोजगार प्राप्त था परन्तु अब समाचार पत्र में छपा है कि सरकार धीरे-धीरे कर्मचारियों की छंटनी करके इस इकाई को बंद करने जा रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि पंचकुला जिले में स्थित एच.एम.टी. की पिन्जौर इकाई को बंद न किया जाये।

[अनुवाद]

(चार) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र के अंगूर उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रकाश वी. पाटील (सांगली): दक्षिणी महाराष्ट्र के एक बड़े भू-भाग में अंगूर की खेती की जाती है। मानसून की कम वर्षा होने के कारण अंगूर उत्पादक किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अंगूर के निर्यात से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। अंगूर की खेती करने वालों की बीमा सुरक्षा नहीं की जाती है जिसके कारण किसानों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। उनके जले पर नमक छिड़कने के लिए निर्यात मुनाफे पर मिलने वाली कर की छूट को वापस लेने का प्रस्ताव है जो उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 79 एचएचसी के तहत दी गई थी।

अंगूर की खेती में लगे दक्षिण महाराष्ट्र के गरीब किसानों को कर में दी जाने वाली छूट को वापस लेने की सरकारी कार्रवाई और बीमा सुरक्षा अथवा सुरक्षा कवर न उपलब्ध होने के कारण अथवा कम वर्षा से उत्पन्न जल संकट के समाधान में सरकारी सहायता न मिल पाने के कारण उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है।

अतएव फसल बीमा योजना के अंतर्गत उचित मुआवजा देने और वापिस ली गई कर छूट को बहाल करने की अत्यधिक आवश्यकता है।

(पांच) महिला आरक्षण विधेयक पर शीघ्र विचार किये जाने और उसे पारित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा नहीं की गई है और यहां तक कि महिलाओं के संबंध में राष्ट्रीय नीति को स्वीकारे जाने से पूर्व उसे महिला अधिकारिता समिति के पास नहीं भेजा गया है।

अत: महिला आरक्षण विधेयक पर शीघ्र विचार करने और उसे पारित करने की आवश्यकता है।

(छह) उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में नदियों के तटबंधों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भालचन्द्र यादव (खलीलाबाद): मेरा लोक सभा क्षेत्र खलीलाबाद, उत्तर प्रदेश का एक बाढ़ग्रस्त इलाका है। मेरे इलाके में छोटी-बड़ी कुल सात नदियां प्रवाहित होती हैं। वर्षा के दिनों में इन नदियों में भयंकर बाढ़ आती है, जिससे पूरा सन्त कबीर नगर जनपद जलमग्न हो जाता है। तीन नदियों घाघरा, राप्ती एवं कुआनों पर तटबंध हैं जबकि आमी एवं कठनईया नदी पर कोई तटबंध नहीं है। कुआनो नदी पर कई स्थानों पर तटबंध नहीं बना है। सन 1998 में कुआनों नदी का मुखलिसपुर के पास तटबंध टूट जाने से भीषण बाढ़ आई थी। इस वर्ष भी कई स्थानों से तटबन्ध के टूटने के आसार थे। राप्ती का तटबन्ध वेलौली के पास टूटा था, जिससे पूरा जिला जलमग्न हो गया था।

अत: सन्त कबीर नगर जनपद के नदियों के तटबन्धों की मरम्मत के लिए केन्द्र सरकार आवश्यक कदम उठाये, जिससे आगामी बरसात में धन, जन की हानि न हो। इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाये।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी नोटिस दिया था और आज भी दिया है। मेरे नोटिस की सूचना पहले नम्बर पर है। यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इतने महत्वपूर्ण मामले पर आपको सबसे पहले आदेश देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका सबमिशन क्या है?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: बिहार में परसों वित्त मंत्री श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल, श्री इलियास हुसैन, पूर्व पथ निर्माण मंत्री और श्री दिनेश चौधरी, एम.एल.ए. आदि कई लोग श्री रंजन प्रसाद यादव के नेतृत्व में वहां एक मीटिंग कर रहे थे। दो-तिहाई विधायक श्री रंजन प्रसाद यादव को वहां का मुख्य मंत्री बनाना चाहते हैं। श्री लालू यादव का साला श्री सुभाष यादव गोली और बारूद लेकर श्री इलियास हुसैन के घर में घुस गया और श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल और श्री इलियास हुसैन को जान से मारने की साजिश की गई। बिहार में जो लोग सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं और श्री रंजन प्रसाद यादव को मुख्य मंत्री बनाना चाहते हैं, उनकी जान को खतरा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.15 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने बता दिया, अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

अपराह्न 12.16 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमने पप्पू यादव जी को मौका दिया और उन्होंने बोल दिया। अब आप बैठ जाइये। ऐसा करना ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मि. नागमणि, आप बैठ जाइये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, बिहार में आज कोई सुरक्षित नहीं है। हम वहां सत्ता परिवर्तन चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, यहां दो मुद्दे उठाये गये हैं। विपक्ष के कुछ

प्रमुख बन्धुओं ने किसी समाचार-पत्र में एक सरकारी अधिकारी द्वारा लिखे गये लेख पर आपत्ति उठाई है। मैं भारत सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार सभी धर्मों का समान आदर करती है और हिन्दुस्तान में जितने भी धर्म हैं, उनमें कोई ऊंचा है या बड़ा है, इस प्रकार का सरकार का कोई मत नहीं है। इसलिए किसी भी सरकारी अधिकारी को इस प्रकार का मत व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत रूप में हम अपना धर्म बहुत अच्छा मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसीलिए उस धर्म में होते हैं। लेकिन किसी दूसरे का धर्म छोटा है, इस प्रकार की भावना किसी व्यक्ति के मन में होना ठीक नहीं है। खासकर अगर सरकारी अधिकारी हो तो नियमों के अंतर्गत, उसके मन में इस प्रकार की भावना होना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए कल जब यह विषय उठाया गया था तभी इस विषय में मैं एच.आर.डी. मिनिस्टर को पत्र लिख चुका हूं और जैसे ही उनका कोई जवाब आता है तो मैं सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा या आपके पास भिजवा दूंगा, लेकिन आप निश्चित रूप से निश्चिंत रहिये कि किसी भी सरकारी अधिकारी को, चाहे वह अपने मन में कुछ भी माने, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

किसी भी सरकारी अधिकारी और सरकारी पत्रिका में किसी धर्म का प्रचार करने की या बढ़ा-चढ़ा कर कहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

दूसरा जो पप्पू यादव जी ने विषय उठाया, उसके बारे में *...(व्यवधान)*

श्री बलवीर सिंह (जालन्धर): आप उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? क्या कार्रवाई की गई है? *...(व्यवधान)* इसके पक्के सबूत मौजूद हैं। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं, महोदय इसके पक्के सबूत मौजूद हैं। उन्होंने आधिकारिक रूप से इसे एक आधिकारिक पत्रिका में लिखता हूँ *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप कह रहे हैं कि मैंने पत्र लिखा है, इसमें पत्र से क्या होता है। इसमें पत्र का क्या मतलब है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है, आप बैठ जाइये। पप्पू यादव जी, यह हाउस है, आप क्या कर रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि हाउस में कैसे बिहेव करना चाहिए।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): यह क्या बात हुई। वे जानना चाहते हैं कि जो पत्र आपने लिखा है, उसके कण्टेंट क्या हैं?

श्री प्रमोद महाजन: जो आपने कल यहां सदन में सारी बात कही, उसकी पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा मैंने उसमें दिया है। *...(व्यवधान)*

श्री बलबीर सिंह: वह तो सबूत है और आप क्या चाहते हैं?

श्री प्रमोद महाजन: उसका जो भी जवाब आयेगा *...(व्यवधान)* मैं खुद देख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपने मामला उठाया है और मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। आप और क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: पप्पू यादव जी ने जो मुद्दा उठाया, गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.20 बजे

(इस समय श्री नागमणि, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री रामदास आठवले आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आज सत्र का अंतिम दिन है। कृपया आप अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री नागमणि जी, कृपया अपने स्थान पर चले जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। आप अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, कृपया अपने स्थान पर चले जाइए।

[हिन्दी]

यह ठीक नहीं है, यह राज्य का विषय है, यह विधान सभा नहीं है, संसद है। अब आप अपनी सीट पर जाएं।

अपराह्न 12.21 बजे

(इस समय श्री नागमणि, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री रामदास आठवले अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, मुझे आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हो गया है और मैंने तथ्य मंगवाये हैं। यह मामला मेरे विचाराधीन है। आपको इस मामले को यहां उठाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विशेषाधिकार नोटिस की यह प्रक्रिया नहीं है। कृपया अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइये।

विदाई उल्लेख

अपराह्न 12.22 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, तेरहवीं लोक सभा का छठा सत्र अपनी निर्धारित समापन तिथि से आठ बैठकें पहले ही अब से कुछ देर पश्चात् समाप्त हो जाएगा। यह सत्र 19 फरवरी, 2001 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय कक्ष में समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सम्बोधन के साथ शुरू हुआ था। इस सत्र के दौरान सभा में कुल 31 बैठकें हुईं।

यह बजट सत्र है और वित्तीय कार्य इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। वर्ष 2001-2002 का रेल बजट और सामान्य बजट क्रमश: 26 और 28 फरवरी, 2001 को प्रस्तुत किए गए। नियमों में यह प्रावधान है कि सभा में सामान्य बजट पर चर्चा के बाद स्थायी समितियाँ अनुदान माँगों पर विचार करेंगी। चूँकि, उस समय मौजूद परिस्थिति में रेल बजट और सामान्य बजट पर चर्चा करना संभव नहीं था इसलिए संगत नियम को स्थगित करना पड़ा ताकि 24 मार्च, 2001 से 15 अप्रैल, 2001 तक हुए सत्रावकाश के दौरान स्थायी समितियाँ अनुदान माँगों पर विचार कर सकें।

लोक सभा के इतिहास में पहली बार, सभा की कार्यवाही में लगातार व्यवधान के कारण रेल बजट को बिना चर्चा के पारित करना पड़ा। जैसाकि सभा इस बात से अवगत है कि मैंने इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए नेताओं के साथ अनेक बैठकें कीं। अन्त में, सभा के माननीय नेता, विपक्ष की माननीय नेता और अन्य नेताओं के सहयोग से बजट (सामान्य) से संबंधित अनुदान की मांगों और वित्त विधेयक, 2001 को 24 और 25 अप्रैल, 2001 को पारित करने से पूर्व इन पर सभा में 13 घंटे की लम्बी चर्चा हुई। मैं इस अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी स्थिति पुन: नहीं आएगी जब बजट को चर्चा किए बिना ही पारित करना पड़े।

इससे पहले, तीन दिनों तक चली साढ़े तेरह घंटे लम्बी चर्चा के बाद सभा ने 12 मार्च, 2001 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।

इस सत्र के दौरान सभा ने 16 विधेयक पारित किए। पारित किए गए विधेयकों में कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2001; विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999; स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2001; और वित्त विधेयक, 2001 जैसे कुछ विधेयक शामिल हैं। लोक सभा की स्थायी समितियों ने 61 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं।

सभा ने नियम 193 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के दो मामलों पर चर्चा की। ये 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आए भयंकर भूकम्प की स्थिति और किसानों की समस्याओं के बारे में थे। सभा ने नियम 184 के अधीन भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के विनिवेश के निरनुमोदन संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की और इसे अस्वीकृत किया। सभा ने संसदीय कार्य मंत्री द्वारा शेयर बाजार की अनियमितताओं और गड़बड़ी की जांच करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया।

जहां तक प्रश्नकाल का संबंध है, 600 तारांकित प्रश्नों में से 66 के सभा में मौखिक उत्तर दिए गए। 6214 लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मंत्रियों ने विभिन्न विषयों पर 15 वक्तव्य दिए। नियम 377 के अधीन सदस्यों ने 249 मामले उठाए, जबकि शून्यकाल के दौरान अविलम्बनीय लोक महत्व के 144 मामले उठाए गए।

जहाँ तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, सत्र के दौरान 20 गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पुर:स्थापित किए गए। एक विधेयक पर आंशिक चर्चा हुई। दो गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों में से एक को चर्चा के बाद वापिस ले लिया गया और दूसरे पर आंशिक चर्चा हुई।

[अध्यक्ष महोदय]

बार-बार के स्थगित होने के कारण सभा का कार्य बहुत प्रभावित हुआ। सभा अपना कार्य करने के लिए 109 घंटे से कुछ अधिक बैठी और इसने लगभग 74 बहुमूल्य घंटे गंवा दिए। यह वास्तव में, क्षुब्ध करने वाली स्थिति है और मुझे विश्वास है कि सभी सदस्यों के मन में ही यही भावना होगी। यह सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि भविष्य में सभा में, सूचीबद्ध कार्य सुचारू रूप से निपटाए जांए।

अंत में, मैं एक बार फिर सभा के माननीय नेता, विपक्ष की माननीय नेता, सभा में विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं, राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों और सचेतकों तथा सभा के सभी सदस्यों द्वारा मुझे और मेरे सहयोगियों, माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्यों को दिए गए सहयोग और शिष्टाचार के लिए धन्यवाद देता हूँ। सभा के संचालन में बहुमूल्य सहयोग देने के लिए मैं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों और अन्य संबद्ध एजेंसियों की प्रसंशा करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): अध्यक्ष महोदय, अब जबकि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने जा रहा है और सभी माननीय सदस्य अपने अपने राज्यों में जाने वाले हैं, बहुत से सदस्य तो विधान सभा चुनाओं में प्रचार करने जायेंगे, मैं इस घनटनापूर्ण और कभी-कभार घटनापूर्ण और शोर-शराबे वाले सत्र के लिए आपको और आपके माध्यम से सभा के सभी सदस्यों को उनके परिश्रम और योगदान के लिए धन्यवाद देने हेतु खड़ी हुई हूं। इस सत्र के दौरान लोकतंत्र की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी गयी यद्यपि पारदर्शिता जो कि लोकतंत्र का सार है-कई बार स्पष्ट नहीं थी। हम इस उम्मीद में संक्षिप्त अंतराल के बाद वापस लौटे थे कि आम बजट और संबंधित वित्तीय विधेयकों को पारित करने के महत्वपूर्ण विधायी कार्य हेतु सरकार और विपक्ष के बीच औपचारिक संवाद कायम होगा। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी स्थिति को समझने में सत्ता पक्ष के लोगों को काफी समय लगा।

इस माननीय सभा में हम जो करते हैं, वह लोग सुनते हैं और देखते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें सुनेगी-पढ़ेंगी। हम इस महान राष्ट्र के इतिहास का एक हिस्सा हैं। यह हम पर है कि अपने पीछे हम क्या प्रभाव छोड़ते हैं। हम इस महान परम्परा के भी अधिकारी हैं। यह सभा भारत के कुछ महान पुत्रों और पुत्रियों का गवाह रही है जिनका प्रत्येक कार्य प्रेरणास्रोत था, जिनके कहे गये प्रत्येक शब्द भारतीय लोकतंत्र के इस सदन में अब भी गूंज रहे हैं। चूंकि उनमें से गई कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे हम इस प्रेरणादायी विरासत के प्रति और भी सचेत हैं।

इस सत्र से हम सभा में इस नैतिक उत्तरदायित्व के साथ ईमानदारीपूर्वक आये थे कि यह समय दलीय भावना से ऊपर उठने का है। राष्ट्र एक घोटाले के पर्दाफाश से सन्न रह गया। मुद्दा आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर था। इससे हमारे और लाखों करोड़ों नागरिकों के मस्तिष्क में अपनी रक्षा खरीद प्रक्रियाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा की अखंडता के साथ किए जाने वाले संभावित समझौतों को लेकर गम्भीर प्रश्नों का जन्म हुआ।

हमारा मानना था कि संयुक्त संसदीय समिति की हमारी मांग वैध है। शुरू में यह प्रस्ताव सरकार की ओर से ही आया था। नंबर बनाने में हमारी रुचि नहीं थी हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे। हमने सरकार के इस रुख का स्वागत किया कि संयुक्त संसदीय समिति के गठन को लेकर वह खुले दिमाग से सोच रही है। चूंकि सरकार ने अब तक सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है, हम इस मुद्दे पर सदन के अन्दर और बाहर आन्दोलन करते रहेंगे।

अंत में, इस मुश्किलों वाले सत्र को दक्षता और धैर्यपूर्वक चलाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं अपनी पार्टी और अपनी ओर से आपके माध्यम से दोनों पक्षों के सभी मित्रों को मुबारकवाद देती हूं और उम्मीद करती हूं कि अगली बार हम अधिक सकारात्मक रुख के साथ मिलेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय प्रधान मंत्री बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाए। हमें नयी प्रथाओं का निर्माण नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.33 बजे

(तत्पश्चात कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, आपको मालूम नहीं है, आप क्या कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, सत्र का अवसान हो रहा है। परिपाटी है कि अवसान के अवसर पर हम भविष्य के लिए आशायें प्रकट करते हैं और सत्र के दौरान जो उपलब्धियां होती हैं, आपके नेतृत्व में उनका गुणगान भी करते हैं। यह एक परिपाटी हो गई है। लेकिन यह परिपाटी मात्र कर्मकाण्ड बनकर न रह जाए, इसलिए जरूरी तौर से इस बात पर विचार होना चाहिए कि जो सत्र बड़े अच्छे वातावरण में आरम्भ होता है और जिसका सत्रावसान भी गम्भीरता के क्षणों में होता है, वह सत्र निरन्तर ठीक क्यों नहीं चल पाता, संसद की कार्यवाही मे समन्वय क्यों नहीं रह पाता।

संसद चर्चा का स्थान है। फैसले बहुमत से होते हैं, लेकिन अगर संसद को चलने से रोका जाए, तो फिर लोकतंत्र पर आघात होता है। तहलका काण्ड एक गम्भीर काण्ड है। हमने उसे बहुत गम्भीरता से लिया है।

वह सारे सदन के लिए और सभी दलों के लिए एक चेतावनी है, चुनौती है। उस पर चर्चा हो, यह हमारी इच्छा थी। हम चर्चा का वातावरण बनाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मेरी मुश्किल यह हो गई है कि आपको बीच में डालना पड़ा, क्योंकि मेरा त्यागपत्र मांगा जा रहा था। मैं 40 साल से पार्लियामेंट का सदस्य हूं। मुझे ऐसे अपशब्द कभी नहीं सुनने पड़े, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग हुआ है। क्या गाली-गलौच संसदीय कार्यवाही एक अंग बनेगी? हाथापाई की भी नौबत आ गई थी। संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इससे बढ़कर चिन्ता की बात और कोई नहीं है। फिर भी मैंने सोनिया जी को पत्र लिखा और इस बात का प्रयास किया कि कोई रास्ता निकाला जाए। मुझे खुशी है कि आपके हस्तक्षेप से रास्ता निकला, लेकिन हर बार आपको बीच में डालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पक्ष और प्रतिपक्ष आपस में बैठ कर तय कर लें।

लेकिन यह तभी संभव है जब ईमानदारी पर शक न किया जाए। हमने जब जेपीसी बनाने की बात कही थी वह उस समय स्वीकार नहीं हुई। हमने कमीशन नियुक्त कर दिया। कमीशन और जेपीसी साथ नहीं चल सकते। सब बातों पर विचार करना पड़ता है और अगर चर्चा के बाद बहुमत के द्वारा या सर्वानुमति के द्वारा इस परिणाम पर पहुंचता कि कमेटी का निर्णय होना चाहिए तो उसके लिए भी हमने कहा था कि हमारा खुला दिमाग है, मगर खुले दिमाग का मतलब खाली दिमाग नहीं है। हमारे भी मापदंड हैं और हम उन मापदंडों का पालन कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सब समान मापदंडों का पालन करें।

मुझे सदन में गालियां दी गईं, किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा कि यह असंसदीय है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उस प्रकरण को भूलने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि जब हम संसद में मिलें तो कार्यवाही ठीक से चले। अगर हम अल्पमत में हैं तो आप हमें हटा दीजिए। हमारी सरकार एक वोट से गिरी थी, हम एक वोट से हार गए और जब हार गए तो चले गए। हमने विवाद खड़ा नहीं किया लेकिन नैतिकता की दुहाई देकर यह कहा जाए कि आपको त्यागपत्र देना चाहिए तो ऐसे बहुत से मामले आए हैं और आ रहे हैं, जिनमें नैतिकता एकपक्षीय नहीं होगी, द्विपक्षीय नैतिकता का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ हुआ है वह सचमुच में पीड़ादायक है। मैं संसद में इसलिए नहीं आया था। मैंने 40 साल तक इसके लिए प्रतीक्षा की थी। भगवान राम ने रामायण में कहा था कि मैं मरने से नहीं डरता, मगर बदनामी से डरता हूं:

''न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यश''

मगर यहां किसी के सम्मान की रक्षा हो सकती है, ऐसा नहीं लगता मैं ऐसा नहीं कहता कि इसमें एकतरफा कार्यवाही हुई है, इसके लिए दोनों दोषी हैं। हम भी दोषी हैं, जहां हमारा दोष है, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए वातावरण कैसा होना चाहिए। अगर नीतियां इसलिए बनाई जाएं, प्रस्ताव इसलिए लाए जाएं, चर्चा इसलिए उठाई जाए कि किसी की इमेज खराब करनी है, हम एक-दूसरे की इमेज का खंडन करने में लगे हुए हैं और इधर देश की इमेज खराब हो रही है। हम संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, मगर क्या हो रहा है। दुनिया हमें किस तरह से देख रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मध्यस्थता की। वैसे हम द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हल निकालने के पक्ष में हैं लेकिन कभी-कभी तृतीय पक्ष की आवश्यकता होती है और आप पक्ष और विपक्ष के बीच में निष्पक्ष हैं। आपने प्रयास किया कि रास्ता निकले और रास्ता निकला है। मैं समझता हूं कि अगले सत्र में जब हम मिलें और पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में अगर आपकी आवश्यकता हो तो आपके द्वारा ऐसा प्रयास होना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। हम संसद की गरिमा को बनाए रख सकें और लोकतंत्र की रक्षा कर सकें।

अपराह्न 12.40 बजे

राष्ट्र गीत

(राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.41 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/16/31/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।